खण्ड-361, अंक-8
मंगलवार, 24 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(15 मार्च, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 361 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	1189
प्रश्नोत्तर	....	1193
होमगार्ड के एक हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की छटनी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1278
ग्राम कतरारी (गोरखपुर) में भीषण अग्निकाण्ड से 50 हरिजनों के मकानों के जलने तथा सहायता की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1279
प्रदेश के माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों के पांच लाख शिक्षकों का माह फरवरी 1983 से वेतन भुगतान न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1279
ग्राम चन्द्रावल (लखनऊ) में हुए अग्निकाण्ड से लाखों की सम्पति नष्ट होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1279
हरिद्वार में मायापुर सेतु पर सेतुकर लगाने से यात्रियों को परेशानी होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1280
तारांकित प्रश्न संख्या 12 को स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	...	1280
जिला पूर्ति अधिकारी, जालौन द्वारा जिला पूर्ति परामर्शदात्री समिति की बैठक सत्र के दौरान बुलाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	...	1281
विधान सभा की कार्यवाही अक्षरश: न छापे जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	....	1282
दिनांक 14 मार्च, 1983 को प्रख्यापित अध्यादेशों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	1282
मुख्य मंत्री को कांग्रेस पार्लियामेन्टरी बोर्ड द्वारा जबाबदेही के लिये दिल्ली बुलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	....	1290
उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1983....(विधान परिषद से वापसी की सूचना)	....	1293
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982.... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	....	1293

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ... 1293

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983....(राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 1293

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983....(राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 1294

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, उत्तर प्रदेश का प्रथम प्रतिवेदन....(प्रस्तुत किया गया) 1294

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कुलपति के कार्यकलापों से सम्बन्धित चर्चा 16 मार्च के स्थान पर 22 मार्च, को निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव ..(स्वीकृत) ... 1294

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें ... 1295

1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान—
अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), तथा
अनुदान संख्या 10—कृषि विभाग (कृषि)....चर्चा जारी 1302

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ ... 1340

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस पर लगे प्रतिबन्ध को हटा देने से आम जनता में उत्पन्न तकलीफ के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ... 1341

रैलीज इण्डिया केमिकल्स लिमिटेड, मगरवारा (उन्नाव) द्वारा निर्मित रासायनिक खाद का मिश्रण दोषपूर्ण पाये जाने विषयक दिनांक 2 मार्च, 1983 को पूछे गये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा 1355

नत्थियां ... 1362

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—326

अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथसिंह,श्री(उर्फ अनिल सिंह)(फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी)
(उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित)
आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर, सिंह, श्री (बदायूं)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रबली बह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारू चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल श्री, (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)

जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री(मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौढ़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ब्रज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झाँसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झाँसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)

मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूँ)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूँ)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, (इलाहाबाद) (उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)

लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरिशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 15 मार्च, 1983 ई०

तारांकित प्रश्न

लखनऊ स्थित राज्य सम्पति विभाग के अधीन बंगलों/आवासों के पूल्ड रेट सम्बन्धित शासनादेश

*1—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सम्पत्ति अनुभाग के शासनादेश संख्या आर० 744/32-81-54 /76, दिनांक 20 जनवरी, 1981 के अनुसार लखनऊ स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन बंगलों/आवासों को पूल्ड करके मानक किराया वर्ष 1981 से लिया जा रहा है जो उसी प्रकार के एवं उन्हीं क्षेत्रों में बने हुए गैर सरकारी आवासों के मालिकों द्वारा नगर महापालिका को दिये जा रहे म्युनिसिपल टैक्स से कई गुना अधिक है ? यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

शासनादेश संख्या आर० 744/32-81-76 दिनांक 20 जनवरी, 1981 के अनुसार लखनऊ स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन बंगलों/ आवासों के पूल्ड रेण्ट के संबंध में अध्यासियों द्वारा सिविल न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में वाद तथा रिट याचिका प्रस्तुत की गयी है । चूंकि मामला माननीय न्यायालयों के विचाराधीन है, अतएव प्रश्न में उठाये गये बिन्दुओं का उत्तर सदन के समक्ष दिया जाना जनहित में नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं पूँछना चाहता हूँ कि जो एक ही कालोनी में जो मकान हैं नये और पुराने, उनसे किराया किस दर से वसूल किया जाता है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इससे पूर्व दो तरह के मकान थे । एक पुराने और दूसरे नये । पुराने मकान का किराया कम था और नये का ज्यादा । इसलिए ज्यादातर लोग पुराने मकान के लिए प्रयास करते थे और इस चीज को दूर करने के लिए, बराबरी लाने के लिए, एक कदम उठाया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर ज्यादा प्रश्न न करें क्योंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि किन किन कालोनीज़ में अध्यासियों से म्युनिस्पैलिटीज़ टैक्स और आवासी टैक्स किस - किस दर से वसूल किया जाता है ? अलग-अलग कालोनीज की बात मैंने की है ।

श्री अम्मार रिजवी—

इस वक्त जो योजना है सारी कालोनीज पर है और जो प्रश्न किया है, अलग-अलग कालोनीज के बारे में । इस प्रश्न में यह पूछा नहीं गया है । अगर माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं तो अलग से पूँछ लें, उत्तर दे दिया जायेगा ।

2—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[दिनांक 8-2-83 को आतारांकित प्रश्न संख्या 84 द्वारा उत्तरित ।]

वित्तीय अनियमितताओं के दोषी पाये गये श्री परमहंस पाण्डेय को सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) के पद पर पुर्नानियुक्ति

***3—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—**

क्या पशुधन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि भू०पू० पाल्ट्री इंसपेक्टर (श्री परमहंस पाण्डेय) चक गंजरिया फार्म (लखनऊ) को वर्ष 1978 में करीब तीन लाख रुपये के गबन के केस में सजा हुई थी ? यदि हां, तो उन्हें हाल ही में पदोन्नति देकर उक्त फार्म में ही स०वि० अधिकारी (पशुधन) के पद पर किन परिस्थितियों में नियुक्त किया गया ? क्या यह सच है कि उसके पूर्व बक्शी तालाब में कार्यरत रहते हुए करीब 20 हजार रुपये की हेरा-फेरी उक्त कर्मचारी ने की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पशुधन राज्य मन्त्री (श्री संजय सिंह)—

जी नहीं ।

श्री पाण्डेय की पदस्थापना उनके मूलपद सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) के समकक्ष पद (कैटिल यार्ड सुपरवाइजर, चकगंजरिया फार्म पर की गई है जिसे पदोन्नति नहीं कहा जा सकता है ।

श्री पाण्डेय के बक्शी के तालाब के कार्यकाल से सम्बन्धित 16,174रु. 57 पै. की वित्तीय अनियमिततायें विभागीय आडिट द्वारा पायी गयी थी इनमें से अभी तक श्री पांडेय की 2509.50रु० की जिम्मेदारी निर्धारित हुई है जिसमें से 2383 रु. 50 पैसे की वसूली की जा चुकी है और शेष की उनसे वसूली की जा रही है । कुछ अन्य अनियमितताओं की छानबीन हो रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि श्री पाण्डेय के विरुद्ध वित्तीय अनियमिततायें पायी गयीं । तो जो आडीटर ने 16 हजार की अनियमितता पकड़ी उसके बाद भी उस आदमी को एक महत्वपूर्ण पद पर, उसके समक्ष ही सही, लेकिन महत्व-पूर्ण हैं । उस पर उनको लिये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर जांच हो रही है पुलिस में कार्यवाही चल रही है, लेकिन चूंकि जो पुलिस कार्यवाही चल रही है और कोर्ट में जो मुकदमा है, फैसला नहीं हुआ काफी अर्सा हो गया था इसलिए रिइंस्टेट किया गया । केस चल रहा है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मन्त्री जी ने स्वीकार किया कि उस शख्स ने बख्शी के तालाब पर अनियमितता बरती और मन्त्री के कथन से परिलक्षित होता है कि उसने गंजरिया फार्म में भी गबन किया। तो क्या इन सब चीजों को देखते हुए उसको निलम्बित नहीं किया जा सकता है ? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उनका निलम्बन क्यों नहीं किया गया ? क्या निकट भविष्य में निलम्बित करने की घोषणा मंत्री जी करेंगे।

श्री संजय सिंह—

अभी जैसा मैंने कहा अभी उनके खिलाफ मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, पुलिस में केस चल रहा है। लेकिन काफी अर्सा हो गया था इसलिए उनको वापस लिया गया। हाल में उनको फिर निलम्बित किया गया था लेकिन चूँकि जिस मामले में उनका निलम्बन अभी हुआ था, उसमें वह डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं था इन्चार्ज कोई दूसरा था, इसलिए डायरेक्टर की रिपोर्ट पर उनको रिइंस्टेट किया गया। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसकी रिपोर्ट आने पर विचार किया जायेगा।

श्री मेंहदी असगर

कोर्ट में केस जाने से तय हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला अवश्य है, फिर उसको रखने का क्या औचित्य है ?

श्री संजय सिंह—

घोटाला तो है। केस चल रहा है। लेकिन कोई निलम्बित है तो कहीं न कहीं तो उसको रखना होगा। उसको रखना आवश्यक था इसलिये ऐसा किया गया।

श्री सूबेदार सिंह—

मंत्री जी ने बताया कि जो निलम्बित होता है, कहीं न कहीं उसको रखना होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो भविष्य में सस्पेंड होंगे, उनको कहीं न कहीं नियुक्त करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह अनुमान पर आधारित प्रश्न है मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

जनपद देवरिया के श्री भुवनेश्वर का गोरखपुर जनपद के कप्तानगंज थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही

***4—श्रीमती गौरी देवी—**

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री भुवनेश्वर सिंह, ग्राम बढ़हरा बाबू, जिला देवरिया ने 18मई, 1982 को उप पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर को कप्तानगंज थाने की पुलिस द्वारा उनके पुत्र श्री ओंकार सिंह को गायब करके हत्या कर देने की लिखित शिकायत की थी ? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई थी ? क्या यह सच है कि 25मई 1982 को ओंकार सिंह को जिला अस्पताल आजमगढ़ में अचेत अवस्था में भर्ती पाया गया यदि हाँ, तो क्या पूरे मामले की जाँच कराई गई और दोषी व्यक्तियों, पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)—

जी हाँ । प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराई गयी तथा पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए । 25 मई, 1982 को ओंकार सिंह को पुलिस द्वारा जिला अस्पताल आजमगढ़ में अचेतावस्था में भर्ती नहीं पाया गया । अतः प्रश्न के शेष अंश का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती गौरी देवी—

मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि भुवनेश्वर सिंह का मूल पत्र क्या है ? और इसकी जाँच किसने की ?

श्री गुलाब सेहरा—

मूल पत्र भुवनेश्वर सिंह का है और जांच सी०ओ० ने की ।

श्रीमती गौरी देवी—

मंत्री जी यह बतायें कि ओंकार सिंह को किसने और किस दफा में भर्ती कराया ?

श्री अध्यक्ष—

दफा में कहाँ भर्ती होता है ?

श्रीमती गौरी देवी—

किस हालत में भर्ती किया गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

अचेतावस्था में भर्ती करना नहीं पाया गया ।

श्री धनीराम वर्मा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में अचेतावस्था में भर्ती नहीं पाया गया । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अस्पताल के रिकार्ड में कहीं भी उसके भर्ती होने का रिकार्ड है ? यदि है, तो यह बतायेंगे कि उसे किस व्यक्ति ने भर्ती कराया ?

श्री अध्यक्ष -

जब वह स्वयं ही कह रहे हैं कि उसे भर्ती नहीं किया गया तब प्रश्न कहाँ उठता है ।

श्री धनीराम वर्मा

भर्ती किया है ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें लिखा है कि भर्ती नहीं पाया गया ।

श्री धनीराम वर्मा—

मैं पुनः पूछना चाहूँगा कि यह स्पष्ट है कि अस्पताल में भर्ती किया गया। अब मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि अस्पताल में भर्ती था या नहीं था ? यदि नहीं था, तो मृत्यु कहां हुई ? क्या पोस्टमार्टम हुआ ? यदि हुआ, तो रिपोर्ट क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

अचेतावस्था में भर्ती की बात है। सी०ओ० ने जांच की। सी०ओ० ने लिखा कि 17-5-82 से 30-5-82 यह कई जगह देखे गये। राजाराम यादव, विनोद कुमार गुप्त ने गवाही दी। तो अस्पताल की बात कहां आती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

यह गम्भीर मामला है मान्यवर। इसके कुछ महीने बाद ओंकार सिंह की हत्या कर दी गयी। ओंकार सिंह जब वापस आया तो दर्जनों पत्र उसने लिखा मुख्य मंत्री को कि पुलिस उसकी हत्या कराना चाह रही है। उसने नोटिस दी थी। इस संदर्भ में पूरे प्रकरण की जाँच सी०आई०डी० से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर पूरी घटना का स्पष्टीकरण वक्तव्य के रूप में दिया जा चुका है। सी० आई०डी० इन्क्वायरी भी मुकर्रर की जा चुकी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि भुवनेश्वर सिंह जो कि ओंकार सिंह के पिता हैं, ने शासन से शिकायत की थी कि आशंका है कि पुलिस ओंकार सिंह को मरवा डालेगी। पुलिस ने मरवा भी डाला···

श्री गुलाब सेहरा—

पत्र मेरे पास है। इस प्रकरण में वक्तव्य हुआ था।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य हो चुका है। काफी जानकारी दी जा चुकी है।

प्रदेश के बेरोजगार पशु चिकित्सा स्नातकों की पशुधन विकास अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही

***5—श्री सन्त बख्श रावत —**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष सितम्बर, 1982 को कितने प्रशिक्षित पशु चिकित्सक स्नातक अभी तक बेरोजगार हैं ? क्या मंत्री जी शीघ्र प्रशिक्षण के वरीयता क्रम में नियुक्ति हेतु आदेश प्रसारित करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

बेरोजगार पशु चिकित्सा स्नातकों की कोई सूची पशुधन विभाग में नहीं बनायी गयी है ।

पशुधन विकास अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद के माध्यम से तथा योग्यता व श्रेष्ठता के आधार पर की जाती है । आयोग द्वारा पशुधन विकास अधिकारियों के 101 पदों के लिये विज्ञापन निकाला जा चुका है, तथा 100 पदों के लिये दूसरा विज्ञापन भी उनके द्वारा शीघ्र जारी किया जाने वाला है । आयोग द्वारा नियमित चयन से अभ्यर्थी उपलब्ध कराये जाने तक पर्वतीय क्षेत्र के रिक्त पदों को तदर्थ रूप से भरने हेतु विभाग द्वारा पृथक से भी एक विज्ञापन निकाला जा चुका है । चूँकि मैदानी क्षेत्र की रिक्तियों को चतुर्थ नियुक्तियों से भरने की शासन की नीति नहीं है । अतः मैदानी क्षेत्र की रिक्तियों को तदर्थ रूप से भरने के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया है । उल्लिखित चयनों से अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नियुक्तियां की जा सकेंगी ।

श्री सन्त बख्श रावत—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूँ कि विभाग ने पशु चिकित्सा स्नातकों की सूची क्यों नहीं बनायी ? दूसरे, शासन ने लोक सेवा आयोग से कब कब कितने कितने पदों की मांग की है ? पहले 101 पदों को निकाला फिर 100 पदों को निकालने वाले हैं ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, जैसा कि माननीय विधायक जी ने पूछा कि विभाग ने स्नातकों की सूची क्यों नहीं बनायी ? तो जो स्नातकोत्तर विद्यालयों से पास हो जाते हैं, चाहे वह पन्तनगर विश्वविद्यालय हो और चाहे वह मेरठ विश्वविद्यालय हो, से यह पता चल पाता कि कौन बेरोजगार है और कौन नहीं । हां, उस विश्वविद्यालय से जो पास हो जाते हैं उनकी संख्या मालूम हो सकती है जहाँ तक आयोग का प्रश्न है । मेरे ही समय पर उनसे कहा गया है । अभी हाल ही में जैसा कि मैंने अभी जवाब दिया, 100 पदों पर अभी अप्रैल में भर्ती हो जायेगी । उनसे हम डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट रूप से एप्रोच करते जा रहे हैं तथा भविष्य में 100 पदों पर भर्ती हेतु और आश्वासन दिया है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जैसा कि अभी उन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि पर्वतीय अंचल के लिये अलग से व्यवस्था की गई है, तो इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी बतायें कि इसके अन्तर्गत कितने लोगों की नियुक्ति की गई है ? और कितने ऐसे स्थान हैं जहां अभी भर्ती नहीं हुई है और उनको न भरने के क्या कारण हैं जबकि आपने अलग से उनके लिये व्यवस्था निर्धारित कर दी है ? इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने अपने उत्तर में बता दिया है कि इसके लिये विज्ञापन निकाल लिया गया है । प्रश्न को आप देखें ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उनकी संख्या बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर तो दे दिया गया है और यह लिखा हुआ भी है उनके उत्तर में।

श्री सन्त बख्श रावत—

मान्यवर, जैसा कि माननीय डा० नौटियाल जी ने पूछा है कि यह जो पर्वतीय अंचल के लिए तदर्थ नियुक्तियां की जानी हैं। उसके लिए उत्तर में नहीं कहा गया है कि कितने पदों की मांग की गई है और कितनी जगहों की पूर्ति करेंगे ? इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो तदर्थ नियुक्तियाँ की जानी हैं वे कितने पद हैं और उनके लिये विज्ञापन कब निकाला गया है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने बता तो दिया कि शासन की नीति नहीं है पर्वतीय अंचल के लिये। यह तो प्रश्न के उत्तर मे ही लिखा हुआ है। इस प्रकार उस पर प्रश्न करने से क्या फायदा है ?

श्री सन्त बख्श रावत—

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में यह साफ लिखा है कि शासन की नीति मैदानी क्षेत्र में नियुक्ति करने की नहीं है। पर्वतीय अंचल में तदर्थ नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में जो नियुक्तियाँ शासन करने जा रहा है उसके लिये जो विज्ञापन निकला है, वह कब निकला है ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न किया है कि तदर्थ नियुक्ति करने हेतु पर्वतीय अंचल के शासन ने निर्णय लिया है। पर्वतीय अंचल में 50 स्थान रिक्त हैं और ये अप्रैल तक भर दिये जायेंगे।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पर्वतीय अंचल में आप जो तदर्थ नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं उसमें आपने पर्वतीय अंचल के अभ्यर्थियों के चयन के लिए कोई वरीयता दी है ? यदि हाँ, तो किस प्रकार से आप उनको वरीयता देंगे।

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, शासन की ऐसी कोई नीति नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि शासन ने नीति की घोषणा की कि पर्वतीय अंचलों के लिये एक अलग समवर्ग बनायेगी और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि शासन की कोई ऐसी नीति नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री अध्यक्ष --

माननीय मंत्री जी ने बता तो दिया कि इस प्रकार की कोई नीति शासन की नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

मान्यवर, शासन ने यह घोषणा की है कि पर्वतीय क्षेत्र के लिये हर विभाग में एक अलग समवर्ग बनायेगी । इस समवर्ग को बनाने का कब निर्णय लिया गया ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है जबकि शासन ने घोषणा की है कि पर्वतीय अंचल के लिए अलग से समवर्ग बनायेगी । क्या यह शासन से अलग विभाग है ? यदि अलग विभाग है तो कुछ नहीं कहना है अन्यथा इसकी सुरक्षा चाहता हूँ कि जो शासन की नीति इस सम्बन्ध में है कि पर्वतीय अंचल में अलग समवर्ग बनेगा, तो क्या माननीय मंत्री जी अपने यहां पूँछकर, हमारे रिजवी साहब बैठे हैं, उनसे परामर्श करके आश्वासन देंगे कि जैसे अन्य विभागों में अलग समवर्ग बनाया गया है, क्या आप भी बनायेंगे ?

श्री संजय सिंह—

मा० अध्यक्ष जी की अनुमति से आश्वासन की बात तो नहीं कहता, लेकिन जानकारी करके मा० विधायक को सूचना दे दूँगा ।

इटावा की पुलिस द्वारा पत्रकारों की पिटाई की उच्चस्तरीय जांच

*6 **श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 26 सितम्बर, 1981 को इटावा पुलिस द्वारा पत्रकार को निर्ममता पूर्वक पीटने की शिकायत की उक्च स्तरीय जांच कराए जाने के आदेश अभी हाल में ही जारी किए गये हैं ? यदि हां, तो पुलिस के विरुद्ध शिकायत क्या थी तथा जाँच रिपोर्ट क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

प्रश्न में उल्लिखित मामले की जाँच दिनांक 5-10-81 को पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र को सौंपी गयी थी ।

पुलिस के विरुद्ध निम्नलिखित मुख्य शिकायतें थीं :—

(1) दिनांक 25-9-81 को पुलिस द्वारा पत्रकारों की चुन-चुनकर पिटाई और झूठे मुकदमों में फँसाना

(2) घायलों को देखने अस्पताल गये हुए 3 पत्रकारों की पिटाई ।

(3) पुलिस के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों को झूठे मुकदमों में फँसाने का प्रयास करना और धमकी देना ।

जाँच से आरोप अप्रमाणित रहे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मा० मन्त्री जी को यह सूचना देते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में इटावा में पत्रकारों द्वारा सामूहिक धरना दिया जा रहा था, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, पत्रकार मारे गये । घटना के बाद मैं स्वत: इटावा गया था । मैंने अपनी आंखों से देखा कि 'नवभारत टाइम्स के पत्रकार, श्री शर्मा का फ्रैक्चर 3-4 महीने तक बंधा रहा । जाँच में रिपोर्ट आयी कि आरोप प्रमाणित नहीं हुए । जब जांच अधिकारी वहां गये तो जिन पत्रकारों के नाम उद्घृत किये गये थे, क्या उसने सन्दर्भित पत्रकारों से भी कोई बयान लिये ? यदि हां, तो वे बयान क्या हैं ? और कौन से तथ्य रिपोर्ट में ऐसे दर्शाये गये हैं, जिनके आधार पर उन पत्रकारों के बयानों को झूठा साबित किया गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

डी० आई० जी० ने इसकी जाँच की । वे स्वयं वहां गये और उन्होंने जो पत्रकार शामिल थे, उनसे बयान और गवाह लाने की बात की, कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया । जो डाक्टर उस वक्त ड्यूटी पर था, उसका भी बयान लिया गया, उसने पुष्टि नहीं की । पत्रकारों ने इस पर यह कहा कि हमको चाँस नहीं दिया गया । फिर दुबारा डी० आई० जी ० वहाँ गये । उन्होंने एलान कराया कि विशेष रूप से जो मिलना चाहते हों, मिलें । दो टाइम की रिपोर्ट है डी० आई० जी० की । यह इसीलिये प्रमाणित नहीं होती है कि जो आन्दोलन कारी पत्रकार हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य भी हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

भारतीय जनता पार्टी अगर किसी जन संघर्ष के लिये आगे बढ़ती है तो वह बधाई की पात्र है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पत्रकारों से भी कोई बयान लिये गये थे ? उन बयानों को झूठा साबित किया गया, इसके लिये आधार क्या है ? आपने कहा कि उन्होंने कोई गवाह नहीं प्रस्तुत किये, मैं तो पत्रकारों के बयान जानना चाहता हूँ, क्या यह बात सही नहीं है कि चोट लगी थी ? अगर लगी थी तो बयान में क्या कहा गया है कि कैसे लगी थी ?

श्री गुलाब सेहरा—

डी० आई० जी० ने लिखा है कि डा० तिवारी तथा विनोद चन्द्र पाण्डे से पूछा कि क्या कोई गवाह दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि गवाह कोई नहीं है । जिन पत्रकारों ने कम्पलेंट की है, उन्होंने कहा कि जो प्रार्थना-पत्र दिये हैं, वही गवाही है । गवाह वह प्रस्तुत नहीं कर पाये । माननीय गुप्ता जी आप अपने प्रश्न के दूसरे भाग को कृपया फिर दोहरा दीजिए कृपया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा प्रश्न बिल्कुल साफ है कि जो पत्रकार चोटहिल हैं और जिनका मेडिकल इक्जामिनेशन हुआ है और जिनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आपके पास है तो उन लोगों के भी बयान लिये गये होंगे तो उनके बयान क्या हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

मेरे पास डी० आई० जी० द्वारा उनसे हुए डिस्कसन और उस पर जो निष्कर्ष निकले हैं उन पत्रकारों के बयानात हुए. परन्तु जब उन पत्रकारों से यह कहा गया अपने बयानात की पुष्टि के लिए किन्हीं गवाहों को लाइए, तो वह इन गवाहों को देने में असमर्थ हुए। और चोटें जो इन पत्रकारों को आयी हैं, वह बहुत ही मामूली आयी हैं, जैसे अन्य लोगों को आयी हैं किसी प्रकार की कोई गम्भीर चोटों का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

***7—श्री रियासत हुसैन—**

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

जनपद लखनऊ के थाना गोसाईगंज की पुलिस से मुठभेड़ में श्री माता प्रसाद तिवारी की मृत्यु की जांच

***8—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा—**
श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह मई, 1982 में थाना गोसाईगंज, जिला लखनऊ द्वारा श्री माता प्रसाद निवासी करोखा, जिला लखनऊ का इनकाउण्टर हबुआपुर लखनऊ के नाले पर किया गया है? यदि हां, तो उसके ऊपर मुख्य-मुख्य क्या आरोप थे? क्या यह सही है कि श्री माता प्रसाद को लखनऊ में पकड़ा गया था और रात में ले जाकर फर्जी इन्काउण्टर किया गया? क्या सी०आई०डी० द्वारा इसकी जाँच कराकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री माता प्रसाद निवासी करोखा, लखनऊ की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में मई, 1982 को नहीं बल्कि 16–3–1982 को हुई।

दिनांक 15–3–82 को 11–00 बजे रात्रि, श्री शरीफ निवासी, चारबाग हरदोई जब बस स्टेण्ड लखनऊ से अमेठी मोटर साइकिल से जा रहे थे तो इन्द्रा नहर खुर्दही वाले पुल पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन्हें तमंचा व रिवाल्वर से धमका कर उनकी घड़ी, कपड़ा व नकदी लूट ली गयी थी। इस सूचना पर दिनांक 16–3–82 को 00–15 बजे थाना गोसाईगंज लखनऊ पर मु०अ०सं० 76 धारा 392 भा०दं०वि० पंजीकृत हुआ।

थाना गोसाईगंज पर सूचना मिली कि कुछ लुटेरे हउवापुर पुल से होकर मोहनलाल गंज जाने वाले हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष गोसाईगंज उपलब्ध पुलिस कर्मचारियों के साथ हउवापुर पुल पर गाडा बन्दी किये लगभग 2–15 बजे रात्रि पश्चिम तरफ से उत्तरी पटरी पर चार व्यक्ति आते दिखाई दिये। पुलिस द्वारा रोके व टोके जाने पर उन व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। परिणामस्वरूप इस मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया, और अन्य अपराधी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल हुए। शिनाख्त से मृतक का पता माता प्रसाद निवासी, करोखा, थाना नगराम, जिला लखनऊ होना पाया गया। मृतक का अपराधिक इतिहास है और उसके ऊपर लखनऊ जनपद के विभिन्न थानों में 17 मुकदमे कायम हुए हैं। मृतक के पास से एक तमंचा 12 बोर व काफी मात्रा में जीवित कारतूस प्राप्त हुए। मृतक के पास से उपरोक्त अभियोग में लूटी गयी घड़ी भी बरामद हुई। इस घटना के

संबंध में दिनांक 16–3–82 को थाना गोसाईगंज पर धारा 307 भा०दं०वि० व 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत होकर विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी। इस घटना की मैजिस्टीरियल जांच एस०डी०एम०, मोहनलालगंज द्वारा की जा रही है। मैजिस्टीरियल जांच के उपरान्त यदि आवश्यक हुआ सी०आई०डी० द्वारा जाँच कराने पर विचार कर लिया जायगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस ने जानबूझकर इनकाउण्टर करवाया और 12–15 पर एक फर्जी रिपोर्ट लगवायी और 2–15 मिनट पर स्व० श्री माता प्रसाद की लीला समाप्त करवा दी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न आप क्या कर रहे हैं ?

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह घटना जहाँ पर घटी है, वहीं के एस०डी०एम० द्वारा यह जाँच करायी जा रही है तो इस जाँच में क्या तथ्य सामने आयेंगे, जबकि घटना को हुए इतना समय हो गया है, इन सबको देखते हुए मा० मंत्री जी को सी०आई०डी० द्वारा जाँच कराने में आखिर क्या परेशानी है ताकि सही न्याय व्यवस्था हो सके ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैंने अपने वक्तव्य में ही यह बात कही है, यदि मैजिस्टीरियल जाँच प्राप्त होने पर, जिन बिन्दुओं पर तथ्य स्पष्ट नहीं होंगे, मैं उनकी जाँच सी०आई०डी० द्वारा करवा दूँगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, जहाँ पर यह कृत्य किये गये हैं, वहीं के अधिकारियों द्वारा जाँच कराये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि इस मामले की तत्काल जाँच सी०आई०डी० द्वारा करवाई जाए, यदि इसमें कोई परेशानी हो तो उसे स्पष्ट कर दें कृपा करके ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने तो स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति मारा गया उसका अपराधिक इतिहास है, मैजिस्टीरियल इनक्वायरी हो रही है। जिन बिन्दुओं पर मैजिस्टीरियल इनक्वायरी में निष्कर्ष साफ नहीं निकलेगा तो उस पर हम विचार करके जाँच करा लेंगे।

श्री मित्रसेन—

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिन बिन्दुओं पर जाँच का निष्कर्ष साफ नहीं आयेगा, उस पर हम पुनः जाँच करा लेंगे तो मैं इस सम्बन्ध में मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि वे किन-किन बिदुओं पर मैजिस्टीरियल इनक्वायरी करा रहे हैं ? यही बता दें।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, दोनों विन्दुओं पर जाँच हो रही है ।

श्री सन्त बक्श रावत

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि यह सब सूचना फर्जी है । थाना गोसाईगंज की पुलिस ने माता प्रसाद को पकड़ा और थाने ले गयी और उसको थाने में मार दिया । जिस स्थान पर यह घटना हुई बतलाई गयी है और जिस स्थल पर इनकाउण्टर हुआ बतलाया गया है, वहाँ पर हजारों की तादाद में मिलिट्री पड़ी हुई है । जब परगनाधिकारी जाँच के लिये गये तो उन्होंने भी देखा कि वहाँ पर मिलिट्री पड़ी हुई है । तो इस तरह से यह इनकाउन्टर फर्जी है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस स्थिति को देखते हुए क्या वे यह घोषणा करेंगे कि इस मामले की जाँच वे सी०आई०डी० से करायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, मैंने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई बिन्दु साफ न हो पाया, मैजिस्टीरियल इनक्वायरी में तो उसे देख लेंगे ।

थाना गंगाधर, उन्नाव की पुलिस द्वारा टेम्पो चालक प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की जाँच

***9—श्री मित्रसेन—**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 11-6-82 को थाना गंगाघाट, उन्नाव की पुलिस ने टैम्पो चालकों के प्रदर्शन पर हमला कर कई लोगों को घायल कर लूट-पाट की है तथा भारी क्षति पहुँचाई है ? यदि हाँ, तो घायलों की संख्या क्या है ? टेम्पो चालकों के प्रदर्शन पर हमला करने का कारण क्या था ? इसके दोषी थाना इंचार्ज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा—

यदि सत्य नही है कि दिनांक 11-6-82 को थाना गंगाघाट, उन्नाव के टैम्पो चालकों के प्रदर्शन पर हमला कर कई लोगों को घायल कर लूटपाट की तथा भारी क्षति पहुँचाई । वास्तविकता यह है कि उसीदिन चार टैम्पो चालकों को निर्धारित से अधिक सवारियां ले जाने में थाना अध्यक्ष द्वारा मोटरव्हीकिल्स एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया । पुलिस द्वारा किए गये टैम्पो चालकों की सहानुभूति से उस दिन शाम को टैम्पो चालकों ने थाना गंगाघाट के सामने प्रदर्शन किया, गालियाँ दी और नारेवाजी की तथा अपने टैम्पो सड़क पर खड़े करके आवागमन का मार्ग अवरुद्ध कर दिया । थानाध्यक्ष ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया परन्तु प्रदर्शनकारी जिनकी संख्या 150-200 थी, नहीं माने । उन्होंने थाने में घुसने व थानाध्यक्ष को खीचने का प्रयास किया व पुलिस वालों तथा जनता के व्यक्तियों पर ईंट पत्थर फेंके व लाठी डण्डों से हमला किया । मुख्यालय उन्नाव से अतिरिक्त पुलिस फोर्स मंगाई गयी । प्रदर्शनकारियों ने फायर किए व थाने की बाउन्डरी वाल को क्षति पहुँचाई । उचित बल प्रयोग करके 8 प्रदर्शनकारी मौके पर गिरफ्तार कर लिए गये । शेष भाग गये । थानाध्यक्ष सहित 32 पुलिस व जनता के लोगों को, प्रदर्शकारियों द्वारा किये गये पथराव से चोटें आई । गिरफ्तार किये गये 8 प्रदर्शनकारियों में से दो को मामूली चोटें आंई । भागे हुए में से किस-किस को चोट

लगी, ज्ञात नहीं हो सका। प्रदर्शनकारियों की ओर से अब तक विवेचनाधिकारी को अपने किसी व्यक्ति के इस घटना में घायल होने व उसके डाक्टरी परीक्षण कराने की सूचना नहीं दी है।

इस मामले में थानाध्यक्ष दोषी नहीं पाये गये।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मामला ऐसा है कि उस थानें वालों की उन टैम्पो वालों से माहवारी बंधी हुई है और माहवारी उनसे परिवहन विभाग वाले भी लेते हैं। तो इन चार टैम्पो वालों ने थाने वालों को माहवारी नहीं दी थी तो थाने वालों ने उनको सवारी सहित पकड़ लिया और थाने ले गये। टैम्पो वालों ने कहा कि तुम सवारी को जाने दो, हम तुमको पैसे दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करिये।

श्री मित्रसेन—

मैं जानना चाहता हूँ कि इस मामले के विवेचना करने वाले अधिकारी कौन हैं, पुलिस की ओर से एफ० आई० आर० के मुल्जिम कौन हैं और टैम्पो वालों की रिपोर्ट किया है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, एक बात मैं मित्रसेन यादव को बतला दूँ—

श्री अध्यक्ष—

जब आप उत्तर दिया करें तो कृपया हंसा न करें।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं कह रहा था कि सी० आई० डी० को यह मामला दे दिया गया।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, पुलिस मंत्री जी ने उत्तर दिया वह तो पुलिस का वर्जन है, असलियत तो यह है कि गंगा घाट से उन्नाव तक टैम्पो चलते हैं। गंगा घाट में टैम्पो थाने के सामने खड़े होते हैं, थाने वालों ने कहा कि अगर वहाँ पर खड़ें होंगे तो पैसा देना पड़ेगा। टैम्पो वालों ने जिलाधिकारी के पास एक प्रार्थनापत्र इस आशय का दिया कि उनके खड़े होने का स्थान मुकर्रर कर दिया जाय। इससे पुलिस वाले नाराज हुए और उनको बन्द कर दिया, जब सभी टैम्पो वालों ने प्रोटेस्ट किया तो उनको मारा पीटा गया, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो मांग-पत्र जिलाधिकारी को दिया गया था, वह क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, वह मांग-पत्र मेरे पास नहीं हैं। घटना के सभी तथ्यों को देखते हुये जांच सी० आई० डी० को सौंप दी गयी है।

श्री अध्यक्ष—

क्या आपने सी० आई० डी० को सौंप दिया है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर 4 तो टैम्पो वाले थे और जो उन पर सवारियां बैठी थीं, जो एक साधारण पब्लिक थी उनको तो चोटें आयी ही उनका पैसा, गठरी आदि भी जो उनके पासथीं उनको लूट लिया, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि लूटी गयी सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

अगर इस प्रकार की शिकायत होगी तो सी० आई० डी० अवश्य जांच करेगी ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मंत्री ने सी० आई० डी० की जांच करा दी, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन क्या मेरी जानकारी को सत्य मानकर निकट भविष्य में , क्योंकि यह थाना 40 हजार रुपये का है, ऐसी घटना न होने पावे, इसके लिये कोई प्रभावी आदेश देंगे ।

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय बाजपेयी जी को रुपये पैसे के मामले में ज्यादा जानकारी है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

सिविल पुलिस इन्सपेक्टर तथा रिजर्व पुलिस इन्सपेक्टर के पदों पर चयन हेतु मापदण्ड में भिन्नता

***10–श्री हरिवंश सहाय (अनुपास्थित)—**

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिविल पुलिस (सी० पी० व सी० आई० डी०) में इस समय सब इन्स्पेक्टर से इन्स्पेक्टर पद के चयन हेतु दस साल का एस. आई. सेवा-काल तथा तीन वर्ष सीनियर ग्रेड आवश्यक रखा गया है जबकि आर्म्स पुलिस (ए० पी० व पी० ए० सी०) के इन्स्पेक्टर (आर० एस० आई०) पद के चयन के लिए केवल 5 वर्ष एस० आई० सेवाकाल रखा गया है ? यदि हां, तो क्या दोनों अंगों के लिए समान समय रखेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

नागरिक पुलिस निरीक्षक पद पर चयन हेतु उप निरीक्षकों की 10 वर्ष की सेवा अवधि, जिसमें थानाध्यक्ष अथवा समकक्ष पद पर 3 वर्ष तक कार्यरत रहने की अवधि, निर्धारित है । रिजर्व सब इन्सपेक्टर के प्रशिक्षण हेतु सब इन्सपेक्टर के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि निर्धारित है । रिजर्व सब-इन्सपेक्टर का पद सब-इन्सपेक्टर के पद के समकक्ष है । दोनों पदों के चयन एवं प्रोन्नति की प्रक्रियाऐं तथा उत्तरदायित्व में भिन्नता है । अतः समान सेवा अवधि निर्धारित करना उचित न होगा ।

आई० ए० एस० में नियुक्त किये गये प्रदेश के पी० सी० एस० अधिकारियों की ज्येष्ठता निर्धारण तथा श्री भवानी शंकर शर्मा का प्रत्यावर्तन

* 11—**श्री मोहन सिंह**—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश शासन को केन्द्रीय सरकार ने इस बात के निर्देश अभी हाल में दिए हैं कि प्रदेश के 8 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की आई०ए०एस० कैडर में प्राप्त पदोन्नति को समाप्त कर दिया जाय ? यदि हां तो यह कौन-कौन से अधिकारी हैं और इनकी पदावनति कब तक कर दी जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं । प्रोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में भारत सरकार का निर्णय प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर एक अधिकारी श्री भवानी शंकर शर्मा जो आई०ए०एस० के सुपरटाइम वेतनमान से आई०ए०एस० के सेलेक्सन ग्रेड में प्रत्यावर्तित किया गया है । किसी अन्य अधिकारी की पदावनति का प्रश्न नहीं है ।

श्री मोहन सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो सिविल सेवा के राज्य स्तर के अधिकारी हैं, उनकी ज्येष्ठता निर्धारण का क्या नियम है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार से जो पत्र प्राप्त हुआ है, उसी के अन्दर निर्देश दिए हुए हैं कि जो सिविल सेवा के अधिकारी हैं जिनकी डेट आफ सीनियारिटी केन्द्र सरकार द्वारा तय की जायेगी । यहाँ पर हमने कुछ अधिकारियों को प्रिजम्पटिव सीनियारिटी, कुछ आफीसर्स को दे दिया था, उसे केन्द्रीय सरकार ने नहीं माना और उन्होंने जो सीनियारिटी फिक्स किया और प्रदेश सरकार को सूचित किया कि यह सीनियारिटी है और प्रदेश सरकार ने उसी के अनुसार कार्यवाही की है । जिन अधिकारियों को रिवर्ट किया गया है वह उसी निर्णय के अनुसार हुए हैं ।

श्री मोहन सिंह—

सुपरटाइम दिए जाने का मापदंड क्या है ? क्या श्री शर्मा उस मापदण्ड में नहीं आते थे ?

श्री अम्मार रिजवी—

यहां पर दो चीज बताना आवश्यक है, जिस समय किसी भी आई०ए०एस० का एप्वाइण्टमेंट होता है तो उसकी सीनियारिटी केन्द्र सरकार द्वारा फिक्स की जाती है । प्रमोशन स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में आता है । जब तक सीनियारिटी फिक्स नहीं होती है तब तक प्रिजम्पटिव सीनियौरिटी स्टेट गवर्नमेंट दे सकता है । इस बात को केन्द्रीय सरकार को लिखकर भेजा गया था किन्तु उसने नहीं माना । श्री भवानी शंकर शर्मा को 1970 के बैच के साथ केन्द्रीय सरकार ने उनकी सीनियारिटी फिक्स की थी । 1970 का जो बैच है वह उनको क्वालिफाई नहीं करता है, इसलिये उनको सुपरटाइम स्केल नहीं मिल सका ।

श्री फखरे आलम—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हो जाता है कि प्रिजेम्पिटिव प्रमोशन दिया गया और उसके बाद उन्हें सैलेक्शन ग्रेड और फिर सुपर टाइम स्केल में लोग लिये गये। कोटा भी पी० सी० एस० औफीसर्स का निश्चित है जिनको आई० ए० एस० में सैलैक्ट किया जाता है और सैलैक्शन ग्रेड दिया जाता है और फिर सुपर टाइम स्कैल उनको दिया जाता है। मैं साफ तौर पर यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही नहीं है कि हमारे गृह सचिव, श्री रामचन्द्र टकरू और श्री भवानी शंकर शर्मा एक ही सैलैक्शन में आये थे तो फिर यह दोहरी नीति क्यों की गई कि श्री आर० सी० टकरू को रखा गया उस ग्रेड में और श्री भवानी शंकर शर्मा को नहीं रखा गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से एक बात यह पूछना चाहता हूँ कि क्या ये प्रिजम्पटिव सीनियारिटी की बात कह रहे हैं अथवा प्रिजम्पटिव प्रमोशन की बात कह रहे हैं ? प्रिजम्पटिव प्रमोशन कोई चीज नहीं है।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, प्रिजम्पटिव प्रमोशन भी प्रिजम्पटिव सीनियारिटी के बेसिस पर दिया जाता है। यह माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं। वरना मैं माननीय मंत्री जी को रूल दिखा सकता हूँ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, उनकी बात से साफ हुआ कि वे प्रिजम्पटिव सीनियारिटी के बारे में बात कह रहे हैं जो उनको प्रिजम्पटिव सीनियारिटी दी गई, वह स्टेट गवर्नमेंट ने 1964 की फिक्स की श्री आर० सी० टकरू की। और श्री भवानी शंकर शर्मा की 1966 की सीनियारिटी फिक्स की। केन्द्रीय सरकार ने जो भेजी वह 1966 के बजाय श्री भवानी शंकर शर्मा की 1970 की भेजी। यह केन्द्रीय सरकार का प्रिरोगेटिव है कि वह किस तरह से सीनियारिटी फिक्स करते हैं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक गम्भीर स्थिति प्रदेश शासन में चल रही है। पी० सी० एस० वाले कहते हैं कि जो प्रमोशन के एवेन्यूज हैं, उनमें जानबूझकर अवरोध पैदा किया जा रहा है और अन्तिम निर्णय केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन पर होता है लेकिन किसी भी केस को पुट-अप करना राज्य सरकार का दायित्व है। मैं जानना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति को टाइम स्केल प्रमोशन दिये जाने की एक निश्चित कसौटी है। आज उत्तर प्रदेश में आई० ए० एस० संवर्ग में कितने ऐसे लोग हैं जिनको टाइम स्केल मिला हुआ है और उन लोगों की संख्या कितनी है जो पी० सी० एस० से आई० ए० एस० के संवर्ग में गये हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह तो एक अलग से प्रश्न है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, वह इसी से जुड़ा हुआ है। मैं इसी बात को संक्षेप में कहकर उत्तर

चाहता हूँ कि आई० ए० एस० संवर्ग में सीनियर टाइम स्केल में अपने प्रदेश में कितने लोग थे और क्या उस समय इस संवर्ग में श्री भवानी शंकर का नम्बर था ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, 1967 के बैच के साथ जिनको ग्रुप किया गया था, उनको टाइम स्केल मिल गया है । उसके बाद नहीं मिला है । श्री भवानी शंकर शर्मा 1970 के साथ ग्रुप किये गये हैं ।

***12—श्री केदार नाथ सिंह—**

[9 वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

भूतपूर्व खाद्य सचिव श्री मनोहर सुब्रामनियम के कार्यकाल में धान खरीद में हानि की जांच

***13—श्री प्रदीप कुमार यादव (अनुपस्थित)—**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के लेखा की जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि धान खरीदने की योजना के अन्तर्गत सरकारी खजाने को 50 करोड़ रुपए की हानि पहुँचाई गयी ? यदि हां, तो प्रश्नगत धान घोटाला किस खाद्य सचिव के कार्यालय का है और उसके विरुद्ध सतर्कता विभाग में मुकदमा चलाने की अनुमति शासन से माँगी थी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वर्ष 1980-81 में धान खरीद में कथित हानि के संबंध में शासन ने एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है जो इस मामले की जांच कर रही है । उक्त मामला भू० पू० खाद्य सचिव श्री मनोहर सुब्रामनियम के कार्यकाल का है जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है । सतर्कता विभाग ने इस मामले की कोई जाँच नहीं की है न इनके विरुद्ध मुकदमा चलाने की कोई अनुमति मांगी है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय, सदस्य विधान सभा के साथ थानाध्यक्ष, त्रिलोकपुर बस्ती द्वारा दुर्व्यवहार की अन्तरिम जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की माँग

***14—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—**

दिनाँक 19 मार्च, 82 को श्री माता प्रसाद पाण्डेय, एम० एल० ए० के ऊपर थानाध्यक्ष, त्रिलोकपुर बस्ती द्वारा अभद्रता से पेश आने तथा उनको रिवाल्वर दिखाने तथा थाने की जी० डी० में फ़र्जी इन्द्राज करने आदि के मामलात के सम्बन्ध में 22 मार्च, 1982 को विधान सभा में गृह मन्त्री द्वारा उक्त थानाध्यक्ष को निलम्बित कर उच्च-स्तरीय जांच कराने की घोषणा के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मामले की जाँच सी० आई० डी० क्राइम बांच, गोरखपुर के इन्सपैक्टर (श्री हरि-बंश मिश्र) द्वारा कराई जा रही है ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी नहीं । जांच अन्य निरीक्षकों द्वारा किया जा रहा है । विवेचना प्रचलित है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मैं माननीय मंत्री जी से साफ जानना चाहता हूँ कि श्री हरिवंश मिश्र क्राइम बांच के इन्सपेक्टर हैं यह श्री माता प्रसाद के मामले की जांच कर रहे थे और इन्होंने जाँच करके रिपोर्ट सबमिट कर दी, इसके बाद फिर जांच दूसरे इन्सपैक्टर को सौंपने का क्या कारण है ? और श्री हरिवंश मिश्र को हटाकर दूसरे को जांच का कार्य देने का क्या कारण है ।

श्री अध्यक्ष—

इस बात का ध्यान रखें कि यह मामला विशेषाधिकार समिति में पहुँच गया है, इसलिए संक्षेप में प्रश्न करें ।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, जो रिपोर्ट इनकी आई है उसमें उन्होंने केवल बयानात लिखे हैं और कोई निष्कर्ष नहीं दिया है विशेष रूप से कुछ तथ्यों की गहराई से जांच करनी चाहिए थी जो उसने नहीं की इसलिए दूसरे व्यक्ति को मामला दिया गया ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, विशेषाधिकार समिति में दूसरे बिन्दुओं पर विचार होना है जिस पर विशेषाधिकार समिति जांच करेगी । यहाँ पर प्रश्न दूसरा है । एक व्यक्ति जांच कर रहा था जिसका नाम हरिवंश मिश्र है उसने निर्णय दे दिया । इसी बीच उसको बदलकर दूसरे व्यक्ति को मामला दे दिया । हम लोगों की जानकारी के अनुसार हरिबंश मिश्र ने शिकायत सही पायी थी जो शासन की मंशा के खिलाफ रिपोर्ट है इसीलिए बीच में ही रिपोर्ट को रोक कर कार्य दूसरे को दे दिया, यह विशेषाधिकार का मामला बनता है क्योंकि यह ऐसा नहीं कर सकते हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि जांच हरिवंश मिश्र से लेकर दूसरे इन्सपेक्टर को देने का क्या कारण है ? किन परिस्थितियों ने उनको प्रेरित किया कि जांचकर्त्ता इन्सपेक्टर से कार्य लेकर दूसरे को नियुक्त किया गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय मोहन सिंह जी ने एक कहानी बता दी । बात सीधी है कि इंटरिम रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गयी उसमें केवल बयानात का जिक्र किया गया है । जांच में जिन बिन्दुओं का निरीक्षण करना चाहिये था, जिन बिन्दुओं पर प्रत्येक कारनर को टच करना चाहिये था, उस पर विवेचनाधिकारी ने इंटरिम रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया । इस बात का आभास होने पर दूसरे योग्य व्यक्ति को जांच दी गयी । इसमें कोई कांसिपिरेसो नहीं है ।

श्री मोहन सिंह—

श्रीमन् मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सम्बन्धित मामले में जो इंटरिम रिपोर्ट दी है, उसके खास बिन्दुओं को बताने का कष्ट करेंगे ।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, इंटरिम रिपोर्ट में विशेष रूप से 15 लोगों के बयानात हैं जो करीब 30 पेज में हैं । आप कहें तो मैं पढ़ दूँ और क्या पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—

आप सारांश बता दीजिये ।

श्री गुलाब सेहरा—

इसमें केवल स्टेटमेंट हैं कोई निष्कर्ष नहीं है।

श्री मोहन सिंह—

एस० डी० एम०, डुमरियागंज ने जो बयान दिया है, वह बता दें क्योंकि वह चश्मदीद गवाह हैं, एस० डी० एम० श्री दुबे।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, इसमें करीब 30 पेज हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपको समय चाहिये तो कहिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री गुलाब सेहरा—

इसमें मान्यवर, 15 लोगों के स्टेटमेंट हैं, एस० डी० एम० ने जो बयान दिया है तो उसको देखना पड़ेगा, अगर वह चाहेंगे तो मैं उनको दे दूंगा।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि इस जाँच में दो पक्ष थे और दोनों ने इस जाँच के इन्स्पेक्टर, श्री हरिवंश मिश्र के प्रति कोई असंतोष व्यक्त किया गया था ? यदि नहीं, तो उससे जाँच वापस लेने और दूसरे को जांच देने का क्या औचित्य था ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, मैंने शुरू में स्पष्ट किया था कि अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें विवेचक को और बिन्दुओं पर भी जाँच करना चाहिये था लेकिन उसने जाँच नहीं किया था इसलिये दूसरे को जांच दी गयी थी।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन् या तो किसी पार्टी का श्री मिश्रा की इन्क्वारी पर आब्जेक्शन हो तो वह बतायें, या जो बराबर कह रहे हैं कि अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर किया, तो रिपोर्ट का वह पर्टिकुलर पोर्शन बतायें जिस पर इन्क्वारी को आपने संदिग्ध समझा ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, मैंने कहा कि जो देवेन्द्र प्रताप, डिप्टी एस०पी० हैं, उन्होंने श्री मिश्र की अन्तरिम रिपोर्ट भेजी, उनका कहना था कि विवेचक की हैसियत से जिन तथ्यों की विवेचना की जानी चाहिये थी, वह नहीं किया, इसलिये जांच दूसरे को दिया।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

मान्यवर, अन्तरिम रिपोर्ट जांच अधिकारी कुछ तथ्यों की जांच के बाद देता है, अन्तरिम रिपोर्ट पूरी रिपोर्ट नहीं होती है, तो उसको फाइनल रिपोर्ट नहीं मानेंगे। आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया कि फाइनल रिपोर्ट सारे बिन्दुओं पर नहीं देगा ? इसलिये वह खास मुद्दा क्या था जिस पर आपने महसूस किया कि फाइनल रिपोर्ट गलत आयेगी ? इसलिये दूसरे को जाँच क्यों दी गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, अपराध अनुसंधान जांच शाखा की जाँच में दो विपरीत तथ्य सामने आये हैं। एक पक्ष में विधायक श्री माता प्रसाद पाण्डेय को घटना के दिन इटवा में 4.30 बजे बताया गया है और दूसरे में 12.36 बजे की बात बतायी गयी है, तो जो विपरीत साक्ष्य आये हैं उसमें से तथ्यों को उजागर करना उसके वश की बात नहीं थी।

श्री मेंहदी असगर—

मान्यवर, इन्स्पेक्टर के ऊपर सी०ओ०, डिप्टी एस०पी० और एस०पी० काम देखते हैं, तो क्या डिप्टी एस०पी० या एस०पी० की कोई रिपोर्ट है कि इन्स्पेक्टर काम ठीक नहीं कर रहा था जिससे इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट पर आपको शका हो रही है ?

श्री गुलाब सेहरा—

उसी रिपोर्ट के आधार पर दूसरा व्यक्ति लगाया गया है।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण अपने प्रश्न में चाहता हूँ और मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य को एक सब इन्स्पेक्टर ने जलील किया जिसकी यहाँ चर्चा हो और उस समय तत्कालीन गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि उसको निलम्बित करेंगे और किया। मान्यवर, एक सम्मानित सदस्य की बात है, उसके बारे में इतनी देर से बाल की खाल निकाली जा रही है, तो मैं माननीय मंत्री जी से सीधे सीधे जानना चाहता हूँ कि इसमें एक माननीय विधायक अपमानित हुआ है और एक थानेदार मूछों पर ताव दिये घूम रहा है, तो आप इस संबंध में कौन से प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं, जिससे माननीय विधायकों के सम्मान की रक्षा हो सके ?

श्री गुलाब सेहरा—

यह सदन की भावना और विधायक का सवाल है और सम्मान का प्रश्न है, इसी-लिये जिन तथ्यों को हरिवंश, मिश्र ने छोड़ दिया था उसको उद्घाटित करने के लिए, सही तथ्य प्रकाश में लाने के लिए, अच्छाई के लिए इन्क्वायरी की गई है, उसमें संदेह या शक करना उचित नहीं है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या मंत्री जी ने उक्त पूरी रिपोर्ट पढ़ी है ? क्या उसमें हरिवंश मिश्र ने प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट में यह प्राइमाफेसी साबित किया है कि उस दरोगा के खिलाफ कार्यवाही की जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए और उस पर मुकदमा कायम करने की शासन से अनुमति मांगी है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कार्यवाही कैसे होगी ?

श्री मोहन सिंह—

मुझे इस बात का बहुत खेद है कि माननीय मंत्री जी जानबूझकर तथ्यों को झुठला रहे हैं, शासन की नजर में एक विधायक नीचे हैं और एक पुलिस का एस०आई० उसके

ऊपर है । यह बहुत ही दुखद और लज्जाजनक स्थिति है । मेरी निश्चित जानकारी है कि हरिवंश मिश्र ने सरसरी तौर पर जो अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी थी, उसमें सच्चाई पाई गई थी और सम्बन्धित दरोगा को दंडित करने के लिये सरकार से उसने अनुमति चाही थी, इसीलिए उस इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर को बदल दिया गया है ? यदि यह मेरा चार्ज असत्य है तो आप इसके बारे में बतायें ?

श्री गुलाब सेहरा—

आप व्यर्थ में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, संदेह की पृष्ठभूमि पैदा कर रहे हैं, शासन इस बात के लिए कटिबद्ध है कि विधायकों के सम्मान की रक्षा के लिए (व्यवधान)

(बहुत से विपक्ष के सदस्य अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर विरोध प्रकट करते हुए बोलने लगे)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूँ कि इस समय जो चर्चा चल रही है, माननीय सदस्यों की भावना का सम्मान करते हुए, जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा है कि एक भ्रम पैदा हो रहा है, तो क्या उस भ्रम को दूर करने के लिए जो अधिकारी पहले जाँच कर रहा था, पुनः उसे रिस्टोर करके उसके द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैंने तो यह अच्छाई के लिए किया था, लेकिन यदि सदन यह चाहता है कि उसी से कराया जाए तो हम उसी से करायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

इसके लिये मैं मंत्री जी को तो नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों को बधाई देता हूँ ।

*15—**श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)**—

[7वें मंगलवार के लिये माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।)

मेरठ में साम्प्रदायिक दंगों में थाना सदर की पुलिस द्वारा पकड़े गये व्यक्तियों की जमानत

*16— **श्री मन्जूर अहमद**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 1-10-82 को साम्प्रदायिक दंगे में सदर कैण्ट मेरठ में थाना सदर की पुलिस ने लगभग 32 बलवाइयों को पकड़ा और उसी समय वहाँ के व्यक्तियों ने थाना सदर का घेराव करके सभी बलवाइयों को जबरदस्ती छुड़ा लिया ? यदि हाँ, तो वह मुल्जिमान किस धारा में गिरफ्तार किए गये थे और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 1/2-10-82 को प्रातः ढ़ाई बजे धारा 188/160 भा० दं० वि० में केवल 20 व्यक्ति पुलिस द्वारा पकड़े गये थे और जमानती अपराध होने के तहत वे जमानत पर छोड़े गये । मुकदमे की विवेचना के उपरान्त अभियुक्तों के

विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

चर्चित थाने का घेराव नहीं किया गया और न ही वहाँ पर एकत्र व्यक्तियों ने थाना का घिराव करके उन्हें छुड़ाया।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या 188 धारा की जमानत थानाअध्यक्ष को लेने का अधिकार था, वह जमानत ले सकता है या नहीं ? दूसरा मेरा एक सवाल यह है कि किस आधार पर आप कह रहे हैं कि थाना नहीं घेरा गया है ? वह कौन-सा आधार है, आप इसे बता दीजिए।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, धारा 188/160 भारतीय दण्ड विधान में यह जमानती अपराध है। घेराव के लिये मैंने कहा, घेराव नहीं किया गया।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि थानाध्यक्ष को धारा 188 में जमानत देने का अधिकार है या नहीं ? अगर नहीं, तो उसने किस आधार पर जमानत लिया ? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे आप ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन, दफा 144 जब लग जाती है, और अगर उसको कोई तोड़ता है, तो वही कंन्वर्ट होकर 188 हो जाता है। मान्यवर, थाने पर कोई घेराव वगैरह नहीं हुआ है।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मान्यवर, अगर धारा 188 में किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी होती है, तो थानाध्यक्ष को उसकी जमानत लेने का अधिकार है या नहीं ? दूसरी बात, यह कि थाने का घेराव जो आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, वह आप किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, थानाध्यक्ष तो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में 302 की भी जमानत ले लेता है।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी मेरे सवाल का जबाब ठीक से नहीं दे रहे हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि धारा 188 में थानाध्यक्ष को जमानत लेने का अधिकार है ही नहीं, उसमें तो मजिस्ट्रेट को भी अधिकार नहीं है, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ले सकता है।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, पूरा मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है, चार्जशीट जा चुकी है, न्यायालय में विचाराधीन है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

*17—श्री नन्द किशोर सिंह—
श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा तथा
श्री सरदार सिंह—

[7वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मैसर्स रैलीज इण्डिया, उन्नाव में पुलिस मजदूरों की मुठभेड़ तथा लापता मजदूरों के सम्बन्ध में ज्ञापन

*18—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रैलीज इण्डिया मगरवारा, जिला उन्नाव में पुलिस मजदूरों की मुठभेड़ एवं लापता मजदूरों के बारे में एक ज्ञापन मा० मुख्य मन्त्री को 13 अप्रैल, 1982 को मा० सरजू पाण्डे, एम० एल० सी० ने दिया है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक 13 अप्रैल, 1982 का एक ज्ञापन श्री हरीश तिवारी, अध्यक्ष, यू० पी० ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लखनऊ से प्राप्त हुआ था, जिस पर माननीय सरजू पाँडे, एम० एल० सी० का नाम टंकित है, परन्तु उनके हस्ताक्षर नहीं हैं।

मैसर्स रैलीज इण्डिया, मगरवारा, उन्नाव की श्रम समस्याओं के सबन्ध में दिनांक 16 अगस्त, 1982 को उभय पक्षों में समझौता करा दिया गया। इस समय प्रतिष्ठान की श्रम स्थिति सामान्य है।

झाँसी नगर के पत्र-प्रतिष्ठानों में पालेकर न्यायाधिकरण की सिफारिशों का परिपालन

*19—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि झांसी नगर के पत्र प्रतिष्ठानों द्वारा पालेकर अभिकरण की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जाँच कराई गयी ? यदि हाँ, तो क्या परिणाम प्रकाश में आये ?

श्रम राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)—

झाँसी नगर में चार समाचार पत्र प्रतिष्ठान हैं जिनमें से तीन प्रतिष्ठान (1) दैनिक भास्कर (2) दैनिक विश्व परिवार तथा (3) दैनिक बुन्देल खण्ड संदेश में पालेकर न्यायाधिकरण की सिफारिशों का परिपालन किया जा रहा है। दैनिक जागरण के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने सशर्त स्थगन आदेश पारित किये हैं जिसका सेवायोजकों द्वारा पालन भी किया जा रहा है।

गाजियाबाद स्थित पोयशा फैक्ट्री की बन्दी

*20—श्री भीखालाल —

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद स्थित पोयशा फैक्ट्री 13-2-82 से बन्द है और आठ सौ मजदूर बेकार हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने फैक्ट्री के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों और फैक्ट्री को खुलवाने के लिए कौन से कारगर कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

गाजियाबाद स्थित पोयशा फैक्ट्री दिनांक 13 फरवरी, 1982 से बन्द है जिससे 700 श्रमिक प्रभावित हुए हैं। प्रतिष्ठान की बन्दी का विवाद औद्योगिक न्यायाधीकरण (पंचम), मेरठ को अभिनिर्णय हेतु दिनांक 4 जून, 1982 को संदर्भित कर दिया गया है। परन्तु इस पर सेवायोजकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये हैं।

सेवायोजकों के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 25-एफ. एफ. ए. के उल्लंघन के सम्बन्ध में दिनांक 5-6-82 को चीफ जूडिशयल मैजिस्ट्रेट, गाजयाबाद के न्यायालय में उसी अधिनियम की धारा 30 ए के अन्तर्गत प्राभियोजन दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 2-3-83 को सेवायोजकों के पक्ष में निर्णय दिया गया है। फैक्ट्री को पुनः खुलवाने के सम्बन्ध में शासन प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में सेवायोजकों से वार्ता चल रही है जो अभी प्रारम्भिक चरण में है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को हल करने हेतु केन्द्र सरकार से विचार विमर्श

****। श्री मित्रसेन,
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री,
श्री अकबाल हुसैन
श्री भीखालाल तथा
श्री रामस्वरूप वर्मा**—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी की गम्भीर समस्या को हल करने हेतु प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से विचार विमर्श कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हाँ, तो उसको रूप रेखा क्या होगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

शिक्षित बेरोजगारी की समस्या एक देशव्यापी और जटिल समस्या है। बेरोजगारी की इस समस्या का सार्थक निदान कृषि उद्योग तथा अन्य व्यवसायों में उत्पादन बढ़ाकर किया जाना है। पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनायं बनाते समय योजना आयोग से बराबर अनुरोध किया जाता है कि प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए अधिक से अधिक केन्द्रीय सहायता प्रदेश को दी जाय। यह भी प्रयास किया जाता है कि प्रदेश में अधिक से अधिक संख्या में भारत सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग स्थापित हों, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार होने के साथ-साथ बेरोजगारी की समस्या का भी निदान हो सके।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने देशव्यापी और जटिल समस्या कहा और लास्ट में यह भी कहा है कि यह भी प्रयास किया जाता है कि प्रदेश में अधिक से अधिक संख्या में भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित हों, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार होने के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या का भी निदान हो सके। मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में, कितने सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगीकरण करने की सरकार की नीति है और अब तक क्या किया है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, प्रदेश में कई हमारे पब्लिक सैक्टर्स में इण्डस्ट्रीज हैं और मैंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार से विचार विमर्श करके जब हम योजनायें बनाते हैं और योजना के बारे में जब डिस्कशन्स वहाँ पर होते हैं, तो इस बात का प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक पब्लिक सेक्टर्स में उद्योग की स्थापना हमारे प्रदेश में की जाय। मान्यवर, सभी विभाग का यह प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक सार्वजनिक जो हमारे उपक्रम हैं, उनकी स्थापना हमारे प्रदेश में हो और उनमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबरर्स जो हैं, उनको अधिक से अधिक रोजगार दिलाया जा सके।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि चूँकि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और मन्त्री जी ने बताया कि सार्वजनिक उद्योगों का विस्तार करके वह इस समस्या को हल करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि यह सुझाव माननीय मन्त्री जी ने सुझाया है, वह पूरे तौर से अपर्याप्त है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या उद्योगों का समाजीकरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, हमारे उद्योग विभाग में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बात जब आती है तो वहाँ पर प्रयास किया जाता है। देश के अलग-अलग स्थान पर अधिकारी जाते हैं और प्रयास करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश के हो और इण्डस्ट्रीज लगें ताकि हम नवयुवकों को रोजगार दे सकें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष जी, शिक्षित बेरोजगारों की समस्या है तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगारों की कितनी कैटेगरीज आपने बनायी हैं ? बहुत से इन्जीनीयर्स और डाक्टर्स भी बेरोजगार हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बेरोजगारों की कितनी कैटेगरीज शासन के पास उपलब्ध हैं और हर कैटेगरी में कितने लोग बेकार हैं, जिनके लिये आप योजना बना सकते हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, जो भी नवयुवक हाई स्कूल या उससे अधिक शिक्षित होता है, उसको हम शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। 30 जून, 1982 तक हमारे जो सेवायोजन कार्यालय हैं, उनमें 9 लाख, 2 हजार, 290 शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, मैंने पूछा है कि हर कैटेगरीज में कितने लोग बेरोजगार हैं ? आपने बताया कि कुल 9 लाख, 2 हजार लोग बेरोजगार हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि कितने डाक्टर्स, कितने इंजीनियर्स कितने बी० ए०, कितने हाईस्कूल कैटेगरी वाइज बेरोजगार हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत व्यापक प्रश्न है। यह बताना कैसे सम्भव है ?

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जितने शिक्षित बेरोजगार हैं उनमें से कितने लोगों को रोजगार दे चुके हैं और कितने लोग बाकी हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, वर्ष 81 में जो हमारे सेवायोजन कार्यालय हैं, उनमें 5 लाख 5 हजार 563 लोग पंजीकृत थे उनमें से 40 हजार 637 को सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार दिलाया गया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को बहुत जटिल माना है। आपने बताया कि बहुत कम लोगों को आप रोजगार दे पाये हैं। मैं पूँछना चाहता हूँ कि जो शिक्षित बेरोजगारों के पास लघु उद्योग के माध्यम से उत्पादन शक्ति है, उसका उपयोग करने के लिये सरकार बड़े बड़े उद्योग जो साबुन, ब्लेड, तेल आदि बना रहे हैं, इन पर रोक लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, जैसा अभी मैंने बताया कि शिक्षित बेरोजगारों की गम्भीर समस्या है। इसको दूर करने के लिए केवल इंडस्ट्रीज लगाने की ही बात नहीं है। हमारे कई अन्य कार्यक्रम हैं छठी पंचवर्षीय योजना में जो हम लोगों ने प्लान किया है उसमें 5लाख 4हजार लोगों को रोजगार दिलाने का कार्य कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया, पूरा उत्तर तो दिला दीजिए, मेरा प्रश्न सीधा है।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, यह प्रश्न शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में है। मैं माननीन मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि जो रिक्तियाँ 2 साल से हैं और कुछ विशेष प्रकार के पद जो 6 महीने से रिक्त हैं, जो अभी तक नहीं भर पाये हैं, उन पर अब नियुक्तियाँ नहीं होंगी, वे पद निरस्त हो जायेंगे, तो इस नीति से तो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या और बढ़ेगी और यह अधिक भयंकर रूप धारण करेगी तो क्या यह सही है ? दूसरे, जो यह नीति अपनाई गई है, उसको परिवर्तित करने पर सरकार विचार करेगी ताकि जो स्थान खाली हैं, उन पर शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, छहाँ तक शासन की नीति का सवाल है, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा, वह स्पष्ट नीति है कि जो पद 2 साल से रिक्त हैं, जहां आवश्यकता नहीं रही, वह निरस्त होंगे। लेकिन साथ ही साथ स्वतः रोजगार, जो एक महत्वपूर्ण कदम है, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार दिलाने के लिए शासन गम्भीरता से प्रयासरत है। इस दिशा में मैं यह बताना चाहता हूँ कि जहां सेवायोजन कार्यालयों का कार्य पंजीकरण करना था, वहीं अब हम लोगों ने विशेष प्रयास करके इस वर्ष दिसम्बर के अन्त तक 4700 व्यक्तियों को स्वतः रोजगार केवल सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से दिलाया है।

श्री प्रियदर्शी जैतली—

मान्यवर, इस तरफ भी ध्यान दें ।

श्री अध्यक्ष—

जिन माननीय सदस्यों का प्रश्न है, उसमें प्रत्येक को एक-एक बार मौका दिया जायेगा ।

श्री भोखा लाल—

मान्यवर, उत्तर में दिया है, तीसरा सेन्टेंस आप देखें कि बेरोजगारी की इस समस्या का सार्थक निदान कृषि, उद्योग तथा अन्य व्यवसायों में उत्पादन बढ़ाकर किया जाना है । तो, क्या सरकार की यह समझ है कि इसमें उत्पादन बढ़ाकर बेरोजगारी खत्म होगी, या उत्पादन के साधन बढ़ाकर बेरोजगारी खत्म होगी ? मेरी समझ से तो उत्पादन के साधनों को बढ़ाकर यह खत्म होगी, उत्पादन बढ़ाकर नहीं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में रोजगार खड़े करने लिये कौन कौन सी योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उत्पादन बढ़ाकर बेरोजगारी दूर करने का प्रयास है । तो जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके पास टेक्निकल नालेज नहीं है, आपने जो अपने प्राविधान कालेज खोल रखे हैं, उनमें 38 ट्रेड्स की शिक्षा देते हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि क्या सरकार यह महसूस करती है और ऐसा प्रबन्ध करेगी कि जो भी उत्पादन हमारे देश में जरूरी है, हमारे उपभोग में आते हैं, उनमें उत्पादन बढ़ाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, तकनीकी शिक्षा देने की कोशिश करेगी और उस दौरान उन लोगों को भत्ता देगी ।

श्री सुनील शास्त्री—

माननीय सदस्य का अच्छा सवाल है । मान्यवर, जहां तक तकनीकी शिक्षा का सवाल है, सरकार उस पर विशेष बल दे रही है । यह भी तय हुआ है कि जहां-जहां पर पालिटेक्नीक्स के स्पेशलाइज कोर्स नहीं हैं, वहां स्पेशलाइज कोर्स कर रहे हैं और साथ ही साथ नये कोर्स उसमें देने जा रहे हैं, ताकि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके उन्हें स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार मिल सके ।

श्री मनोहर सुब्रामनियम द्वारा बिक्री कर आयुक्त के कार्याकाल में की गयी अनियमितताओं के लिये उनके विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की रिपोर्ट पर उच्चस्तरीय जांच

2—श्री सरदार सिंह—
श्री जमुना प्रसाद,
श्री किरनपाल सिंह
श्री कुबेर भण्डारी
तथा श्री मोहन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री मनोहर सुब्रहमण्यिम को उनके बिक्रीकर आयुक्त के कार्यकाल में सतर्कता विभाग द्वारा कई मामलों

में दोषी पाया गया था और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति सतर्कता विभाग द्वारा शासन से मांगी गई थी ? यदि हां, तो सतर्कता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार श्री सुब्रहमण्यिम के विरुद्ध आरोप क्या थे और शासन द्वारा अनुमति न देने के क्या कारण थे ?

श्री अम्मार रिजवी—

सतर्कता अधिष्ठान ने दो फर्मों के बिक्रीकर को माफ किये जाने के मामले की जांच की थी। अधिकारी के विरुद्ध आरोप यह थे कि उन्होंने इन फर्मों के बिक्री कर की माफी में अनियमितताएँ बरतीं। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा सम्बन्धित अधिकारी का स्पष्टीकरण भी शासन को प्राप्त हो गया है जिसके आधार पर मामले में छानबीन की जा रही है।

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए कोई अनुमति नहीं माँगी गयी।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह गम्भीर विषय सरकार पिछले डेढ़ साल से टालती आ रही थी, मुझे खुशी है कि आज माननीय मन्त्री जी ने इसका उत्तर दिया। मान्यवर, यह पहली दफा है कि कोई आई० ए० एस० अधिकारी जिसने पाखण्डी तौर पर सारे मामले को छिपाया स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार को दोषी पाया गया। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सतर्कता विभाग की रिपोर्ट क्या है और वह शासन को कब प्राप्त हुई ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, सतर्कता विभाग की रिपोर्ट से जो तथ्य सामने आये वे यह थे-दो फर्म्स थीं, एक तो कर्जन लेदर वर्क्स, कानपुर की जिस पर 10,30,000 रुपये बिक्रीकर का बकाया था, दूसरी फर्म थी बालाजी वेजिटेबुल प्रोडक्ट्स, सीतापुर, इसके ऊपर 19,40,000 रुपया बकाया था। यह रिपोर्ट सतर्कता विभाग द्वारा नियुक्ति विभाग को 27-11-81 को भेजी गयी। जो रिपोर्ट है उसमें सतर्कता विभाग ने यह लिखा है कि''' तत्कालीन सचिव, संस्थागत वित्त ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा कर, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर गलत तथा बेबुनियाद तथ्य प्रेषित करके संबंधित मन्त्री के अनधिकृत अनुमोदन प्राप्त कर उपरोक्त दोनों फर्मों को 29.70 लाख रुपया का अनुचित लाभ पहुँचाया।''' (विरोध पक्ष से शेम-शेम)

यह तो आपके समय की गलती बयान कर रहा हूँ। यह सन् 1979-80-81 का मामला है।

"और उनका यह आचरण पद का दुरुपयोग इंगित करता है और प्रथम दृष्टा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत एक गम्भीर अपराध बनता है। परन्तु सतर्कता निदेशक द्वारा इसके साथ ही स्पष्ट कर दिया गया था कि उपरोक्त स्थिति गोपनीय छानबीन पर आधारित है और इसमें किसी के बयान आदि नहीं लिये गये हैं जो केवल खुली जाँच में ही सम्भव हैं। अतः उन्होंने शासन द्वारा मामले की खुली जाँच के आदेश प्रदान करने के औचित्य पर विचार करने का अनुरोध किया था।'''

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि यह 1979-80 का मामला है, तो उस समय किस की सरकार थी और इस विभाग का मन्त्री कौन था ?

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

सरकार तो उन्हीं लोगों की थी जिन्होंने अभी शेम-शेम कहा है, कौन मन्त्री था, यह मुझे याद नहीं है ।

श्री मोहन सिंह—

मैं मन्त्री जी से यह साफ जानना चाहता हूँ कि यह सतर्कता आयोग की रिपोर्ट कब मिली, और सरकार उनके विरुद्ध क्या खुली जाँच करायेगी ? मान्यवर, मालूम यह हुआ है कि वे देश के बाहर चले गये हैं, इसलिये जिस प्रकार के खुली जाँच के नियम हैं वह असम्भव हैं । सरकार इसको राजनैतिक मामला बनाकर मामले को छिपा रही है । सरकार सरकार ही रहती है किसी भी दल की हो, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री मोहन सिंह—

मैं जानना यह चाहता हूँ कि खुली जाँच कराने के लिये क्या उस अधिकारी को उत्तर प्रदेश में भेजने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

भ्रष्टाचार को छिपाने या किसी मामले को छिपाने का प्रश्न नहीं है । जब यह मामला प्रकाश में आया, तुरन्त 15-7-80 को जांच के आदेश दिये गये । जहां तक खुली जांच का सवाल है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जिसमें एक सदस्य महेश्वर प्रसाद जी हैं, वह तथ्यों की छानबीन करके जो स्पष्टीकरण सुब्रह्मणियम से प्राप्त हुआ, है उसको देखने के बाद वह समझते हैं कि खुली जांच कराई जाय, तो जांच की जायेगी । जो कार्यवाही जरूरी होगी की जायेगी । भ्रष्टाचार को दबाने का कोई इरादा सरकार का नहीं है । यदि हमारा मकसद ऐसा होता तो 15-7-80 को जांच के आदेश न देते । चाहे किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप हो जांच कराई जायेगी और दोषी अधिकारी को दण्डित किया जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार—

भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और भ्रष्ट मन्त्री के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री शंकर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, आपने बार-2 सरकार को आदेश दिया ।

नोटः—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

अतारांकित प्रश्न

पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 191 के अन्तर्गत नियुक्त उप निरीक्षकों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में जानकारी

1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो पुलिस उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पैरा 191 पुलिस रेगुलेशन के अन्तर्गत लगातार 3 तथा 5 वर्ष (1-5-1982) तक पद पर नियुक्त थे उन्हें स्थायी कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

2—क्या यह सही है कि पैरा 191 पुलिस रेगुलेशन के अन्तर्गत गुप्तचर शाखा में नियुक्त उप निरीक्षकों को स्थायी कर दिया गया है तथा कुछ उप निरीक्षकों में नागरिक पुलिस को भी स्थायी किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब और उनकी संख्या क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

पुलिस रेगुलेशन्स के प्रस्तर 191 के अन्तर्गत किसी उप निरीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई।

अन्य प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के थानों को आपूर्ति की जा रही लेखन-सामग्री का विवरण

3—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 101 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक थानों को लेखन-सामग्री प्रतिमाह कितनी और क्या-क्या दी जाती है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के थानों को लेखन सामग्री की आपूर्ति, राजकीय मुद्रणालय से प्राप्ति के आधार पर, प्रतिमाह, आवश्यकतानुसार, औसतन निम्नवत् की जाती है :—

सफेद कागज	....	2½ क्वायर
पेंसिल कार्बन	....	16 शीट
पेंसिल	....	3
धागा	...	आधा गोला
गोंद चूर्ण	....	100 ग्राम
आलपीन	...	एक पैकेट
मोमबत्ती	...	एक
सील करने वाली लाख	...	2
पैड इंक	...	एक शीशी

सुल्तानपुर के ग्राम बाहरपुर, रसूलपुर तथा फतेहपुर के कतिपय भूखण्डों में पेड़ों की संख्या का वितरण तथा पेड़ों को न काटे जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी

4—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले मंगलवार के अता० प्र० सं० 98 के उत्तर के संदर्भ में क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर के भूखण्ड संख्या 824-1514-1515/1-1515/2-1947/1925-1926 व ग्राम रसूलपुर के भूखण्ड संख्या 1130 तथा ग्राम फतेहपुर के भूखण्ड संख्या 72-119-345-355 में फलदार व बिना फलदार पेड़ों की संख्या कितनी है तथा कितने पुराने हैं, क्या उनको काटे जाने हेतु कोई व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

5—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के भूखण्ड संख्या 1153-1154 में फलदार पेड़ों की संख्या क्या है उनमें कितने पुराने हैं तथा उनके न काटे जाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के भूखण्ड संख्या 1153-1154 में फलदार पेड़ों की संख्या निम्नवत है :—

भूखण्ड संख्या	फलदार पेड़ों की संख्या	नये	पुराने
1153	14	10	4
1154	11	8	3

उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत वृक्षों के अनियंत्रित कटान को रोकने हेतु समुचित व्यवस्था की गयी है ।

श्री जय प्रकाश, अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरुद्ध शिकायतों की जांच

6—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक ऐसा शिकायती-पत्र दिनांक 20-9-82 को शासन को प्राप्त हुआ है, जिसमें श्री जय प्रकाश, अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड द्वितीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, बदायूं के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन आरोपों की जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराने की कृपा करेगी ? क्या निष्पक्ष जांच हेतु उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण जांच के पूर्व करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराई जा रही है । प्रारम्भिक जांच के बाद आवश्यकतानुसार अन्य कार्यवाहियां की जायेंगी ।

कतिपय विधायकों के पास अतिरिक्त कक्ष और किराये का बकाया तथा सभी विधायक निवासों में रहने वाले विधायकों को पार्क रोड स्थित विधायक निवास के समान किराये की सुविधा

7—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने विधायकों के पास एक से अधिक आवास हैं ? क्या अतिरिक्त आवास का किराया विधायकों से लिया जाता है ? यदि नहीं, तो कितने लोगों पर बकाया है ? क्या नाम बताने की कृपा करेंगे ? क्या शासन पार्क रोड विधायक निवास के किराये की दर बतायेगी ? यदि हां, तो पार्क रोड के अलावा रहने वाले विधायकों को पार्क रोड के बराबर किराये की सुविधा दी जायगी ? यदि नहीं, तो विधायकों के बीच दोहरे मानक स्थापित करने का क्या औचित्य है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

इस समय 38 माननीय विधायकों के पास विधायक निवासों के अतिरिक्त कक्ष हैं ।

34 विधायकों पर बकाया है जिनके नाम संलग्न सूची में अंकित हैं ।

पार्क रोड स्थित विधायक निवासों के कक्षों (फ्लैट्स) का किराया सम्प्रति 450/- रु० प्रतिमाह निर्धारित है ।

समस्त विधायकगणों को किराये की समान सुविधा पूर्व से ही प्राप्त है । पार्क रोड के विधायक निवास के फ्लैट्स में रहने वाले विधायकों से प्रति फ्लैट रु० 150/- प्रतिमाह अतिरिक्त किराया लिया जाता है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ···पर ।)

हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, अलीगढ़ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमित अधिष्ठान में समायोजन

8—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश, राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में कार्यरत पदानुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? क्या शासन की दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में समायोजित करने की कोई निश्चित नीति/योजना है ? यदि हाँ, तो वह क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना में कार्यरत पदानुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सख्या 494 है । जहां तक इन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किये जाने की नीति का सम्बन्ध है, हरदुआगंज परियोजना पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों

को उनकी योग्यता एवं ज्येष्ठता के आधार पर राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अन्य नई परियोजनाओं पर रिक्त स्थानों पर यथा समय समायोजित किये जाने की कार्यवाही की जाती है ।

जनपद गाजीपुर के कोतवाल, श्री शिव बहादुर सिंह तथा थानाध्यक्ष, नोनहरा श्री नन्द लाल सिंह के विरुद्ध शिकायतों की जांच

9 — **श्री हरिवंश सहाय**—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर के कोतवाल (श्री शिव बहादुर सिंह) तथा थानाध्यक्ष, नोनहरा (हृदय नारायण सिंह) के विरुद्ध तीन हजार रुपए घूस लेने एवं मारने-पीटने सम्बन्धी शिकायती-पत्र श्री नन्दलाल सिंह का प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनाँक 16 अगस्त, 1982 के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जाँच किस अधिकारी ने किया तथा जांच रिपोर्ट क्या है ? श्री नन्द लाल सिंह से कब किसने बयान लिया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ ।

प्रार्थना पत्र की जाँच क्षेत्राधिकारी, सदर, गाजीपुर द्वारा की गयी । जाँच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप आधारहीन पाये गये । जाँचकर्त्ता द्वारा जाँच के दौरान श्री नन्दलाल सिंह का बयान फरवरी में लिया गया ।

वन विभाग, बदायूँ में भवन निर्माण कार्य हेतु टेण्डर तथा ठेकेदार द्वारा की गयी सामाजिक आपूर्ति की जांच

10—**श्री मोहम्मद अबरार अहमद**—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वन अधिकारी, बदायूँ के कार्यालय का वर्ष 198:-82 में निर्माण कार्य टेंडर द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या वन विभाग के कर्मचारियों के लिए भी कुछ भवनों का निर्माण कार्य इसी वर्ष प्रारम्भ कराया गया है ? यदि हाँ, तो कितने भवन शासन द्वारा स्वीकृत किए गये हैं ? क्या यह सही है कि कर्मचारी निवास भवन निर्माण हेतु भी टेंडर तथा समस्त अनौपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी थीं ? यदि नहीं, तो इनके निर्माण हेतु ठेका किस आधार पर उस ठेकेदार को दिया गया है ?

श्री संजय सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

11—**श्री मोहम्मद अबरार अहमद**—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त निर्माण कार्य में वन विभाग ने अपनी ओर से ठेकेदार को कोई सामग्री सप्लाई की है ? यदि हाँ, तो उसका क्या आधार था ? क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में किसी उच्च अधिकारी द्वारा जाँच कराके दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

वन विभाग, बदायूँ द्वारा विद्युत जनरेटर और डीजल पम्पिंग सेट का क्रय तथा उपयोग और बेची गयी पौध का विवरण

12—**श्री मोहम्मद अबरार अहमद**—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग जनपद बदायूँ में वर्ष 1981-82 में विद्युत जनरेटर क्रय किये गये हैं ? यदि हां, तो वह कहाँ से खरीदे गये और उन पर विभाग द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गयी एवं विभाग द्वारा क्या वे जनरेटर उपयोग में लाए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जी हाँ, जनपद बदायूँ में वर्ष 1981-82 में एक विद्युत जनरेटर का क्रय 17,200 रु० की लागत पर सर्वश्री विजय ट्रैक्टर कारपोरेशन, विजय नगर, बिजनौर से किया गया था। उक्त जनरेटर का उपयोग विभाग द्वारा बदायूँ मुख्यालय स्थित नर्सरी पर ट्यूबवेल चलाने एवं कर्मचारियों को विद्युत की सुविधा प्रदान करने हेतु किया जा रहा है।

13—**श्री मोहम्मद अबरार अहमद**—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जनपद बदायूं के वन विभाग में डीजल पम्पिंग सेट सिंचाई हेतु वर्ष 1980-81 एवं 82-83 में कितने खरीदे गये हैं इन पर विभाग ने कितनी धनराशि व्यय की और वह डीजल पम्पिंग सेट किन-किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जनपद बदायूं के वन विभाग ने 1981-82 एवं 1982-83 में कितनी पौध सिंचित कर पैदा की एवं समस्त जनपद में कितनी पौध जनता को एवं अन्य विभागों को बेची गयी ?

श्री संजय सिंह—

वित्तीय वर्ष 1980-81 एवं 1982-83 में सामाजिक बानिकी वन प्रभाग, बदायूं के लिए कोई भी डीजल पम्पिंग सैट का क्रय नहीं किया गया।

वित्तीय वर्ष 1981-82 में उक्त वन प्रभाग द्वारा कुल 80,73,699 विभिन्न प्रजातियों की पौध उगाई गई। उनमें से जितनी पौध जनता को एवं अन्य विभागों को बेची गई उसका विवरण निम्नवत् है :—

1—कुल उगाये गये पौध	80,73,699
2—ग्रामीणों व संस्थाओं को बेची गयी पौध	29,82,057
3—नि:शुल्क दी गई	41,961
4—विभागीय उपयोग में	12,52,860
5—मर्त्यता 10 प्रतिशत	8,07,370
6—अवशेष पौध	29,89,451

वित्तीय वर्ष 1982-83 में आगामी वर्षाकाल हेतु कुल 1,10,00,000 पौधों के उगाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 96,00,000 पालीथीन थैलों में पौध उगाने हेतु मिट्टी भरान हो चुका है और 76,50,000 थैलों में अंकुरण बेड से पौधों को रोपित कर दिया गया है एवं शेष कार्य प्रगति पर है।

श्री जगदीश मुरारी लाल श्रीवास्तव, डिप्टी एस०पी० प्रवर्तन एवं सतर्कता राज्य विद्युत परिषद, वाराणसी द्वारा कार्यालय भवन का निजी आवास के रूप में कथित प्रयोग

14—**श्री माता प्रसाद पाण्डेय**—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि श्री जगदीश मुरारी लाल श्रीवास्तव, डिप्टी एस०पी०, प्रवर्तन एवं सतर्कता, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, वाराणसी, दिसम्बर, 1981 से अब तक कार्यालय भवन को निजी आवास के रूप में प्रयोग कर रहे हैं जबकि श्री श्रीवास्तव को मकान किराया भत्ता भी प्राप्त हो रहा है ? क्या सरकार श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध जांच करवाकर उनके इस अवधि के मकान भत्ते की कटौती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार श्री जगदीश मुरारी लाल श्रीवास्तव, डिप्टी एस०पी०, प्रवर्तन एवं सतर्कता उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद वाराणसी द्वारा कार्यालय के किसी भाग को निजी आवास के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिलाधिकारी, जिला व सेशन जज व पुलिस अधीक्षक के पदों पर मुसलमानों व हरिजनों की संख्या

15—**श्री फखरे आलम**—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिला अधिकारी, जिला व सेशन जज व पुलिस अधीक्षकों में मुसलमानों तथा अनुसूचित जाति की अलग-अलग संख्या क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रदेश के जिलों में इस समय 2 मुसलमान एवं 9 हरिजन जिला मजिस्ट्रेट, एक सेशन्स जज, 2 मुसलमान तथा 5 हरिजन पुलिस अधीक्षक कार्यरत हैं। कोई भी जिला एवं सेशन जज हरिजन नहीं है।

परिक्रमा मार्ग ब्रज चौरासी कोस, मथुरा को पक्का कराने की मांग

16—**श्री सरदार सिंह**—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिक्रमा मार्ग ब्रज चौरासी कोस (मथुरा) को पक्का मार्ग निर्माण करने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह मार्ग कब तक बनकर तैयार हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

धनाभाव के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है।

मेरठ नगर में एक प्रेस से गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

17—श्री मन्जूर अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 1-11-82 को मेरठ नगर में एक प्रेस में छापा मारकर 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो वह व्यक्ति कौन हैं और उन व्यक्तियों के खिलाफ सरकार ने क्या कानूनी कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ ।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रेस से निम्न अभियुक्त गिरफ्तार किये गये :—

(1) राम चन्दर (2) चतर सिंह (3) रामसिंह पुत्रगण बाबूलाल नि० 239 पूर्वा इलाही बख्श, थाना कोतवाली, मेरठ (4) वीर सिंह पुत्र रमेश चन्द्र, नि० 341, पूर्वा इलाही बख्श, थाना कोतवाली, मेरठ (5) नानक चन्द्र पुत्र रमेश चन्द्र, नि० हरी नगर (6) हरवीर सिंह पुत्र नन्द किशोर, पूर्वा इलाही बख्श, थाना कोतवाली, मेरठ, (7) करतारी लाल पुत्र नन्द किशोर, पूर्वा इलाही बख्श, थाना कोतवाली, मेरठ, (8) नरेन्द्र कुमार पुत्र मुरारी लाल नि० चमार दरवाजा, थाना देहलीगेट, मेरठ, (9) जय प्रकाश पुत्र किशन सहाय, नि० फतल्लापुर, थाना परतापुर, जिला मेरठ, (10) राम किशन पुत्र रामफल शर्मा, नि० रिठानी, थाना परतापुर, मेरठ तथा (11) चन्द्र शेखर पुत्र रतन सिंह, नि० 32, आजाद रोड, थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ ।

उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 292 भा०द०वि० के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग की विवेचना के उपरान्त आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है ।

मुरादाबाद जनपद के ग्राम आलम सराय में विद्युत उपकेन्द्र हेतु श्री गोपेश्वर प्रसाद सांख्यधर की अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

18—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम आलम सराय, परगना सम्भल, जनपद मुरादाबाद में 132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र बनाने के लिए श्री गोपेश्वर प्रसाद सांख्यधर की 1.865 एकड़ भूमि दिनांक 9-11-78 को अधिग्रहीत की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या इस खड़ी फसल एवं उक्त भूमि का मुआवजा दे दिया गया हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और इसका भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के ड्राफ्ट्समैन के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग द्वारा निर्णय

19—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 4 थे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता द्वारा

पूछे गये अता०प्र०सं० 169 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा की गयी अन्तिम कार्यवाही क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री—

सिंचाई विभाग द्वारा अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

शाहजहांपुर में अरिल नदी पर बोल्डर पिचिंग के लिये पत्थर की कम आपूर्ति, भुगतान तथा उसकी जांच

20—**श्री सत्य पाल सिंह—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला शाहजहाँपुर में ग्राम कलान के पास अरिल नदी के पुल पर बोल्डर पिचिंग हेतु सन् 1979-80 में कितना पत्थर लाया गया था और कितने का भुगतान किया गया है ? क्या यह पत्थर कम लाया गया और भुगतान अधिक किया गया था ? क्या सरकार उपरोक्त तथ्यों की जांच कराकर दोषी अधिकारी को दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

79-80 में कोई पत्थर नहीं लाया गया था। वर्ष 78-79 में 995.24 घन मीटर बोल्डर स्थल पर लाया गया दर्शाया गया तथा 743.60 घन मीटर बोल्डर का भुगतान किया गया।

जी हां पत्थर कम लाया गया था। तथ्यों की जाँच हेतु एक कमेटी बना दी गई है। जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री नाजिर अली विधायक की शिकायत पर शाहजहांपुर जनपद में कान्ट रोड की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही

21—**श्री सत्य पाल सिंह—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह अप्रैल सन 1982 में टेक्नीकल चीफ एक्जामिनर ने जिला शाहजहांपुर में शाहजहांपुर कान्ट रोड की जांच विधायक श्री नाजिर अली के आवेदन-पत्र पर की थी ? यदि हां, तो इस जांच की रिपोर्ट क्या दी गयी तथा दोषी अधिकारियों को क्या दण्ड दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

मार्ग के कई किलोमीटरों में क्रस्ट थिकनैस नापी गई थी जो वांछित मात्रा से कम पायी गयी तथा प्रथम सतह लेपन का कार्य भी अवर श्रेणी का पाया गया एवं कि०मी० 478 में लेपन के कार्य के लिये प्रयोग की गई ग्रिट विभाग की विशिष्टियों के अनुसार नहीं पायी गई।

पिपरौला गांव के निकट गिरई नाले पर पुनः निर्माण कराये जा रहे पुल के बाईपास का कार्य अतकनीकी व अनियोजित एवं त्रुटिपूर्ण ढंग से कराया जाना पाया गया तथा बाईपास में प्रयुक्त सामग्री अवर श्रेणी की प्रयोग की गयी।

गिरई नाले पर निर्माणधीन पुल का निर्माण पुराने क्षतिग्रस्त पुल के कुओं पर ही किया गया है तथा पुल में प्रयुक्त आर. सी. सी. के कार्य में कम सीमेंट का प्रयोग किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त पुल के ऊपरी भाग में अधिक शक्ति के आर. सी. सी. एवं निचले भाग में कम शक्ति के आर. सी. सी. का प्रयोग किया जाना पाया गया।

जहां तक दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दंड दिये जाने का प्रश्न है जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है।

छुट्टा जानवरों को पकड़ने की समस्या का हल

22—**प्रोफ़ैसर चन्द्रप्रकाश शर्मा**—

क्या पशुपालन, मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छुट्टा एवं पालतू जानवरों की समस्या हल करने के लिए प्रादेशिक पशु पकड़ दल के गठन पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हाँ, तो पशु पकड़ दल का गठन कब तक कर लिया जायेगा ?

श्री संजय सिंह—

जी नहीं। छुट्टा जानवरों को पकड़ने के कार्य में भारत सरकार के इस हेतु गठित दल से सहायता प्राप्त की जाती है।

बांदा में दुग्ध की सर्वेक्षण रिपोर्ट

23—**प्रोफैसर चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा में दुग्ध उपलब्धता का सर्वेक्षण कराने के लिये दुग्ध आयुक्त ने दिनांक 5 मई, 1982 को आदेश दिये थे ? यदि हाँ, तो उक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट क्या है ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी।

श्री संजय सिंह—

जी हाँ।

सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बांदा में दुग्ध उत्पादकों, से प्रति वर्ग किलोमीटर विक्री हेतु उपलब्ध दूध दुग्ध समितियों की आर्थिकता के निर्धारित मापदण्ड अर्थात् 30 लीटर प्रति वर्ग किलोमीटर से काफी कम है, अतः इस क्षेत्र से दुग्ध संग्रह करना आर्थिक दृष्टि-कोण से उचित न होगा। अतः सर्वेक्षण की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

हमीरपुर जनपद में महोबा बाई पास के लिये अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

24—**प्रोफैसर चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में महोबा बाई पास के निर्माण के लिये कृषकों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

महोबा (बाई पास) प्रथम के निर्माणार्थ दो ग्राम (दरीबा तथा महोबा) की अधिग्रहीत भूमि में से 11-93 एकड़ भूमि के प्रतिकर का अभिनिर्णय घोषित हो चुका है और उसके वितरण की स्थिति निम्नवत् है ।

ग्राम दरीबा—सभी सम्बन्धित काश्तकारों को प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है ।

2—ग्राम महोबा रु० 80,042-83 पैसे प्रतिकर घोषित किया गया है जिसमें से रु० 60690-83 पैसे वितरित किया जा चुका है । रु० 19352-00 पैसे वितरित करना शेष है जो उपलब्ध सूचना के अनुसार सम्बन्धित काश्तकारों के भुगतान के लिए निर्धारित तिथि को भुगतान के लिए उपस्थित न होने के कारण अवशेषहै ।

इस बाईपास के लिए उक्त दोनों ग्रामों में ही उपरोक्त 11.93 एकड़ के अतिरिक्त 5-97 एकड़ भूमि अर्जन की कार्यवाही और की जा रही है उसके प्रतिकर का अभिनिर्णय अभी घोषित नहीं हुआ है घोषित होने के पश्चात् ही भुगतान का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को विभागीय क्रय के लिए अधिकृत किए जाने सम्बन्धित जानकारी

25—**श्री छत्तर सिंह—**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह व्यवस्था शासन के विचाराधीन है कि विद्युत विभाग के एस० ई० (अधीक्षण अभियन्ता) को ही स्थानीय स्तर पर विभाग सम्बन्धी सामान खरीदने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए, जिससे समय की बरबादी तथा विद्युत उपभोक्ताओं की भाग-दौड़ कम की जा सके ?

श्री श्रीपति मिश्र—

ऐसी कोई व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विचाराधीन नहीं है ।

जनपद बुलन्दशहर में विद्युत वितरण केन्द्र मुढ़ी बकापुर के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर कार्यवाही

26—**श्री छत्तर सिंह—**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कार्यवाही करेंगे कि 27-5-82 को प्रश्नकर्त्ता ने मुढ़ी बकापुर उप विद्युत वितरण केन्द्र लखावटी, जनपद बुलन्दशहर के किसानों का एक शिकायती पत्र उन्हें भेजा था जिसके आधार पर विजिलेन्स की जांच की गई ? उसके क्या परिणाम रहे तथा दोषी पाये गये कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ । दिनांक 17-5-82 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था । जाँचोपरान्त सर्व श्री आर० एस० शर्मा, अवर अभियन्ता, छिद्दा सिंह, लाइन मैन, तथा रामसिंह पेट्रोल मैन दोषी पाये गये थे । इन तीनों को क्रमशः खुर्जा, झाँसी तथा रुड़की स्थानान्तरित कर दिया गया है । श्री आर. एस. शर्मा अवर अभियन्ता के विरुद्ध सतर्कता रिपोर्ट के आधार पर उनकी चरित्र पंजिका में वर्ष 1982-83 में निन्दा प्रविष्टि कर दी गयी है तथा सर्व श्री छिद्दा सिंह व राम सिंह के सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र रोकने के आदेश दिये गये हैं ।

विद्युत सब-स्टेशन मीरगंज, बरेली के शीशगढ़ फीडर से विद्युत आपूर्ति तथा आवर्स मीटर लगाने की मांग

27—**श्री जयदीप सिंह बरार**—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बरेली में विद्युत सब-स्टेशन मीरगंज से जा रहे शीशगढ़ फीडर में सरकार के आदेशानुसार निर्धारित समय के लिये बिजली नहीं दी जाती है और इस सम्बन्ध में शीशगढ़ निवासी श्री राजपाल सिंह कठेरिया ने दिनांक 7-1 82 एवं 17-9-82 के अपने पत्रों द्वारा इस फीडर पर आवर **मीटर** लगाने की मांग की है ? यदि हां, तो यह आवर मीटर कब तक लगा दिया जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र —

जी नहीं ।

श्री राजपाल सिंह कठेरिया ने अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम) बरेली को भेजे गये अपने पत्र दिनांक 17-9-82 में आर्वस मीटर लगाने की मांग की है। इस सम्बन्ध में उनका 7-1-82 का कोई पत्र राज्य विद्युत परिषद्, में प्राप्त नहीं हुआ है ।

आवर्स मीटर लगाने की व्यवस्था का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रदेश के ग्रामों में वन विभाग की उपलब्ध भूमि को चारा व ईंधन के लिये ग्राम सभाओं को संक्रमित किये जाने की मांग

28—**श्री जयदीप सिंह बरार**—

क्या सरकार प्रदेश के उन गांव में जहाँ वन विभाग की भूमि उपलब्ध है उस ग्राम के निवासियों को समुदायिक रूप से ग्राम सभा द्वारा चारा व ईंधन उगाने हेतु इस भूमि का कुछ भाग वहाँ की ग्राम सभा को संक्रमित करने की कृपा करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री संजय सिंह —

वन विभाग के पास बहुत कम वन भूमि उपलब्ध है । जहां वन भूमि उपलब्ध है, वहाँ विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक एवं औद्योगिक प्रजातियों, शीघ्र उगने वाली प्रजातियों तथा गाँवों के नजदीक ईंधन व चारा देने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जा रहा है । उपरोक्त स्थिति में वन भूमि का कुछ भाग ग्राम सभाओं को संक्रमित करना सम्भव नहीं है ।

नगर क्षेत्र कन्नौज के मोहल्ला कचहरी टोला में शांताराम केलकर के यहां पड़ी डकैती के अभियुक्त तथा माल की बरामदगी

29—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि दिनांक 25-11-81 को नगर क्षेत्र कन्नौज के मौहल्ला कचहरी टोला में शांताराम केलकर के यहां डकैती पड़ी ? यदि हाँ, तो उसमें कितने डकैत पकड़े गये तथा अभी तक कितना माल बरामद हुआ और अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी जाँ।

विवेचना से प्रकाश में आए 7 अभियुक्तों में से चार गिरफ्तार किए गए जिनको अभियोजन के पश्चात् न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया। शेष तीन ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया जो धारा 169 द० प्र० सँ० के अन्तर्गत रिहा हो गये। हर सम्भव प्रयास करने पर भी लूटा गया माल बरामद नहीं हुआ।

जालौन तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार

30—राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मई, 1981 में जालौन तहसील के सामने मुन्सिफी अदालत के निर्माण हेतु जालौन तहसील के नागरिकों द्वारा अनशन एवं आन्दोलन किया गया है ? यदि हाँ, तो अभी तक मुन्सिफी अदालत का निर्माण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद जालौन की तहसील मुख्यालय जालौन पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने के सम्बन्ध में बार एसोसियेशन जालौन एवं कुछ अन्य व्यक्तियों ने माह मई, 1981 में आन्दोलन तथा अनशन नहीं किया था बल्कि माह मई और जून, 1982 में किया था।

तहसील जालौन में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था। इस पर माननीय उच्च न्यायालय की आख्या मांगी गई। उच्च न्यायालय ने यह सूचित किया कि जालौन में न्यायालय कक्ष तथा आवासिक भवन उपलब्ध नहीं हैं और जालौन जिला मुख्यालय उरई से केवल तीन मील की दूरी पर है। इन कारणों से माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रस्ताव की संस्तुति नहीं की और उच्च न्यायालय के विचारों को ध्यान में रखते हुए शासन ने इस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया।

जून, 1982 में इस क्षेत्र के विधायकों एवं बार संघ ने इस मामले में एक प्रत्यावेदन भेजा था जिसमें अन्य बातों के साथ यह भी सूचित किया गया कि जालौन तहसील के वादकारियों को 60-70 किलोमीटर की दूरी से जिला मुख्यालय पर आना पड़ता है। इस नये प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय की संस्तुति माँगी गयी है और उच्च न्यायालय की संस्तुति प्राप्त होने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

थानाध्यक्ष, लहरचुरा, झांसी के विरुद्ध श्री रघुराज सिंह के कथित शिकायती पत्र

31—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम लहरचुरा, जनपद झांसी के निवासी श्री रघुराज सिंह के द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश तथा डी० आई० जी० पुलिस, झाँसी को लहरचुरा थानाध्यक्ष के खिलाफ आरोप पत्र गत वर्ष जनवरी, फरवरी, मार्च 1981 में दिया था ? यदि हाँ, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर जांच कराई गयी अथवा नहीं और यदि जांच कराई गयी, तो उसमें क्या परिणाम निकला है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री रघुराज सिंह निवासी, ग्राम लहरचुरा, जनपद झाँसी द्वारा थानाध्यक्ष लहरचुरा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों से सम्बन्धित कोई प्रार्थनापत्र माह जनवरी, फरवरी, मार्च, 1981 में प्राप्त नहीं हुआ। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

32—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ललितपुर नगर में जी० आर० पी० द्वारा पकड़ा गया अलीगढ़ जनपद का अपराधी

33—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 जुलाई, 1982 को ललितपुर नगर में अलीगढ़ जनपद का कुख्यात अपराधी जी० आर० पी० झाँसी तथा ललितपुर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा उसके बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

थाना महुली, बस्ती के सिपाहियों से डकैतों द्वारा छीनी गयी मस्केट

34—श्री माता प्रसाद पान्डेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के थाना महुली के दो सिपाहियों से वर्ष मार्च, 81 से अप्रैल, 82 के बीच में कोई मस्केट डकैतों ने छीन ली है ? यदि हाँ, तो क्या वह बरामद की गई ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ । मस्केट अभी तक बरामद नहीं हो सकी है । स्थानीय पुलिस द्वारा मस्केटों को अपराधियों के कब्जे से बरामद करने के लिये प्रयास जारी है ।

अनपारा तापीय परियोजना में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों की नियमतीकरण की मांग

35—श्री भोखालाल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनपारा तापीय परियोजना में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी लिपिक वर्ग के कर्मचारियों ने दिनांक 5-8-82 को अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को ज्ञापन देकर सेवाओं की नियमितीकरण की मांग की है ? यदि हाँ, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं तथा वह कब से दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं और उनकी सेवाओं के नियमितीकरण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ । अनपारा तापीय परियोयना पर इस समय ऐसे कुल 21 कर्मचारी हैं । जो श्रमिक आपूर्ति के माध्यम से 1-9-1978 से 10-8-81 तक विभिन्न नियुक्ति की तिथियों से आफिस असिस्टेन्ट "ए" तथा "बी" के रूप में कार्यरत हैं । चूँकि यह लोग श्रमिक आपूर्ति के माध्यम से कार्यरत हैं, अतः इन्हें नियमित किया जाना सम्भव नहीं है ।

गोरखपुर स्थित वन विभाग के स्टोर में घपले के सम्बन्ध में कथित जांच आदेश

36—**श्रीमती गौरी देवी**—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर स्थित वन विभाग के स्टोर में गड़बड़ी व घपले की जाँच के आदेश मंत्री जी द्वारा 26 अगस्त, 82 को दिये गये थे ? यदि हाँ, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री संजय सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा के ग्राम महुअर की सीमा पर राष्ट्रीय मांग पर पुल के निर्माण पर विचार

37—**श्री बदन सिंह**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम महुअर, तहसील किरावली, जिला आगरा की सीमा में राष्ट्रीय मार्ग न० 11 पर वेस्टर्न डिप्रशन ड्रेन के ऊपर पुल निर्माण के सम्बध में प्रश्नकर्त्ता का मार्च, 1982 में लिखा पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

उक्त पुल के निर्माण का एक आगणन, जिसकी लागत 21.217 लाख रुपया है, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है । भारत सरकार की स्वीकृति प्रतीक्षित है ।

आगरा जनपद में कलाल खेड़िया-कबीस मार्ग पर कोलतार लेपन का कार्य

38—**श्री विजय सिंह राणा**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में कलाल-खेड़िया-कबीस तक स्वीकृत मार्ग पर कोलतार लेपन का कार्य अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? इसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जिला सेक्टर का कार्य है । जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृति हेतु अभी अनुमोदित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा जनपद के लिये स्वीकृत मार्ग तथा आगरा तहसील में मार्ग निर्माण प्रगति

39—**श्री विजय सिंह**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन 1980 के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आगरा जनपद के लिये कुल कितने कि० मी० मार्ग स्वीकार

किये गये और इसमें से आगरा तहसील में कुल कितने किलो मीटर मार्ग का निर्माण कराया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी —

सन् 1980 के बाद जनपद आगरा के लिये कुल 131.03 किलोमीटर मार्गों का नव निर्माण तथा 28.125 किलोमीटर आधुनीकरण/पुननिर्माण स्वीकृत किये गये हैं। इसमें से आगरा तहसील में कुल 12.00 किलोमीटर मार्गों का नवनिर्माण स्वीकृत है जिसमें से 2.00 किलोमीटर पूर्ण हो चुका है तथा 10.00 किलोमीटर में निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 10 किलोमीटर में आधुनीकरण का कार्य भी कराया गया है।

देवरिया जनपद में घाघरा नदी पर पुल निर्माण

40—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में घाघरा नदी पर पुल निर्माण की योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो पुल निर्माण में बिलम्ब का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी —

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा जनपद में शमशाबाद के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा लेखा-लिपिक के विरुद्ध गबन की रिपोर्ट की विवेचना

41—श्री राम आसरे वर्मा

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के थाना शमशाबाद में 3 अप्रैल, 1982 को डाक्टर आर० डी० माथुर, उप मुख्य चिकित्साधिकारी प्रथम द्वारा शमशाबाद के प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध तीस हजार रुपये के गबन सम्बन्धी एक रिपोर्ट लिखाई गयी है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक 3-4-1982 को डा० आर. डी. माथुर, उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रथम) आगरा कैम्प शमशाबाद ने थाना शमशाबाद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शमशाबाद के चिकित्साधिकारी एवं लेखा लिपिक के विरुद्ध राजकीय धनराशि के गबन सम्बन्धी लिखित सूचना अंकित करायी।

इस सूचना पर अपराध अन्तर्गत धारा 409 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया जो विवेचनाधीन है।

मेडिकल कालेज, गोरखपुर में बिना अनुमति के पुलिस के प्रवेश के सम्बन्ध में जानकारी

42—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 30-9-82 जिसमें 22 जून, 82 को गोरखपुर में बिना अनुमति के मेडिकल कालेज में

पुलिस घुसी और मारपीट की शिकायत मिली है ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नैनीताल जनपद के थाना बाजपुर के थानाध्यक्ष तथा उप निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतों की जाँच

43—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि नैनीताल जिले के थाना बाजपुर के थानाध्यक्ष (श्री अनंगपाल वर्मा) तथा एस० आई०(श्री याद राम) के विरुद्ध एक अगस्त 82 से 8 सितम्बर 82 के बीच एस० पी० नैनीताल, तथा सी० ओ० काशीपुर को कितने शिकायती पत्र जिसमें भ्रष्टाचार का पद दुरुपयोग तथा शांति प्रिय नागरिकों को अकारण प्रताड़ित करने की शिकायतें की गयी थी मिले ? यदि हाँ, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ।

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में पाँच शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे । थानाध्यक्ष के विरुद्ध मुख्य शिकायतें, अभियुक्तों को संरक्षण देने, उनसे सांठ-गांठ करके रुपये एंठने, सिक्खों के धर्म चिन्हों का अपमान करने की थीं, तथा उप निरीक्षक के विरुद्ध श्री मंगल सिंह सभापति को जान से मरवाने के लिये रु० 10,000 व पिस्तौल देने तथा अभियुक्तों को बचाने का आश्वासन दिये जाने आदि के आरोप लगाये गये थे । इन शिकायतों की जाँच राजपत्रित अधिकारियों द्वारा की गई । जांच से उक्त प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों का सत्यापन नहीं हो सका ।

जनपद बाराबंकी के थानों के पुलिस बल का विवरण तथा उसको बढ़ाये जाने की मांग

44—**श्री श्याम लाल वाजपेयी—**

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के प्रत्येक थाने में इस समय कितने सब-इन्सपेक्टर, कितते हेड सिपाही तथा कितने सिपाही नियुक्त हैं ? क्या यह सत्य है कि बाराबंकी जनपद में अपराधों के मुकाबले में थानों का पुलिस बल कम है ? यदि हां, तो बाराबंकी जनपद में शासन पुलिस बल बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

इस समय जनपद बाराबंकी के 22 थानों में कुल 2 इन्सपेक्टर, 112 सब इन्सपेक्टर 37 हेड कान्सटेबिल (नागरिक पुलिस) नियुक्त हैं ।

2—वर्तमान अपराध आंकड़ों को दृष्टिगत करते हुये जनपद बाराबंकी में पुलिस बल पर्याप्त है । बाराबंकी जनपद में पुलिस बल बढ़ाये जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बाराबंकी जनपद में दिये गये आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्सों का विवरण

45— **श्री श्याम लाल वाजपेयी—**

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-1-82 से 29-10-82 तक बाराबंकी जनपद में कितने एकनाली, कितने दो नाली, कितने रायफल कितने रिवाल्वर, पिस्टल के लाइसेन्स दिये गए ? क्या शासन लाइसेन्स प्राप्तकर्त्ताओं के ग्राम व थाना सहित नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

1—प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में जनपद बराबंकी में एकनाली बंदूक के 158, दोनाली के 46, रायफल के 12, रिवाल्वर के 17, तथा पिस्टल के 2. लाइसेन्स दिये गये। उक्त अवधि में 4 और व्यक्तियों को लाइसेन्स स्वीकृत किये गये परन्तु उन्होंने औपचारिकताएं पूरा करके लाइसेन्स प्राप्त नहीं किये हैं।

लाइसेंस प्राप्तकर्त्ताओं के नाम पते आदि का विवरण देना जनहित में नहीं होगा।

बाराबंकी जनपद के थानों में थानेवार दर्ज विभिन्न अपराधों की प्रथम सूचनाओं का विवरण

46—**श्री श्याम लाल वाजपेयी—**

क्या गृह मंत्री बाराबंकी जनपद के 22 थानों में 1-1-82 से 29-10-82 तक दर्ज कराई गई प्रथम सूचनाओं का थानेवार विवरण देते हुए बताने की कृपा करेंगे कि कितनी चोरी, कितनी राहजनी, कितनी हत्याओं तथा कितनी डकैतियों की रपटें अंकित की गईं ? क्या शासन दर्ज की गई रपटों के विषय में बतायेगा कि किस थाने में अपने यहाँ दर्ज रपटों में कितनों पर आरोप पत्र अदालत भेजे तथा कितने पर फाइनल रिपोर्ट लगा दिया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत विवरण संलग्न है:—

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठपर।)

बाराबंकी जनपद के कस्बा जैदपुर के श्री मोहम्मद आजम अन्सारी की हत्या की जांच रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

47—**श्री श्याम लाल वाजपेयी—**

क्या गृह मंत्री को पता है कि कस्बा जैदपुर थाना जैदपुर (बाराबंकी) के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता मोहम्मद आजम अन्सारी की हत्या मई, 1982 में की गई थी ? क्या यह सत्य है कि इस बहुचर्चित हत्या कांड की जांच बाराबंकी विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा करायी गयी ? यदि हां, तो क्या शासन श्री आजम अन्सारी हत्याकाण्ड से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट विशेष अनुसंधान शाखा की रिपोर्ट एस० पी० ओ० का अनुमोदन आदि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र —

प्राप्त सूचना के अनुसार कस्बा व थाना जैदपुर जिला बाराबंकी निवासी श्री मोहम्मद आजम अन्सारी की हत्या दिनांक 25-6-82 को हुई थी। इस मामले में थाना जैदपुर में पंजीकृत अभियोग संख्या 47/82 धारा 302 भा० द० वि० की विवेचना थाना जैदपुर की पुलिस व विशेष अनुसंधान शाखा बाराबंकी द्वारा करके आरोप पत्र न्यायालय 6-10-82 को भेजा जा चुका है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है। प्रश्नगत अभिलेखों को सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है।

जिला अस्पताल, देवरिया से श्री राम प्रवेश सिंह को पुलिस द्वारा लखनऊ जेल को स्थानान्तरित किये जाने का प्रयास

48—**श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—**

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 18-19 अक्टूबर, 1982 की रात्रि 12 बजे जिला अस्पताल देवरिया में चिकित्सार्थ भर्ती संजय विचारमंच के जिला संयोजक श्री राम प्रवेश सिंह को बिना मुख्य चिकित्साधिकारी की अनुमति के जबरन पुलिस ले जा रही थी ? यदि हां, तो उसका कारण क्या था ? क्या नियम विरुद्ध कार्य करने के दोषी पुलिस जन के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 18/19 अक्टूबर, 1982 की रात्रि में सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस फोर्स, श्री राम प्रवेश सिंह को लखनऊ जेल स्थानान्तरित करने हेतु सदर अस्पताल देवरिया गई लेकिन डाक्टर द्वारा लिखित रूप में यह बताये जाने पर कि श्री राम प्रवेश सिंह चलने-फिरने में असमर्थ है, पुलिस फोर्स वापस चली आई। प्रश्न के शेष अंग का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद के थाना कोठीभार के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतों की जांच

49—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—**

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना कोठीभार के थानाध्यक्ष के विरुद्ध हरिजनों को पिटवाने हेतु उकसाने तथा थाना झंगहां व गोरखनाथ के विरुद्ध रिपोर्ट होने, रिवर्ट होने के तत्काल बाद इंचार्ज बनाये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र माह सितम्बर, 82 से माह अक्टूबर 25, 1982 तक स्थानीय अधिकारियों एवं शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। प्रश्नकर्ता का 5-10-82 का पत्र पुलिस उप-महानिरीक्षक, गोरखपुर को प्राप्त हुआ था। जांच करायी गयी। थानाध्यक्ष के विरुद्ध लगाये आरोप प्रमाणित नहीं हुये।

आगरा जनपद के समाचार पत्र 'सैनिक' व सैनिक प्रेस आगरा पर श्रम न्यायालय द्वारा की गयी डिग्री की वसूली की कार्यवाही

50—**श्री विजय सिंह राना—**

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के दैनिक समाचार पत्र 'सैनिक' व सैनिक प्रेस आगरा के कर्मचारियों के बाद में श्रम न्यायालय आगरा द्वारा कर्म-

चारियों के रुपये की कोई डिग्री दी गयी है ? यदि हां, तो इस डिग्री की वसूली के सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री सुनील शास्त्री—

आगरा जनपद के तत्कालीन दैनिक समाचार पत्र 'सैनिक' व सैनिक प्रेस, आगरा के कर्मचारियों के विवाद में अभिनिर्णय विवाद संख्या 165/74 में अभिनिर्णय श्रम न्यायालय, आगरा द्वारा दिनांक 28-7-75 को दिया गया था। उक्त अभिनिर्णय के अनुसार 66 श्रमिकों को उनकी अखण्ड सेवाओं व उनके पिछले पूरे बकाया वेतन के साथ कार्य पर लिया जाना था तथा सम्बन्धित श्रमिकों को न्यायालय द्वारा रु० 500 विवाद व्यय के भुगतान किये जाने के आदेश भी दिए गये थे।

चूँकि संस्थान अभिनिर्णय की तिथि से पहले ही वर्ष 1973 में बन्द हो चुका था, अतः सम्बन्धित श्रमिकों को पुनः कार्य पर लिया जाना संभव नहीं था। उपरोक्त 66 श्रमिकों में से 52 कर्मचारियों ने पिछले पूरे बकाया की वसूली के लिए श्रम विभाग को प्रार्थनापत्र दिए। इनमें से 43 कर्मचारियों को देय धनराशि रु० 5,95,181 को भूराजस्व की भांति वसूल करने के प्रमाण-पत्र जारी करके कलेक्टर को वसूली के लिए भेजे गये थे। शेष श्रमिकों ने अपने देय पावनों की पुष्टि में प्रमाण/प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किये।

उपरोक्त धन की वसूली के लिए सेवायोजकों की सम्पत्ति कोठी नम्बर 3/72 ए खंदारी रोड, आगरा को कुर्क करके नीलामी के आदेश दिए गये थे जिसे अपर कलेक्टर, आगरा ने अपने आदेश दिनांक 4-1-82 द्वारा निरस्त कर दिया। श्रमिक पक्ष की ओर से उक्त आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण का वाद आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के न्यायालय में विचाराधीन है। कुर्क शुदा सम्पत्ति के विरुद्ध सिविल रिट पिटीशन सं० 2739/79 (रिट नोटिस सं० 2724/79) शेरवानी ट्रस्ट बनाम यू० पी० स्टेट आदि में उच्च न्यायालय द्वारा नीलामी की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है। इस प्रकार मामला न्यायालयों के विचाराधीन है।

बस्ती जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इटवा के उच्चीकरण हेतु धन का आवंटन तथा निर्माण कार्य

51—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इटवा के उच्चीकरण के लिए शासन ने वर्ष 78-79 में धन आवंटित किया था जिसका निर्माण कार्य सा० नि० विभाग से होना है ? यदि हां, तो उसके अभी तक निर्मित न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

प्रश्नगत कार्य को अभी तक निर्मित न कराये जाने का कारण यह है कि कार्य की भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग को फरवरी सन् 1981 में उपलब्ध हुई, किन्तु वह भी इस स्थिति में नहीं थी कि उस पर तुरन्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा सकता। उस पर खड़े हरे पेड़ों को कटवा कर हटाने की कार्यवाही में रुकावट/विलम्ब के कारण निर्माण नहीं हो सका।

मरम्मत के अभाव में मऊ पावर स्टेशन, आजमगढ़ की बन्दी तथा इस सम्बन्ध में बिजली कर्मचारी संघ का कथित पत्र

52—**श्री खैरुल बशर**—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वान्चल का एक मात्र पावर हाउस मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में है जिसकी उत्पादन शक्ति 15 मेगावाट है, बिना किसी सरकारी आदेश के बन्द कर दिया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में बिजली कर्मचारी संघ ने दिनांक 7-9-82 को एक आवेदन पत्र दिया था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मऊ पावर स्टेशन आजमगढ़ की स्थापित क्षमता 15 मेगावाट है। उक्त पावर स्टेशन के चारों बायलरों के ऐसी स्थिति में आ जाने पर कि वे निर्धारित तापमान एवं दाब पर भाप का उत्पादन करने में अक्षम हैं एव उक्त बायलरों की विशेष मरम्मत की जाने की आवश्यकता है परन्तु परिषद् के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्य के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध करायी जानी अभी संभव नहीं है, अत: मरम्मत पूरी न होने के कारण यह पावर हाउस दिनांक 27-6-1982 से बन्द रखा गया है। जहाँ तक बिजली कर्मचारी संघ के दिनांक 7-9-82 के पत्र पर कार्यवाही का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य द्वारा यह ज्ञात होने पर कि उक्त पत्र किसको दिया गया है, तब ही इसका उत्तर देना संभव हो सकेगा।

मिर्जापुर जनपद में ओला, सूखा राहत कार्य हेतु सार्वजनिक विभाग को आवंटित धन के व्यय के सम्बन्ध में जानकारी

53—**श्री राम चरण सिंह**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओला, सूखा राहत कार्य के अन्तर्गत जनपद मिर्जापुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग को वर्ष 1981-82 में कितना-कितना धन दिया गया ? विभाग द्वारा कहां-कहां और कितना-कितना व्यय किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मिर्जापुर जनपद में विकास खण्ड धोरावल में निजी पम्पिग सेट हेतु विद्युत व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में पत्र

54—**श्री राम चरण सिंह**—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद विकास खण्ड धोरावल में वकहर नदी के किनारे निजी पम्पिग सेट लगा कर सिंचाई हेतु विद्युत लाइन की व्यवस्था किये जाने के बारे में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र 1 मई, 1982 को उन्हें लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय सदस्य का इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

मेरठ में दंगे से पीड़ितों को आर्थिक सहायता का वितरण

55—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह सितम्बर, 82 में मेरठ में जो दंगा हुआ उसके कारण पीड़ितों को कुल और अलग-अलग कितनी आर्थिक सहायता वितरित की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

माह सितम्बर, 1982 में मेरठ में जो दंगा हुआ उसके कारण पीड़ितों को कुल और अलग-अलग दी गयी आर्थिक सहायता का विवरण संलग्न सूची में अंकित है ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ पर ।)

आगरा जनपद में खेड़िया-कबीस मार्ग का कोलतार लेपन कार्य

56—**श्री विजय सिंह राना**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में लाल खेड़िया-कबीस तक स्वीकृत मार्ग पर कोलतार लेपन का कार्य अभी तक शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? इसे अब कब तक स्वीकृत देकर पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी, हाँ ।

जिला सेक्टर का कार्य है । जिला नियोजन एवम् अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृति हेतु अभी अनुमोदित नहीं है ।

जिला नियोजन एवम् अनुश्रवण समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा ।

मुख्य मंत्री के पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर मञ्च व बैरीकेटी बनाने के कार्य का टेण्डर तथा व्यय के सम्बन्ध में जानकारी

57—**श्री मोहन सिंह**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 29-30 अक्टूबर, 1982 को मुख्य मंत्री ने जब पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा किया जिसमें श्री राजीव गाँधी ने भी भाषण किया था [देवरिया जिले के रुद्रपुर, बलिया, गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, मऊ, घोसी (आजमगढ़) आजमगढ़ और जौनपुर] में मंच बनाने और लकड़ी के बैरीकेटी करने में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कितने लाख रुपये का टेण्डर दिया और वस्तुतः कितने लाख रुपये खर्च हुए ।

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बलिया जनपद के श्री वीर बहादुर सिंह तथा लखनऊ जनपद के श्री सत्य नारायन सिंह के आयुध लाइसेन्स का निलम्बन

58—**श्री जगदीश सिंह**—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री वीर बहादुर सिंह पुत्र श्री शंकर दयाल सिंह निवासी ग्राम रुस्तमपुर थाना बांसडीह रोड जिला बलिया ने जुलाई, 82 में जिला मजिस्ट्रेट, बलिया के बन्दूक लायसेन्स निलम्बन आदेश दिनांक 27 जून, 81 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व श्री सत्य नरायन सिंह पुत्र स्वर्गीय सुमेश्वर सिंह एफ-4 कारपोरेशन फ्लैट्स, नवल किशोर रोड, थाना कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ ने अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) लखनऊ के राइफल व पिस्टल/रिवाल्वर लाइसेन्स निलम्बन आदेश दिनांक 18 मई, 82 के विरुद्ध आयुक्त मण्डल के यहाँ से सितम्बर 82 में स्थगन आदेश प्राप्त किया है ? यदि हाँ, तो स्थगन आदेशों को रद्द कराये जाने हेतु शासन क्या कर रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा उनके आयुध लाइसेन्स के निलम्बन आदेश के विरुद्ध दायर की गई रिट याचिका का विरोध किया जा रहा है। इस मामले में उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश आंशिक है तथा केवल आयुध न जमा कराये जाने तक प्रभावी है।

श्री सत्य नरायन सिंह के आयुध के निरस्तीकरण हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ, द्वारा दिनाँक 18-5-82 को दी गई नोटिस को आयुक्त, लखनऊ मण्डल द्वारा केवल उस सीमा तक स्थगित किया गया कि अनुज्ञापी से आग्नेयास्त्र जमा न कराया जाय। निरस्तीकरण से सम्बन्धित कार्यवाही प्रगति पर है।

हरदोई जनपद में पुलिस मुडभेडों में मारे गये व्यक्तियों के अपराधिक इतिहास तथा मुठभेड़ों की मैजिस्टीरियल जाँच से सम्बन्ध में जानकारी

59—**श्री हरिशंकर तिवारी**—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई में 1 जनवरी, 81 से 31 अक्टूबर, 82 तक कुल कितने व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ों में मारे गये ? उनके नाम पते व अपराधिक इतिहास क्या है ? क्या इन मुठभेड़ों की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई ? यदि हाँ, तो उसका परिणाम क्या रहा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सोनल इंजीनियर्स प्रा०लि०, रामनगर, वाराणसी को विद्युत कनेक्शन

60—**श्री जंगबहादुर सिंह**—

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि टूल्सविट तथा आरी, ओर के निर्माण हेतु प्रथम वरीयता के आधार पर सोनल इन्जीनियर्स प्रा०लि० ई-12 वाराणसी (रामनगर) का प्रोजेक्ट दो वर्ष पूर्व एप्रूव हुआ और 6 महीने से बनकर तैयार है और विद्युत का व्यय भी 84 हजार रुपये जमा किये जा चुके हैं परन्तु अब तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो जनहित में प्रोजेक्ट द्वारा शीघ्र कार्य आरम्भ करने के लिए शीघ्र विद्युत की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां; तो कब तक ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सोनल इन्जीनियर्स प्रा०लि० ई-12 वाराणसी (रामनगर) को दिनाँक 29.1.83 को विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है।

देवरिया जिले में तमकुही राज में गांजे तथा विदेशी वस्त्र की बरामदगी तथा अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

61—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिलान्तर्गत तमकुही राज नामक स्थान पर 10 लाख रुपए का गांजा दिनांक 24-10-82 को पकड़ा गया ? यदि हाँ, तो पूर्ण घटना क्या है और तस्करों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 24 अक्टूबर 1982 को देवरिया जिला अर्न्तगत थाना-तरया सुजान में स्थित तमकुही राज नामक स्थान पर गांजा व विदेशी वस्त्र सहित एक ट्रक बरामद किया गया जिसका मुकदमा थाना तरया सुजान पर मुकदमा अ०सं० 143/82 धारा 60 एक्साईज एक्ट, 13-डी०डी० एक्ट तथा कस्टम एक्ट में पंजीकृत किया गया। विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण सुभाष चन्द्र, पारस, सींगल यादव, अकलू तथा महातम सिंह का चालान न्यायालय किया जा चुका है। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

होमगार्ड के भूतपूर्व आनरेरी बटालियन कमाण्डेन्ट्स को राज्यपाल पदक के सम्बन्ध में जानकारी

62—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होमगार्ड के भूतपूर्व आनरेरी बटालियन कमाण्डेन्ट्स को उनके होमगार्डस बटालियनों के गठन में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें राज्यपाल पदक देने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो कब तक इस निर्णय के होने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं।

होमगार्ड के भूतपूर्व आनरेरी बटालियन कमाण्डेन्टस को राज्यपाल पदक देने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा रहा है। होम गार्डस के पुनर्गठित स्वरूप में इनके पद समाप्त हो चुके हैं।

प्रदेश में महिलाओं द्वारा आत्म हत्या की रिपोर्ट

63 - श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर 1981 तक प्रदेश में कितनी महिलाओं के आत्महत्या की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में प्रदेश में 1138 महिलाओं की आत्म-हत्या की रिपोर्ट पुलिस थानों पर अंकित करायी गयीं ।

श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य विधान सभा को सम्बोधित सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र में अंकित मार्गों का निर्माण

64—**श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता को विभाग द्वारा सम्बोधित पत्र संख्या 3586 ई/23-सा०नि० अनु-11 दिनाँक 18 जून, 82 में स्वीकृत मार्गों पर कार्य कब तक सम्पन्न करा दिया जायेगा और सन्दर्भित कार्यों को पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

श्री अम्मार रिजवी -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सीतापुर जिले में वन चेतना केन्द्र

65—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के मुख्यालय के पास बन चेतना केन्द्र स्थापित करने हेतु किस स्थान पर चयन किया गया है तथा केन्द्र की स्थापना कब तक हो जायेगी ? यदि स्थान का चयन अभी नहीं हो पाया है तो भी चयन हेतु कौन सा स्थान विचाराधीन है ।

श्री संजय सिंह—

सीतापुर वन प्रभाग में अभी वन चेतना केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । भविष्य में यदि सीतापुर जनपद में वन चेतना केन्द्र खोला गया तो इसे इलसिया वन ब्लाक में लखनऊ दिल्ली रोड पर खोले जाने की सम्भावना है ।

बाराबंकी में रूदौली से मिल्कीपुर वाया अमानीगंज मार्ग के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तथा मार्ग को डामर का कार्य

66—**श्री श्यामलाल बाजपेयी—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी में रूदौली से मिल्कीपुर वाया अमानीगंज मार्ग के निर्माण की स्वीकृति कब हुई थी ? उक्त मार्ग के निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृति की गयी थी और उक्त मार्ग के अब तक डामराइज्ड न होने के क्या कारण हैं ? क्या मन्त्री जी उक्त मार्ग को शीघ्र ही डामराइज्ड कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1979-80 में ।

रु० 10.78 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई थी ।

मार्ग निर्माण में लेपन का कार्य टाप कोट की कुटाई के बाद होता है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 1983-84 के अन्त तक डामर स्तर तक कार्य पूर्ण होना सम्भावित है।

श्री एच०एन० सिंह, प्रशिक्षक मशीन शाप राजकीय पालीटेक्नीक, आजमगढ़ को स्थानान्तरण यात्रा भत्ते का भुगतान

67—**श्री राजकुमार राय**—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन को प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनाँक 13-10-82 जो श्री एच०एन० सिंह, प्रशिक्षक, मशीन शाप, राजकीय पालीटेक्नीक आजमगढ़ को राजकीय पा० फैजाबाद से रा०प० काशीपुर को फरवरी, 1976 में स्थानान्तरण टी० ए० के भुगतान के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन्हें अब तक टी० ए० न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। श्री सिंह का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता बिल महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण न हो सकने के कारण उसका भुगतान नहीं हो सका है।

जालौन जनपद के निर्माण खण्ड के सहायक अभियन्ता व जूनियर इन्जीनियर के विरुद्ध कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही

68—**श्री दलगंजन सिंह**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के निर्माण खण्ड के सहायक अभियन्ता व जूनियर इन्जीनियर के विरूद्ध दिनाँक 25-10-82 को कोतवाली उरई में चोरी और हेराफेरी का अभियोग दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो आरोप क्या है और उसमें विभाग ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ।

दिनांक 25-10-82 को 25 बोरी चूना चोरी हो जाने की रिपोर्ट कोतवाली उरई में दर्ज कराई गयी थी। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है।

मेसर्स टूरिंग टाकीज, महाराजगंज, गोरखपुर के विरुद्ध श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, विधायक का पत्र तथा श्री श्रवण कुमार व श्री बेनी प्रसाद का निष्कासन

69—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद**—

क्या श्रम मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में स्थित टूरिस्ट टाकीज, महाराजगंज के मालिक के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती-पत्र दिनाँक 27-8-82 उन्हें प्राप्त हुआ है जिसकी स्वीकृति राज्य मन्त्री श्रम ने अपने पत्राँक 69-एम/एस०एम०एल०/82 विधान भवन लखनऊ दिनाँक 24, सितम्बर 1982 द्वारा किया है ? यदि हाँ, तो सबरिया निकाले गये मजदूरों में से सर्वश्री श्रवण कुमार व बेनीप्रसाद के सन्दर्भ में क्या निर्णय लिया गया ? यदि निर्णय नहीं लिया गया, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

मेसर्स टूरिंग टाकीज, महराजगंज, गोरखपुर के मालिक के विरुद्ध माननीय विधायक का शिकायती पत्र दिनाँक 26-8-82 का नहीं बल्कि 27-8-82 का प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति पत्र संख्या 69-एम/एस०एम०एल०/82 दिनाँक सितम्बर 24, 1982 द्वारा स्वीकार की गयी है।

जाँच कराने पर मालूम हुआ है कि सेवायोजकों द्वारा दो श्रमिक सर्वश्री श्रवणकुमार तथा बेनी प्रसाद गेट कीपर तथाकथित दुराचरण के आरोप में निष्कासित किये गये हैं। इन श्रमिकों ने अपना अपना विवाद संराधन अधिकारी, गोरखपुर के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसका विस्तारण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है।

श्रमिक बस्तियों के क्वार्टर्स रहने वालों को बेचे जाने के प्रस्ताव पर विचार

70—**श्री यदुनाथ सिंह—**

क्या श्रम मन्त्री को ज्ञात है कि भारत सरकार के निर्माण और आवास मन्त्रालय, नई दिल्ली ने दिनाँक 9-2-78 को एक परिपत्र उत्तर प्रदेश शासन को भेजा है कि श्रमिक बस्तियों में रहने वालों को दे दी जावें ? क्या इस सम्बन्ध में अनेक प्रतिवेदन शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही हुई ? रहने वालों को क्वार्टर्स कब तक बेचे जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हाँ।

जी हां।

वर्ष 1978 में भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जो शर्तें लगाई गई थीं, उनमें कुछ संशोधन राज्य सरकार ने दिनाँक 16-8-81 के पत्र द्वारा प्रस्तावित किए। भारत सरकार ने अपने पत्र दिनाँक 26-11-81 द्वारा पूर्व प्रेषित प्रस्ताव को वापिस ले लिया व इन मकानों पर व्यय हुई सम्पूर्ण रकम ब्याज सहित वापस करने की अपेक्षा की।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार की सहमति के बिना कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

लक्ष्मी स्पन पाइप इन्डस्ट्रीज, सोरांव इलाहाबाद की मजदूर सभा का पत्र तथा उक्त फैक्ट्री के निरीक्षण पर पायी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही

71—**श्री माता प्रसाद पाण्डेय—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लक्ष्मी स्पन पाइप इन्डस्ट्रीज, सोरांव, इलाहाबाद के विरुद्ध दिनाँक 18-8-82 तथा 17-9-82 का शिकायती-पत्र श्री विष्णु देव पाण्डेय, मन्त्री, लक्ष्मी स्पन पाइप मजदूर सभा, इलाहाबाद ने मुख्य मन्त्री, श्रम मंत्री तथा अन्य उच्चाधिकारियों को देकर उक्त फैक्ट्री में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, मजदूरों के शोषण की शिकायत की थी ? यदि हाँ, तो फैक्ट्री इन्सपेक्टर तथा लेबर इन्सपेक्टर के निरीक्षण पर कौन-कौन सी अनियमितताएँ पाई गयीं ? शिकायत पर जाँच से कितनी अनियमितायें पाई गयीं और उसके लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं ? सम्बन्धित अनियमितताओं पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सुनील शास्त्री—

प्रतिष्ठान के कुछ श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनाँक 18-8-82 प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी स्पन पाइप मजदूर सभा का दिनाँक 17-9-82 का नहीं बल्कि दिनाँक 27-9-82 का पत्र प्राप्त हुआ है।

कारखाने के निरीक्षण के समय कारखाना निरीक्षक को निरीक्षण पुस्तिका, सवेतन अवकाश पंजिका, दुर्घटना पंजिका तथा ओवर टाइम पंजिका सेवायोजकों द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी। कुछ श्रमिकों की उपस्थिति फार्म नं० 12 (हाजिरी रजिस्टर) में अंकित नहीं पायी गयी।

श्रम निरीक्षक द्वारा दिनाँक 6-9-82 को जाँच में यह पाया गया कि पुराने 115 श्रमिकों के स्थान पर कुछ नये श्रमिक कार्य पर लिये गये हैं।

उक्त अनियमितताओं के लिए प्रतिष्ठान के अध्यासी श्री विदेह कुमार सिंह व प्रबंधक श्री एस. के. श्रीवास्तव उत्तरदायी पाये गये हैं।

प्रतिष्ठान में कारखाना अधिनियम के प्रश्नगत उपबन्धों की अनियमितताओं के लिए सेवायोजकों के विरुद्ध न्यायालय में प्राभियोजन दायर कर दिया गया है।

115 श्रमिकों को कार्य से वंचित करने के विवाद को अभिनिर्णय हेतु संदर्भित कर दिया गया है।

पशुपालन विभाग में डी-कन्फर्म सांख्यिकीय कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची तथा योगदान की तिथि से ज्येष्ठता अवधारण

72—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–131 के उत्तर के संदर्भ में पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि डी-कन्फर्म कर्मचारियों तथा ज्येष्ठता सूची में जिनसे ये कनिष्ठ पाये गये हैं की मूल नियुक्ति पद एवं वेतनमान अलग-अलग बताने की कृपा करेंगे ?

श्री संजय सिंह—

इन कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी निदेशक को डी-कन्फर्म कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची के परीक्षण करने के आदेश दिये जा चुके है।

73—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम मंगलवार के अता.प्र.सं. 132 के उत्तर के सन्दर्भ में पशुधन मन्त्री शासन स्तर से परीक्षण कर बताने की कृपा करेंगे कि क्या निदेशक, पशुपालन ने समान नीति अपनाते हुए दिनाँक 23-3-81 को ज्येष्ठता सूची के क्रमाँक 24, 25, 26, 27, 49, 68, एवं 69 पर के कर्मचारियों की ज्येष्ठता का अवधारण विभाग में योगदान की तिथि के अनुसार किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमित कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री संजय सिंह—

उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही शासन स्तर पर परीक्षण कर अग्रेतर कार्यवाही करना सम्भव होगा।

राजकीय निर्माण निगम में स्टोर कीपर के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ

14—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि राजकीय निर्माण निगम के आदेश संख्या 14058-63/ई (आर)/14-आर. एन. एन./81-1031, दिनांक 26-12-81 के द्वारा स्टोर कीपर हेतु जिन 57 उम्मीदवारों का चयन किया गया था, इन चयनित उम्मीदवारों को अब तक नियुक्त क्यों नहीं किया गया है ? क्या सरकार इन समस्त चयनित उम्मीदवारों को तत्काल चयनित पदों पर लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्न में उल्लिखित राजकीय निर्माण निगम के कार्यालय आदेश दिनाँक 26-12-81 द्वारा, स्टोर कीपरों के पद के हुए चयन की कार्यवाही के फलस्वरूप 57 व्यक्तियों या अभ्यर्थियों के नाम अनुमोदित सूची (Approved Pannel) में रक्खे जाने का आदेश निगम द्वारा निर्गत किया गया था ।

नियुक्तियां निगम की आवश्यकतानुसार की जायेंगी ।

राजकीय निर्माण निगम के स्टोर कीपरों के पद सरकारी पद नहीं हैं, अतः सरकार द्वारा नियुक्तियों किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पुरानी श्रमिक बस्ती, लखनऊ के क्वाटरों के मरम्मत के लिये आवंटित सीमेण्ट तथा एक आवंटी के क्वार्टर की मरम्मत के सम्बन्ध में शिकायत

75—श्री मंगल देव सिंह—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1982-83 में पुरानी श्रमिक बस्ती, लखनऊ के क्वार्टरों के मरम्मत हेतु कोई ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन ठेकेदारों को तथा कितनी-कितनी धनराशि का ? तथा उन्हें कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ? श्रम विभाग के मेन्टीनेन्स प्रभाग को इसी कालोनी के मरम्मत हेतु 31-10-82 तक कितना सीमेंट दिया गया और उन्होंने किन-किन क्वार्टरों के कितने भाग की मरम्मत करायी है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ क्षेत्र के लिये कुल 485 बोरी सीमेण्ट आवंटित की गई। दिनांक 31 अक्तूबर 1982 तक पुरानी श्रमिक बस्ती के 239 क्वार्टरों की मरम्मत में 55 बोरी सीमेण्ट खर्च हुई ।

†विवरण संलग्न है ।

---

†छापा नहीं गया ।

76—**श्री मंगल देव** —

उक्त बस्ती के किसी किरायेदार के शिकायती प्रार्थना-पत्र माह सितम्बर, 1982 पर आपके द्वारा मरम्मत के आदेश दिये जाने के बावजूद भी मरम्मत नहीं करायी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

पुरानी श्रमिक बस्ती के गृह संख्या 7/5 की मरम्मत के आदेश उप श्रमायुक्त को दिये गये थे । परन्तु आवंटी द्वारा मरम्मत से इनकार किये जाने के फलस्वरूप उनके क्वार्टर की मरम्मत नहीं करायी जा सकी ।

गर्रा पुल सांडी की पथकर वसूली की नीलामी तथा टोल कलेक्शन भवन को किराया

77—**श्रीमती प्रेमवती तिवारी**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गर्रा पुल साँडी की पथकर वसूली की नीलामी 26-5-80 में हुई थी ? यदि हाँ, तो उसमें ठेकेदार से टोल कलेक्शन भवन का किराया कब से, कितना प्रतिमाह लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ ।

उक्त नीलामी दिनाँक 26.5.80 के आधार पर टोल वसूली के लिए पुल का चार्ज किसी ठेकेदार को नहीं दिया गया, अतः उससे टाल कलेक्शन भवन का किराया लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

अस्थायी खण्ड, हरदोई में आसिफर्स टेबुल की कथित खरीद

78—**श्रीमती प्रेमवती तिवारी**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि अस्थायी खण्ड हरदोई में 1981-82 में आफिसर्स टेबिलें कितनी खरीदी गयीं और कितने आफिसर्स हैं ? ये टेबिलें (सनमाइका टाप) किस-किस को ईशू हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

अस्थायी खण्ड हरदोई में वर्ष 1981-82 में कोई आफीसर्स टेबुल नहीं खरीदी गयी ।

79—**श्रीमती प्रेमवती तिवारी**—

[दिनांक 8-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 92 द्वारा उत्तरित ।]

अस्थायी खण्ड, हरदोई में पी० ए० सी० की सीट पर कार्यरत प्रवर लिपिक श्री आर० के० मिश्रा

80—**श्रीमती प्रेमवती तिवारी**—

क्या यह सही है कि श्री आर० के० मिश्रा, प्रवर लिपिक ने जब अस्थायी खण्ड हरदोई का कार्यभार ग्रहण किया तब से ही पी० ए० सी० की ही सीट पर हैं, ऐसा क्यों ? दूसरे वरिष्ठ लिपिकों को मौका क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

श्री आर० के० मिश्रा, प्रवर लिपिक के अतिरिक्त तीन अन्य प्रवर लिपिक भी पी० ए० सी० की सीट का कार्य कर रहे हैं ।

सांडी हरदोई मार्ग पर खरीदी गयी ग्रिट तथा उसका उपयोग

81—**श्रीमती प्रेमवती तिवारी**—

क्या सरकार बतायेगी कि सांडी-हरदोई मार्ग पर ए० आर०/1982-83 पर कितना मैक्स फाल्ट/ग्रिट आदि खरीदी गयी और कितना प्रयोग किया गया ? बाकी सामान कहां गया और उसका क्या उपयोग हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद हरदोई के सांडी हरदोई मार्ग पर ए० आर०/82-83 में कोई मैक्सफाल्ट नहीं खरीदी गई है । केवल 92 घन मीटर ग्रिट अवश्य खरीदी गई है । इसमें से 42.43 घनमीटर ग्रिट प्रयोग में लायी गई तथा शेष ग्रिट आवश्यकतानुसार उपयोगार्थ मार्ग पर सुरक्षित रखी है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड तथा विभागीय निर्माण इकाई, हरदोई में टार बायलरों की खरीद तथा उमका उपयोग

82—**श्रीमती प्रेमवती तिवारी**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1980-81 तथा 1982-83 में सार्वजनिक निर्माण बिभाग, हरदोई के खण्डों (अस्थाई खण्ड वि० नि० ई० हरदोई) में कितने टार बायलर खरीदे गये और उनसे कितना कार्य उक्त समय में लिया गया ? क्या यह भी सही है कि उनकी लाग-बुकें पूर्ण नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1980-81 में अस्थाई खण्ड एवं वि० नि० ई० हरदोई में क्रमशः 1 तथा 4 टार ब्वायलर क्रय किये गये । वर्ष 1982-83 में कोई टार बायलर नहीं क्रय किया गया है । उपरोक्त टार बायलरों का उपयोग प्रथम सतह लेपन, द्वितीय सतह लेपन एवं नबीनीकरण के कार्यों में किया गया । टार बायलर्स की लाग बुक नहीं रक्खी जाती । अतः प्रश्नगत टार बायलर्स की लाग-बुकें पूर्ण या अपूर्ण होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

83—**श्रीमती प्रेमवती तिवारी—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अस्थाई खण्ड हरदोई के स्टाक आफीसर श्री वी० सी० गुप्ता, निरीक्षण भवन हरदोई के सूट नं० (1) के साइड रूप में अवैध रूप से 10 प्रतिशत की कटौती की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? वे उस सूट के साइड रूम में किसके आदेश से रहते हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अस्थायी निर्माण खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग हरदोई में क्रय की गयी ड्रेसिंग टेबुल पर ट्रेस किए गए नक्शों का विवरण

84—**श्रीमती प्रेमवती तिवारी—**

द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्र. सं. (111) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ट्रेसिंग टेबुल पर अब तक कौन कौन नक्शे ट्रेस किये गये हैं और किसके द्वारा ट्रेस किये गये हैं ? इन टेबुलों को किसी को इशू न करके स्टोर में रखने के क्या उद्देश्य हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

ट्रेसिंग टेबुल पर ट्रेस किये गये नक्शों का विवरण संलग्न तालिकानुसार है । ये नक्शे मानचित्रकार, अमीन तथा अवर अभियन्ताओं द्वारा ट्रेस किये गये हैं । ट्रेसिंग टेबुल अवर अभियन्ता मुख्यालय के नाम इशू है तथा खण्डीय कार्यालय के प्राविधिक वर्ग में रखी है ।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ पर ।)

अधिशासी अभियन्ता अस्थायी खण्ड, हरदोई कार्यालय से स्थानान्तरित आशुलिपिक श्री राम आसरे को कार्यमुक्त किया जाना

85—**श्रीमती प्रेमवती तिवारी—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड हरदोई के आशुलिपिकों के स्थानान्तरण जून/जुलाई, 1982 में लगे हुए थे ? यदि हाँ, तो उसमें अधिशासी अभियन्ता द्वारा श्री राम आसरे आशुलिपिक को कार्यमुक्त न करने का क्या कारण था और वहां पर स्थानान्तरित होकर आय आशुलिपिक से कार्य क्यों नहीं लिया जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड हरदोई द्वारा श्री राम आसरे आशुलिपिक को कार्य हित में तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया गया । दिनांक 6-9-82 को उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया । उसी दिन से श्री राम आसरे के स्थान पर तैनात आशुलिपिक के अस्थायी खण्ड, हरदोई में योगदान देने पर उनसे कार्य लिया जा रहा है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के बिलग्राम निरीक्षण भवन के स्टोर से सीमेन्ट जाने की घटना

86 — **श्रीमती प्रेमवती तिवारी—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 2-12-81 को अस्थायी खण्ड हरदोई के बिलग्राम निरीक्षण भवन के स्टोर से 100 बोरी सीमेन्ट बाहर ले जाते हुए डी. एम. हरदोई ने पकड़ी थी ? उसमें ट्रक (प्राइवेट) कोतवाली से कब छोड़ा गया तथा उसका हर्जा किसने दिया तथा विभाग में सरकारी ट्रक (वाहन) होते हुए भी प्राइवेट ट्रक से ले जाने का क्या उद्देश्य था ?

श्री अम्मार रिजवी—

सार्वजनिक निर्माण विभाग बिलग्राम के निरीक्षण भवन के स्टोर में दिनांक 2-12-81 को इस प्रकार की घटना नहीं हुई थी ।

सचिवालय ऐनेक्सी में मुख्य मंत्री के लिये अलग कैन्टीन की कथित व्यवस्था

87—**श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि एनेक्सी सचिवालय में सिर्फ मुख्य मंत्री जी के लिए अलग से एक कैन्टीन की स्थापना की गई है ? यदि हाँ, तो उसके लिए कितना बजट स्वीकार किया गया है तथा स्टाफ के लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती के अवर अभियन्ता श्री अयोध्या शरण गुप्ता के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही

88 — **श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अब्दुर्रहमान, ग्राम निवासी डुमरियागँज, जिला बस्ती ने कोई शिकायती पत्र श्री अयोध्या शरण गुप्ता, अवर अभिययन्ता सा० निर्माण विभाग बस्ती के विरुद्ध दिनांक 25-5-82 डाकीय रसीद संख्या 2652 दिनांक 7-6-82 को भेजा है ? यदि हाँ, तो इसकी जांच किससे करायी गयी और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है ।

मिर्जापुर जनपद ग्राम ननइमिलिया में पंचवहनी नदी पर पुल निर्माण की मांग पर विचार

89—**श्री रामचरण सिंह —**

विधान सभा की कार्य सूची के दिनांक 2 फरवरी, 1982 के अता. प्र. सँ. 92 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सार्वजनिक्र निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी से आख्या प्राप्त हुई ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिज़वी —

जी हाँ ।

धनाभाव के कारण विचार करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रमाशंकर राम नायब थानेदार को पुलिस मेडल दिये जाने का प्रस्ताव

90—**श्री राम चरण सिंह**—

दिनांक 2 फरवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री रमाशंकर सिंह नायब थानेदार को पुलिस में मेडिल दिये जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय में परीक्षण करके प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक 2 फरवरी 1982 के अताराँकित प्रश्न संख्या 84 के सन्दर्भ में श्री रमा शंकर सिंह (सही नाम रमाशंकर राम) को पुलिस मेडिल दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय द्वारा शासन को नहीं भेजा गया ।

कोई प्रश्न नहीं उठता ।

यू. आई. सी. पेपर मिल, निशातगंज लखनऊ के श्रमिकों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

91—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 4-6-82 जिसमें यू. आई. सी. पेपर मिल, निशातगंज, लखनऊ के श्रमिकों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री —

माननीय, विधायक का दिनांक 4-6-82 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अतः उस पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

झांसी जनपद में ठेका मजदूरी प्रथा का विनियमन

92—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन झाँसी जनपद में ठेका मजदूरी प्रथा को खत्म करने के लिए कटिबद्ध है ? यदि हां, तो अभी तक क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं किये गये, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

ठेका श्रमिकों के नियोजन के विनियमन अथवा उत्पादन हेतु संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । झांसी

जनपद में वर्ष 1982 में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 5 प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन किया गया तथा 17 ठेकेदारों को लाइसेन्स दिये गये। अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1982 में झांसी क्षेत्र में 49 निरीक्षण किये गये और अधिनियम के प्राविधानों के उल्लघंन के आरोप मे 13 प्राभियोजन दायर किये गये।

राज्य बिधुत परिषद द्वारा मथुरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० के अधिग्रहण पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में कमी

93—**श्री सरदार सिंह**—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा सन् 1975 में मथुरा इलैक्ट्रिक सप्लाई कं० के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अपनी सेवा में लेने के उपरान्त उनका वेतन भूतपूर्व कं० में कर्मचारियों को अन्तिम माह में मिले बेतन से कम कर दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। चूँकि भूतपूर्व लाइसेंसधारी मुत्रा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, मथुरा के प्रबन्धकों को राज्य विधुत परिषद द्वारा उनकी कम्पनी के अधिग्रहण की जानकारी पूर्व में मिल गई थी, अत: अधिग्रहण से कुछ माह पहले ही उन्होंने अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतन मण्डल द्वारा संस्तुत वेतनमानों को लागू करते समय ऐसी वेतन वृद्धियाँ प्रदान कर दी थीं, जो उन्हें देय न थीं। अधिग्रहण के पश्चात राज्य विद्युत परिषद ने भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के प्राविधानों का अनुसरण करते हुये, अधिगृहीत कम्पनी के कर्मचारियों का राज्य विद्युत परिषद् के वेतनमानों में वेतन निर्धारित करते समय उपरोक्त वेतन वृद्धियों को अदेय माना तथा अधिग्रहण से एक वर्ष पूर्व अर्थात जून, 1974 में कर्मचारियों द्वारा प्राप्त वेतन को ही बास्तविक वेतनमान कर उसे अनुरक्षित किया।

श्री ग्राम अधार ग्राम वक्शा को थानाध्यक्ष वक्शा, जौनपुर द्वारा पिटाई के सम्बन्ध में शिकायती पत्र की जांच

94—**श्री ऊदल**—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम आधार पुत्र रामसुमेर, गांव वक्शा, थाना वक्शा, जिला जौनपुर को थाना वक्शा के एस.ओ. सुरेन्द्र नाथ राय ने तारीख 31-10-82 को बुरी तरह से मारा और हवालात में बन्द किया जिसकी डाक्टरी सदर अस्पताल में 1-11-82 को हुई ? यदि हां, तो मेडिकल सर्टिफिकेट तथा और कागजातों के साथ उसने पुलिस उप महानिरीक्षक, वाराणसी, एस.पी. जौनपुर, जिलाधीश जौनपुर तथा पुलिस महानिरीक्षक को प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड एवं स्वयं 3-11-82 को दिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय का शिकायती पत्र श्री राम अधार से प्राप्त हुआ था जिसकी जाँच कराई गयी। जाँच में पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

इलाहाबाद जनपद में निर्माणाधीन अकोढ़ा से कुआँ मार्ग तथा टिकरी से बरसवल मार्ग का पूर्ण निर्माण

95—**श्री रेवती रमण सिंह तथा**
श्री मुख्तार अनीस——

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि करछना तहसील, इलाहाबाद जनपद में बरसबल मार्ग तथा अकोढ़ा राम गड़वा मार्ग पिछले कई वर्षों से बन रहे हैं? यदि हाँ, तो कब तक यह बनकर तैयार होंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

अकोढ़ा से कुआँ मार्ग तथा टिकरी से बरसवल मार्ग वर्ष 1978-79 से निर्माणाधीन है। इन मार्गों को बनकर तैयार होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रभारी थाना चौक, लखनऊ श्री दीनानाथ दुबे के विरुद्ध श्रीनान बच्चा के शिकायती पत्र पर जांच तथा कृत कार्यवाही

96—**श्री मोहन सिंह—**

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नान बच्चा, पुत्र बन्शी, निवासी ऐशबाग तकिया चांद अली शाह, थाना बाजार खाला, जिला लखनऊ ने कोई शिकायती पत्र दिनांक-22-2-82 को पुलिस महानिरीक्षक को दिया जिसमें उन्होंने इन्सपेक्टर चौक, लखनऊ (श्री दीना नाथ दुबे) के विरुद्ध उन्हें मार पीटकर रुपया वसूलने की शिकायत की गयी थी ? क्या इसकी जांच एन्टी करप्शन विभाग से करायी जा रही है ? यदि हाँ, तो अभी तक कौन से तथ्य प्रकाश में आये हैं और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कौन कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ।

उक्त शिकायती पत्र में श्री दीनानाथ दुबे, निरीक्षक, प्रभारी थाना चौक के विरुद्ध प्रार्थी, श्री नान बच्चा को अभियोग अपराध सं 139/82 धारा 388/402 भा० दं० वि० में झूठे फंसाने तथा उसे मार पीट करके 5000/=रुपया रिश्वत मांगने एवं 500/= रू० नगद व घड़ी छीनने के मुख्य आरोप लगाये गये थे। इन आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की गई जिसमें 5000/= रुपया रिश्वत मांगने तथा नगदी व घड़ी छीनने के आरोप प्रमाणित नहीं हुए। अभियोग अपराध सं० 139/82 धारा 399/402 भा० दं० वि० की विवेचना भ्रष्ठाचार निवारण संगठन की संस्तुति के अनुसार अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई। इस मुकदमें में चार्जशीट लगा दी गई है। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन हैं। मुकदमे में निर्णय के उपरान्त आवश्यक कारवाई की जायगी।

वाराणसी जनपद में फूलपुर-सिधोरा मार्ग, व पिडंरा-देबराई सांर व मार्ग पर रोडी की कुटाई, मार्ग की मरम्मत तथा खाद्यान योजनान्तर्गत स्वीकृत मार्गों का डामर लेपन

97—**श्री ऊदल—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फूलपुर-सिंधोरा मार्ग, जिला वाराणसी के कुछ हिस्से में बड़े-बड़े पत्थर के टुकडे डाल दिये गये हैं ? और उसकी कुटाई

नहीं की गई है ? क्या सरकार इसकी कुटाई कराकर इसको डामर की सड़क बनाने की स्वीकृति देगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं, मार्ग पर सोलिंग हेतु 40-90 एम० एम० गेज की पत्थर की रोड़ी बिछाई गई है जिसकी कि०मीं० 1 से3 को छोड़कर शेष लम्बाई में कुटाई कर दी गई है। डामर स्तर तक मार्ग का निर्माण धन एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

98— **श्री ऊदल —**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री फूलपुर-सिंधोरा मार्ग वाराणसी की जांच करायेंगे कि जब यह सड़क कच्ची थी तब लोगों को आने जाने में सुविधा थी और अब सड़क और पटरी भी जाने लायक नहीं है ऐसी सड़क क्यों बनायी जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी —

जी नहीं, सड़क की पटरी वर्षा ऋतु से कट गई थी जिसकी मरम्मत करा दी गई है। सड़क प्रथम 3 कि० मी० को छोड़कर यातायात योग्य है। 3 कि० मी० लम्बाई में सोलिंग की कुटाई के पश्चात सड़क शीघ्र ही ठीक कर दी जायेगी।

99—**श्री ऊदल—**

क्या सार्वजनिक निर्माण नंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत अब तक के बने मार्गों पर कुटाई व डामर कराकर मार्ग बनाने पर विचार किया जायगा और योजना नं० 3-4-5 पर पुनः विचार किया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी —

खाद्यान्न योजना नं० 3 लेपन स्तर तक स्वीकृत है। खाद्यान्न योजना 4 व 5 पर डामर लेपन अभी तक स्वीकृत नहीं है। योजना सं० 3,4 और 5 पर पुनर्विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

100—**श्री ऊदल —**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिंडरा-देवराई सांराय मार्ग जिला वाराणसी में भी बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़े गिराये जा रहे हैं ? यदि हाँ, तो सरकार इसकी अच्छी कुटाई कराकर डामर मार्ग बनाने की स्वीकृति देगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं 40-90 एम० एम० साईज के सोलिंग के पत्थर एकत्र किये गये हैं।

सोलिंग के पत्थर की कुटाई शीघ्र ही करादी जायेगी। डामर लेपन तक का कार्य अभी किसी भी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।

वाराणसी जनपद के ग्राम गडखडा के निवासियों का विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र तथा उक्त ग्राम का विद्युतीकरण

101—**श्री ऊदल—**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव गड़खड़ा ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के सत्रह व्यक्तियों ने लाइट, फैन, तथा इंडस्ट्रीयल कनेक्शन हेतु विद्युत विभाग

वाराणसी को बुक संक्या 136365/8 के द्वारा 23-4-82 को पच्चीस-पच्चीस रूपया जमा किया है और उसका इस्टीमेट भी मई 82 में बनाकर सर्किल आफिस हाइडिल भेलूपूर वाराणसी में मंजूरी हेतु भेजा गया है ? क्या एस्टीमेट को स्वीकृत कर दिया गया हैं ? यदि हां, तो अब तक विद्युतीकरण न करने का कारण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

ग्राम गड़खड़ा ब्लाक पिंडरा जनपद वाराणसी के एक व्यक्ति ने इंडस्ट्रियल कनेक्शन हेतु रू० 25/- दिनाँक 20-2-1982 को तथा सोलह व्यक्तियों ने लाइट फैन कनेक्शन हेतु रु० 25/- दिनाँक 23-4-1982 को जमा किया था ।

उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर ग्राम गड़खड़ा का विद्युतीकरण किये झाने के लिये आवश्यक प्राक्कलन अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में जून 1982 में स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ था । जो नहीं एस्टीमेट स्वीकृत न करने का कारण यह है कि प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर ग्राम के विद्युतीकरण पर आने वाली कुल लागत पर निर्धारित न्यूनतम 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ के विपरीत केवल 11.64 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ प्राप्त हो रहा है ग्राम गड़खड़ा विद्युतीकरण अभीं संभव नहीं है ।

102—**श्री ऊदल—**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव गड़खड़ा ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

ग्राम गड़खड़ा का विद्युतीकरण सामान्य योजना के अन्तर्गत किया जाना है । जिस के लिये पहली शर्त यह है कि उक्त ग्राम में विद्युत कनेक्शन हेतु रु० 25/- अर्नेस्ट मनी की धनराशि के साथ इतने प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जायं कि ग्राम के विद्युतीकरण पर आने वाली कुल लागत पर 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ प्राप्त हो जाये । वर्तमान स्थिति में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर केवल 11.64 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ प्राप्त हो रहा है ।

जनपद चमौली में सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ताओं की नियमित नियुक्ति

103—**श्री कुंवर सिंह नेगी—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कितने खण्डों में 1 नवम्बर, 1982 तक अधिशासी अभियन्ता स्थानापन्न नियुक्ति पर हैं ? इन खण्डों में कब तक नियमित अधिशासी अभियन्ता नियुक्त हो जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जिला चमोली में प्रान्तीय खण्ड, कर्णप्रयाग निर्माण खंड, ओखीमठ तथा निर्माण खंड, पोखरी के अधिशासी अभियन्ताओं के स्थानान्तरण तथा सेवा निवृत्ति के कारण 1 नवम्बर, 1982 तक विभिन्न अवधियों में इन खंडों में अधिशासी अभियंता की स्थानापन्न व्यवस्था की गयी थी । वर्तमान समय में केवल निर्माण खंड, पोखारी में ही ऐसी व्यवस्था रह गयी है तथा वहाँ भी अधिशासी अभियन्ता की तैनाती करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद चमोली में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद

104—**श्री कुंवर सिंह नेगी**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने पद 1 नवम्बर, 82 तक रिक्त हैं, ये रिक्तियाँ कब से हैं और इनकी पूर्ति में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद चमोली में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत दिनाँक 1-11-1982 तक तृतीय श्रेणी के 102 एवं चतुर्थ श्रेणी के 12 पद रिक्त हैं। इनमें से कुछ रिक्तियाँ वर्ष 1979, 80, 81 व 82 से हैं।

प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता हेतु जारी शासनादेशों तथा तदर्थ नियुक्तियों पर लगे प्रतिबन्ध के फलस्वरूप उक्त रिक्तियों को भरे जाने में विलम्ब हुआ।

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना की ट्रैक्टर संख्या 7482 की चोरी की दर्ज रिपोर्ट तथा बरामदगी

105—**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना फैजाबाद में 21/22-1-82 की रात्रि में परियोजना निर्माण हेतु फोर्ट ट्रैक्टर नम्बर 7482 की चोरी हुई है तथा परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा 22-1-82 को प्रातः थाना इब्राहीम में चोरी गया ट्रैक्टर की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है ? यदि हाँ, तो जांच के दौरान जांच-कर्ता ने किन-किन व्यक्तियों से बयान लिया है ? क्या जांच में जांचकर्ता द्वारा या किसी अन्य अधिकारी द्वारा चोरी गया ट्रैक्टर बरामद किया गया ? यदि हाँ, तो किस व्यक्ति व तिथि व स्थान से ट्रैक्टर बरामद किया गया है ? सम्पूर्ण मामला एवं जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना की टैक्टर संख्या यू० पी० एक्स० 7482 दिनांक 21/22-1-82 को नहीं अपितु 21/22 अक्टूबर, 1982 की रात्रि में चोरी हो गया था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट इब्राहीमपुर थाने में दिनांक 22 अक्टूबर 1982 के पूर्वाह्न में दर्ज करायी गयी थी। पुलिस की जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है, अतः यह सूचना देना संभव नहीं है कि जाँच अधिकारी ने किन-किन व्यक्तियों से बयान लिया। जी हाँ : उक्त ट्रैक्टर अतरौलिया थाना (जिला आजमगढ़) के क्षेत्र में दिनांक 23 अक्टूबर, 1982 को लावारिस अवस्था में बरामद किया गया। उक्त ट्रैक्टर परियोजना को वापिस प्राप्त कराया जा चुका है। मामले में पुलिस द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

श्री रघुनन्दन, जनपद सीतापुर की बिजली छू जाने से मृत्यु तथा आश्रितों को सहायता

106—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रघुनन्दन पुत्र चेतू पासी ग्राम पट्टी, मजरा भटेउरा, थाना मछरेहटा, जनपद सीतापुर की दिनांक 3-2-81 को बिजली के छू जाने से मृत्यु हो गयी थी ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा उसके आश्रितों को क्या सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। एक हजार रुपये की तत्कालिक सहायता का चेक संख्या ओ० सी०/67 868096 दिनांक 9-2-83 का भुगतान मृतक के आश्रितों को करने हेतु जिलाधिकारी, सीतापुर को भेज दिया गया है। मुआवजे की शेष धनराशि का भुगतान विभागीय समिति की अनुशंसाओं के प्राप्त होने पर कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

107—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

108—श्री प्रियदर्शी जेतली—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

पारीछा टाण्डा, मानपारा तापीय परियोजनाओं को चालू होने में विलम्ब
प्रदेश की तापीय एवं जलीय विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता

109—श्री रेवती रमण सिंह तथा
श्री मुख्तार अनीस—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पारीछा (एफ०सी०) टाण्डा (फ़ैज़ाबाद) मानपारा (मिर्जापुर) की परियोजना अपने निर्धारित समय से कितना पीछे है ? इसका क्या कारण है तथा इससे प्रदेश की कितनी हानि हो रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

पारीछा, टाण्डा और मानपारा तापीय परियोजनाओं की पहली इकाइयों को पहले क्रमशः अगस्त 1982, दिसम्बर, 1983 एवं मार्च, 1984 में लागू होना था। अब यह क्रमशः मार्च, 1983, अक्टूबर, 1984 एवं जून, 1984 में चालू होनी है। विलम्ब के मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण में स्थानीय अड़चनें, मूल्य वृद्धि के समतुल्य योजना परिव्यय का आवंटन न हो पाना प्रारम्भ में स्ट्रक्चरल स्टील की कमी, संयंत्रों की आपूर्ति में विलम्ब तथा टाण्डा में कोयले की किस्म में परिवर्तन के कारण वायलर डिजायन में हुआ विलम्ब है। विलम्ब के कारण छठी पंचवर्षीय योजना में 430 मेगावाट की कमी रहने की संभावना है।

110—श्री रेवती रमण सिंह तथा
श्री मुख्तार अनीस—

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल पन बिजली और तापीय विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता क्या है और कितना उत्पादन हो रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत तापीय एवं जलीय विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता (डिरेटेड) निम्न प्रकार है:—

	मेगावाट
तापीय	2482
जलीय	1212
कुल	3694

जनवरी 1983 में औसतन प्रतिदिन 35·4 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन हुआ है तथापि 18-1-83 को 44·1 मि० यू० हुआ जो कि एक कीर्तिमान है ।

जनपद इलाहाबाद में मीरपुर से भगनपुर मार्ग का निर्माण कार्य

111—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में बीरपुर से भजनपुर निर्माणाधीन मार्ग करछना तहसील में कार्य रुका हुआ है ? यदि हाँ, तो क्यों और वह कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

मीरपुर से भगनपुर मार्ग की कुल लम्बाई 14 कि० मी० है जिसमें से 7 कि० मी० पहले से ही लेपर स्तर तक पूर्ण है । मार्ग के कुछ भाग में कार्य भूमि तथा धन उपलब्ध न होने के कारण रुका है ।

कार्य का पूरा होना भूमि तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

ग्रामों के विद्युतीकरण तथा सरकारी एवं निजी नलकूपों के उर्जीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्य

112—श्री रेवती रमण सिंह तथा
श्री मुख्तार अनीस—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सरकारी एवं निजी नलकूपों को वर्ष 1980-81 में कितना लक्ष्य रखा गया था और कितना पूरा हो गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वर्ष 1980-81 में ग्रामों के विद्युतीकरण तथा सरकारी एवं निजी नलकूपों के उर्जीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उनके विपरीत वास्तविक उपलब्धि निम्न प्रकार रही :—

	लक्ष्य	उपलब्धि
1–ग्रामों का विद्युतीकरण	4260	3795
2–सरकारी नलकूपों का ऊर्जीकरण	1536	1301
3–निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण	37700	39814

प्रदेश में ट्रांसफार्मर व पोल फैक्ट्रियों से राज्य विद्युत परिषद के अनुबन्ध की पूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी

113—श्री रेवती रमण सिंह तथा
श्री मुख्तार अनीस—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ट्रांसफार्मर एवं पोल फैक्ट्रियाँ प्राय: बन्द हैं ? इन फैक्टरियों में राज्य विद्युत परिषद का जो अनुबन्ध हुआ था वह कितना पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य विद्युत परिषद को विद्युत देयों की वसूली, प्रमुख बकायेदार तथा बकाया धनराशि

114—**श्री रेवती रमण सिंह तथा**
श्री मुख्तार अनीस—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 में राज्य विद्युत परिषद को कितना धन वसूल करना था और कितना बकाया रह गया ? बकाये में से कौन-कौन प्रमुख देय लोग हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को वर्ष 1980-81 में कुल 361·31 करोड़ रुपया वसूल करना था। इस वर्ष 281·23 करोड़ रुपये विद्युत देयों की वसूली हुई। मार्च 1981 के अन्त में विद्युत बकायों की धनराशि 80·08 करोड़ रुपये रही। प्रमुख बकायेदार निम्न थे :-

1–घरेलू एवं व्यवसायिक पंखा व बत्ती के उपभोक्ता	14·27 करोड़ रु०
2–लघु एवं मध्यम उद्योग उपभोक्ता	12·28 करोड़ रु०
3–बड़े एवं भारी उद्योग उपभोक्ता	11·78 करोड़ रु०
4–निजी नलकूप व पम्पसेट उपभोक्ता	27·92 करोड़ रु०
5–सार्वजनिक प्रकाश, पेय एवं दूषित जल पम्पिंग के उपभोक्ता आदि।	6·97 करोड़ रु०

जनपद गोंडा, थाना परसपुर के इन्चार्ज के विरुद्ध शिकायती पत्र की जाँच

115 **श्री प्रदीप कुमार यादव—**

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 11 अगस्त, 1982 को श्री त्रिवेनी सिंह भूतपूर्व विधायक करनैलगंज जनपद गोंडा द्वारा कुछ विधायकों के हस्ताक्षरित पत्र जनपद गोंडा के अन्तर्गत थाना परसपुर के इन्चार्ज के विरुद्ध दी थी ? यदि हाँ, तो सम्बन्धित शिकायतें क्या हैं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ, 11-8-82 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था इसमें थानाध्यक्ष के विरुद्ध कुछ घटित घटनाओं के सम्बन्ध में मुकद्दमों के न अंकित करने कुछ को सही धारा में अंकित न करने तथा घूस आदि लेने के आरोप लगाये गये थे। जांच करायी थी जिसमें आरोप सिद्ध नहीं हुये।

विद्युत परिषद के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर कुल बकाया धनराशि तथा वसूली के लिए उठाए गए कदम

116—**श्री विमल प्रसाद तिवारी—**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1982 तक विद्युत परिषद को विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं से कितनी धनराशि वसूल होने को बाकी हैं तथा इस धनराशि की वसूली के लिए क्या-क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र —

दिनांक 31-3-82 को विद्युत परिषद के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर कुल 95,42 करोड़ रुपया बकाया था जिनमें घरेलू व व्यवसायिक पंखा ब बत्ती के उपभोक्ताओं पर 16.88 करोड़ रु०, लघु एवं मध्यम उद्योग पर 11.86 करोड़ रु०, बड़े भारी उद्योग उपभोक्ताओं पर 18.63 करोड़ रु०, सार्वजनिक प्रकाश, पेयजल तथा दूषित पम्पिग पर 9.85 करोड़ रु०, राजकीय नलकूप तथा पम्प नहर पर 1.15 करोड़ रु०, निजी नलकूप उपभोक्ताओं पर 31.91 करोड़ रु० रेलवे ट्रैक्शन तथा स्टेशनों पर 0.46 करोड़ रु०, वाह्य प्रान्तों पर 0.27 करोड़ रु०, म्युनिसिपल तथा निजी लाइसेंसधारियों पर 3.41 करोड़ रु०, सहकारी विद्युत समिति, लखनऊ पर 0.54 करोड़ रुपया, परिषदीय कर्मचारियों पर 0.44 करोड़ रु० तथा अन्य उपभोक्ताओं पर 0.01 करोड़ रु० बकाया था। इन बकायों में कमी करने के लिए राज्य विद्युत परिषद निम्न प्रयास कर रही है :—

1—स्थानीय निकायों, जल संस्थानों एवं जल निगम के बकायों के संबंध में मुख्य सचिव, सचिव आवास एवं नगर विकास सचिव, ऊर्जा तथा मंत्री महोदय के स्तर पर बैठकों का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों से बैठकें व पत्राचार किया है। रेलवे विभाग के उच्चाधिकारियों से भी पत्राचार किया गया है। अन्य राज्यों की विद्युत परिषदों से विभागीय अधिकारी सम्पर्क करने व भुगतान लेने हेतु भेजे गये।

2—राज्य विद्युत परिषद ने दिनांक 15-12-82 से 15-3-83 तक विशेष विद्युत अभियान चलाया है जिसमें बकायेदारों व बिजली विच्छेदन तीव्र किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये हैं कि वे बकायों की वसूली के लिए विशेष प्रयत्न करें और अपने क्षेत्र में प्रत्येक खण्ड की वसूली का लक्ष्य निर्धारित कर काटे गये कनेक्शनों की प्रगति को देखेंगे।

3—परिषद ने एक प्रोत्साहन योजना चालू की है जो घरेलू एवं व्यवसायिक पंखा व बत्ती, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है। इसके अन्तर्गत अगर उपभोक्ता सम्पूर्ण विद्युत देयों का भुगतान कर देता है तो दिनाँक 31-3-81 तक के विद्युत देयों पर 20 से 28 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जाती है यह योजना 1-12-82 से 31-3-83 तक चालू रहेगी।

4—राजस्व की तरह वसूली हेतु बिजली व्यवसाय संस्था देयों की वसूली अधिनियम 1958 की धारा 3 एवं 5 के अन्तर्गत परिषद बकायेदारों पर नोटिस जारी करती है। धारा 3 के नोटिस माह नवम्बर 1982 तक 31.97 करोड़ रुपये के उपभोक्ताओं पर जारी थे। धारा 5 के अन्तर्गत 12.52 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाणपत्र माह नवम्बर 1982 तक जिलाधिकारियों के पास वसूली हेतु शेष हैं। विद्युत परिषद इस माध्यम से वसूली के लिए निरन्तर राजस्व परिषद के माध्यम से प्रयास कर रही है।

5—किस्तों की सुविधा :—निजी नलकूप व पम्पसेट श्रेणी के उपभोक्ताओं को किश्तों में विद्युत बकाया देने के आदेश परिषद ने किये हैं तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में अद्योगिक उपभोक्ताओं को भी परिषद ने किश्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की है। आशा की जाती है कि उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप विद्युत बकायों में कमी आ जायेगी।

झाँसी नगर में महारानी लक्ष्मीबाई स्मृति दिवस पर कथित कवि सम्मेलन तथा मुशायरा

117—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 21 जून, 1982 को शासन द्वारा झाँसी नगर में महारानी लक्ष्मीबाई स्मृति दिवस पर जिस स्थान पर कवि सम्मेलन तथा मुशायरा कार्यक्रम मनाया गया उक्त स्थान के समतलीकरण पर अनुमोदित लागत से कई हजार रुपया अधिक खर्च हुआ है ? यदि हाँ, तो उसका क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता है ।

माल एवेन्यू, लखनऊ स्थित बंगला नं० 9 तथा 7 का किराया तथा आबंटित व्यक्तियों का नाम

118—**श्री मोहन सिंह**—

क्या सा०नि० मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के राज्य सम्पत्ति विभाग की ओर से माल एवेन्यू लखनऊ में स्थित बंगला नम्बर 9 कितने रुपये माहवार पर किस व्यक्ति को आबंटित है और उक्त भवन के किराये की दर के निर्धारण का आधार क्या है ? साथ ही बंगला नं०–7 जो माल एवेन्यू में ही स्थित है उसका प्रति माह भाड़ा क्या है और वह बंगला किस व्यक्ति को आबंटित है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

माल एवेन्यू लखनऊ स्थित बंगला नं० 9 को मानक किराया तथा अन्य सेवा शुल्क पर इसके अध्यासी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, भूतपूर्व मुख्य मंत्री को आवंटित किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

किराये की दर पूर्व प्रथा एवं नियम के आधार पर निर्धारित होगी ।

बंगला नं० 7 माल एवेन्यू का मानक किराया 876.50 रुपये प्रतिमाह है और यह बंगला उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को पार्टी के उपयोग हेतु आवंटित है परन्तु उन्हें अभी कब्जा नहीं मिला है ।

जिला बुलन्दशहर के थाना अनूपशहर के थानाध्यक्ष द्वारा फर्जी मुठभेड़ दिखाकर किसी निरपराध की हत्या से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही

119—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती मंशारानी बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित कोई शिकायती पत्र कि जिला बुलन्दशहर के थाना अनूपशहर के थानाध्यक्ष द्वारा फर्जी मुठभेड़ दिखाकर किसी निरपराध की हत्या कर दी गयी है अप्रैल 82 के दूसरे पखवारे में मिला ? यदि हां, तो उक्त पत्र के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

थानाध्यक्ष चौरी चौरा, जिला गोरखपुर के विरुद्ध पत्र पर कृत कार्यवाही तथा पुलिस द्वारा छीनने तथा मारपीट

120—**श्री हरिवंश सहाय**—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थानाध्यक्ष चौरीचौरा जिला गोरखपुर के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 8–11–82 को संलग्नक सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

121—**श्री हरिवंश सहाय**—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि थानाध्यक्ष चौरी चौरा जिला देवरिया के विरुद्ध श्री मोहन टाउन एरिया मटनी द्वारा आई०जी० पुलिस, लखनऊ डी. आई. जी. गोरखपुर, पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को दिनांक 8–11–82 को रजिस्टर्ड डाक से शिकायती पत्र इस आशय का भेजा गया है कि चौरी चौरा की पुलिस ने उनसे 270 रुपये छीन लिया तथा मारा पीटा ? यदि हाँ तो उस पर कौन सी कार्यवाही गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । जाँच के पश्चात् रु० 270/- छीनने तथा मारपीठ करने की बात असत्य पायी गयी ।

बस्ती जनपद के ग्राम मलपार की श्रीमती कल्पा की भूमि के फर्जी बैनामा की जांच तथा कार्यवाही

122—**श्रीमती कमला साहनी**—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुसम्मात कल्पा ग्राम मलपार थाना चिल्हिया जनपद बस्ती के सम्पूर्ण आराजी का फर्जी बैनामा ग्राम प्रधान द्वारा कराने आदि से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 24-9-81 को पुलिस महानिरीक्षक को मिला ? यदि हाँ, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? क्या क्षेत्राधिकारी बांसी सतर्कता सेल लखनऊ द्वारा जांच कराई गयी ? यदि हां तो दोनों की रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । प्रश्नगत पत्र तथा उसके संलग्नक शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा कराई गई । रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि श्रीमती कल्पा को भूमि उनके पट्टीदार श्री राम अधार शुक्ला ने अपने पुत्रों के नाम फर्जी बैनामा करा लिया था । भूमि के दाखिल खारिज के दौरान उज्रदारी हो गयी थी और बैनामा मन्सूख करने के लिये मामला न्यायालय में विचाराधीन है । थानाध्यक्ष के विरुद्ध रिश्वत लेकर खेत जुतवा देने का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ ।

प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जौनपुर के विरूद्ध मन्त्री, जिला जौनपुर युवक कांग्रेस (आई०) का शिकायती पत्र

123—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर के भ्रष्ट कारनामों के सम्बन्ध में श्रम राज्य मन्त्री (भूतपूर्व) को दिनांक 29 जून,

1982 को श्री लालजी चौहान, मन्त्री जिला जौनपुर युवक कांग्रेस (आई) द्वारा भेजा कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ तो जांचोपरान्त कौन-कौन सी शिकायतें सही पायी गयीं और उन शिकायतों से सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हाँ, शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच करायी गयी थी । जांच रिपोर्ट से सामान्यत: शिकायतें निराधार प्रतीत होती हैं फिर भी अभी शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई जनपद में अखल तथा बड़ागांव में पीपे के पुल हेतु, आगणन तथा पुलों का निर्माण

124—**श्री हरी शंकर**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि अरवल, बड़ागांव, ब्लाक हरपालपुर जिला हरदोई में पीपे के पुल बनाये जाने हेतु शासन को एस्टीमेट प्राप्त हो गये हैं तथा दोनों पुल प्राथमिकता की सूची में दर्ज है ? यदि हां, तो इनका निर्माण क्या वारिश के पूर्व हो जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

आगणन प्राप्त हो गये हैं ।
प्राथमिकता सूची नहीं है ।
धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।
प्रश्न नहीं उठता ।

125—**श्री हरीशंकर**—

[8 वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

वाराणसी जनपद में भैंसोड़ा नौगढ़ में वन प्रभा द्वारा रोपण कार्य

126—**श्री ऊदल** —

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक नं० 20 भैंसोडा नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी को प्लाण्टेशन लगाने से रोक दिया गया था क्योंकि उसमें हरिजन, भूमिहीन मुद्दत से काश्त करते हैं ? यदि हाँ तो पुन: प्लाण्टेशन करने की योजना बनाई जा रही है ?

श्री संजय सिंह—

जी नहीं । वाराणसी वन प्रभाग की दस वर्षीय (1975-1985) कार्य योजना में किये गये प्राविधान के अनुसार ब्लाक नं० 20 भैंसोड़ा नौगढ़ तहसील चकिया जिला वाराणसी में रोपण कार्य किया जा रहा है । यह कहना उचित नहीं है कि वहां हरिजन, भूमिहीन मुद्दत से काश्त करते हैं ।

वाराणसी जनपद के नौगढ़ क्षेत्र में बांस का प्लाण्टेशन तथा उसका मूल्यांकन

127—श्री ऊदल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग वाराणसी ने नौगढ़ क्षेत्र तहसील चकिया में 57 से 74 तक बीसों ब्लाक में बांस प्लाण्टेशन किया था ? यदि हां तो क्या यह सत्य है कि लाखों रु० खर्च करने के बाद एक भी बांस नहीं रहा ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री संजय सिंह—

जी हां, वन विभाग वाराणसी के नौगढ़ क्षेत्र तहसील चकिया में वर्ष 1966 से 1975 तक (न कि 57 से 74 तक) 18,879 हेक्टर भूमि में बाँस का प्लाण्टेशन किया गया । यह कहना उचित नहीं है कि लाखों रु० खर्च करने के बाद एक भी बांस नहीं रहा । वास्तविकता यह है कि इन बाँस रोपावनियों का मूल्याकंन पहले ही जून, 1978 में वन संरक्षक, दक्षिणी वृत द्वारा कराया गया था । जिसके परिणामस्वरूप रोपित क्षेत्र को सफलता के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया :—

1—वर्ग "क"—50 प्रतिशत से अधिक सफलता का क्षेत्र	4968 हे०
2—वर्ग "ख" -- 15 प्रतिशत से अधिक व 50 प्रतिशत से/सफलता का क्षेत्र	4439 हे०
3—वर्ग "ग"- 15 प्रतिशत से कम सफलता का क्षेत्र	9472 हे०
योग:—	18,879 हे•

वन विभाग, वाराणसी की तहसील चकिया के कतिपय ग्रामों की भूमि पर अतिक्रमण

128—श्री ऊदल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग वाराणसी की तहसील चकिया में हजारों एकड़ जमीन मझगवाँ, भरदुआं, मझगाई, नौगढ़, चकिया के क्षेत्रों में अनाधिकार काश्त करली गयी और तहसील से रेवेन्यू रिकार्ड भी ठीक करा लिया गया है ? क्या पूरे तहसील चकिया की जब से स्टेट मर्ज हुई है वन विभाग की भूमि का मिलान किया जायगा ?

श्री संजय सिंह—

वन विभाग वाराणसी की तहसील चकिया में कुल 3416–02 हेक्टर वन भूमि पर अतिक्रमण है जिसमें से मझगवां तथा भरदुआँ ग्राम में क्रमशः 55-20 तथा 22-53 हे• अतिक्रमण क्षेत्र है । इन गांवों की वन भूमि अभी रक्षित वन घोषित नहीं हुई है । वन बन्दोबस्त अधिकारी वाराणसी के न्यायालय में भारतीय वन अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत वन भूमि सम्बन्धित दावों की सुनवाई विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में अभी वन भूमि का राजस्व-अभिलेखों से मिलान करना सम्भव नहीं है ।

वाराणसी के ग्राम खजुही, थाना सारनाथ में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

129—**श्री ऊदल सिंह**—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख 16-11-82 की रात गांव खजुही थाना सारनाथ व गाँव मुट्ढा थाना सैयद राजा वाराणसी में 15-11-82 को डकैती पड़ी, जिसमें हजारों की लूट हुई है और एक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16/17-11-82 की रात्रि में कुछ व्यक्तियों द्वारा श्री अशोक कुमार को उनके घर ग्राम खजुही वाराणसी पर आक्रमण करके उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया था। उनकी मृत्यु अस्पताल में हो गयी थी। इस सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 307/302 भा० दं० वि० की विवेचना से 4 अभियुक्त प्रकाश में आये जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक 15-11-82 को ग्राम मुट्टा, थाना सैयद राजा में डकैती की कोई घटना नहीं घटित हुई।

बस्ती जनपद के ग्राम माधोपुर व ग्राम खोरिया में पड़ी डकैतियां तथा संबंधित सिपाहियों का निलम्बन

130—**श्री ऊदल**—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना लालगंज, जिला बस्ती के गांव माधोपुर गांव हटवा, पाकड़ डाड़ गांव खोरिया में नवम्बर के प्रथम तथा दूसरे सप्ताह में सशस्त्र डकैती पड़ी और दर्जनों को घायल करके हजारों की लूट की गयी है ? यदि हां तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि गांव खोरिया की डकैती पड़ते वक्त दो कान्स्टेबुल गांव में थे और घटनास्थल पर नहीं गये ? इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना लालगंज बस्ती के गांव माधौपुर तथा खोरिया में क्रमशः दिनांक 10/11-11-82 तथा दिनांक 3/4-11-82 की रात्रि में सशस्त्र डकैती की घटनायें हुयीं परन्तु गांव हटवा तथा पाकड़ डोह में प्रश्नगत अवधि में डकैती की कोई घटना प्रकाश मे नहीं आई। ग्राम माधौपुर में हुई डकैती में तीन ग्रामीणों को साधरण चोटे आयी थीं और डकैतों द्वारा 1 हजार सात सौ बत्तीस रुपये मूल्य का जेवर, कपड़ा आदि लूटा गया था। ग्राम खोरिया में हुई डकैती में कुल सात ग्रामीणों को आग्नेयास्त्र की चोटें आयी थी जिनमें से दो व्यक्ति की मृत्यु बाद में अस्पताल में हो गयी। इस डकैती में डकैतों द्वारा रुपया 22,900 मूल्य के जेवरात, कपड़े व नकद धनराशि लूटी गयी। ग्राम माधोपुर में हुई डकैती से संबंधित अपराध में अभियुक्तों का पता अब तक नहीं चल सका है। परन्तु ग्राम-खोरियाँ में हुई डकैती से संबंधित अभियोग की विवेचना में 10 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से 5 के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया तथा शेष 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। ग्राम-खोरिया में हुई डकैती के समय थाना-लालगंज जनपद बस्ती के दो सिपाही गाँव में उपस्थित थे तथा घटनास्थल पर विलम्ब से पहुँचे। इन सिपाहियों को निलम्बित करके लाईन हाजिर किया गया था और विभागीय जांच के उपरान्त उनकी चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी गयी है।

चमोली जनपद के ग्राम सगर की सीमा पर मिनी जू स्थापित करने का कथित प्रस्ताव

131—**श्री कुंवर सिंह नेगी**—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में गोपेश्वर के नजदीक ग्राम सगर की सीमा में मिनी जू स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ तो यह मिनी जू कब तक स्थापित हो जायगा ?

श्री संजय सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चमोली जनपद में ग्रामवासियों के पालतू पशुओं को वन्य जन्तुओं द्वारा मारे जाने की क्षतिपूर्ति

132—**श्री कुंवर सिंह नेगी**—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में 15 अप्रैल, 1982 तक ग्रामवासियों के पालतू पशुओं को वन्य जन्तुओं द्वारा मारे जाने पर मुआवजे हेतु कितने आवेदन पत्र वन विभाग को प्राप्त हुए ? इन पर कितने आवेदकों को क्षतिपूर्ति स्वीकृत हो चुकी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जनपद चमोली में दिनाँक 15 अप्रैल, 1982 से 15 नवम्बर, 1982 तक ग्रामवासियों के पालतू पशुओं को वन्य जन्तुओं द्वारा मारे जाने पर मुआवजे हेतु 55 (पचपन) आवेदन पत्र वन विभाग को प्राप्त हुए । इनमें से 52 ऐसे प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति देय नहीं है । शेष 3 मामलों में आवेदकों को क्षतिपूर्ति देय है जिनकी जाँच की जा रही है ।

वाराणसी के ग्राम पिंडरा के श्री काशीनाथ के घर पड़ी डकैती की रिपोर्ट की प्रति थानाध्यक्ष, फूलपुर श्री नारायण सिंह द्वारा न देने के संबंध में शिकायत

133—**श्री ऊदल**—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशीनाथ पुत्र बुधिराम राजभर, गाँव पिंडरा, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी ने 30-10-82 को एस० एस० पी० वाराणसी को एक प्रार्थनापत्र दिया है कि उसके यहाँ 6/7 सितम्बर, 1982 को डाका पड़ा उसकी रिपोर्ट थानाध्यक्ष रामायण सिंह थाना फूलपुर वाराणसी ने लिखित लिया और उसकी नकल बार-बार माँगने पर भी नहीं दी ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही एस.एस.पी. ने की ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । एस० एस० पी० ने प्रार्थापनत्र पर जांच के आदेश दे दिए ।

134—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशीनाथ ने 30-1-82 के प्रार्थनापत्र में एस०एस०पी० को यह भी लिखकर दिया है कि पकड़े गये डाकुओं को धानाध्यक्ष रामायण सिंह ने गांव अजईपुर थाना फूलपुर में डाका डालने की योजना बनाते वक्त गिरफ्तार करने का मुकदमा 9-9-82 को दर्ज किया है जब कि सभी डाकू 6/7 सितम्बर 82 को भोर पांच बजे पकड़े गये थे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री काशीनाथ का दिनांक रहित प्रार्थनापत्र दिनांक 30-1-82 को नहीं वरन् 30-10-82 को प्राप्त हुआ था। उक्त प्रार्थनापत्र में पुलिस द्वारा पकड़े गये डाकुओं को तीन दिन तक अपने यहाँ रखने के बाद अजईपुर के पास डाका डालने की योजना बनाने पर गिरफ्तार करके चालान किये जाने की बात कही गई है।

बनारस प्रेस मजदूर सभा का धरना तथा असार्वजनिक मुद्रण प्रेस के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण

135 —श्री ऊदल —

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 3127/-3631019 (एम० डब्लू०)/80 दिनांक 3 नवम्बर 1081 द्वारा शासन ने असार्वजनिक प्रेस उद्योग के मजदूरों के न्यूनतम वेतन के पुनरीक्षण के लिए प्रस्तावित न्यूनतम वेतनमान के बारे में आपत्तियां मांगी हैं यदि हां तो क्या ? शासन ने कोई अन्तिम आदेश पारित किया है ? यदि नहीं तो उसका क्या कारण है और कब तक आदेश होने की संभावना है ?

सुनील शास्त्री—

जी हां।

अधिसूचना संख्या -3348/36-3-1019 (एम० डब्लू०) -80, दिनांक 12 जनवरी, 1983 द्वारा असार्वजनिक मुद्रण प्रेस में नियोजित श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

136 श्री ऊदल—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतावेंगे कि बनारस प्रेस मजदूर सभा (रजि० सं०1008/1951) ने 24-9-82 को धरना देकर सहायक श्रमायुक्त वाराणसी के माध्यम से तथा 1 अक्टूबर, 1982 को उसी यूनियन ने जिलाधीश, वाराणसी के समक्ष प्रदर्शन के माध्यम से तत्सम्बन्ध में प्रतिवेदन दिया है ? यदि हां तो शासन ने प्रतिवेदन के विषय में क्या निर्णय लिया है ?

श्री सुनील शास्त्री—

प्रतिवेदन निजी छापेखाने में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के पुनरीक्षण हेतु था। यह प्रकरण शासन में पहिले ही से विचाराधीन था।

शासन ने अधिसूचना सं० 3348/36-3-1019 (एम० डब्लू०) 80, दिनांक 12 जनवरी, 1983 द्वारा निजी छापेखाने में नियोजित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन दरों का पुनरीक्षण कर दिया है।

बस्ती जनपद के ग्राम हरिहरपुर में विद्युत करेण्ट से मृत तथा घायल व्यक्तियों के परिवारों को सहायता के सम्बन्ध में जानकारी

137—**श्री परमात्मा प्रसाद सिंह**—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम व डाकखाना हरिहरपुर, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में दिनांक 23-9-82 को बिजली विभाग की लापरवाही के कारण बिजली करेण्ट लगने से श्री खेदू, श्री सोमई तथा उनकी बड़ी मां श्रीमती धूपा की मृत्यु हो गयी और अन्य आठ व्यक्ति घायल हो गये ? इस सम्बन्ध में शासन जिलाधिकारी बस्ती तथा बिजली विभाग द्वारा उक्त व्यक्तियों के परिवारों को क्या सहायता प्रदान की गई ? यदि अब तक प्रदान नहीं की गई तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाराणसी के ग्राम मानी में श्री रामनाथ सिंह की हत्या, लाश के पोस्टमार्टम तथा हत्या के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष, फूलपुर के विरुद्ध श्री शिवनाथ सिंह के पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

138—**श्री ऊदल**—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम नाथ सिंह, गांव मानी थाना फूलपुर, जिला वाराणसी की हत्या सितम्बर 82 में करके लाश को कुयें में डाल दिया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या रामनाथ के भाई शिवनाथ सिंह ने मुख्य मंत्री को तारीख 9-11-82 को प्रार्थनापत्र तथा कई दरख्वास्तें, जो अधिकारियों की दी गयी हैं नत्थी करके दिया है उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

139—**श्री ऊदल**—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामनाथ सिंह की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया था ? यदि हां तो कितने चोट के निशान पाये गये और क्या उस पर कोई मुकदमा थाना फूलपुर, वाराणसी में दर्ज किया गया है ?

140—**श्री ऊदल**—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे शिवनाथ सिंह ने जो प्रार्थना पत्र मा० मुख्य मंत्री को दिया है उसमें एस० ओ०, फूलपुर, वाराणसी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने साजिश करके हत्या करवा दी है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

141—**श्री ऊदल**—

—[दिनांक 1-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 135 द्वारा उत्तरित]

वाराणसी प्रेस मजदूर सभा का वेतन निर्धारण सम्बन्धी मेमोरेण्डम

142—**श्री ऊदल**—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी प्रेस मजदूर सभा का एक मेमोरेंडम व सरकारी गजट की प्रति प्रश्नकर्त्ता ने राज्य श्रम मंत्री को तारीख 19-11-82 को वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में भेजा है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हाँ ।

शासन द्वारा निजी छापेखानों के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण अधिसूचना संख्या—3348/36-3-1019 (एम० डब्लू)-80 दिनांक 12-1-83 द्वारा किया जा चुका है ।

हरदोई के ग्राम काजीपुर फरहत में श्रीमती रमादेवी की हत्या के अभियोग की विवेचना और पुलिस की कथित ढिलाई

143—**श्री बिमल प्रसाद तिवारी**—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्टूबर 1982 में थाना मल्लावां के अन्तर्गत ग्राम काजीपुर फरहत, जिला हरदोई में श्रीमती रमादेवी की हत्या कर दी गई थी ? यदि हां, तो अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही और कब की गई ? यदि नहीं तो प्रभावी कार्यवाही करने में ढिलाई बरतने के दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । दिनाँक 6/7-10-82 को ग्राम काजीपुर फरहत थाना मल्लावां जनपद हरदोई में श्रीमती रमा देवी की हत्या के सम्बन्ध में थाना मल्लावां में अपराध सं० 252 धारा 302/201/34 भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग की विवेचना थाना मल्लावां के प्रभारी निरीक्षक द्वारा की गई । विवेचना के दौरान अभियुक्त मृतका का देवर सुभाष पुत्र छेदा लाल ग्राम काजीपुर फरहत प्रकाश में आया । विवेचनोपरान्त अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध आरोप पत्र दिनाँक 24-12-82 द्वारा न्यायालय प्रेषित किया गया था, जो विचाराधीन न्यायालय है । इस अभियोग की कार्यवाही में थाना मल्लावां पुलिस द्वारा कोई ढिलाई नहीं बरती गयी और न ही कोई पुलिस अधिकारी आदि दोषी पाया गया ।

144—**श्री ऊदल**—

—[पुनरावृति के आधार पर निरस्त ।]

वाराणसी के ग्राम धमहापुर निवासी, श्री राम शिरोमणि के मामले की जांच

145—**श्री ऊदल**—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम शिरोमणि गाँव धमहापुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी की दरख्वास्त को प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र के साथ मुख्य मंत्री को 16-4-82 को दिया था जिस पर मुख्य मंत्री के सचिव श्री भूरेलाल ने सी० आई० डी०

को जांच करने का आदेश दिया था ? क्या यह सही है कि उक्त जांच सी० आई० डी० को न देकर एण्टी करेप्शन विभाग जो पुलिस का ही एक विंग है, वाराणसी एस. वाई. एस. पुलिस को दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न में उल्लिखित मा० सदस्य के पत्र दिनांक 16-4-83 के साथ श्री राम शिरोमणि का प्रार्थना पत्र नहीं प्राप्त हुआ था। प्रश्नकर्त्ता के उक्त पत्र पर तत्कालीन सचिव, मुख्य मंत्री ने सी. आई. डी. द्वारा जांच कराने पर विचार कर लेने के आदेश दिए थे। विचारोपरान्त सी. आई. डी. द्वारा जाँच का कोई औचित्य नहीं पाया गया। जांच किसी अन्य श्रोत से नहीं वरन् ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी के माध्यम से करायी गयी।

बाबतपुर जमालापुर मार्ग जिला वाराणसी में बरही नेवादा बाजार से ले जाने पर विचार तथा उक्त मार्ग का धमहापुर कुवार से बरही तक अपूर्ण भाग का निर्माण

146—**श्री ऊदल—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबतपुर जमालापुर मार्ग जिला वाराणसी में बरही नेवादा बाजार के अन्दर से ले जाने हेतु एक पत्र सार्वजनिक निर्माण मंत्री व प्रमुख अभियन्ता को 15-4-82 को प्रश्नकर्त्ता ने दिया है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ।

प्रश्नगत मामला शासन के विचाराधीन है।

147—**श्री ऊदल—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबतपुर-जमालापुर मार्ग वाराणसी में धमहापुर कुवार से बरही तक सड़क नहीं बनी है ? इसका क्या कारण है ? क्या सरकार का इरादा इस मार्ग के अधूरे हिस्से को पक्का करने का है ?

श्री अम्मार रिजवी—

बाबतपुर-जमालापुर मार्ग वाराणसी में धमहापुर से बरही तक कुछ भाग को छोड़कर नहीं बनी है। कुवार ताड़ी एवं बरही नेवादा में संरेखन शासन के विचाराधीन है।

जी हाँ।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को राज्याधीन सेवाओं में छूट

148—**श्री प्रभूनारायण सिंह—**

क्या सरकार ऐसे स्वतंत्रा संग्राम सेनानियों को जो राजकीय या व्यक्तिगत संस्थाओं में कार्यरत है स्वतः सेवा विस्तरण प्रदान करेगी ? यदि नहीं तो क्या लम्बी अवधि तक जेल यात्रा के कारण शिक्षण में व्यवधान की अवधि का लाभ उन्हें दिया जायेगा ?

श्री श्रपति मिश्र—

जी नहीं। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को राज्य सरकार के अधीन विभिन्न

सेवाओं तथा मदों पर भर्ती होने के लिए निर्धारित उच्चतम वयस् सीमा शैक्षिक योग्यता की छूट के संबंध में रियायतें दी गई थीं तत्पश्चात् यह लाभ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण तथा मदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से छूट के रूप में अनुमन्य किया गया है ।

अधीक्षण अभियन्ता, इलेक्ट्रिसिटी सिविल कन्सट्रक्शन सर्विस इलाहाबाद को प्रेषित श्री कुबेर भण्डारी, विधायक के पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

149 — **श्री कुबेर भण्डारी तथा**
श्री श्याम नारायण तिवारी —

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता (श्री कुवेर भंडारी) का पत्र दिनांक 24-8-82 जो अधीक्षण अभियन्ता, एलेक्ट्रिसिटी सिविल कन्सट्रक्शन सर्विस 1बी/3 चर्च लेन, इलाहाबाद को प्रेषित तथा सम्बन्धित अन्य अधिकारियों को भी पृष्ठांकित है, प्राप्त हुआ है । ? यदि हां, तो प्राप्त 5 सूत्री उक्त पत्र पर कृत कार्यवाही से मंत्री जी सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फर्रुखाबाद के विकास खण्ड, राजेपुर को घटियाघाट फर्रुखाबाद से विद्युत आपूर्ति किए जाने की योजना

150 — **श्री विमल प्रसाद तिवारी —**

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के विकास खण्ड राजेपुर में विद्युत आपूर्ति कलान, जनपद बदायूं से करने के बजाय फर्रुखाबाद से आपूर्ति करने का प्रस्ताव विद्युत परिषद् के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन कब तक होगा ?

श्री श्रीपति मिश्र —

जी हां । घटियाघाट (फर्रुखाबाद) ने 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण हो जाने के पश्चात् राजेपुर क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति फर्रुखाबाद से किये जाने की योजना पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा वर्तमान स्थिति में घटियाघाट में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

देवरिया में जिला परिषद मार्ग का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में डा. योगेन्द्र पति त्रिपाठी के पत्र पर विचार

151 — **श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र —**

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 8-10-82 जिसमें डा. योगेन्द्रपति त्रिपाठी, संयोजक ब्लाक कांग्रेस (आई०) लार, जिला देवरिया द्वारा जिला परिषद् मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना की गयी है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी, हां ।

मार्ग जिला सेक्टर योजना से सम्बन्धित है । अतः मार्ग का प्रस्ताव जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत विचार करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दिया गया है ।

152—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया]

श्री गुप्त नाथ सिंह, मंत्री किसान सभा चकिया द्वारा जिलाधिकारी, वाराणसी, को प्रेषित पत्र

153—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मन्त्री किसान सभा, गुप्तनाथ सिंह चकिया ने एक शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांक 25-5-82 को अधिशासी, अभियन्ता विद्युत द्वितीय, मडुआडीह, वाराणसी को दिया है और मा० ऊर्जा मन्त्री व जिलाधीश, वाराणसी को भी प्रार्थनापत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मंत्री किसान सभा श्री गुप्त नाथ सिंह चकिया का दिनांक 25-5-82 का शिकायती प्रार्थनापत्र अधिशासी अभियन्ता विद्युत द्वितीय खण्ड मडुआडीह वाराणसी तथा तत्कालीन ऊर्जा मंत्री जी को प्राप्त नहीं हुआ है । जहां तक जिलाधिकारी वाराणसी को मई 82 में प्रेषित प्रार्थनापत्र प्राप्ति का सम्बन्ध है, जिलाधिकारी वाराणसी से अभी सूचना प्रतीक्षित है । सूचना प्राप्त होते ही मा० सदस्य महोदय को स्थिति से अवगत करा दिया जायेगा ।

वाराणसी विद्युत परिषद उपक्रम निर्माण इकाई में मस्टर रोल पर कार्यरत कतिपय कर्मचारियों की कथित सेवा समाप्ति तथा इन कर्मचारियों की प्रार्थना पर आयोजित साक्षात्कार का परिणाम

154—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी विद्युत् परिषद् उपक्रम निर्माण इकाई (चन्द्रिका कालोनी) वाराणसी में तुलसी, घनश्याम, ज्वाला, बन्धु प्रसाद, बद्री प्रसाद, बैजनाथ वगैरह मस्टर रोल पर तीन वर्ष से ऊपर कार्य कर चुके थे ? यदि हाँ, तो इन लोगों की सेवायें क्यों समाप्त कर दी गयीं ।

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

155—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त लोगों ने विद्युत मन्त्री को नवम्बर, 77 तथा दिसम्बर, 77 में प्रार्थना-पत्र भेजा था ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इन्हें पुनः सेवा में लेने पर विचार करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। तदनुसार इन कर्मचारियों का साक्षात्कार एक विभागीय चयन समिति द्वारा किया गया था।

श्री ज्वाला प्रसाद साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हुये। सर्वश्री तुलसी, घनश्याम, बन्धु प्रसाद एवं बद्री प्रसाद, साक्षात्कार में अनुत्तीर्ण रहे तथा श्री बैजनाथ नाम का कोई व्यक्ति इस इकाई में कार्यरत नहीं था। इन परिस्थितियों में इन्हें पुनः विद्युत परिषद की सेवा में लेना सम्भव नहीं है।

156—**श्री ऊदल—**

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 78 में उपरोक्त व्यक्तियों की वाराणसी स्थित पन्ना लाल पार्क में परीक्षा भी ली गयी थी? यदि हाँ, तो उसका नतीजा क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। परीक्षा से सम्बन्धित स्थिति प्रश्न संख्या 155 के उत्तर में स्पष्ट कर दी गयी है।

वाराणसी रेञ्ज में हुए इन्काउण्टर की मैजिस्टीरियल जाँच में मृत डाकुओं का वितरण तथा बरामद हथियार

157—**श्री ऊदल—**

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी रेंज में सन् 80 या 81 तथा जून 82 तक कितने इन्काउण्टर हुए और उनमें कितने डाकू मारे गये तथा वे कहाँ-कहाँ के थे? क्या सभी मामलों में मजिस्ट्रेट की जांच कराई गयी है? यदि हाँ, तो जांच रिपोर्ट क्या है और कितना हथियार तथा दूसरे सामान बरामद किए गये? डाकू किन-किन जातियों से सम्बन्धित हैं?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार वाराणसी मण्डल में वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 में 30 जून तक क्रमशः 18,54 और 20 मुठभेड़ें हुयीं जिनमें 137 डकैत मारे गये। मारे गये डकैतों में से 12 प्रदेश के बाहर के थे, शेष प्रदेश के विभिन्न जिलों के निवासी थे। सभी मामलों में मजिस्टीरियल जांच नहीं करायी गई। डाकुओं के पास से सी०एम०पी०, डी०बी०बी०एल०, रिवाल्वर, तमंचा, कट्टा, बम, बम बनाने का सामान, कारतूस, करौली, बल्लम, गड़ासा आदि बरामद किए गये।

मारे गये डकैत विभिन्न जातियों से संबंधित थे।

थानाध्यक्ष, फूलपुर वाराणसी के विरुद्ध श्री ऊदल, विधायक के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

158—**श्री ऊदल—**

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एस०एस०पी०, वाराणसी को थानाध्यक्ष, फूलपुर, जिला वाराणसी के खिलाफ एक शिकायती-पत्र 7-4-82 को प्रश्नकर्त्ता ने दिया था, जिसका उत्तर संख्या एस०टी०एस०एस०पी० 493/82, दिनांक 16 अप्रैल, 82 के द्वारा एस०एस०पी० वाराणसी ने दिया है? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ ।

मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

वाराणसी के ग्राम बरवां में श्री रामबली पासी द्वारा ईदगाह के पास सूअर पालने से विवाद

159 **श्री ऊदल—**

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बरवां, थाना भदोही, जिला वाराणसी में ईदगाह के पास रामबली पासी ने जमीन पर कब्जा करके सूअर पालना शुरू कर दिया था जिससे साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो गया है, क्या इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिलाधिकारी, प्रशासन ज्ञानपुर, वाराणसी को उक्त गांव के नागरिकों ने जून, 1982 में प्रार्थनापत्र दिया है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रश्न में उल्लिखित मामले के संबंध में एक समुदाय द्वारा आपत्ति की गई थी । जिला प्रशासन द्वारा तत्काल आपत्ति का निराकरण कर दिया गया तथा इस सम्बन्ध में अब कोई विवाद नहीं है । प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अतः उस पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

बाबतपुर–जमालापुर रोड पर जमालापुर में बसूही नदी पर पुल निर्माण

160—**श्री ऊदल –**

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबतपुर—जमालापुर रोड, वाराणसी जौनपुर में बसूही नदी में जमालापुर, में एक पुल वनना था ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि सेतु निगम को धन दिया गया है और सर्वेक्षण भी हो चुका है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र मा. सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को 6 सितम्बर, 1982 को लिखा है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ । उक्त पुल का निर्माण होना था । तथा सर्वेक्षण के उपरान्त फरवरी 1983 में कार्य आरम्भ भी किया जा चुका है ।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-9-1982 प्राप्त हुआ था और इसमें उक्त कार्य को आरम्भ करने को कहा गया था जो कि किया जा रहा है ।

'अन्य जिला मार्ग' योजनान्तर्गत जनपद जालौन हेतु स्वीकृत कुदारी से वंगरा तथा पिपरी से अमेरा मार्ग

161—**श्री दलगंजन सिंह -**

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 200 कि.मी. लम्बी सड़कों के प्रस्तावित निर्माण योजना के अन्तर्गत जनपद जालौन की कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है और उनके चयन का क्या आधार है ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रदेश में 200 किलोमीटर "अन्य जिला मार्ग" की योजना के अन्तर्गत जनपद में निम्नलिखित दो मार्गों की स्वीकृति दी गई है—

	लम्बाई कि० मी०	लागत लाख रु०
(क) कुदारी से वंगरा—	4.00—	9.00
(ख) पिपरी से अमेरा —	3.00	6.75

कोईल मार्ग (वास्तविक नाम कोंच केलिया मार्ग से पिपरी कलां)

उपरोक्त मार्ग शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्वीकृत किये गये हैं।

162— **श्री तेजबहादुर गंगवार—**

[6ठे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

(समय 12.25 से)

होमगार्ड के एक हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की छटनी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

पहले नियम 301 पढ़ दूँ।

श्री केदार नाथ सिंह—

मैं अध्यक्ष महोदय, अपने अधिकार के संरक्षण में एक बात कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

पहले नियम 301 हो जाने दीजिये। आज नियम 301 में 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैंने 5 को स्वीकार किया है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्रीमती गौरी देवी, श्री पंचानन राय, श्री सन्त बक्श रावत तथा श्री विद्यासागर नौटियाल-की स्वीकार की हैं। शेष अस्वीकार हुई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

महोदय, भारत सरकार के शासनादेश 6476/24/448 (होमगार्ड) 1929 दिनांक 18 नवम्बर, 1971 यह स्पष्ट निर्देश है कि होमगार्ड का पुनर्गठन करते समय पुराने कर्मचारियों के ही पद भरे जायें। उत्तर प्रदेश में अब 10-20 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को उनकी पुरानी सेवाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। 14 जनवरी, 83 को शासन ने अपने आदेश 177/1977 जारी करके चतुर्थ श्रेणी के रनर्स को नया योगदान करने को कहा है। 1429 पदों को कम करके 807 दर्शाया गया है और बताया यह गया है कि पूर्व में क्योंकि इनकी नियुक्ति जिलाधिकारियों ने की थी। अब समावेष्टा को करना है। इसलिये नये रूप में रखा जायेगा। मान्यवर, यहां कौन सा न्याय है कि यदि नियुक्ति के बाद नियुक्तकर्त्ता अधिकारी बदल जाय तो पुरानी सेवाओं से अलग करके पुनः उसी केडर

में नई नियुक्ति की जाय। पुराने पदों से इरमीनेट करने की क्या आवश्यकता है ? इससे कर्मचारी अपनी 18-20 वर्ष की सेवा का लाभ खो रहे हैं तथा 1000 के लगभग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नौकरी से निकाले जा रहे हैं।

मांग है कि पुरानी सेवा को लगातार कायम रखा जाय तथा किसी की भी छंटनी न की जाय।

ग्राम कतरारी (गोरखपुर) में भीषण अग्निकाण्ड से 50 हरिजनों के मकानों के जलाने तथा सहायता की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, गोरखपुर जनपद के ग्राम-कतरारी में 11 मार्च, 1983 को सांयकाल भीषण आग लग जाने से 50 हरिजनों का मकान जल गया जिसमें उनकी सारी सम्पत्ति नष्ट हो गयी। दर्जनों पशु जल कर मर गये। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पुस्तकें भी जल गईं जबकि परीक्षा सर पर है, पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो गया है। सभी परिवार के लोग भूख से तड़प रहे हैं। अभी तक किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गयी है और न वहां पर कोई वरिष्ठ अधिकारी ही पहुँचा है। स्थिति भयावह है।

अतएव, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को सदन के संज्ञान में लाकर प्रत्येक हरिजन परिवारों को दस हजार रुपये सहायता देने की मांग करती हूँ।

प्रदेश के माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों के पांच लाख शिक्षकों का माह फरवरी, 1983 से वेतन न भुगतान होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन तथा राज्य सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

पूरे प्रदेश में माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में 5 लाख शिक्षकों को फरवरी, 1983 के वेतन का भुगतान आज तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। वेतन भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वेतन भुगतान प्रारम्भ होने व अध्यापकों को वेतन मिलने में 15 दिन का समय लगता है। इस प्रकार होली के इस महत्वपूर्ण त्यौहार से पहले फरवरी के वेतन का भुगतान प्रदेश में 5 लाख शिक्षकों को नहीं हो सकेगा।

हमारी राज्य सरकार से मांग है कि शिक्षकों को फरवरी के वेतन का भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जाय।

ग्राम चन्द्रावल (लखनऊ) में हुए अग्निकाण्ड से लाखों की सम्पति नष्ट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त बक्श रावत—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। दिनांक 13-3-83 को करीब 12 बजे दिन में ग्राम चन्द्रावल, परगना बिजनौर, तहसील लखनऊ

श्री सन्त बक्श रावत—

जनपद लखनऊ में भीषण अग्निकाण्ड हुआ जिससे गाँव के 24 मकान जल कर राख हो गये। 8-10 बकरियां तथा 20-25 मुर्गियाँ, खाने एवं पहनने की सामग्री, बर्तन आभूषण एवं घरेलू सामग्री जल कर स्वाहा हो गयीं। इस घटना के कारण करीब 3 लाख रुपये की क्षति गृह स्वामियों की हुई है। गाँव में इसी अग्नि से प्रभावित कुछ लोगों की पुत्रियों एवं पुत्रों की शादी भी इसी माह में थी, जिनकी शादी का भी सारा सामान जल कर स्वाहा हो गया। इस घटना के कारण गाँव में हाहाकार मच गया है और लोग भुखमरी की स्थिति को पहुँच गये हैं। तथा जिन घरों में शादियाँ थीं, उनकी स्थिति और अधिक दयनीय हो गई।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से माँग करता हूँ कि सरकार तत्काल अग्नि से प्रभावित परिवारों को भारी आर्थिक सहायता एवं खाने तथा पहनने की व्यवस्था करें।

हरिद्वार में मायापुर सेतु पर—सेतु कर लगाने से यात्रियों को परेशानी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, हरिद्वार नगर, बारहों महीने की भरपूर यात्रा से व्यस्त एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तथा गढ़वाल मण्डल की जनता का एक अनिवार्य मिलन केन्द्र तथा रेलवे स्टेशन है। कुछ समय से राज्य सरकार हरिद्वार में आने जाने वाली समस्त सवारी गाड़ियों से मायापुर डाम-कोठी के पास वर्षों पूर्व निर्मित एक छोटी सी पुलिया के बहाने कर वसूलने लगी है। जिससे एक किलोमीटर से कम दूरी पर एक और विशाल पुल चण्डी सेतु बना है और वहाँ भी कर देना पड़ता है। एक किलोमीटर के अन्दर दो पुलों पर कर की वसूली नियमों तथा जनहित के प्रतिकूल है। इस प्रकार यात्रियों को बेवजह लूटा जाने लगा है। यात्रियों से हरिद्वार के अन्दर प्रवेश करने व तत्काल वहाँ से बाहर जाने के लिए सेतु का दोहरा कर ऐंठने के बाद सवारी गाड़ियाँ कर से बचने के लिए लालता रौह की ओर से नगर में आती हैं। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। फिर ऋषीकेश से दिल्ली आदि बाहरी नगरों की ओर संचालित गाड़ियों में, पुल कर से बचने के लिए हरिद्वार के यात्रियों को नहीं बैठाया जाता। सीधे यात्रियों से कर वसूला जाता है, उसकी अदायगी नहीं की जाती।

आपके माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि मायापुर में लगे सेतु-कर को समाप्त कर यात्रियों की लूट बन्द की जाय।

तारांकित प्रश्न संख्या 12 को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(श्री केदार नाथ सिंह को पुकारे जाने पर)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है···

श्री अध्यक्ष—

मैंने केदार नाथ सिंह को बुला लिया है।

का प्रश्न

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, विधान सभा की नियमावली में जो हमारे अधिकार दिये गये हैं, उनकी रक्षा के लिए मैं आपसे अधियाचना करता हूँ। आज के तारांकित प्रश्न संख्या 12 को आप देखें, मान्यवर। यह आज से दो वर्ष पूर्व लगाया था अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में, और तभी से हर सत्र में लगातार चला आ रहा है और अब इस सत्र में लगा तो लिख दिया गया कि 9वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित। तो प्रायः यह देखा गया है कि 20वां नम्बर आता ही नहीं है। मैं दो वर्ष से इस प्रश्न को देता चला आ रहा हूँ तो इस तरह से स्थानान्तरित करने का औचित्य क्या है ? विषय भी देख लें। यह मामला पार्क रोड पर जो गरीब हरिजन हैं, रोजी-रोटी के सम्बन्ध में दौड़ते रहते हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है, उनके सम्बन्ध में दिया था। दो वर्ष पूर्व उजाड़ा जा रहा था। उस समय यह प्रश्न उपस्थित किया था।

मान्यवर, मैंने गरीबों की आवाज उठाने की चेष्टा की प्रश्न के माध्यम से। नियमावली में प्राविधान हैं। इस तरह से अगर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा, दो वर्षों से लगातार प्रश्न करने पर भी जवाब नहीं आता तो नियमावली की मंशा ही समाप्त हो जाती है। इसलिए निवेदन करूँगा कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें। इस सम्बन्ध में कृपया अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

पहले से लिखकर देते तो मैं रिपोर्ट मंगाता कि क्या असुविधा है। जैसा आप कह रहे हैं, मैं देखूँगा कि कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ ज्यादती है, उसके बाद निर्णय दूँगा।

जिला पूर्ति अधिकारी, जालौन द्वारा जिला पूर्ति परामर्शदात्री समिति की बैठक सत्र के दौरान बुलाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, जालौन में 17-3 को जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जिला पूर्ति परामर्श-दात्री समिति की बैठक बुलाई गयी है। एक बार नहीं, अनेकों बार आपके द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि इस प्रकार की बैठकें सदन के दौरान नहीं बुलायी जायेंगी। बार-बार संसदीय कार्य मन्त्री जी ने भी आश्वासन दिया। आपके निर्देशों का सरकार कितना आदर करती है यह साफ जाहिर है। कुत्ते की पूँछ टेढ़ी की टेढ़ी। आपके आदेशों के बावजूद, संसदीय कार्य मन्त्री के आश्वासन के बावजूद, वही हाल है। इसका भी हाल कुत्ते की पूँछ की तरह है, बदलेगा नहीं।

श्री धर्मवीर सिंह—

मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, बाद में लूँगा।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

आज सवेरे यह सूचना प्राप्त हुई थी। मीटिंग के कैन्सिलेशन के आदेश भेजे जा चुके हैं। साथ ही साथ सम्बन्धित जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जब सदन चल रहा है इस तरह की मीटिंग क्यों बुलाई गयी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं साफतौर पर कहना चाहता हूँ कि दिन प्रतिदिन यह बातें आती हैं। इसकी ओर विशेष रूप से आप ध्यान दें। जो मुख्य सचिव ने, अधिकारियों को आदेश भेजे हैं, उनका पालन जानबूझ कर न हो, इसका क्या कारण है। मैं समझता हूँ आगे यह बात नहीं होनी चाहिए।

विधान सभा की कार्यवाही अक्षरशः न छापे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अभी औचित्य को नहीं ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

औचित्य को लूँगा। श्री धर्मवीर सिंह कुछ करना चाह रहे हैं।

श्री धर्मवीर सिंह—

मान्यवर, जो हम लोग बोलते हैं एक-एक शब्द लिखा जाता है। छपकर अगले दिन शुद्धिकरण के लिए हम लोगों के पास आ जाता है। शुद्धिकरण के बाद कार्यवाही अनुभाग में वापस कर देते हैं। उसके बाद भी पूरा-पूरा नहीं छापा जाता इस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं। जो हम बोलते हैं वह पूरा का पूरा छपना चाहिए। इस पर व्यवस्था दें। 9 मार्च की कार्यवाही मेरे पास है, काफी छूट गया था। मैं संरक्षण चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष —

मैं यह स्वीकार करता हूँ कि थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं। दिक्कतें आ रही हैं कि यह हमारे सामने टेकनिकल आदमी जो बैठे हैं, वह उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं—मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि गड़बड़ी हो रही है। जानबूझकर नहीं की जाती। बोलने की स्पीड ज्यादा होती है। मैं दिखवा रहा हूँ कि क्या उपाय किया जाय। यह सदन तो चल ही रहा है। आगे से कोई इस तरह की बात नहीं होगी जिससे ऐसी बात उठ सके।

श्री शेर बहादुर—

मान्यवर, मेरा था।

श्री अध्यक्ष—

मैंने देखा है। 200 से अधिक शब्द हैं। मैं पढ़ने की आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

दिनांक 14 मार्च, 1983 को प्रख्यापित-अध्यादेशों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है।

श्री मोहन सिंह—

मेरा भी औचित्य का प्रश्न है।....

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास जो सूचना आयी है, मैं उसे लूंगा। वह माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है और मैं उन्हें आज्ञा देता हूँ।

***राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न आपको दिया है। इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि कल उत्तर प्रदेश की सरकार ने चार अध्यादेशों को प्रख्यापित किया है। मैं इन पर दो दृष्टियों से आपत्ति करना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं राजपाल महोदय के अधिकरों पर टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। लेकिन इस शासन ने राज्यपाल महोदय को सलाह दी है। मान्यवर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (2) जो हैं, उसमें राज्यपाल को यह विधायी शक्ति दी गयी है, यह अधिकार दिया गया है। लेकिन यह अधिकार उसी स्थिति में है जब इस विधान मण्डल के दोनों सदनों में से कोई एक सत्र में न हो। मान्यवर, विधान परिषद्, का आज से 4 दिन पहले सत्रावसान कर दिया गया और इस सरकार ने राज्यपाल को सलाह दी है और जान बूझकर सत्रावसान कर दिया गया। जानबूझकर सत्रावसान करने से एक विधाई स्थिति पैदा कर दी गयी है। और उसी के साथ-साथ पुनः दिनांक 17 तारीख से विधान परिषद् को बुला लिया गया है। इस थोड़े समय के लिये विधान परिषद् का सत्रावसान कर दिया गया। उनके अध्यादेशों को निकलने में एक कानूनी और तकनीकी ताकत मिल जाय।

जहाँ तक अध्यादेश का ताल्लुक है, हमारे संविधान में दिया गया है कि अध्यादेश प्रायः अपरिहार्य परिस्थितियों में, या जब इमरजेन्सी की स्थिति पैदा होगी जिसे हिन्दी में आपातकाल कहते हैं, जारी किये जायेंगे। इसका निराकरण किया जा सके। इसके निराकरण के सम्बन्ध में हमारे जो लोक सभा के पहले के अध्यक्ष थे, श्री हेंगड़े उनसे दो शब्दों को मैं कहना चाहता हूँ। यह उत्तर प्रदेश विधान सभा, संसदीय अध्ययन समिति का राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का जो प्रतिवेदन है, उसके पृष्ठ 20 पर उल्लखित है। श्री हेंगड़े जो इस समय सत्र-सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे और यह सम्मेलन हुआ था। 1960 में, प्रिजाइडिंग आफीसर्स का। श्री हेंगड़े ने कहा कि "साधारणतया अध्यादेश द्वारा शासन चलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।" मैंने हमेशा यह कहा है कि जहाँ तक सम्भव हो अध्यादेशों को जारी नहीं करना चाहिए। अतः हमने यह नियम बना लिया है।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं श्री मावलंकर जी का एक पत्र भी उद्धृत करना चाहता हूँ। जो उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू को लिखा था। विवाद की हाल में मैं इस बात को यहाँ रखना चाहता हूँ। मान्यवर, शासन ने जानबूझकर यह हमारे विधान मण्डल की विधायी अधिकारों का हनन किया है तथा उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। मान्यवर, आध्यादेश जारी किये जाने के बारे में लोक सभा के अध्यक्ष श्री मावलंकर ने भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री, श्री जवाहर लाल नेहरू जी को पत्र लिखा था "अध्यादेश का जारी किये जाना अप्रजातांत्रिक है, अन-डेमोक्रेटिक है" चाहे व अध्यादेश के रूप में हो अथवा अध्यादेश के रूप में न हो, उसकी प्रोप्रइटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस प्रकार अध्यादेशों को जारी करने पर संविधान में इसका कु-प्रभाव पड़ता है और जनता की धारणा होने लगी है कि सरकार अध्यादेशों के द्वारा चलायी जा रही है। हमारे प्रथम प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे स्वीकार किया है और 13 सितम्बर, 1950 को इसका उत्तर दिया, श्री मावलंकर जी को। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजेन्द्र कुमार गुप्त—

समझता हूँ कि हमारे सभी साथी आपसे सहमत होंगे कि अध्यादेशों को जारी किया जाना साधारणतया अवाँछनीय है। विशिष्ट एवं आवश्यक समय तक भी इसे यथासम्भव जारी नहीं करना चाहिये।

मान्यवर, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। विधान परिषद् चल रही थी। 2 फरवरी को मेरी जानकारी है कि ये 4 आर्डिनेन्स इस सदन के पटल पर रखे गये थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 (2) के तहत इसकी व्यवस्था है कि 6 सप्ताह तक अधिवेशन प्रारम्भ होने की अवधि तक रखी जायेगी। और इस बीच इनका अधिनियमन किया जा सकता है उनको यहाँ रखा जा सकता है। नियमों में व्यवस्था दी गई है इसका अनुनमोदन कर सकते थे। हमने उसके लिये प्रस्ताव भी दिये हैं। लेकिन उनको कार्य सूची में नहीं लिया गया है। लेकिन फिर भी सरकार ने विधायी अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए विधान परिषद् को वापस कर दिया।

क्या एक ही आर्डिनेन्स उसी रूप में दो-दो बार रखा जायगा ? इसके बाद एक विशेष बात, अगर थोड़ी देर के लिये आप व्यवस्था दे दें और मान भी लिया जाय कि अध्यादेश जारी हो गया और इस सदन की अवमानना जैसा कार्य उन्होंने किया तथा आर्डिनेन्स से शासन चलाने जैसा अप्रजातांत्रिक कार्य कर दिया, तो इससे नियमावली के नियम 120 का भी वायलेशन हुआ है। इसमें यह व्यवस्था है कि जब कभी कोई अध्यादेश प्रख्यापित किया जाय तो उसके प्रख्यापन के बाद, यथास्थिति, अनुगामी सत्र अथवा उपवेशन के प्रारम्भ में अध्यादेश की प्रतिलिपि सहित ऐसा विवरण पलट पर रखा जायगा जिसमें उन प्ररिस्थितियों को स्पष्ट किया गया हो जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था।

अध्यादेश जारी कर दिया। अब नियमों में व्यवस्था है, कांस्टीट्यूशन भी कहता है, अध्यादेश निर्गत हो गया, उसके बाद जो पहला अधिवेशन होगा, संविधान निर्माताओं ने यह बात सोची थी कि—अगर कोई इमरजेन्सी की स्थिति पैदा होगी तो अध्यादेश हो जायगा लेकिन पहले दिन सदन के पटल पर रख दिया जायगा। नियमावली में इसको और स्पष्ट कर दिया कि—"आगामी सत्र अथवा उपवेशन के प्रारम्भ में।" अब आप "उपवेशन" की परिभाषा देखने की कृपा करें। पृष्ठ 1 पर दिया हुआ है कि "उपवेशन" का तात्पर्य किसी भी दिन कार्यारम्भ से लेकर उस दिन के लिये सदन के उठने तक सदन के सदस्यों के कार्य सम्पादनार्थ समवेत होने से है।

आज उपवेशन है। मेरा सबमीशन यह है कि अगर कल यह अध्यादेश प्रख्यापित हो गया, अगर यह जारी हो गया तो आज पहला उपवेशन था। इसे आज सदन के पटल पर आ जाना चाहिए था नियम 120 के तहत। मैंने आज की कार्यसूची देखी, अगर पटल पर आना होता तो नियम 315 के अन्तर्गत यह आइटम नं० 3 पर होना चाहिए था, लेकिन इसमें चारों अध्यादेशों के टेबिल करने की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में अध्यक्ष पीठ से भी व्यवस्था हो चुकी है। इससे पहले भी मामले उठे हैं। 1962-67 का जो संकलन है, इसके पृष्ठ 389 में, जब उस समय यह मामला उठा था, उसमें अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी कि उनकी प्रतिलिपियाँ कारणों सहित सदन खुलने के फौरन बाद ही रखी जानी चाहिये। इसका तात्पर्य क्या है, अधिवेशन प्रारम्भ हो गया, पहले दिन शासन ने नहीं रखा, जब नहीं रखा तो अध्यक्ष ने व्यवस्था दी और शासन को निर्देशित किया कि फौरन रख देना चाहिये। वह व्यवस्था आज भी लागू होती है। आज उन अध्यादेशों की प्रतिलिपियाँ सदन के पटल पर रखी जानी चाहिये थी। इस प्रकार मैंने 3 आपत्तियाँ रखी हैं—पहला तो यह कहना कि "इमरजेंसी की जगह पर यह सरकार "अरजेन्सी" का

पालन कर रही है, जो कि निहायत अप्राजातांत्रिक है कि जब इनकी "अरजेन्सी" हुई, अध्यादेश जारी कर दिया। इसकी प्रधानमन्त्री ने भी निन्दा की है, अध्यक्ष पीठ से भी भर्त्सना की गयी है। सत्रावसान किया, फिर से बुलाया, हालांकि उस सदन की चर्चा हम नहीं कर सकते लेकिन सन्दर्भ ले सकते हैं, तो सदस्यों को कितनी कठिनाई हुई, उनकी सूचनायें व्ययगत हो गयीं, जिन्हें फिर से देना पड़ा। इस प्रकार इस सरकार ने ऐसा करके घोर अप्रजातांत्रिक काम किया है।

अगर कल प्रख्यापन हो भी गया था तो आज आदरणीय सदन के पटल पर उसे आना चाहिए था। यह मेरा औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष —

क्या इस बात पर बहस होगी ?

श्री राम स्वरूप वर्मा—

बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मान्यवर।

***श्री रियासत हुसैन —**

मान्यवर वैसे मा० राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने सारी चीजें रख दी हैं, मैं केवल 2-3 बातें ही कहूँगा, जिसमें पहली बात यह कहना चाहूँगा कि क्या मान्यवर, आपने या किसी अन्य शक्ति ने प्रतिबन्ध लगा दिया था कि इस आर्डिनेन्स का 6 हफ्ते के अन्दर इनेक्टमेंट न हो, और दूसरी बात यह है कि आज सदन के उपवेशन का पहला दिन है, जिसे आज सदन के पटल पर नियमानुसार आ जाना चाहिये, परन्तु वह आज की स्थिति में नहीं रखा गया या नहीं रखा जा रहा है। क्या इस पर भी किसी शक्ति द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया था और तीसरी बात मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या किसी ने हमारे नियम 14 के अनुसार कार्यवाही करने, जिसमें स्पष्ट रूप से सब कुछ लिखा हुआ है, अगर रूल 14 का पालन किया गया होता तो आज जो समस्या उठ खड़ी हुई है, नहीं होती। किसी ने क्या इसको लागू करने में भी प्रतिबन्ध लगा दिया था कि यह आर्डिनेन्स निकलते-निकलते बीच में ही लैप्स हो गया ? इसलिए मैं सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि कौन सी मजबूरी थी, जिसके कारण विधान सभा के नियमों एवं संविधान के तहत आज के इस उपवेशन में इस आर्डिनेन्स का इनेक्टमेंट क्यों नहीं हुआ ?

श्री रामस्वरूप वर्मा —

मान्यवर, अध्यादेश की जो शक्ति है वह एक अधिनियम की है उसके जरिये कार्य करके यह सरकार हमारे अधिकारों को समाप्त करने जा रही है, इस सम्बन्ध में सबसे पहले मैं संसदीय अध्ययन समिति का राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के विषय पर 24 जुलाई, 1972 के प्रतिवेदन के पृष्ट 65 पर समिति के निष्कर्ष लिखे हुये हैं, उसको पढ़ रहा हूँ हालाँकि मा० गुप्ता जी ने पं० जवाहर लाल नेहरू व अन्य के उद्धरण रखे हैं मैं इससे संबंधित कुछ अंश को पढ़ूँगा। "राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की संविधान में जो शक्ति प्रदान की गयी है, वह विशेष परिस्थितियों के लिये है जबकि विधान मण्डल का सत्र आहूत किया जाना सम्भव न हो और ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि बिना अध्यादेश जारी किये हुए आवश्यक विधायी कार्य न किया जा सके। किन्तु जिस प्रकार से राज्यों में अध्यादेश जारी किये गये हैं या किये जा रहे हैं, वे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामस्वरूप वर्मा—]

संविधान की उपर्युक्त मान्यताओं के विरुद्ध हैं और अध्यादेश का जारी करना एक सामान्य सी प्रक्रिया होती जा रही है। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि सदन में अधिकतर वे ही विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनके सम्बन्ध में अध्यादेश पहले ही प्रख्यापित किये जा चुके हैं और मूल विधेयक मौलिक रूप में बहुत कम संख्या में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। अधिकांश विधेयकों की कमी को अब अध्यादेश द्वारा पूरा किया जा रहा है।"

तो मान्यवर, इसमें मेरी पहली आपत्ति यह है कि सरकार अगर सदन में मूल विधेयक प्रस्तुत करती है तब उस पर विचार करने का अवसर होता है, और जब ये अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं तो सदन के सामने मजबूरी आ जाती है, सरकारी पक्ष के सामने भी विशेष मजबूरी आ जाती है कि वह उसका अनुमोदन करने के लिए तैयार हो जाय। आप इसी प्रतिवेदन के पेज 66 पर देखें इसमें लिखा है कि "समिति की निश्चित राय है कि अध्यादेश जारी करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए यह आवश्यक है कि विधान मण्डलों की बैठकें अधिक से अधिक समय के लिये हों और सदनों के सत्रावसान और आहूत करते समय शासन को इस बात का आश्वासन देना चाहिये कि जब कभी अध्यादेश जारी करने की परिस्थिति उत्पन्न हो तो वह विधान सभा के अध्यक्ष तथा विधान परिषद् के सभापति से इस बात की जानकारी प्राप्त कर लें कि वह इस परिस्थिति का सामना करने के लिए अगर विधान सभा और विधान परिषद् की बैठक बुलाने में असमर्थ हैं तभी अध्यादेश जारी किये जांय अन्यथा उचित यही होगा कि सदन की बैठक बुला कर विधिवत् रूप से विधायी कार्य किये जांय। यदि सदन सत्र में हो और उसका सत्रावसान किया जाना है तो यह निश्चित कर लिया जाय कि सत्रावसान इस दृष्टि से नहीं किया जा रहा है कि शासन सत्रावसान के उपरान्त कोई अध्यादेश प्रख्यापित करना चाहता है।"

मान्यवर, आप जानते हैं कि इन परिस्थितियों में सत्रावसान किया जाय कि अध्यादेश प्रख्यापित करना है। इसी संबंध में एक पैराग्राफ और पढ़ दूँ।

श्री अध्यक्ष—

आप बहुत विस्तार में न जांय।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

आप इस पर अपना निर्णय देंगे इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन सबसे अवगत हो जायं। इसी में आगे लिखा है कि "समिति यह भी उचित समझती है कि जब विधान सभा के आहूत करने की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी हो तो उस विज्ञप्ति के जारी होने के उपरान्त कोई अध्यादेश जारी न किया जाय और केवल विषम परिस्थिति हो जाने पर ही अध्यादेश का सहारा लिया जाय जबकि सदन को आहूत करके विधेयक पारित करना सम्भव न हो, विशेष तौर पर जबकि अल्पसूचना पर भी सदन को आहूत करने का विधान सभा के नियमों में प्राविधान है। किन्तु उस समय भी विधान सभा के अध्यक्ष तथा विधान परिषद् के सभापति की सहमति प्राप्त करना उचित होगा।"

मान्यवर, आपकी सहमति प्राप्त नहीं की गयी क्योंकि सदन चल रहा है। विधान सभाध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति से सहमति प्राप्त करने की ऐसी कोई प्रक्रिया इन्होंने पूरी नहीं की। एक बात इसमें और है इन्होंने लिखा है कि "समिति की राय में यदि यह स्थिति बनी रही तो विधान मण्डलों के विधि निर्माण कार्यों तथा अधिकारों में अतिक्रमण होता जायेगा।"

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अधिकारों का अतिक्रमण तो हुआ ही है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, संसदीय अध्ययन समिति ने स्पष्ट संस्तुति की है पहला एतराज तो यह है कि यह अध्यादेश बहुत ही अनुचित और बहुत ही अवमाननाजनक है और सीधे अध्यक्ष के अधिकारों पर आक्षेप है । इसके साथ ही साथ हमारे द्वारा जो विधायी कार्य सम्पादित होते हैं उनका आहरण है । दूसरी बात यह है कि अध्यादेश जारी करके आप सदन में नहीं रखना चाहते हैं । इसके बारे में मैं अपने को गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत प्वाईण्ट से जोड़ता हूँ और उसे मजबूत करना चाहता हूँ, आप भारत का संविधान के 213 (क) को देखें । इसमें लिखा है कि "राज्य की विधान सभा के समक्ष, तथा जहां राज्य में विधान परिषद् है, वहाँ दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा तथा विधान मण्डल के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर, अथवा उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व उसके निरनुमोदन का संकल्प विधान सभा से पारित, और यदि विधान परिषद् है तो उससे स्वीकृत, हो जाता है तो, यथास्थिति, संकल्प पारित होने पर, अथवा परिषद् द्वारा संकल्प स्वीकृत होने पर, प्रवर्तन में न रहेगा ।"

श्री प्रमोद कुमार—

इसी कारण से वह सदन में नहीं आ पाया कि इतने लम्बे-लम्बे भाषण होते हैं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

हमारा कहना यह है कि विधान सभा चल रही है तो विधान सभा में अध्यादेश तुरन्त रखा जाय, रखने का कारण मैंने दिया है, सरकार कहेगी कि दोनों सदनों के समक्ष एक साथ रखा जायेगा और अगर एक सदन सत्र में नहीं है तो नहीं रखा जायेगा । यह संविधान कहता है कि जब अध्यादेश रखा जायेगा तो पहले विधान सभा की स्वीकृति होगी । हम उपवेशन में हैं तो आज रखा जाना चाहिए था, अगर हमारे सामने रखा नहीं गया है और जो अध्यादेश है, वह इतना रद्दी है कि हम उसका निरमुनोदन कर दें, तो उसको विधान परिषद् के समक्ष जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । अगर इस बात को सही मान लें कि विधान परिषद् सत्र में नहीं है तो जितने दिन के लिए आप उसे नहीं बुलायेंगे, उतने दिन तक यह चलता रहेगा, क्योंकि 6 महीने के पहले आप सत्र नहीं बुलायेंगे । जब दोनों सत्र होंगे तब रखा जायेगा । तो मान्यवर, इसका बड़ा दुरुपयोग होगा और यदि विधान परिषद् को नहीं बुलायेंगे और यह अध्यादेश लागू रहेगा, जिसको कि विधान सभा नहीं चाहती है । तो यह उस संविधान का हनन है जिसकी प्रतिज्ञा हमने की है कि उसका हम पालन करेंगे, हमने संविधान की कसम खायी है, यह उसका उल्लघंन है और हमारे सदन की अवमानना है, यह हमारे अधिकारों का अहरण है, हम विधायी अधिकार से वंचित रह जायेंगे । माननीय अध्यक्ष जी आप पर भी यह आक्षेप है कि आप से पूछा नहीं गया है ।

श्री भीखा लाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बातें माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, रियासय हुसैन और माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने कही हैं उनको मैं दुहराना नहीं चाहता हूँ, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूँ । मैं केवल 2-3 बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा । मैं राज्यपाल के अधिकारों को चुनौती नहीं देता हूँ कि अध्यादेश उनको जारी करने

श्री भीखा लाल—

का अधिकार नहीं है और सरकार को अधिकार है कि वह राज्यपाल को सलाह दे। जब सदन सत्र में नहीं है तो इमरजेन्सी में अध्यादेश जारी किए जाते हैं। इमरजेन्सी के प्रति यह शासन कितना संजीदा है यह चीज देखने में आती है। मान्यवर, 1982 में सत्र 2 सितम्बर से बुलाया गया, जो अध्यादेश जारी किए गए थे उनके स्थान पर विधेयक विधान सभा में नहीं रखा गया जिससे वह लैप्स हो गये, दुबारा फिर हुए। 2 फरवरी से सत्र चल रहा है तब भी उन अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक सदन में नहीं रखा गया है और अब तीसरी बार अध्यादेश जारी किये गये हैं। तो सरकार कितना संजीदा है इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। संसदीय कार्य मंत्री जी बड़े विद्वान हैं, हर चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। हर प्रकार से आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। कहेंगे कि 2 फरवरी से सत्र चला और टाइम इतना सीमित था कि वह इसमें उन अध्यादेशों को नहीं ला पाये। वह इस स्वास्थ्य परम्परा को नहीं तोड़ना चाहते हैं, 31 मार्च तक बजट पास करना था हमको इतना मौका नहीं मिला कि विधेयक पेश करते। आप परम्परा का पालन करें, मेरा सहयोग है लेकिन आपने 2 फरवरी से पहले ही सत्र क्यों नहीं बुलाया जबकि समय कम था, कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने आपको रोक रखा है ?

तीसरी बात यह है कि यह दलील दी जा सकती है कि जब दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सत्रावसान हो जाय तो यह सरकार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की सलाह दे सकती है। जहाँ तक नियमों का सवाल है मैं चुनौती तो नहीं देता हूँ लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि क्या यह डिमोक्रेसी का मखौल नहीं है कि आर्डिनेन्सेज को जारी करने के लिये 11 तारीख को विधान परिषद् का सत्रावसान किया जाता है और फिर 6 दिन बाद 17 तारीख को आहूत किया जाता है। इस पर कितना व्यय होगा कि माननीय सदस्यों को स्पेशल मैसेन्जर और टेलेक्स से यहाँ बुलाया जायेगा। क्या यह प्रजातंत्र का मखौल नहीं है कि राज्यपाल को गलत सलाह दी गई है ? मैं चाहता हूँ कि इस पर आप अच्छी तरह से सोच विचार कर अपना निर्णय दें।

श्री फखरे आलम—

अध्यक्ष महोदय, जो बातें माननीय गुप्ताजी ने, माननीय रियासत हुसैन ने, माननीय राम स्वरूप वर्मा तथा माननीय भीखालाल जी ने कहीं, उनके अलावा मैं सिर्फ एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया जाय जो कि सरकमस्टांसेज को एक्सप्लेन करता हो और ऐसे सरकमस्टांसेज को जो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता हो, उसे आपने सदन के पटल पर तो रखा नहीं तो मेरा कहना है कि आप आर्डिनेन्स ला नहीं सकते हैं। मैं इस बात को चैलेंज नहीं करता कि राज्यपाल आर्डिनेन्स नहीं ला सकते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे राइट्स का हनन हो रहा है। इसी में जो सब-रूल (3) दिया हुआ है उसके मुताबिक तीन दिन का नोटिस देने के बाद आप चर्चा करा सकते थे। यह अख्तियार भी हमारा आपने खत्म कर दिया। इस तरह से मेरा कहना है कि आप कांस्टीट्यूशन को मेसेक्री कर रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए।

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—**

मान्यवर, माननीय सदस्यगण ने बहुत ही योग्यतापूर्वक बहुत सी बातें आपके समक्ष रखीं। मान्यवर, हमारे संविधान के जो लक्षण हैं, जो केरेक्टरस्टिक्स हैं, जो सिद्धान्त हैं, उनके हिसाब से समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मान्यवर, जो हमारा लिखित कांस्टीट्यूशन है, जो कि सबसे बड़ा कांस्टीट्यूशन पूरे विश्व का है। इसके साथ ही साथ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे संविधान में वे सब चीजें प्रोवाइड की गई हैं जो किसी भी स्थिति का मुकाबला कर सकती हैं। मान्यवर, उसमें आर्टिकिल 213 जो दिया गया है उसमें इसके बारे में कहा गया है। मान्यवर, हमारे संविधान को बनाने वाले जो थे, उनकी बड़ी पैनी दृष्टि थी। उन्होंने यह भी देखा था कि एक ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि जब विधान सभा तथा विधान परिषद् दोनों का सत्र चल रहा हो। मान्यवर, सरकार ने फरवरी के पहले दिन ही जब विधान सभा सत्र प्रारम्भ हुआ था, उसी दिन सारे आर्डिनेन्सेज जो पारित किये गये थे, उनको इस सदन के सामने रख दिया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार की कोई बुरी नीयत होती तो उन्हें सदन के पटल पर न रखती लेकिन वे सारे आर्डिनेंसेज सदन के पटल पर रखे गये। मान्यवर, आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं, मैं और किसी के लिये नहीं कहता, हम लोगों ने जो प्रयास किया आपके कक्ष में बैठकर कि हमारे जो विधायी कार्य हैं, उन्हें 15 मार्च तक पारित हो जाना है वरना ये लेप्स हो जायेंगे....

श्री रियासत हुसैन—

वोट आन एकाउण्ट पास करने के बाद इस माननीय सदन में कौने सी परिस्थिति थी जिससे कि आप आर्डिनेन्स समय से पास नहीं करा पाये ?

श्री अम्मार रिजवी—

मैं उसके बारे में भी कहूँगा। मान्यवर, यही नहीं, बहुत से अध्यादेश हैं जिनको इस सदन के द्वारा पारित भी किया गया। इसको 15 मार्च से पहले पारित हो जाना चाहिए था। जब अध्यादेश का समय समाप्त हो जाता है उसके लिये आर्टिकिल 213 में लिखा है। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने आयंगर का हवाला दिया। उन्होंने भी शब्द "साधारणतया" लिखा है, आर्डिनरी लिखा है। दूसरी बात, माननीय स्व० मावलंकर जी का हवाला दिया गया। तो उन्होंने भी कहा है कि बड़ी संख्या में अध्यादेश नहीं होने चाहिये। फिर माननीय जवाहरलाल जी का हवाला दिया गया, माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने रिपोर्ट पढ़ दी। तो जहां तक आर्डिनेसेज के बारे में इन विद्वान लोगों की बात है, वह अपनी जगह पर सही है। लेकिन आर्डिनेसेज आज क्यों हो रहे हैं, जो भी सरकार हो, चाहे कितना ही आदर्शवाद की बात क्यों न की जाय लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जायेंगी कि आर्डिनेसेज लाने पड़ेंगे। वह कौन सी आधारशिला है जिस पर आर्डिनेंस आ सकते हैं। यह देखने की बात है यह टीका टिप्पणी, खत या रिपोर्ट जो हैं, यह संविधान के नीचे आते हैं या कि संविधान। जब हम संविधान को सुप्रीम मानते हैं उसमें जो लिखा है उस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिये अगर उसकी मंशा पूरी होती है तो हम यह कर सकते हैं।

तीन बातें इसमें कही गयी हैं धारा 213 (1) को आप देखें, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ इसमें लिखा है जहां दोनों सदन हों और उसमें से एक सत्र में हो और दूसरा न हो "यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियाँ वर्तमान हैं" यानी वह स्थिति पैदा हो गयी है जब कि आर्डिनेंस के जरिये जनहित में कार्य संचालन जरूरी है तो उस समय आर्डिनेंस हो सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। तो 15 मार्च को लैप्स हो रहे थे जिसके लिए यह किया गया। उसमें स्व० मावलंकर जी ने जो बात कही है कि बड़ी संख्या में न हो तो वह बात भी है और आयंगर जी ने कहा है कि साधारणतया। तो साधारणतया भी नहीं है। अभी रियासत साहब ने बात उठायी कि जब बोट आन एकाऊंट ले लिया था तो अगर समय से बजट न भी पास होता तब भी कोई बात नहीं थी। कुछ स्वस्थ परम्परा हमें बनानी पड़ेगी।

श्री अम्मार रिजवी—

पिछले दो साल से हमारे बजट 31 मार्च से पहले पास हो रहे हैं, इस साल भी हमें उसको रखना है। साथ ही साथ हमारे योग्य मित्र, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने नियमावली का हवाला दिया कि यह हमें यहां तुरन्त रख देना चाहिये। तो मैं संविधान के अनुच्छेद 213 (2) की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, उसमें लिखा है कि यह दोनों सदनों वाले राज्यों के लिए लिखा है कि जहां दोनों सदन हैं, वहां दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा। इसमें कहीं पर नहीं लिखा है कि तुरन्त रखा जायेगा। मान्यवर, विधान परिषद सत्र में नहीं है, जब सत्र आयेगा तो उसी वक्त दोनों सदनों में रख दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि आर्टिकिल 213 अलग है, और कार्य संचालन नियमावली के नियम 120 का हवाला दिया जाता है। तो वह संविधान के अनुच्छेद 208 के अन्तर्गत है। यह आर्डिनेंस 213 के अन्तर्गत हुआ है, दोनों में अलग अलग प्राविधान दिया गया है। जैसा मैंने कहा संविधान बनाने वाले जो थे, उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ थीं जो सारी बातों को जानते थे, हर चीज को सोचते थे कि ऐसा प्राविधान रखा जाय जिससे कार्य न रुके।

तो जनहित में यह आर्डिनेंस जारी किया गया है। इसमें किसी प्रकार से संविधान की धाराओं का उलंघन नहीं हुआ है। समय 15 मार्च को लैप्स हो रहा है एक तरफ जब माननीय रियासत साहब से हम कहते हैं कि लेजिस्लेटिव कार्य को करना है तो वह कहते हैं कि 5 बजे के बाद हम नहीं कर सकते हैं। जब हम यह आर्डिनेंस ले आये तो यह कहते हैं क्यों कर रहे हैं। तो दोनों तरह से यह जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती करने की इनकी आदत हो गयी है। इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। संविधान इसके लिए अधिकृत करता है कि जनहित में धारा 213 में हम यह कर सकते हैं। जो नियम 120 का हवाला दिया गया है, वह कहीं भी इससे प्रभावित नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जांय, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

मैंने श्री राम स्वरूप वर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री भीखा लाल, श्री रियासत हुसैन आदि को सुना और संसदीय कार्य मंत्री को सुना है, नियमों को देखकर मैं बाद में इस पर निर्णय दूंगा।

मुख्य मन्त्री को कांग्रेस पार्लियामेण्टरी बोर्ड द्वारा जवाबदेही के लिये दिल्ली बुलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

***श्री मोहन सिंह—**

मान्यवर, उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1988 के नियम 300 को आप देखें जिसमें औचित्य का प्रश्न और उन पर विनिश्चय–(1) औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

तो मान्यवर, संविधान की उन धाराओं के जिनके तहत कार्य यहां संचालन होता है। संविधान की धारा 163 और 164 को देखें जिसके अनुसार महामहिम राज्यपाल को परामर्श देने के लिये एक मंत्रि परिषद होगी और धारा 164 में लिखा है :

1. दि चीफ मिनिस्टर शैल बी एप्वाइण्टेड बार्ड दि गवर्नर एण्ड दि अदर मिनिस्टर्स शैल बी एप्वाइंटेड बार्ड दी गवर्नर आन दि ऐडवाइज आफ दि चीफ मिनिस्टर, एण्ड दि मिनिस्टर्स शैल होल्ड आफिस ड्यूरिंग दि प्लेजर आफ दि गवर्नर.
2. दि काउंसिल आफ मिनिस्टर्स शैल बी कलैक्टिवली रिस्पांसिविल टु दि लेजिस्लेटिव असेम्बली आफ दि स्टेट.

मान्यवर, राज्य की मंत्रि परिषद विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यह भारत का संविधान कहता है। लेकिन मुझे पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि उ०प्र० के इतिहास में मुख्य मन्त्री इस सदन की सार्वभौमिकता और सर्वोच्चता को समाप्त करते हुये अपनी सफाई देने के लिये कांग्रेस पार्लियामेण्टरी पार्टी के सामने दिल्ली गये हैं। इस तथ्य की पुष्टि आज के दैनिक रूप से नगर में प्रकाशित होने वाले नार्दन इंडिया पत्रिका के कुछ अंश मैं पढ़ना चाहता हूँ जिसमें लिखा है कि—

चीफ मिनिस्टर श्रीपति मिश्र हैज बीन सम्मनड टु देहली टु प्रेजेण्ट दि केस आफ हिज गवर्नमेंट्स वर्किग बिफोर दि कांग्रेस आई. एम. पीज. फ्राम दि स्टेट.

दि क्रास एग्जामिनेशन, ह्विच हैज बीन शैड्यूल्ड फार टुमारो इज लाइकली टु बी अटेन्डेड बाई वर्किग प्रेसीडेन्ट आफ दि कांग्रेस-आई, मिस्टर कमला पति त्रिपाठी, एण्ड इज आलसो लाइकली टु बी अटेण्डेड बाई मिस्टर राजीव गाँधी.

अखबार में आगे यह भी लिखा है कि :—

'दि गवर्नर आफ दि स्टेट पार्लियामेण्टरी बाडी, मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह एण्ड मिस्टर के. पी. तिवारी इन ए लैटर टु दि चीफ मिनिस्टर, आस्क्ड हिम टु प्रेजेण्ट हिम सैल्फ बिफोर दि कमेटी विद फुल फैक्ट्स.

तो श्री रुद्र प्रताप सिंह और श्री के० पी. तिवारी ने इस बात का हुकुमनामा जारी किया है कि आपकी सरकार निकम्मी है और जो आपकी कार्यशैली है, उसके बारे में यहां आकर श्री कमला पति त्रिपाठी, श्री अरुण कुमार और श्री राजीव गांधी के सामने अपनी सफाई दें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि श्री अरुण नेहरू और श्री राजीव गांधी इस सदन की सर्वोच्चता का अपमान कर रहे हैं और सदन के सामने जो मुख्य मन्त्री, श्री श्रीपति मिश्र की जबाबदेही है, उसको वह नष्ट करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद—

व्यवस्था का प्रश्न है। अखबारों पर आधारित बात को यहां यह कैसे कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

अखबारों में छपी सूचना को यहां नहीं कह सकते हैं। (व्यवधान) सरकार निकम्मी है, यह शब्द निकाले जायँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

कार्यवाही में देखकर मैं निर्णय करूंगा। (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैंने अपने कथन की पुष्टि में अखबार का हवाला दिया है।

मान्यवर, मैं तो कह रहा हूँ कि उ० प्र० के कांग्रेस विधायक दल को दिल्ली के लोग गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है, लेकिन यदि उनके विधायक गुलाम बनना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। परन्तु यह सदन कांग्रेस पार्टी का गुलाम नहीं है, मुख्य मंत्री की वहां जवाबदेही से हमारी मर्यादा का हनन हुआ है, इसलिये मेरे औचित्य के प्रश्न को आप स्वीकार करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 163 और 164 का कहीं भी उल्लंघन नहीं हुआ है। श्री मोहन सिंह हर बात को अपने एक अलग अंदाज में पेश करने में माहिर हैं और वही किया। मान्यवर, मैं आपका ध्यान दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपकी पीठ से इस पर कईबार निर्णय दिये जा चुके हैं-एक तो समाचारपत्रों की जो भीबातें निकलें उनको लेकर यहाँ कोई बात नहीं उठायी जा सकती है, उनको सोर्स नहीं माना जायेगा। दूसरी बात, मान्यवर, यह है कि जो पार्टी की बात होगी, इंटरनल बात होगी, उसका यहाँ पर जिक्र नहीं किया जाएगा। इस बारे में कई फैसले हो चुके हैं। जो मोहन सिंह जी ने कहा अगस्त में भी मुख्य मंत्री जी गये थे, दिल्ली बराबर आना जाना लगा रहता है। हर मुख्य मंत्री जो यहाँ पर होगा केन्द्र सरकार के पास उसका आना जाना लगा रहेगा... (व्यवधान) यहां पर अरुण नेहरु और राजीव गाँधी का नाम लेना उचित नहीं है, यह मेरा ख्याल है, चूँकि वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं। जहां जहाँ उनका नाम आया है, मेरा अनुरोध है कि उसको निकाला जाए। वह दिल्ली गये और जाते रहेंगे और वहाँ पर संसद सदस्य उनसे भेंट करते हैं। वह जन प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करनी भी चाहिए, उनके साथ बात करने में — इनको क्या एतराज है ? यों तो यह जन प्रतिनिधियों के सम्मान और उनकी बात सुनने की बड़ी बात कहते हैं, लेकिन उनके बात करने में एतराज करते हैं। अखबार में क्या निकला है, कितना तोड़ मरोड़ कर कहा गया है, इससे सदन को सरोकार नहीं होना चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री दिल्ली सरकारी यात्रा से गये हैं, वहां पर संसद सदस्यों से, अधिकारियों से और मंत्रियों से सबसे वह मिलेंगे। और उ० प्र० के लिए जिससे भी मिलना आवश्यक होगा, मिलेंगे। उसमें किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं है। इसलिए यह कहना कि उन्होंने दिल्ली जाकर सदन का अपमान किया है या हमारा अधिकार छीना गया है अथवा उनकी जो रिस्पांसब्लिटी धारा 163 के हिसाब से है, उसका उल्लघंन हुआ है, तो यह किसी तरह मुनासिब नहीं है। यह औचित्य का प्रश्न कहाँ से बनता है ? बराबर यहाँ का मुख्य मंत्री दिल्ली गया है, जाता रहेगा और आगे भी जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को उठाना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने मोहनसिंह जी को और संसदीय कार्य मंत्री को सुना। एक 'पत्रिका' में यह बात निकली है और प्रातः काल जब मैंने इस अखबार में देखा, तो मैंने यह जानना चाहा कि क्या किसी और अखबार में यह निकला है, तो मुझको किसी और अखबार में इस तरह की सूचना नहीं मिली। जहाँ तक अखबार इत्यादि का सम्बन्ध है, यदि इस तरह की कोई सूचना निकल जाती है तो उसको इस तरह का नोटिस नहीं लेना चाहिए। जहां तक संविधान और नियमों का सम्बन्ध है इसमें किसी प्रकार का उनका उल्लघंन नहीं हुआ है।

यह पार्टी का अन्दरुनी मामला है, यह उनका अधिकार है एम० पीज० से मिलने का, आने जाने का, उनसे सोचने विचारने का। मैं इसको आचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की बिलकुल इजाजत नहीं देता हूँ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक† 1983

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से मैं उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उ० प्र० विनियोग (1982-83 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1983, जो उ० प्र० विधान सभा द्वारा दिनाँक 10 मार्च 1983 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनाँक 10 मार्च, 1983 को विधान परिषद सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उ० प्र० विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनाँक 14 मार्च 1983 को वापिस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से मैं घोषित करता हूँ कि उ० प्र० नगर महापालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 पर, जिसे उ० प्र० विधान परिषद ने अपनी दिनाँक 24 अगस्त, 1982 की बैठक में पारित किया था, तथा उ० प्र० विधान सभा ने अपने दिनाँक 25 फरवरी, 1983 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनाँक 8 मार्च, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उ० प्र० का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 पर जिसे उ० प्र० विधान सभा ने अपने दिनाँक 4 मार्च, 1983 के उपवेशन में पारित किया था तथा उ० प्र० विधान परिषद ने अपनी दिनाँक 7 मार्च, 1983 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनाँक 10 मार्च, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उ० प्र० का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा —

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उ० प्र० सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983 पर, जिसे उ० प्र० विधान सभा ने अपने दिनाँक 4 मार्च, 1983 के उपवेशन में पारित किया था तथा उ० प्र० विधान परिषद ने अपनी दिनाँक 9 मार्च, 1983 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की

[सचिव, विधान सभा—]

अनुमति दिनाँक 11 मार्च, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उ० प्र० का पाँचवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) बिधेयक, 1983

सचिव विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983 पर, जिसे उ० प्र० विधान परिषद ने अपनी दिनाँक 1 मार्च, 1983 की बैठक में पारित किया था तथा उ० प्र० विधान सभा ने अपने दिनांक 9 मार्च, 1983 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनाँक 11 मार्च, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उ० प्र० का छठा अधिनियम बन गया ।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, उत्तर प्रदेश का प्रथम प्रतिवेदन

श्री खान गुफरान जाहिदी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, उत्तर प्रदेश की हैसियत से, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम से सम्बन्धित, समिति (1978-79) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही के विषय में समिति का कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रथम प्रतिवेदन, प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मन्त्री जी इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में नियम 216(3) के अन्तर्गत कुछ कहेंगे या 216(4) के अन्तर्गत इसकी नोटिस भेजनी होगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय सदस्य नोटिस दे दें ।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कुलपति के कार्यकलापों से सम्बन्धित चर्चा 16 मार्च के स्थान पर 22 मार्च को निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को एक सूचना देना है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सदन ने दिनांक 8 मार्च, 1983 के उपवेशन में सदन का 25 मार्च, 1983 तक का जो संशोधित कार्यक्रम स्वीकार किया था, उसके अनुसार नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कुलपति द्वारा कथित जातीयता, भ्रष्टाचार आदि से विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य ठप्प हो जाने के सम्बन्ध में श्री मित्रसेन तथा श्री भीखा लाल द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा 16 मार्च, 1983 को वर्ष 1983-84 के आय-व्यय की मांगों पर मतदान के उपरान्त निर्धारित हुई थी । अब माननीय कृषि मंत्री के अनुरोध पर एवं माननीय मित्रसेन की सहमति

से उक्त चर्चा दिनांक 22 मार्च, 1983 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उस दिन निर्धारित अन्य कार्यों के पश्चात् निर्धारित करने का प्रस्ताव है। यदि सदन सहमत हो तो यह चर्चा तदनुसार 22 मार्च, 1983 को निर्धारित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो मैंने अभी सदन के समक्ष पढ़ा है, यदि सदन सहमत हो तो यह चर्चा 22 मार्च, 1983 को निर्धारित कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

यह नियम 56 के अन्तर्गत मुझे आज 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। (1) श्री शंकर सिंह की सूचना, गाजियाबाद में एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में है। (2) श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी की सूचना, बिजनौर के तहसील नजीबाबाद में विधायक व तहसीलदार के बीच हुई मारपीट के सम्बन्ध में है। (3) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना, डिप्लोमा फार्मसिस्टों द्वारा हड़ताल की चेतावनी दिये जाने के सम्बन्ध में है। (4) श्री नन्दराम की सूचना, बरेली जिले की फरीदपुर तहसील के अन्तर्गत कई गाँवों में पानी भरने से फसलों के खराब होने के सम्बन्ध में है। (5) श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना, झांसी जनपद के गरसराय टाउन एरिया चौकी के इंचार्ज द्वारा वहां की जनता को नाजायज परेशान किये जाने के सम्बन्ध में है। (6) श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की सूचना, रायबरेली जनपद के मऊ गांव में प्रधान सहित 5 व्यक्तियों को जलाकर मार डालने के सम्बन्ध में है। (7) श्री रियासत हुसैन और राम गोविन्द की सूचना, रायबरेली जनपद मऊ के गांव में प्रधान सहित 5 व्यक्तियों को जलाकर मार डालने के सम्बन्ध में है। (8) श्री धनीराम वर्मा की सूचना, जनपद इटावा के ग्राम हरचंदपुर में टैक्स वसूल किये जाने के विरोध में अनशन किये जाने के सम्बन्ध में है। (9) सर्वश्री मित्रसेन, राम आसरे वर्मा, मसरूर जाफरी, गोपीनाथ वर्मा, खैरुल बशर की है, पुलिस कर्मियों द्वारा ग्राम मकनीपुर, जनपद सुल्तानपुर में आग लगा देने से एक युवती की मृत्यु के सम्बन्ध में है।

समय 1.25 से

माननीय गोपीनाथ वर्मा जी की सूचना फैजाबाद की नगरपालिका, जलालपुर के कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में है। माननीय अकबाल हुसैन की सूचना प्रदेश के मा० मुख्य मन्त्री को प्रदेश सरकार के कार्यकलापों के सम्बन्ध में जानकारी देने हेतु सांसदों के सम्मुख तलब किये जाने के सम्बन्ध में है। इस पर मैंने सुरक्षित रख लिया है। मैंने उत्तर दे दिया है। मैं समझता हूँ कि इस पर बहस हो गयी है और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

अब इसमें सुनने की क्या बात है ? माननीय मोहन सिंह ने कह दिया है। किसको मैं सुनूँगा ? यह निर्णय बाद में दूँगा।

श्री मोहन सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री हुकमसिंह की सूचना बुलन्दशहर में जिला मजिस्ट्रेट के बंगले पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठी चार्ज तथा उनको गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में है। श्री मेंहदी असगर की सूचना मुजफ्फरनगर के ग्राम जीवनीपुर आदि में जोत की जमीन गंगा नहर में डूब जाने के सम्बन्ध में है।

मैंने इनको अच्छे तरीके से देख लिया है और माननीय शंकर सिंह, माननीय कुंवर सिंह नेगी, नरेन्द्र सिंह, माननीय मोहन सिंह, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय, हुकम सिंह, माननीय मेंहदी असगर को सुनने के लिये स्वीकार किया है। बाकी पर नियम 56 के अन्तर्गत निर्णय बाद में दूँगा।

***श्री शंकर सिंह—**

मान्यवर, गाजियाबाद से केवल 12 किलोमीटर के फासले पर ग्राम लोनी में जो घटना घटी है उसमें 3 व्यक्तियों की नृशंस हत्या कर दी गयी है। आपके सेंट्रल यू० पी० पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड में इस तरीके की घटनाएँ हुई हैं। यह घटना बिल्कुल देहली के दरवाजे पर हुई है इससे उत्तर प्रदेश की जो ला-एण्ड-आर्डर की स्थिति है, उससे अपने आप पर्दा उठ जाता है। दिन दहाड़े 10, 12 व्यक्ति आग्नेय अस्त्रों से लैस होकर गृह स्वामी के मकान पर जाते हैं और उसका मकान घेर लेते हैं। शिवली नाम के गृह स्वामी को तथा उसके पुत्र को वह मार देते हैं। लेकिन इससे हत्या की आग उनकी नहीं बुझती है। तो वह एक पांच वर्ष के अबोध बालक को जो अपनी मां की गोद में होता है, जो इस गृह स्वामी का नाती है उसको मां की गोद से छीनकर बालक को गोलियों से भून देते हैं। इससे ज्यादा गंभीर घटना और क्या होगी ? मेरा आपसे आग्रह है, यह लोक महत्व की और अविलम्बनीय घटना है। इस पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा होनी चाहिए।

***श्री कुंवर सिंह नेगी—**

मान्यवर, 9 मार्च को तहसील नजीबाबाद में बहुत ही गंभीर और शर्मनाक घटना घटी है। कांग्रेस (आई) के विधायक रतीराम कुछ लोगों के साथ में वहां के तहसीलदार के कक्ष में गये। तहसीलदार और विधायक जी के बीच कुछ तीखी बातें हुयीं और उनमें आपस में वहां पर झगड़ा और हाथापायी हुयी। इसमें तहसीलदार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी वजह से सारे तहसील बन्द हैं और कामकाज ठप है। सारे प्रदेश के तहसीलदार हड़ताल पर जाने वाले हैं। इस प्रकार की घटनाएँ हमारे प्रदेश में निरंतर हो रही हैं। जन प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारियों के बीच में इस प्रकार का टकराव प्रजातन्त्र के लिए खतरनाक है। हमारी शासन प्रणाली में रूल-आफ-ला का सिद्धान्त है। यहाँ पर चाहे कोई कितना बड़ा क्यों न हो कानून से ऊपर कोई नहीं है। सब कानून के नीचे हैं। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ म लेता है तो गलत काम करता है। हमारे प्रजातन्त्र को खतरा हो गया है, यदि इस प्रकार की स्थिति रही तो भयंकर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह बहुत गंभीर मसला है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पर चर्चा अवश्य करायी जाय और इसका कोई ठोस समाधान निकालना आवश्यक है। हमारे सहकारिता मंत्री जी के अनुयायियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री मोहन सिंह—**

अध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर प्रश्न इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पिछली 10 मार्च को बुलन्दशहर जिले के अन्तर्गत किसानों की संघर्ष समिति ने हजारों किसानों का प्रदर्शन आयोजित किया, उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि जिलाधिकारी कचहरी में आकर उनकी बिजली की अव्यवस्था, पानी न मिलने की जो परेशानी है, जिस कारण रबी की फसल बरबाद हो रही है, उससे संबन्धित उनका ज्ञापन लेने का कष्ट करें, यह आग्रह किया गया। लेकिन, दिन भर जिलाधिकारी वहां पहुँचे नहीं, ऐसी स्थिति में संध्या की बेला पर कुछ प्रदर्शनकारी ज्ञापन लेकर उनके बंगले पर पहुँचे, ये लोग जैसे ही बंगले पर पहुँचे, पुलिस ने उन पर बर्बर लाठी चार्ज किया, यहाँ तक कि सदन के आदरणीय सदस्य श्री किरन पाल सिंह को गम्भीर चोटें पहुँची, उनकी कई हड्डियां टूट गईं, 200 से अधिक कार्यकर्त्ताओं, किसानों को गिरफ्तार करके, उन्हें जेल में ठूँस दिया गया और विधायक को बुरी तरह मारा गया। इसलिए मान्यवर यह लोक महत्व का प्रश्न है। किसान मारा गया, प्रदर्शनकारी मारे गये। गाँधी के देश में नोटिस देकर शांतिपूर्ण अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन करने वाले विधायक और किसानों को मारा जाय, इससे शर्मनाक घटना दूसरी नहीं हो सकती। इस पर आप चर्चा करा दें, इतना मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ।

(बुलन्दशहर)

***श्री यशपाल सिंह (बुलन्दशहर)—**

मान्यवर, बुलन्दशहर की घटना का जिक्र माननीय मोहन सिंह जी ने दिया। मैं इस सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूँ कि किन परिस्थितियों में यह घटना घटी और किन के द्वारा घटी, जब तक यह प्रकाश में नहीं आयेगा, तब तक यह ग्राह्य हो या न हो इसमें बड़ी मुश्किल हो जायेगी। प्रथम तो यह है कि जैसाकि इन्होंने कहा कि विधायक किरन पाल सिंह को चोटें लगीं, उनकी कई जगह से हड्डियाँ टूट गईं। तो मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूँ कि वे वहां पर नहीं थे, न वे लाठीचार्ज के समय शामिल थे, न उनकी हड्डियाँ टूटीं। साथ ही दूसरी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिस किसान समिति का आपने जिक्र किया है, उसका एक भारी प्रदर्शन नाम से यह मेरे पास कागज है, इसे मैं अभी आपके पास भिजवा रहा हूँ। इसमें खुला चेलेन्ज है और इसमें जो स्वागत समिति बनायी गयी है, उनमें जो पहले के नाम हैं, उनमें चार आदमी वे हैं, जिन पर 392 के अन्तर्गत मुकदमे दो व्यक्तियों पर चल रहे हैं और दो व्यक्तियों पर पुलिस मजहमत के केस चल रहे हैं। पुलिस से अपने को बचाने के लिये इन्होंने इस प्रदर्शन का आयोजन किया, ताकि पुलिस का ध्यान उस तरफ से हट जाय। मान्यवर, इसमें बिलकुल स्पष्ट लिखाहै कि

"हे भारत के पांडवो, किसानों जागो ये मण्डी समित के भ्रष्ट कर्मचारी व व्यापारी कौरव न केवल किसानों पर हँस रहे हैं बल्कि लूट-लूट कर किसानों की इज्जत द्रोपती को नंगा कर रहे हैं और राजनीतिक के भीष्म पितामह तुम्हारे साथ हो रहे अत्याचार को जानकर व देखकर भी चुप हैं। द्रोणाचार्य के रूप में पुलिस व डी० एम० इन लुटेरों की मदद कर रहे हैं।

किसानों उठा लो अपना गांडीव, उठालो अपनी गदा, तुम ही आज के महाभारत के अर्जुन हो, तुम्ही भीम हो। अत्याचारी व अत्याचार का नाश नहीं करना है, भारत को पवित्र धरती पर न्याय की स्थापना तुम्हीं करोगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री यशपाल सिंह —]

आओ 10 मार्च को डी० एम० बुलन्दशहर के कार्यालय पर अपना प्रथम शक्ति परीक्षण होगा। मान्यवर, यह शक्ति परीक्षण होना इन्होंने स्पष्ट लिखा है। यह किसान सेवा स्थाना पेट्रोल पम्प से ठीक 10 बजे प्रातः ट्रैक्टर ट्रॉलियों के द्वारा किसान संगठन के झण्डे के नीचे एकत्र होकर बुलन्दशहर की ओर चलेगी मान्यवर, इसमें कहीं भी कोई ज्ञापन और मांगों एवं और किसी चीज का जिक्र नहीं है। वास्तव में यह हुआ है कि इसमें जो लोग आये हैं उनकी परेशानी थी, मण्डी समिति के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध, इनकी जो कारगुजारिया थीं, वह मण्डी समिति नहीं बर्दाश्त करती है। तो इस सम्बन्ध में यह इसलिये आये कि···

श्री ख्वाजा हलीम—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ···

श्री अध्यक्ष—

एक वर्जन आया है, दूसरा भी तो आने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री धनी राम वर्मा—

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी ने अभी कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया और बताया कि इस तरह से किसानों पर लाठी चार्ज हुआ। मान्यवर, किसी भी तरह से नियम के तहत नहीं है, दूसरा माननीय सदस्य उसके सम्बन्ध में बोले ···

श्री अध्यक्ष —

आप बैठें। मैंने आपकी बात को सुन लिया है। यह सदन में होता आया कि यदि दूसरी तरफ का कोई सदस्य ग्राह्यता पर बोलना चाहते हैं, तो उसको मौका दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार से किसी नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

एक सदस्य —

चार लोग घर में बन्द करके जला दिये गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

कृपया बैठिये।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक तथ्य हमने दिया, एक उधर से माननीय सदस्य ने दिया, इसलिये तो हम चाहते हैं कि चर्चा हो जाय और सही तथ्य क्या है यह जानकारी सदन को हो जाय।

श्री यशपाल सिंह—

मैं यह कह रहा था कि किन परिस्थितियों में घटना घटी। लोग प्रदर्शन करते हुये

जिलाधीश के घर पर गये। मंडी समिति का चेयरमैन जो एस०डी०एम० होता है, वह वहाँ मौजूद थे ,उन्होंने उन लोगों से कहा कि आपको जो शिकायत हो हमें बतायें, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, इस पर उन लोगों ने उनको अपनी वे बातें बताने से इनकार कर दिया। और चौराहे पर, जहाँ पर से मुरादाबाद, बरेली आदि के लिये सड़कें जाती हैं, कचहरी रोड पर, टैक्टरों को ले जाकर पूरा रास्ता जाम कर दिया और बुलन्दशहर का जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया। एस० पी० ने उन लोगों को समझाया, पर उनके कहने का भी असर नहीं हुआ। फिर इसके बाद माननीय किरन पाल सिंह जी उनको समझाने के लिये गये, लेकिन उनको समझाने से भी वे नहीं माने। भीड़ में जो क्रिमनल माइण्ड के लोग थे वे प्रशर्शन करने पर उतारू थे। वे लोग प्रदर्शन के रूप में जिलाधीश के बंगले में पहुँचे। रात के दो बजे वहाँ गये और घर के अन्दर घुसने की कोशिश की। वहाँ पर जो सामान रखा था उसको तोड़ा। स्थिति गम्भीर देख कर कलेक्टर की रिपोर्ट पर माइल्ड लाटी चार्ज किया गया। यह घटना है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

जो विषय माननीय मोहनसिह जी ने उठाया है, और जिस पर माननीय यशपाल सिह जी ने एक बयान दिया कि कलेक्टर के घर में प्रर्दशनकारी घुसे। तो इस पर चर्चा हो जानी चाहिये ताकि वाकयात मालूम हो जायें।

श्री अध्यक्ष—

मान्यवर, कान से सुनी और आंख से देखी बात में अन्तर हुआ करता है। मुजफ्फरनगर में एक मध्य गंगा नहर बैराज बन रहा है। वहां पर 4 गाँव ऐसे हैं खजानीपुर, जीवनपुरी जलालपुर कसाई वाला जिनकी आबादी और मकान व कुल जमीन उस एरिया में आ गयी है जिसमें यह बैराज बन रहा है। वहां के 17 गांव ऐसे हैं जिनकी खेती वह जमीन उस बैराज में आती है। उन चारों गांव के लोग तथा 17 गांव के लोग परेशान हैं। और इनमें 95 प्रतिशत वे लोग हैं जो पिछड़े और हरिजन जाति के हैं। 13 तारीख को मैंने जो उन लोगों की हालत देखी है, उसे अगर सदन का कोई भी माननीय सदस्य जाकर देखता तो बिना रोये नहीं रह सकता था।

मान्यवर, एक नाला वहां से निकला है जिसका नाम है पाहा। उसका पानी गंगा में जाता है। जब वह बांध बना तो उस नाले का पानी रुक गया। उससे पानी फैल गया और जितनी फसल थी वह सारी डूब गयी। सरकार जो मुआवजा दे रही है वह बहुत कम है और वह उतना भी नहीं है जितनी कि उन लोगों की लागत उसमें आयी है। उनकी लागत भी वापस नहीं दी जा रही है। अब दो प्रश्न सामने आता है। एक तो उनके वहां से उठने का और दूसरा उनकी जो फसल नष्ट हो गयी है। जो फसल नष्ट हो गयी है उसके कारण आज वह क्या खायें क्या बोयें और यह भी पता नहीं है कि कल को कब उनको उठना पड़ जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर आप चर्चा अवश्य करादें। 4 हजार आबादी चारों गांवों की है जिनकी समस्या इतनी गम्भीर है कि जिन्दगी और मौत का सवाल है। मैं वहाँ गया था उन लोगों का कहना है कि हमको जमीन के बदले जमीन मिल जाय और अगर जमीन के वदले जमीन नहीं मिलती है तो हम जान दे देंगे लेकिन वहाँ जन्म भूमि से हटेंगें नहीं। जो फसल नष्ट होने का मुआवजा दिया गया है वह ज्यादा दिया जाय। ऐसी स्थिति में उन गरीबों पर ध्यान दिया जाय और इस पर आप चर्चा करादें।

श्री अध्यक्ष—

अग्निहोत्री जी, जो निर्णय किया गया था कि 3-4 को हम लोग सुनेंगे। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री —

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में जो काम फूलन देवी करती थी वही काम वहां की टाउन एरिया गुरुसराय की पुलिस कर रही है। वहां की पुलिस ने बाजार को लूटा और अनन्तराम अग्रवाल के घर में घुसकर 3 हजार 3 सौ रुपया लेकर चले गये और यह राज्यमन्त्री जी का क्षेत्र है। पुलिस ने लोगों पर लाठियों का प्रहार किया और चोटें आयी। अस्पताल में डाक्टरी हुई। लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है। 10 मार्च से 15 हजार आबादी वाले टाउन एरिया का बाजार बन्द है। यह बहुत बड़ी बाजार है। वहाँ पर तनाव की स्थिति पैदा हो गयी है। अगर शासन द्वारा किसी प्रकार का वक्तव्य न दिलाया गया और चर्चा न कराई गयी तो पुलिस और जनता में बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ यह बहुत लोक महत्व का प्रश्न है इस पर चर्चा करादें।

(श्री धनी राम वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह सम्भव नहीं हो सकता है कि सब को सुना जाय।

***श्री मित्रसेन—**

मान्यवर, 3 मार्च को ग्राम भवानीपुर में थाना कूड़ेभार की पुलिस ने एक लकड़ी काटने वाले को कुन्दे से मारा। गाँव वाले इकट्ठा होकर उन पुलिस वालों को हटा दिया। दूसरे दिन पुलिस वाले अपने दलबल के साथ आकर गाँव के सभी स्त्री पुरुष को बाहर करके थाने ले गई और बाद में पुलिस कर्मी ने आग लगा दिया, 9 घर जल गये। एक लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी वह भी उसी घर में जलकर मर गयी। यह मुख्य मंत्री का क्षेत्र है। यह घटना बाहर नहीं जाने पायी। जनमोर्चा में यह प्रकाशित हुआ। इतने दिन हो गये पुलिस के घेरे में गाँव है। इस पर मुख्यमंत्री से जरूर वक्तव्य दिलवा दें स्थिति स्पष्ट हो जायेगी मेरी सूचना गलत होगी तो मैं वापिस ले लूँगा लेकिन वक्तव्य जरूर दिलवा दें। मान्यवर, पुलिस वाले लड़की के साथ बलात्कार करना चाहते थे वह अपनी इज्जत को बचाने के लिए भागी और जल कर मर गई। मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर वक्तव्य की मांग करता हूँ।

श्री धनीराम वर्मा –

मैंने 301 और नियम 56 में दिया। आमरण अनशन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह सम्भव नहीं है नियम 56 में जो भी सूचनायें दी गई हैं, आप भी चाहते हैं, चौधरी साहब भी खड़े हैं, नन्द राम भी खड़े हैं, क्या यह सम्भव है कि सब बातों को सुना जाय ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री धनीराम वर्मा—

× × ×

श्री अध्यक्ष—

कोई चीज नहीं लिखी जायेगी ।

(व्यवधान)

(श्री धनी राम वर्मा खड़े होकर लगातार कुछ बोलते रहे जो व्यवधान के कारण सुनाई नहीं दिया ।)

श्री अध्यक्ष—

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा—

× × ×

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । क्यों बोल रहे हैं ? जब मैंने इजाजत नहीं दी है । कोई चीज नहीं लिखी जायेगी । मैंने निवेदन किया है, मैं कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

कल इस पर चर्चा हो चुकी है, इस पर निर्णय हो चुका है । पाँचों प्रधानों के बारे में । तो दुबारा क्यों ले लूँ ?

मैंने नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सभी सूचनाओं को देखा और मा० कुछ सदस्यों को सुना भी । आप बैठिये । बैठते क्यों नहीं ? मैं बोलने की आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं सबको अस्वीकार करता हूं लेकिन

(व्यवधान)

शंकर सिंह और मेंहदी असगर की जो है, उसके विषय को वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूँ, मोहन सिंह की सूचना को शासन के पास भेज दिया है···

श्री मोहन सिंह—

नहीं मान्यवर, बहुत महत्त्वपूर्ण है, एक विधायक का···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

मित्र सेन की भी शासन के पास भेज देता हूँ, बाकी सूचनायें भी मैंने अस्वीकार की हैं ।

(व्यवधान)

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री अध्यक्ष—]

मैंने कह दिया कि शासन को भेजे देता हूँ, क्यों खड़े हैं आप लोग ? कृपया बैठिये ।

मद संख्या 11 वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर विवाद

(श्री धनी राम वर्मा लगातार कुछ बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष—

वर्मा जी, मैंने कह दिया है कि मैं इसको शासन के पास भेज देता हूं, आप बैठें कृपया । मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

1983-84 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 9 कृषि विभाग (औद्योगिक विकास) तथा अनुदान संख्या 10-कृषि विभाग (कृषि)

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

(शोर के मध्य) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-9 कृषि विभाग (औद्योगिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,35,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(श्री गोपी नाथ वर्मा लगातार कुछ बोलते रहे)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10 कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 73,81,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(श्री मसरूर जाफरी कुछ बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष—

मित्रसेन जी, क्यों खड़े हैं आप ? आप लोगों को बोलने के लिए रह जायेगा, बैठें आप लोग ।

श्री मसरूर जाफरी —

× × ×

श्री अध्यक्ष—

बैठें आप । मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । कोई चीज नहीं लिखी जायेगी ।

(व्यवधान)

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, हमारा प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश एक कृषि प्रधान देश है । हमारे इस प्रदेश में 80 से 84 प्रतिशत ग्रामीण अंचलों में रहने वाले किसान और मजदूर खेती पर ही आधारित हैं । हमारा एग्रोकल्चर उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। मान्यवर, इससे पूर्व कि मैं अपने विचार एग्रीकल्चर विभाग क्या कर रहा है, इस ओर

(इस समय 1 बजकर 51 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री यशपाल सिंह पीठासीन हुए ।)

दूँ । उत्तर प्रदेश का चित्र सम्मानित सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ । उत्तर प्रदेश का रिपोर्टेड रकबा, जियोग्राफिकल नहीं बल्कि राजस्व के आंकड़े के आधार पर लगभग 297 लाख हेक्टेयर है । इसमें वन--51·29, ऊसर--11.41, खेती के अतिरिक्त दूसरे इस्तेमाल में आने वाली चीजें जिन पर देहात रेलें, सड़कें, नहरें हैं--22 80, जो बेकार जमीन पड़ी है उत्तर प्रदेश में--11·48, चारागाहों में 2.96, झाड़ियों में तथा दूसरे पेड़ों में 6·39, पड़ती पडी हुई 11.690 लाख हेक्टेयर है । बकाया रकबा जिस पर खेती करनी है वह 172·21 लाख हेक्टेयर है । यहाँ पर आमतौर पर चर्चा होती है आसपास के प्रान्तों की। उनके सम्बन्ध में भी जानकारी दी जाती है तथा ली जाती है । अन्य प्रान्तों के मुकाबले में उत्तर प्रदेश की स्थिति की जानकारी देने की भी मैं आवश्यकता समझता हूँ जिससे कि सम्मानित सदस्यों के सुझाव कृषि विभाग के बारे में प्राप्त हो सकें ।

उत्तर प्रदेश में एक हेक्टेयर तक के किसानों का जो प्रतिशत है, वह लगभग 69·4 प्रतिशत है । एक से दो हेक्टेयर तक के किसानों का प्रतिशत 16.4 प्रतिशत है । दो से चार हेक्टेयर तक के किसानों का प्रतिशत 9·6 प्रतिशत है । चार से 10 हेक्टेयर तक के किसानों का प्रतिशत 4·1 है तथा दस हेक्टेयर से ऊपर वाले किसानों का प्रतिशत 0 5 प्रतिशत है । इसके साथ ही मान्यवर, दूसरे प्रदेशों में इन आँकड़ों को देखें । पंजाब में जो एक हेक्टेयर तक की भूमि के किसान हैं उनका प्रतिशत 42·4 प्रतिशत है । हरियाना का 30.8 प्रतिशत, मध्य प्रदेश का 32·6 प्रतिशत, बिहार का 72·6 प्रतिशत है । तमिलनाडु का 64.6 है । एक से दो हेक्टेयर तक किसानों का प्रतिशत इस प्रकार से है । उत्तर प्रदेश 16·4, पंजाब 18·2, तमिलनाडु 17·7, मध्यप्रदेश 18·8, बिहार 12 प्रतिशत, हरियाणा 18·7 है । मान्यवर, इसी प्रकार से 2-4 हेक्टेयर तक के किसानों का प्रतिशत इस प्रकार है । उत्तर प्रदेश 9·6, पंजाब 18·6, हरियाणा 21 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 20·9, बिहार 9·3, तमिल नाडु 11·2 है । 4-10 हेक्टेयर तक के किसानों का प्रतिशत इस प्रकार है । उत्तर प्रदेश 4·8, पंजाब 16·8, हरियाणा 22·1, मध्य प्रदेश में 20·9 बिहार में 5·2 है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 4·8, पंजाब में 7·4, बिहार में 0·8 तथा तमिलनाडु में ·06 है । मान्यवर, मेरा यह बतलाने का मकसद यह है कि यहाँ के जोतों के आकार को भी दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर एक चर्चा हो । मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं कि यहाँ की 70-87 प्रतिशत जो कृषक हैं, वे गरीबी की लाइन से नीचे रहते हैं । हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक चिन्तन करना होगा इस सम्मानित सदन में ।

आज जिस कृषक को हम दाता कहते हैं जिसके सम्बन्ध में हम कहते हैं कि यह प्रदेश ही किसानों का है हमको किस प्रकार से इनकी स्थिति को सुदृढ़ करना है, इसके सिलसिले में मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूँ। मान्यवर, जब यहाँ पर चर्चा होती है तो मेहरबानी करके सरकार की ओर से जो चलने वाले कार्यक्रम हैं, उनके सम्बन्ध में जो

[श्री यशपाल सिंह—]

इस वर्ष के मौसम की हालत रही है, उसे भी हमारे सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहिए। मान्यवर, दुर्भाग्यवश पिछली गर्मियों में····

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो शंका व्यक्त की है, उसकी मैं शिनाख्त करना नहीं चाहता हूँ मैं तो केवल हालत बतलाने जा रहा हूँ कि हमारे इस प्रदेश में मानसून की हालत किस प्रकार की रही है। सम्मानित सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि मानसून निहायत खराब रहा है। खलिहानों में जो गेहूँ रखा था, वह भी खराब हो गया है। इस वर्षा से केवल इतना ही फर्क नहीं पड़ा। मेरे विचार के मुताबिक और वैज्ञानिकों के विचार के मुताबिक माननीय सदस्य इत्तफाक करेंगे कि जो हमारी भूमि थी, उसमें भी कमी आ गयी। और इस बार हमारे सम्मानित सदस्य जानते हैं कि हमारे प्रदेश में शुरू के जौलाई के महीने में एक खुष्क मौसम रहा जिसके वजह से धान की प्लांटिंग नहीं होने पायी, खरीफ की बुवाई समय पर नहीं होने पायी और इसके साथ ही आखिर में आकर के सितम्बर से और शायद अक्टूबर-नवम्बर तक। इसके साथ-साथ आखिर में सितम्बर से अक्टूबर-नवम्बर तक जो खुश्की का आलम पूरे प्रदेश में रहा, उससे हमारे सम्मानित सदस्य परिचित हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में से बहुत से में बाढ़ रही और उससे फसलों की तबाही हुई। यह तमाम बातें होते हुए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने और उसके एग्रीकल्चर विभाग ने अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उनको दर्शाते हुए मैं चाहूँगा कि सम्मानित सदस्यों को रख सकूँ कि हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किस प्रकार से उन लक्ष्यों की प्राप्ति इन तमाम दिक्कतों के होते हुए की।

82-83 का लक्ष्य चावल का 64 लाख टन था, जिसमें हमने इन तमाम मौसम की खराबी होते हुए भी 56 लाख टन एचीवमेंट किया।

गेहूँ का लक्ष्य जो आने वाली फसल है, 135 लाख टन है, लेकिन हमने इस लक्ष्य को बढ़ाया है और 10 लाख टन और बढ़ाकर 145 लाख टन हमने गेहूँ का लक्ष्य कर दिया है।

मोटे अनाज का लक्ष्य 31 लाख टन का है। इसके साथ ही दालों का लक्ष्य 30 लाख टन का है और इस प्रकार से हमने कुल खरीफ का लक्ष्य 88 40 लाख टन रखा था जिसमें से एचीव किया 77 50 इन तमाम हालात के बावजूद भी।

तिलहन का हमारा लक्ष्य 20 50 लाख टन कपास का 42 हजार गाँठों का लक्ष्य था, जिसमें से एचीव किया 32, 130 हजार गाँठों का जूट का लक्ष्य था, जिसमें एचीव किया 93, इसके साथ-साथ ही हमारा जो दाल दलहन और तिलहन का लक्ष्य है, हम उसके एचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शान्त रहें, सुन लें।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, पहले ये हम लोगों को सुन लें, फिर जवाब दे दें।

श्री यशपाल सिंह—

अगर इस सम्मानित सदन का यह प्रस्ताव हो जाय तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

यह तो मैंने 82-83 के लक्ष्य और एचीवमेंट की बात रखी। 83-84 का जो निर्धारित किया है उससे भी आपको अवगत कराना चाहूँगा। चावल का लक्ष्य 64 लाख टन, गेहूँ का 143 लाख टन, मोटे अनाज का 34·10 लाख टन, दालों का 32 लाख टन, टोटल 274 लाख टन तथा तिलहन का 22·50 लाख टन, कपास का 45 हजार गाँठ और जूट का 140 हजार गाँठ, इस प्रकार से 83-84 का यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन तमाम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, कृषि उत्पादन के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है।

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले आपके सामने जिक्र किया कि कहीं पर तो पानी की बाढ़ की वजह से पानी की बहुतायत रही और कहीं पर सूखे की स्थिति भी रही, जिसका असर फसल पर भी काफी पड़ा। मान्यवर, इस विभाग के लिए पानी तथा बिजली विभाग के सहयोग की बराबर आवश्यकता रहती है, इन्हीं चीजों पर इसकी प्रगति निर्भर है।

(व्यवधान)

श्री ऊदल—

तो मान्यवर, सिंचाई, विजली और कृषि विभाग तीनों इन्हीं को दे दीजिए ताकि फसलें अच्छी रहें। (व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इन चीजों की कमी के बावजूद हमारा विभाग आगे तेजी से बढ़ता गया और अपने लक्ष्य को अचीव करने में प्रयत्नशील रहा। और मान्यवर, इस विभाग की सतर्कता और जागरुकता का ही फल है कि हमारी जो जर्मिनेशन रबी की फसल इस वर्ष की है, वह इससे पहले के बहुत से सालों से अच्छी है और हम आज इसके अचीवमेंट को अन्य प्रदेशों की भाँति लाना चाहते हैं। दूसरे मान्यवर, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा सीड्स प्रोसेसिंग यूनिट्स डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाने का प्रोग्राम है और आज हमारे उत्तर में जो वैराईटीज आफ सीड्स के 3 परसेंट का अचीवमेंट है जिसे हम 10 परसेंट शीघ्र ही कर लेंगे जो हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों में जो इस समय आगे हैं उनसे आगे निकल जायें और इन सीड्स प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स के अन्तर्गत 15 प्लाण्टस हमारे उत्तर प्रदेश में पहले से लगे हुए थे और फिर 10 और लगे। इस तरह हम कृषि प्रोसेसिंग प्लान के अन्तर्गत दो जिलों में और लगाने जा रहे हैं। इसलिये मैं इस आदरणीय सदन के मा० सदस्यों से आग्रह करूँगा वे इस प्रोसेसिंग प्लान के अन्तर्गत अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत इसे अवश्य समावेश करने की चेष्टा करें, जिससे अगले वर्षों में हम काफी प्रगति प्राप्त कर सकें। (व्यवधान)

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, इसे आप डिस्ट्रिक्ट प्लान बता रहे हैं परन्तु प्रोसेसिंग प्लान के अन्तर्गत जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वह सब दिल्ली में ही होते हैं। (व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह—

क्या आप निजी तौर पर लगवाना चाहते हैं ? यनि निजी तौर पर लगवाना चाहें तो ज्यादा खर्च नहीं, यही करीब लाख डेढ लाख रु० का खर्च है । मान्यवर, सीड के साथ ही साथ मैं सम्मानित सदन का ध्यान एक बात की ओर और आकर्षित करना चाहूंगा कि जो दूसरी चीज कृषि के उत्पादन का इम्पार्टेण्ट प्वाईण्ट है और जिसके ऊपर बल देने की आवश्यकता है, वह है फर्टिलाईजर । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारा फर्टिलाईजर का यूज बहुत बढ़ जाने के बाद भी अभी हम इसमें बहुत पीछे हैं । पूरे भारतवर्ष में हमारा प्रान्त पांचवे नम्बर पर है, उनके मुकाबिले में हम बहुत पीछे नहीं हैं परन्तु पूरा भारतवर्ष ही दुनियाँ के दूसरे मुल्कों के मुकाबिले में बहुत पीछे है । हम अपने प्रदेशों में 4 या 5 को छोड़ कर मुख्य रूप से पंजाब को छोड़कर हम किसी भी प्रदेश में पीछे नहीं हैं खाद के युटीलाईजेशन के मामले में ।

श्री धर्मवीर सिंह—

लेकिन कंजम्पशन तो हर साल घट रहा है, इसके लिये आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

अभी तो मान्यवर, मैं अपने चश्में से ही देख रहा हूँ, जब सम्मानित सदस्य के चश्में से देखूँगा तो मुझे भी शायद वैसा ही दिखाई पड़े ।

(हंसी)

श्री मोहन सिंह—

इसमें क्या शक है, अभी तो आप के पास चश्मा ही दूसरा है ।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जो आशंका प्रकट की है, उनके भ्रम का निराकरण करते हुए मैं यह आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सम्पूर्ण भारत में फर्टिलाईजर का यूज 60.67 लाख टन उत्तर प्रदेश में, 12.70 लाख टन मध्य प्रदेश में 2.35 लाख टन है ।

श्री रियासत हुसैन—

यह तो बताइये कि हजार में या लाख में या करोड़ में ?

श्री यशपाल सिंह—

लाख टन में ।

श्री मोहन सिंह—

आप अपनी मदद के लिये राज्य मन्त्री जी को बुला लें ।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, मैं तो कहूँगा कि माननीय मोहन सिंह ही उधर से इधर आ जांय तो ज्यादा अच्छा रहे । तो मैं कह रहा था कि फर्टिलाइजर का यूज सम्पूर्ण भारत में 60.67

लाख टन, उत्तर प्रदेश में 12.70 लाख टन, मध्य प्रदेश में 2.35 लाख टन, राजस्थान में 1.38 लाख टन, बिहार में 2.05 लाख टन, पं० बंगाल में 2.58 लाख टन, हरियाणा में, 2.52 लाख टन, पंजाब में 8.21 लाख टन तथा आंध्र में 6.50 लाख टन व महाराष्ट्र में 5.29 लाख टन। कर्नाटक में 3.84 लाख टन (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शान्तिपूर्वक उनको सुनें। यदि सब बोलते रहेंगे तो आप कैसे उनको सुन पायेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, यह आँकड़े मैंने सम्मानित सदस्य की शंका को दूर करने के लिये बताये। मैं कहता हूँ कि मैं सभी सम्मानित सदस्यों को गम्भीरतापूर्वक सुनूंगा और उनकी जानकारी से फायदा उठाने के लिये, मुस्तफीद होने के लिये उनको सुनूँगा, इसीलिये मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ। आप अपनी सूझबूझ पर ज्यादा शंका न करें, न ज्यादा एक दूसरे को प्रोत्साहित करें।

मान्यवर, इस प्रकार से यह भी इस सम्मानित सदन के सामने रखना चाहता हूँ। पिछले वर्ष में जो खाद का यूटिलाइजेशन हुआ, वह 12.70 लाख टन हुआ। और इस वर्ष का जो यूटिलाइजेशन है, 16 लाख टन। इतना कंजम्पशन इस साल हुआ (किसी माननीय सदस्य के टोकने पर)। मान्यवर, मेरे पास आ जायं मैं ट्रेनिगं भी देता हूँ। मान्यवर, खाद के सम्बन्ध में चर्चा की गयी, उसके बारे में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि उसके बारे में भारी शिकायतें आयीं, माननीय सदस्यों के सामने और सरकार के सामने भी आयीं। इसके संबंध में भारी सख्ती करने के बावजूद भी हमारे सेन्ट्रल फर्टिलाइजर कन्ट्रोल आर्डर में जो कानूनी कमजोरी है उसके कारण पूरे देश में गड़बड़ी है। किसी भी प्रोड्यूसर के खिलाफ या किसी भी लाइसेन्सधारी के खिलाफ अगर हाई कोर्ट का डिसीजन हो गया तो वह सुप्रीम कोर्ट से छूट जाता है। इसके संबंध में माननीय सदस्यों से जरूर ठोस राय लेना चाहता हूँ कि वह इसके बारे में सोच विचार कर राय दें कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। वैसे तो आपके सामने तथा सम्मानित सदन के सामने मैं सभी तथ्य रखना चाहता हूँ।

प्रदेश सरकार ने इस वर्ष जो सख्ती इन लोगों के खिलाफ की है, इनके आकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ आप जरा देखें, फिर भी उसमें बहुत गड़बड़ियां हैं। मान्यवर, जो हमारा विश्लेषण है वह यह है कि उर्वरक के नमूने जो लिये गये इस वर्ष वह 2949 थे इसके साथ ही साथ जिन नमूनों का विश्लेषण हुआ वह 3975, इसमें कुछ बकाया पिछले साल के थे। इन नमूनों में निम्न स्तर के 478 पाये गये। इस सम्बन्ध में छापे 3804 डाले गये और पकड़े गये बोरों की संख्या 14244 है। निरस्त किये गये लाइसेन्स 330, निलम्बित किये गये लाइसेन्स 190, पुलिस में भेजे गये मामलों की संख्या 175 और जेल में भेजे विक्रेताओं की संख्या 39 है। जिन दुकानों को सील किया गया। उनकी संख्या 107 है। मान्यवर, हमारी सरकार ने अपने प्रयासों से यह सब कुछ किया है।

जो सेन्ट्रल फर्टिलाइजर कन्ट्रोल आर्डर है, वह बहुत डिफेक्टिव है, उसमें कमियां हैं। उसमें एक यह प्रावीजन है कि जिसके खिलाफ हम ऐक्शन लेना चाहते हैं, उसको बिना शोकाज नोटिस दिए हुए, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। अगर हम लाइसेन्स का निरस्तीकरण भी करना चाहें तो हमें शोकाज नोटिस देनी पड़ेगी और

[श्री यशपाल सिंह—]

उसके पश्चात् भी अगर उसने नमूने को चेलेञ्ज कर दिया तो संवर्ग नमूना फिर विश्लेषित किया जाना पड़ता है, इस प्रकार बहुत भारी विलम्ब हो जाता है और जो प्रक्रिया है, उसका कोई विशेष इम्पेक्ट नहीं हो पाता है ।

इसलिये मैंने अपनी चिन्ता व्यक्त की । मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य भी इसके सम्बन्ध में चिन्तन करने के पश्चात् अपने विचार अवश्य दें कि फर्टिलाइजर ऐक्ट में हमारी प्रदेश की सरकार कुछ कर सकती है । मेरी तो चिन्ता है और मैं बाहर के वकीलों से और हमारे जो एल० आर० हैं उनसे तो मेरा मशविरा चलता रहता है । मैं चाहता हूँ कि प्रदेश का किसान इन चोरों की गिरफ्त से छूट सकें तो मैं समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा कल्याण हो जायेगा ।

इसके बाद मान्यवर, मैं कृषि रक्षा के सम्बन्ध में भी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुये यह कहना चाहूँगा कि इसमें तत्काल आवश्यकता के आधार पर कृषि विभाग ने अपना पूर्ण प्रयास इस बात के लिये किया है कि कहीं पर ही बीमारी आ जाती है, मैं दावा तो नहीं करता कि सौ फीसदी हमें कामयाबी मिली है और कहीं से कोई शिकायत नहीं है, यह बात सम्भव भी नहीं है लेकिन मैं इस विश्वास के साथ अपनी बात दोहरा सकता हूँ कि जैसे ही किसी माननीय सदस्य ने या किसी भी कृषक ने अगर सरकार के सामने इस तरह की कोई चीज रखी तो उसके ऊपर तुरन्त ऐक्शन हुआ है । मैं एक-दो इन्स्टांसेज देना चाहूँगा । भीखालाल जी बैठे हैं । मुख्य मंत्री जी उन्नाव में गये थे । वहाँ पर कुछ शंकायें जाहिर हुई थीं खलिहान में बीज के बारे में । वे इस बात की ताईद करेंगे कि 24 घण्टे के अन्दर इन्क्वायरी करायी गई और जाँच की गई और सीड स्टोर अगर कोई खराब पाया गया तो उसे फौरन समाप्त कर दिया गया । हमारे सम्मानित सदस्य, सुरेन्द्र सिंह जी अलीगढ़ के बैठे हुये हैं, उनके यहाँ चौबीस घन्टे के अन्दर इन्क्वायरी करायी गई और जो शंका उन्होंने बतायी थी, उसे दूर किया गया । इसी तरह से दो-चार जगहों से भी सूचनायें मिलीं थीं, उनको छिपाया नहीं गया है उनको पूरा किया गया है ।

मान्यवर, मैं अपने इन विचारों के साथ थोड़ा हार्टिकल्चर के बारे में भी सम्मानित सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में जहाँ शुगर-केन का भारी क्षेत्र है, हमारे प्रदेश को इस बात का गौरव प्राप्त है कि यह आलू के उत्पादन में भी इसी तरह का स्थान रखता है । एक बड़े लम्बे अर्से से हमारे आलू के काश्तकारों के सामने जबरदस्त समस्या इस बात की थी कि जिस समय पैदावार खलिहान में आती थी, खेत से बाहर आलू निकलता था तो व्यापारी उसका शोषण करते थे । सामयिक प्रयासों से हमारे सामने जो एक लम्बे अर्से से प्रौब्लम थी कि इस प्रदेश को उस समय वैगन लोडिंग के लिये नहीं मिलते थे, इस वर्ष सम्मानित सदस्य इस बात को देखेंगे कि पिछले वर्षों के मुकाबले में वैगन्स का दुगना प्रबन्ध होकर आज आलू का रेट पिछले वर्ष से पौने दो गुना है । अगर सम्मानित सदस्य चाहेंगे तो मैं वह भी बता सकता हूँ । मैं तिवारी जी का इस्तकबाल करूँगा अगर वे मेरे संज्ञान में कोई इस तरह की प्रोब्लम लायंगे तो उसको रोकने की कोशिश करूँगा···(व्यवधान) । आप बड़े बहादुर हैं और आपकी बहादुरी का सिक्का मानता हूँ ।

समय 2.25 से

मान्यवर, मैं इसके साथ ही यह भी सम्मानित सदस्यों के सामने रखना चाहूँगा कि पिछले वर्ष दुर्भाग्य से या किसी प्रकार समझिये कि शासन की ओर से आलू जो कोल्ड

स्टोरेज में रखे जाते हैं, उसके रेट अगस्त में डिक्लेयर हुए। लेकिन इस बार सतर्कता बर्ती गयी और यह फरवरी में ही कोल्ड स्टोरेज के रेट मुकर्रर कर दिये गये। इससे मैं यह समझता हूँ कि सम्मानित सदस्यों को खुशी होगी।

मान्यवर, वैसे तो बहुत से रोने वाले भी हैं, जिनका हमेशा रोना बना हुआ है। इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि काफी सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे जो सरकारी पक्ष की सूचना होगी, उनको कल तक के लिए रिजर्व रखता हूँ और माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूँ कि वे कृपया आलोचनात्मक सुझाव दें, आलोचना करें कड़ी से कड़ी आलोचना करें उसकी चिंता नहीं लेकिन उसके साथ ही साथ सुझाव भी कंक्रीट दें जिससे प्रदेश के किसानों का हित हो सके। हम और वे मिलकर प्रदेश के जो 85 प्रतिशत के करीब हमारे किसान हैं जो भूख की लाइन से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनका हम मिल कर भला कर सकें।

***श्री हुकुम सिंह—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग (औद्योगिक विकास) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 10—कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है। उधर से कुछ आवाजें कसी गयीं कि कृषि जैसे विभाग पर कटौती का प्रस्ताव रखा गया है लेकिन मैं अपने आप को सही मानते हुए और यह सोचते हुए कि इस विभाग का जो योगदान कृषि उत्पादन में रहा है, उसकी प्रगति को देखते हुए इस बात को कहने के लिये विवश हुआ हूँ कि इनके लिए एक रुपया भी फालतू है, उसकी बरबादी है। उसका मैं कारण देना चाहता हूँ। इनके विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की तादात 25825 है। फौज में 25,824 आदमियों की दो डिवीजन बनती है जिसके कमाण्डर हमारे माननीय यशपाल सिंह जी हैं जो दिशाविहीन, लक्ष्यविहीन और नीतिविहीन विभाग के आंकड़ों के जाल में फंसे हुए हैं। माननीय मंत्री जी ने अभी हमारे सामने आंकड़े दिये कि इतना गेहूँ का उत्पादन हुआ, इतना चावल का उत्पादन हुआ, इतना आलू का उत्पादन हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस उत्पादन में आपके कृषि विभाग का क्या योगदान रहा ? कृषक की जमीन थी, बीज उन्होंने बोया, सिंचाई उन्होंने की, खाद उन्होंने डाली और पैदा हो गया। इसमें आपके विभाग ने क्या किया। (व्यवधान) माननीय सोमांश प्रकाश जी आप वाह वाह कर रहे हैं। तो मैं बीज से ही प्रारम्भ कर रहा हूँ।

आपने बीज के आंकड़े दिये और कहा कि वर्षा होने के कारण बीज खराब हो गया लेकिन इसके बावजूद आपने कहा कि हमारे विभाग ने कोई कमी नहीं होने दी। क्या आपको जानकारी है कि समस्त प्रदेश की जो बीज की आवश्यकता है, उसमें आपके विभाग का कितना प्रतिशत योगदान रहता है ? उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि कृषि विभाग का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकमसिंह—]

योगदान केवल 4 परसेंट है। आप यहां पर एक घंटे का भाषण दे गये और उसकी शाबासी लेना चाहते हैं तो सिवाय इसके कि मुझे आप पर दया आती है और कोई बात नहीं है···

श्री यशपाल सिंह—

मैं आपकी बात का पक्षधर नहीं हूँ आप केवल सुझाव दें।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मैंने गौर से मंत्री जी का भाषण और जो साहित्य मिला है उसको पढा है तो मैंने जानने की कोशिश की कि कृषि विकास के बारे में आपकी नीति क्या है, आंकड़े इकट्ठे करना, बीज बता देना, उत्पादन बता देना, कितनी जमीन ऊसर है और कितनी कृषि योग्य है, क्या यहीं तक आपकी नीति समाप्त हो जाती है ? मैं प्रतीक्षा करता रहा कि खेती की उन्नति के लिये, उन्नत बीज पैदा करने के लिये कोई कार्यक्रम बतायेंगे लेकिन वह नहीं बताया। मान्यवर लिटरेचर में 11 कार्यक्रम दिये गये हैं कि प्रदेश में किस प्रकार कृषि में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम ठीक है लेकिन इन कार्यक्रमों को किसान तक ले जाने की आपकी क्या नीति है ? आपका विभाग प्रदेश के मुख्यालय से लेकर जनपद के मुख्यालय तक समाप्त हो जाता है लेकिन जनपद मुख्यालय के नीचे किसानों तक कार्यक्रम को पहुँचाने का आपका क्या कार्यक्रम हैं, यह जानकारी मैं आपसे चाहता हूँ कि प्रसार कार्यक्रम जो बनाया या बीज खाद और कीटनाशक दवाइयों के बारे में आपने जो कार्यक्रम बनाया है, उसकी जानकारी किसानों को आप कैसे देने जा रहे हैं। यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ।

मान्यवर, अब मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूँ। मेरा सुझाव है कि आप कृषि विभाग को जिले से हटाकर ब्लाक स्तर पर ले जायँ। वहाँ जो ए० डी० ओ० (एग्रीकल्चर) हैं उनका आपके मुख्यालय और आपके विभाग से कोई संबंध नहीं है चूँकि प्लानिंग विभाग के अन्तर्गत वह काम करते हैं। उसके साथ ही साथ जितने कार्यक्रम हैं चाहे वह आई० आर० डी० हों, या एन० आर० ई० पी० हों उनमें वह अपनी रुचि रखते हैं और कृषि विभाग का कोई नियन्त्रण उस ए. डी. ओ. पर नहीं है। ए. डी. ओ से नीचे ग्राम सेवक, जिनको अब ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, उनका भी आपके विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है और वह भी आई. आर. डी. और एन. आर. इ. पी. में रुचि लेते हैं और आपके कार्यक्रमों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं, इसलिए जिला मुख्यालय तक, जो हाँ आपके अधिकारी बैठे हैं, इन कार्यक्रमों को पहुँचाकर आप सोच लें कि वह कार्यक्रम किसानो तक पहुँच गये हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसलिये मेरे सुझाव को आप मानें और कृषि विभाग को जिले से हटाकर ब्लाक स्तर पर ले जांय।

मान्यवर, दूसरा सुझाव है कि करोड़ों रुपये मे मंडी स्थलों का आपने निर्माण करवाया लेकिन वहाँ कोई ऐसा केन्द्र स्थापित नहीं किया जिससे कि वहां किसान आकर यह जान सकता कि हमारे प्रदेश में कृषि विभाग के यह-यह कार्यक्रम हैं। मंडियों में चारों तरफ से लाखों किसान आते हैं, इसलिये मेरा सुझाव है कि आपका वहाँ एक सेवा केन्द्र स्थापित होना चाहिये और वहाँ जितने आधुनिक कृषि उपकरण हैं, जितनी खादें हैं और जो कीटनाशक दवाईयां हैं, जिनके लिये आप पैसा देते हैं, उनकी जानकारी देने की सुविधा किसानों को दी जानी चाहिये। क्योंकि जो मशीनरी आपकी है, भूमि संरक्षण कार्यक्रम जो आपका है, इस पर आप अनुदान देते हैं, लेकिन किसान को इसकी जानकारी नहीं है इसलिए मेरा सुझाव यह है कि आपका मंडी स्तर सेवा केन्द्र ऐसा होना चाहिए जो तमाम

केन्द्र पर शीशा का काम करता हो और इसका चित्रण हो सके। मान्यवर, आपके प्रदेश में लगभग 1200 बीजगोदाम हैं, आप पिछले दो साल का कार्यकलाप देखें, औसतन किसी भी बीजगोदाम पर एक वर्ष में दो लाख से ज्यादा टर्न ओवर नहीं है और अगर दो लाख का टर्न ओवर नहीं है तो 4 अधिकारी, कर्मचारी आपके वहाँ पर काम करते हैं। करीब-करीब 3,000 रुपया उन पर खर्च आता है और केवल दो लाख का टर्न ओवर आप कर रहे हैं, और बीजगोदाम का पता नहीं किस उद्देश्य से किया गया था, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं मिलती है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इन बीजगोदामों को न्याय पंचायत में लाकर, गांव के बीच में स्थापित किया जाय जहां पर ब्लाक बना हुआ है, जहां पर बीजगोदाम बना हुआ है, वहाँ पर आपका सेवा केन्द्र स्थापित होना चाहिये ?

अभी मान्यवर मंत्री जी ने कई चीजें ऐसी कही कि इस प्रदेश में कितनी भूमि कृषि योग्य है, कितनी ऊसर और कितनी बीहड़ पड़ी हुई है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे आपने 174 लाख हैक्टेयर भूमि बताई, जिसमें कृषि हो रही है, जो सम्पूर्ण भूमि का लगभग 60 प्रतिशत बैठता है। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ अधिकांश भूमि समतल है और 60 प्रतिशत पर खेती होती है, अब 60 प्रतिशत भूमि एक रिकार्ड है, हम लोगों की खुशकिस्ती है, हम लोग 60 प्रतिशत खेती कर सकते हैं और खेती कर रहे हैं। मान्यवर 20 साल में हम लोगों ने खेती करते-करते बागात को काटकर, वृक्ष को काटकर जमीन ऐसी कर दी है, जो बाग में भूमि थी, वह 7. 8 लाख हेक्टेयर थी, अब वह घटकर 2.6 लाख हेक्टेयर रह गयी। जो बागों की जमीन थी, कट-कट कर खेती के लायक जमीन बन गयी। मान्यवर, हमारे यहाँ दो प्रकार की जमीनें हैं, एक ऊसर है और दूसरी बीहड़ जमीन है। आपके विभाग का क्या कार्यक्रम है, इसमें खेती कराने का, क्योंकि आपका लक्ष्य जो है, करीब-करीब 20 लाख का है। हालांकि इसमें हमें संदेह है, आपका विभाग ऊसर जमीनों को ठीक करने में बीहड़ जमीन को ठीक करने में कोई काम कर रहा है ? मुझे संदेह है। आपकी अध्यक्षता मे जो आपका विभाग कार्य कर रहा है, आप जाकर देख लें, माननीय सदस्य साक्षी होंगे, क्या वह ऊसर जमीन ठीक कर रहे है या नहीं बीहड़ जमीन ठीक कर रहे हैं या नहीं। अगर सैकड़ों हेक्टेयर जमीनों में कोई प्रगति आई हो, तो मैं मान लूं। इसलिए मेरी मांग है और अनुरोध है कि यदि इस दिशा में प्रगति हो रही है तो प्रशंसनीय है, लेकिन इसमें ज्यादा संदेह है। इसलिए आप इस दिशा में इसके लिए एक समिति का गठन कर दें और उससे इसकी जांच करवा दें, ताकि इस समस्या का निराकरण हो सके। 20 हजार हेक्टेयर्स का आपका लक्ष्य है और कुल 11 लाख एकड़ जमीन है, तो इस हिसाब से कितना समय इसके लिए आपको चाहिए ? 50 साल चाहिए इसके लिए और जो कर रहे हैं, वह करने के बाद सामने आएगा कि उसमें क्या हुआ है, लेकिन कमेटी कहीं जाएगी तो उसका पता चल जाएगा और हमें सही स्थिति मालुम हो सकेगी। तो जो जमीन हमारी बची है जिसके कारण हम लाखों टन अनाज से वंचित हो रहे हैं और जिसके चलते एक इतना बड़ा क्षेत्र दस्यु-ग्रस्त क्षेत्र घोषित हो गया है, उसमें काम करने के लिए और खेती करने के लिए आपको वार-फुटिंग पर काम करना चाहिए था। यह जो आप 10-12 और 20-20 हजार करके धीरे-धीरे ले रहे हैं, यह ढंग ठीक नहीं है, इससे काम चलने वाला नहीं है।

इसके बाद मैं कीटनाशक दवाओं के बारे में दो-चार शब्द कहना चाहता हूँ। अभी गेहूँ की फसल है, सरसों की फसल है, माननीय सदस्य उससे सहमत होंगे कि विभाग इस दिशा में कार्य कर रहा है और कीटनाशक का जहाँ तक सम्बन्ध है, उसके लिए ब्लाक स्तर तक आपका संगठन है। लेकिन इस कार्यक्रम के बारे में भी किसानों को जो सुविधायें मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती हैं। इसमें आपके अनुदान देने की जो बात है, अच्छा हो कि आप अनुदान न देकर उन्हें तमाम दवायें सब्सीडाइज्ड रेट पर दिया करें, ताकि उससे सारे किसानों को समान रूप से लाभ मिल सके। क्योंकि अधिकारी लोग अनुदान देने के

[श्री हुकम सिंह—]

नाम पर भेद करते हैं, मनमानी करते हैं और सबको लाभ नहीं देते हैं। इसके अलावा भी उस पर बी० डी० ओ० का नियन्त्रण है और कृषि विभाग का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। जहां वह चाहेगा, वह चलाया जाएगा, जहाँ चाहेगा, नहीं चलाया जाएगा। इसलिए इसके भी पुनर्गठन की बात आप सोचें, इसे करें, ताकि जो करोड़ों रुपया कृषि विभाग को दिया जा रहा है, उसका लाभ योजनाओं को और सभी किसानों को मिल सके।

मंडी समितियों के बारे में अभी एक सम्मानित साथी कह रहे थे, मंडी समितियों के गठन करते समय यह सोचा गया था कि इसके बाद किसानों का तमाम शोषण समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो उपहास मंडी समितियों का हुआ है, वह किसी से छिपा नहीं है। कहीं-कहीं आपने मंडी स्थलों का निर्माण कर दिया है, लेकिन उसका प्रबन्ध किसके हाथ में है। उन पर हर जगह आज प्रशासक बैठे हुए हैं। क्या डी० एम०, एस० डी० एम० को इतनी फुरसत है कि वह इन विकास कार्यों में इतनी रुचि ले सकें और लोकतान्त्रिक ढंग से किसानों के हित की बात सोच सकें ? उसके बारे में बार-बार आर्डिनेन्स लाया गया है। तो यदि आपकी क्षमता है और आप मंडी समितियों के माध्यम से कृषकों की सेवा कराना चाहते हैं तो अविलम्ब इनका गठन लोकतान्त्रिक माध्यम से कराने की कृपा करें। लेकिन वही प्रक्रिया, जैसी कि 'एग्रो' में की गई है, करना है, तो उससे अच्छी वही दशा है जो चल रही है। वरना वे चुनाव का खर्चा इसी से निकालना शुरू कर देंगे।

एक सदस्य—

जन प्रतिनिधियों और विधायकों के होने से उसमें आपके दल के भी तो होंगे। (व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो आज आपने सदन के सामने सुझाव दिया कि मंडी समितियों का गठन प्रजातांत्रिक प्रणाली से हो जाय तो इसके संबंध में कोई विचार किया है जरा उसको भी बता दें।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मेरा विचार तो रोज रोज बदलता नहीं आपका बदलता होगा। मेरा विचार है कि मंडी समिति अधिनियम का जब इनऐक्टमेंट हुआ तो उस अधिनियम में मंडी समितियों के गठन का जो प्राविधान था, उसके अन्तर्गत आप मंडी समितियों का गठन कर दें। मान्यवर, मंडी समितियों के माध्यम से निसंदेह सेवा हो सकती है और वहाँ पर लाखों करोड़ों रुपया ऐसा आता है जिसके इस्तेमाल से हम काफी तरक्की कर सकते हैं। इससे ज्यादा हमारे लिये दुर्भाग्य ही बात और क्या होगी कि मंडी समितियों के माध्यम से कोई निर्माण कार्य इसलिये नहीं करा सके हैं कि एक रिट याचिका द्वारा तमाम कार्यों पर स्थगन आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है। इस गहराई में मंत्री जी जाते कि इसका कारण क्या है। चूँकि आप इस अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक नियमों का निर्माण नहीं कर सके हैं। तो मेरा सुझाव मानें और बहुत ही भरोसे की राय लें, टेक्निकल राय लें और राय लेकर नियमों का निर्माण करा दें ताकि वह रुपया जो बिल्कुल बरबाद हो रहा है, उससे कृषकों को सुविधा मिल सके।

श्री यशपाल सिंह—

माननीय सम्मानित सदस्य ने पहले भी कहा था जिन नियमों की वजह से बंद है, उसमें क्या कुछ वह संशोधन चाहते हैं, जरा बता दें ?

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को मैं सुझाव दे रहा हूँ। यदि उनकी समझ में अभी तक यह नहीं आया, मैंने एक महीने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, आप कृपा करेंगे, 8-10 दिन के लिये सेवा मुक्त होकर चले जायँ और ऐसे काबिल आदमी को बैठा दें जो कानून भी जानता हो और जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ है उसको इन्टरप्रेट करने में सक्षम हो।

श्री चेतराम गंगवार—

यह काबिल लोग 3 साल कहां चले गये थे ? मान्यवर, माननीय सदस्य ने असंसदीय, अशोभनीय, तथा अवांछनीय भाषा का प्रयोग किया है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हुकम सिंह जी, जरा रुक जायं, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, हुकमसिंह जी कह रहे हैं कि आप अपनी जगह को 10-5 दिन के लिये छोड़ दें और काबिल आदमी को बैठा दें। इस प्रदेश की जनता ने 3 वर्ष के लिये काबिल आदमियों को बैठाया था तो यह कुछ नहीं कर पाये।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न क्या हुआ ?

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, इस पर आप व्यवस्था दें कि किसी को हटाकर काबिल आदमी को बैठा दें, क्या ऐसा कहना उचित है ? मान लीजिये मेरे दो बीबी हैं।....

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता।

श्री चेतराम गंगवार—

एक बीबी अच्छी है दूसरी बुरी है। मुझे इस काबिल शब्द पर आपत्ति है। इसको आप कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता—

यह देख लिया जायगा और अगर कोई अनुचित बात कही होगी लो इसमें से वह निकाल दिया जायगा। लेकिन यह कोई व्यवस्था की बात नहीं बनती है।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, यशपाल सिंह जी की जगह पर कुछ दिन गंगवार साहब को बैठा दिया जाय शायद यही काबिल हों।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग आगे चलने दें। जरा समय का ध्यान रखें।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा सम्मानित, सदस्य गंगवार साहब को····

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बैठ जायं और आपकी बात सुनना चाहते हों, तो कहिये।

श्री यशपाल सिंह—

मैं गंगवार साहब से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि वे कृपया शान्त हो जायं, मैंने एक प्रजातांत्रिक ढंग से एक सुझाव सम्मानित सदस्य से मांगा था, लेकिन इन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से अपनी काबलियत का इजहार कर दिया, इसमें आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, यह अपनी काबलियत का इजहार कर रहे हैं इन्हें कहने दें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हुकम सिंह कितना समय आप और लेंगे ? और सदस्यों की भी इस पर जिज्ञासा होगी, उनका भी ध्यान रखें।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, जितना समय आप दे देंगे।

श्री अधिष्ठाता—

आप यह तो बतायें, कितना समय लेंगे ?

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, इसमें थोड़ा सा समय ही लूँगा। मान्यवर, आज आपके संरक्षण में काबिल कहने पर आक्षेप आया और कबिल शब्द को असंसदीय कहा गया, तो इससे बड़ा नाकाबलियत का सबूत नहीं हो सकता।

श्री अधिष्ठाता—

अब वह बात तो समाप्त हो गयी।

श्री खैरूल बशर—

मान्यवर, गंगवार साहब ने तो दो बीबियों का मामला उठा दिया···

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह चेत राम जो हैं, इनके बारे में जो कहा गया इन पर जो आक्षेप आया, उसका उत्तर तो दिलवा दीजिए।

श्री हुकम सिंह—

माननीय मंत्री जी ने बताया, जो हमको साहित्य मिला है, मुझे ताज्जुब है, इसमें लिखा है कि 90 लाख हेक्टेयर जमीन में चूहे का प्रकोप रोकने के लिए आपका कार्यक्रम है। इसमें चेतराम जी आपको क्या कहूँ ?

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, इनका फार्म भी इससे लाभान्वित होगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, चूहों के संरक्षण के लिए आप अपने श्री मोती लाल देहलवी को भेज दीजिए। (हँसी)

श्री हुकम सिंह—

केवल पुस्तक मात्र में लिख देना कि 90 लाख हेक्टेयर जमीन में आपका चूहे का प्रकोप रोकने का कार्यक्रम है, 50 लाख हेक्टयर में जो दूसरे रोग लगते हैं, आप उसको रोकेंगे ? मेरा कहना है कि आप इसमें कम से कम दो लाइन इस बात की लिख देते कि इस सम्बन्ध में आपका कार्यक्रम क्या है, क्या रूपरेखा है, किस प्रकार से आप इसको रोकेंगे, कौन सी दवा इस्तेमाल करने जा रहे हैं, कौन से उपकरण आप प्रयोग में लायेंगे, ताकि आपका कार्यक्रम स्पष्ट होता। लेकिन केवल दिल बहलाने के लिये, या लोगों को बताने के लिए कि एक हमारा यह भी कार्यक्रम है, यह आपने लिख दिया, तो आप सपना देखते रहें। न आपके पास इस कार्यक्रम की कोई विस्तृत रूपरेखा हैं, न उपकरण हैं, न इस बाबत कोई प्रशिक्षण ही है, तो आप इस उपलब्धि को कैसे हासिल कर सकेंगे, यह मैं समझने में समर्थ नहीं हूँ।

इससे आगे मान्यवर, देखें। कृषि शिक्षा के प्रशिक्षण के बारे में बहुत लम्बा चौड़ा कार्यक्रम इन्होंने दिया, करोड़ों रुपये का आपने प्राविधान कराया इसमें, लेकिन कृषि से सम्बन्धित शिक्षा और प्रशिक्षण का सीधा फायदा जब तक फील्ड में काम करने वाले उस किसान को नहीं होगा, तब तक चाहे आप तीन विश्वविद्यालयों की जगह 10 विश्वविद्यालयों की स्थापना करें, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तीन विश्वविद्यालय आपके हैं, एग्रीकल्चर डिग्री कालेज हैं, प्रशिक्षण केन्द्र हैं, लेकिन इन केन्द्रों के माध्यम से केवल साल भर में नुमाइश लग जाय, नुमाइश लगने के बाद, मेला लगने के बाद वहाँ माल्यार्पण हो जाय, स्वागत सत्कार हो जाय, चाय-बिस्कुट हो जाय, उससे आपने समझ लिया कि किसान को फायदा पहुँच गया, उससे किसान को क्या फायदा पहुँचा ?

मान्यवर, इन नुमाइश आदि में लाखों रुपया इस प्रदेश सरकार का लिया जा रहा है। लेकिन, यदि आप ईमानदारी से कृषि शिक्षा से किसान को लाभांवित करना चाहते हैं, तो उसमें मेरा सुझाव यह है कि आप हर विश्वविद्यालय के लिये यह अनिवार्य कर दीजिए कि कम से कम 50 गांव एक साल के लिए, दो साल के लिए, वह एडाप्ट करें। और वहां पर जो रिसर्च का काम हो रहा है, उसका लाभ गांव के किसानों तक पहुँचाया जाय।

पंत नगर यूनिवर्सिटी की पहले एक बहुत अच्छी भूमिका रही है और इसमें संदेह नहीं है कि उसने अच्छे अच्छे बीज निकाले। लेकिन पिछले 5 वर्षों में उसकी हालत क्या

[श्री हुकम सिंह—]

हो गयी है, उसे देखने की जरूरत है। मैं जानना चाहता हूँ कि वही विश्वविद्यालय जो विश्व में अपना एक नाम रखता था, आज वह कहाँ जा रहा है ? आज क्यों वह राजनीति का अड्डा, यूनियन बाजी का अड्डा, तथा अन्य कुरीतियों का अड्डा बन गया है ? आप कहेंगे कि वह आटोनामस संस्था है, पर आप तो उसे 4 करोड़ रुपये का अनुदान दे रहे हैं। जब आप अनुदान देते हैं तो आपका यह भी फर्ज है कि आप उसे देखें कि वहां की हालत दिन पर दिन कैसे खराब होती जा रही है। उसके पास 16 हजार एकड़ का फार्म है—6 हजार एकड़ भूमि तजुर्वे के लिये और 10 हजार एकड़ भूमि कार्मशियल काम के लिये है। जो विश्वविद्यालय 10 हजार एकड़ का फार्म रखने के बाद भी अपने संसाधन नहीं जुटा पा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे ? उससे हम क्या आशा करेंगे कि वह किसानों के उत्पादन में वृद्धि करवा पायेगा ? इसी विश्वविद्यालय ने पहले 10 हजार एकड़ भूमि से एक करोड़ 69 लाख का लाभ दिया था, वह लाभ घट कर शून्य हो गया है। आप कभी इसकी डिटेल्स में गये ? कभी आपने इसकी जांच के लिये कोई कमेटी बिठायी ? दूसरे विश्वविद्यालय बनाने से पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि जो विश्वविद्यालय हमने बना रखे हैं, वे कहां से कहां पहुँच गये हैं।

मान्यवर, अब मैं कुछ और महत्व की बातों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। सिंचाई विभाग में 42 अधिशासी अभियन्ता नहीं हैं, लेकिन काम हो रहा है, पी०डब्लू०डी० में एक दर्जन अधिशासी अभियन्ता नहीं हैं, मगर काम हो रहा है। आपके कृषि विभाग में 200 गजेटेड आफिसर्स नहीं हैं, मगर काम हो रहा है। इसके विपरीत अगर कोई आई.ए.एस. आफिसर दो दिन के लिये भी भर्ती नहीं होता, दो दिन की भी उसकी नियुक्ति में डिले हो जाती है तो प्रदेश का सारा प्रशासन खतरे में पड़ जाता है और उसकी नियुक्ति तुरन्त हो जाती है। यह सब क्या है ? इस पर भी सोचने की जरूरत है। आज उन पदों के रिक्त होने के कारण आपने विकास के काफी काम रुक जाते हैं, विकास के कार्यों में प्रगति नहीं हो पा रही है। न आप सिंचाई का काम होने देंगे, न सड़कें बनने देंगे, न और कोई काम हो पायेगा, तो आपकी मंशा पूरी कैसे होगी ? यदि आपको अपने विभाग में कुछ करना है तो आपको चाहिये कि जो पद आपके यहाँ 200 खाली पड़े हैं, राजपत्रित, उनको आप तुरन्त भरें ताकि काम सुचारू रूप से चल सके।

मान्यवर, पिछले 8 महीने से हार्टीकल्चर विभाग में कोई डायरेक्टर नहीं है, कारण यह कि इनके वरिष्ट अधिकारी पत्रावली प्रस्तुत नहीं करते। अगर करते हैं तो वह कभी कार्मिक विभाग को चली जाती है तो कभी किसी विभाग में चली जाती है। मंत्री जी अपने स्वभाव के अनुरूप चुप होकर बैठ जाते हैं। अपने विभाग की सेना के कमान्डर होने के नाते जब तक मान्यवर, आप इसके लिये कोई निर्देश जारी नहीं करेंगे, और कोई आदेश नहीं देंगे, आपकी सेना के माध्यम से किसानों की सेवा होने वाली नहीं है।

एक-दो बातें मैं एग्रो के बारे में कहना चाहूँगा। किस उद्देश्य से इसको बनाया गया था और क्या हमारे सामने आया, यह चिन्ता का विषय है। करोड़ों रुपया अंशपूंजी के रूप में सरकार ने लगाया, मगर आज तक क्या आपने इस बात का सर्वे कराया कि यह किसानों की कितनी सेवा कर पाया है ? इसके साथ ही आप तमाम निगमों का निर्माण करते जा रहे हैं। कारण क्या है ? कारण यह है कि जो सर्वोच्च सेवा के अधिकारी हैं, उनको खपाने के लिये यह निगम बना दिये जाते हैं। अगर कहीं जिलाधिकारी का झगड़ा पड़ गया तो उसको निगम में तैनात कर देते हैं। आप अगर इसी तरह से निगम का निर्माण करते रहेंगे तो आप के पास जो 25 हजार की सेना है, यह क्या करेगी ? मैं चाहता हूँ कि आप इन सब निगमों के चंगुल से निकलें और अपने विभाग को सुदृढ़ करें ताकि जो रुपया विधान मण्डल के माध्यम से दे रहे हैं, उसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल सकें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूँ।

*श्री सोमाश प्रकाश—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कृषि बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस बजट का हृदय से समर्थन करता हूँ। मैं इस बात का सौभाग्य मानता हूँ कि हमारे प्रदेश में कृषि मन्त्री स्वयं कृषक हैं और प्रगतिशील खेती करने में विश्वास करते हैं। इनको व्यवहारिक ज्ञान भी है खेती का। माननीय हुकम सिंह जी मेरे पड़ौसी हैं, यह भी अच्छी खेती करते हैं लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ जो आपने कहा कि कृषि विभाग इस प्रदेश में बिलकुल अकर्मण्य है, उससे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इसलिये नहीं मानता क्योंकि यह वैज्ञानिक युग है, जितना तुजुर्बा नये बीज का नये यंत्र का हो सकता है उनके प्रचार में यह कृषि विभाग लगा है। पहले के जमाने से आज हम खाद्यान में कितनी उन्नति करते जा रहे हैं, कितनी प्रगति करते जा रहे हैं। उत्पादन बढ़ा है, इसका आँकड़ा हमारे सामने हैं। पहले देश को भीख मांगनी पड़ती थी लेकिन आज देश को गेहूँ कहीं से नहीं लेना पड़ रहा है, यह हमारी मेहनत का फल है। कृषि विभाग के प्रयास से खेती का उत्पादन बढ़ा है। इसके साथ साथ एक चीज मैं अवश्य कहूँगा इसमें बहुत सी कमियाँ हो सकती हैं। बहुत से सुझाव हमारे साथी दे रहे हैं या देंगे, वह लाभकर हो सकता है और मंत्री जी ने दावत भी दिया है कि सभी माननीय सदस्य अपने सुझाव रखें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह कृषि विभाग और खेती हमारे प्रदेश की ऐसी चीज है, जो खाद्यान की 51 प्रतिशत चीजें पैदा करता है। आज की बढ़ती हुई आबादी के समय में इस मुल्क को, खेती का उत्पादन बढ़ाकर ही विकसित किया जा सकता है। जब तक इस देश और प्रदेश का कृषक जमकर मेहनत करके उत्पादन नहीं बढ़ायेगा तब तक जो मंहगाई है और विपक्ष जिसके लिये रोज शोर मचाता है खत्म करना सम्भव नहीं है।

मान्यवर, मैं एक सुझाव बीज के सम्बन्ध में देना चाहता हूँ। जब तक हम बीज की हाई इल्डिग वेरायटी पैदा नहीं करेंगे तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। यद्यपि हमने बहुत-सी किस्में पैदा की हैं। जो बीज आप देते हैं, वह इतना मंहगा होता जा रहा है कि आम किसान, लघु किसान, छोटे किसान की खरीद के बाहर होता जा रहा है। मैं आपके बीज निगम के बारे में कहना चाहूँगा यह बीज निगम ऐसा निगम होता जा रहा है या तो आपका अंकुश ढीला हो रहा है या क्या कारण है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कृषि विभाग का बीज कय मूल्य 200 रुपया है और विक्रय मूल्य 230 है। और हमारा जो तराई निगम है, उसका क्रय का 215 और विक्रय का 350 है। इस तरह से और भी बीज हैं, सरसों, मटर, चना, आदि, इसलिए देखना होगा कि जो लाभकारी दृष्टि होती जा रही है, यह तो बनिया की दूकान की तरह है, यह कोई उचित चीज नहीं है। हमने किस के लिए यह खोला है, बीज की कीमत हम उतनी करें जिससे कि आम किसान उसको खरीद सके और अपना उत्पादन बढ़ा सके।

प्रोसेसिंग सेण्टर की बात आयी। कुछ जिलों में बनाये गये हैं। मेरा तो कहना है यह हर जिले में बनना चाहिए ताकि वहाँ प्रोसेसिंग हो और इसमें कोई खर्चा नहीं है, किसान को भी उससे और अच्छा बीज उपलब्ध हो सके और उसके उत्पादन की खपत हो सके।

कृषि मण्डी समितियों के बारे में कहा गया। मैं अपने विचारों को श्री हुकम सिंह जी से सम्बद्ध करता हूँ लेकिन एक निवेदन है कि अधिकारियों से हटाकर उसमें जन प्रतिनिधि बना दें चाहें अपने स्तर से या किसी और तरह से, इसको देखना पड़ेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सोमांश प्रकाश—]

संतुलित खेती के बारे में, ऐसी स्थिति होती जा रही है किसान के सामने, जैसे कभी-कभी किसान गन्ना ही बोता, तो कभी आलू ही आलू और कभी गेहूँ ही बोता है। जैसे जिस चीज की कमी हो जाती है, वही बोने लगता है और जब वह ज्यादा पैदा होती है तो किसान के सामने परेशानी होती है। इसमें किसान को दोहरा नुकसान होता है—ज्यादा हो तब भी और कम हो तब भी। इसमें मार्केटिंग को अपने हाथ में लेना होगा। जब तक यह आप के हाथ में नहीं होगा, आप संतुलित खेती नहीं कर पायेंगे। इसके साथ-साथ जो हमारा समर्थन मूल्य है, इसमें किसान को लाभप्रद मूल्य मिल जाय और घोषित करने के बाद सही प्रकार क्रय केन्द्रों द्वारा आप खरीद लें ताकि जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है, वह किसान को सही रूप से मिल जाय, इसमें भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। इसमें हम अपने प्रदेश और देश का उत्पादन बढ़ा सकेंगे।

धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्री हुकम सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में मैं कुछ कहना चाहूँगा। कृषि विभाग की विडम्बना यह है कि कृषि प्रधान देश और प्रदेश होने के बाद भी यह विभाग अपने आप में अपंग बना हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

समय को देखते हुए अगर समय का बंटवारा....

एक सदस्य—

10 मिनट कर दें, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता—

बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, कल तक बजट है फिर भी 7 मिनट रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्यों के 8 मिनट कहने पर)

टीक है, 7 के बजाये 8 मिनट रख लें।

***श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—**

इस विभाग को जब तक आप टेक्निकल विभाग नहीं घोषित नहीं करेंगे तब तक जो अपेक्षायें हैं, वह पूरी नहीं होंगी। ग्रामीण स्तर पर, ब्लाक जो हमारी इकाई है, और स्वर्गीय डे साहब ने जिनकी परिकल्पना की, स्मरण किया, आज उसका कोई वर्चस्व नहीं रह गया है। कोई कर्मचारी ऐसा नहीं है जिसका सम्बन्ध सीधा गांव, व किसान से हो। वी० डी० ओ० या दूसरे जो अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी और अधिक है, ग्राम सेवक, जो ग्रामों के लिए बना है, उस पर भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रकार से विभाग से जो अपेक्षायें थीं, उत्तर प्रदेश के किसानों को वह पूरी नहीं हुई हैं। मेरा सुझाव है कि इस विभाग को टेक्निकल और इण्डिपेण्डेण्ट, स्वतन्त्र विभाग के रूप में कार्य करने की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे यह विभाग और विभाग के कर्मचारी किसी के ऊपर निर्भर न रहें। इससे यह लाभ होगा कि अधिकारियों को अपने दायित्वों की जानकारी होगी। किसी कार्य विशेष के लिये उनको अहसास होगा कि यह उनका दायित्व है अगर वे उत्पादन बढ़ाने में अपना योगदान नहीं दे पाते तो यह निश्चित किया जा सकेगा कि किस अधिकारी की किस स्थान पर कमी है।

बीज के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा। खेती के लिये बीज, पानी, समय से बिजली की प्रमुख आवश्यकता है। आज जो बीज किसान को दिया जा रहा है उसकी प्रमाणिकता क्या है ? मेरा स्पष्ट कहना है कि अगर 95 प्रतिशत हमारे बीज की प्रमाणिकता न हो तो उसे किसान को नहीं देना चाहिये। प्रदेश में जो बीज किसानों को दिये गये हैं, मा० मंत्री जी स्वय अच्छे किसान हैं, उनकी 50 प्रतिशत से अधिक प्रमाणिकता नहीं है। सारे बीज खुले बाजार में बेचे गये। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बीज बिहार को सप्लाई किये। बीज के सम्बन्ध में मा० मंत्री जी को स्पष्ट रूप से इस प्रदेश के किसानों को आश्वासन देना पड़ेगा कि जो भी बीज वह सप्लाई करेंगे उसकी प्रमाणिकता में अगर किसी अधिकारी की लापरवाही से कोई गड़बड़ी आती है, तो उसे कठोर दंड देंगे। मुझे याद नहीं है कहीं पढ़ा था, 45 प्रतिशत उर्वरक दिया गया, चाहे अटैच्ड बाड़ी से हो चाहे व्यक्तिगत बाड़ीज से हो। 45 प्रतिशत एडल्ट्रेशन है।

मैं बतलाना चाहता हूँ कि जनता पार्टी के शासन में यह आदेश निर्गत कर दिये गये थे कि निश्चित प्रकार के फर्टिलाइजर उत्पादकों को लाइसेन्स नहीं दिये जायेंगे। मिट्टी को खाद के रूप में बेचा जाता है। यह व्यवस्था जनता शासन में थी कि इस प्रकार के उर्वरक उत्पादकों को लाइसेन्स नहीं दिये जायेंगे। जनता पार्टी के निर्णय को इन्होंने बनाये रखा या नहीं मैं नहीं, जानता। प्रदेश में सब्सिडाइज्ड, एडल्ट्रेटेड उर्वरक बन रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर विपक्ष ने कोई अच्छा काम किया है तो पाप नहीं हो जाता। माननीय मंत्री जी आज सदन में घोषणा करें कि इस प्रकार के उर्वरक बनाने का लाइसेन्स प्राइवेट लोगों को नहीं देंगे। गोरखपुर में जो उर्वरक पड़े हैं, वह मेरठ में जाते हैं, मेरठ के गोदामों में जो उर्वरक पड़े हैं वह गोरखपुर जाते हैं, ऐसा क्यों ? गोरखपुर के गोदाम में उर्वरक है तो मेरठ में आने की क्या जरूरत है ? जब एफ० सी० आई० गोरखपुर में फंक्शन कर रहा है तो बाहर की यूरिया गोरखपुर में लाने का क्या औचित्य है ? निश्चित रूप से इस पर आपको कार्यवाही करनी चाहिये। इस प्रकार मान्यवर, यहां पर पैस्टीसाइड्स की चर्चा चली। मैंने गन्ना अनुदान के कटौती के समय भी कहा था। स्वर्गीय श्री गेंदा सिंह जी की स्मृति में बना हुआ गन्ना शोध संस्थान शिवहरी, देवरिया है। वहाँ से पी० पी० ओ० ने कीटनाशक के नाम पर बोतल में सोड़ा भरकर उसे लाल रंग से कलर करके भेज दिया। जब उसका एनालिसिस किया गया तो तमाम सोडा पाया गया और यह सोड़ा पूरे प्रदेश को सप्लाई किया गया। मान्यवर इतना ही नहीं, देवरिया को पूरा ले लीजिये वहाँ जिस क्षेत्र में रबी की बुआई हुई है, उससे दुगना तिगुना पैस्टिसाइड्स के छिड़काव में उनका पैसा लगा हुआ है। मेरा यह स्पष्ट आरोप है। और आप इसकी जाँच करायें। देवरिया में पैस्टिसाइड्स पर किसानों की छूट नहीं दी गई है लेकिन कागजों पर दिखला दिया गया है। जहां तक छिड़काव का प्रश्न है, वह किसानों को मालूम होगा और छिड़काव का रिकार्ड भी उसके पास होगा।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ कि शासन ने कहा है कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे उसको 50 रुपये का बेतन इन्सेन्टिव दिया जायेगा, लेकिन पी० ओ०

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—]

आजमगढ़, जिनके 4 बच्चे हैं, वे 50 रुपये इन्सेण्टिव के रूप में लेते जा रहे हैं अपने वेतन में आज तक यह अनजाने में चल रहा था लेकिन अब मालूम होने के बाद भी जानबूझकर यह किया जा रहा है । इस प्रकार जो अधिकारी शासन व प्रशासन को धोखा दे, इस संबंध में मेरी मांग है कि ऐसे अधिकारी को निलम्बित किया जाय तथा उसके विरुद्ध 420 का मुकदमा दर्ज किया जाय ताकि दूसरे अधिकारी ऐसा न कर सकें, भविष्य में ।

मान्यवर, एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ कृषि स्कूलों के बारे में । और माननीय मंत्रीजी का आभारी हूँ कि जो छोटे-छोटे बच्चे जिनके बाप उनको बी० एस-सी०, व एम० एस-सी० कृषि से इस प्रदेश में कृषि स्कूलों से नहीं करवा पा रहे थे और जो कृषि स्कूल इस प्रदेश में बन्द हो गये थे, उन्हें माननीय मंत्री जी ने उदारतापूर्वक पुनः प्रारम्भ कर दिया है । लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी वहाँ से डिप्लोमा लेकर निकलते हैं, उनके लिये कोई रिजर्वेशन नहीं है । तो इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से माँग करता हूँ कि प्रशिक्षित लड़कों को जौब में लाने का काम करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता —

आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपनी चर्चा में एक बात कही थी शायद माननीय सदस्य उसे स्पष्ट नहीं कर पाये थे । माननीय सदस्य जिस फर्टिलाइजर के बारे में जिक्र कर रहे थे उनको बनाने की अनुमति शासन ने दे दी है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

उन फर्टिलाइजरों को बनाने की अनुमति तो शासन ने दी होगी । इसका जवाब तो आप देंगे । लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि इस प्रकार के फर्टिलाइजर प्रदेश में बन रहे हैं मान्यवर, उन फर्टिलाइजरों में बिल्कुल मिट्टी है और उनमें शुद्ध रूप से राख है । राख और मिट्टी से आज करोड़ों रुपये ट्राजैक्शन हो रहा है । और यह मिट्टी और राख किसानों के पास जा रही है जो बेचारे न तो टैक्निकल हैं और न पढ़े लिखे हैं—अनपढ़ हैं । वे बेचारे इसे खाद समझकर खेतों में डाल रहे हैं । मान्यवर, मेरी इस सम्बन्ध में मांग है कि ऐसे करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाय । इन शब्दों के साथ अन्त में मैं, माननीय श्री हुकम जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूँ ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कृषि के बजट पर बोलने का अवसर दिया । श्रीमन् अगर कृषि को हमारी संस्कृति का पालना कहा जाय तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी । आदि काल से लेकर जब मनुष्य ने पहली दफा कृषि की तरफ ध्यान दिया तो तब कृषि ने जन्म लिया और उसने एक सु–संस्कृत समाज को बनाया । आज खेद का विषय है कि हर सु–संस्कृत व्यक्ति उसे हिकारत की नजर से देखता है और उसे घटिया समझता है । ऐसी ही स्थिति कुछ कृषि विभाग की भी धीरे धीरे हो गयी है । जो विभाग कृषि की उन्नति के लिये बनाया गया, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, या विद्युत विभाग हो, अन्ततः हमारे इस कृषि प्रधान प्रदेश में आवश्यकता इस बात की थी कि सभी

विभाग कृषि पर बल देंगे और होना भी यही चाहिये था। आवश्यक बात यह होगी कि जो दूसरे विभाग योजनायें बनाते हैं, उसमें जब तक कृषि विभाग के अधिकारी अधिक सक्षम नहीं होंगे, उसके साथ समायोजन नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बरेली में एक ब्लाक में बिजली की लाइन खींचने की बात थी, 6 गांव ऐसे बताये जहाँ 20-25 प्रत्येक गाँव में ट्यूबवैल मिल सकते थे। इससे बिजली विभाग को भी फायदा होता और कृषि की भी तरक्की होती, लेकिन बिजली विभाग ने दूसरी तरफ लाइन खींच दी। जितनी भी योजनायें हैं ग्राम्य विकास की, उसमें कृषि आइटमों को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिये।

इस सम्बन्ध में 3-4 बातें कही जाती हैं। सबसे प्रथम बात बीज की चली। इसमें कोई शक नहीं कि बीज से हम इतनी तेजी से कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और की भी है जो कि सम्मान और गौरव की बात है। बीज की उन्नत जातियाँ निकालकर हम उन्हीं खेतों के साधनों– खाद और पानी से कृषि की पैदावार में वृद्धि कर सकते हैं और की भी है। लेकिन इसमें धीरे-धीरे कमियां आती जा रही हैं। मैंने मा० मन्त्री जी का ध्यान भी आकर्षित कराया था। इसकी सबसे बड़ी संस्था है,–उत्तर प्रदेश तराई एवं बीज विकास निगम। इस संस्था ने पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छा बीज सप्लाई किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की वजह से इसमें क्या-क्या कमियां आ गई हैं। पिछले वर्ष 81-82 में वहाँ पर आधार बीज वितरित किया गया। मैं भी उस संस्था का सदस्य हूँ। मैंने भी बीज लिया। इस संस्था ने प्रमाणित बीज, आधार बीज के मूल्य पर काश्तकारों को बेचा था। इसने अपने शेयरहोल्डरों को भी वही बेचा। मैंने जब एसेम्बली में प्रश्न किया तो उसके पश्चात् उन्होंने जो मूल्य था, उसको वापस करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। काश्तकारों का बीज मूल्य तो वापस हो गया लेकिन मेरा प्रमाणित बीज रिजेक्ट कर दिया गया। खैर मुझे इसका रंज नहीं है खुशी है कि काश्तकारों को पैसा वापस मिल गया। इस संस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि यह संस्था घटिया होती जा रही है। इस संस्था का एकाधिकार समाप्त करें। जलवायु को और अन्य बातों को देखते हुए और संस्थाओं को भी प्रारम्भ करें।

बीज के बारे में एक और चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा, सोनालिक गेहूँ में बीमारी आती जा रही है। प्रदेश का 90 प्रतिशत क्षेत्र सोनालिका गेहूँ से आच्छादित है। अगर इसमें कोई बीमारी आ गयी, तो उसका सामना करने के लिए न तो हमारे योग्य मन्त्री जी समक्ष होंगे और न विभाग सक्षम होगा क्योंकि वह एक प्राकृतिक दुर्घटना होगी। इसलिए अच्छा होगा कि समय रहते उसका उपाय निकालें। मैंने अखबार में पढ़ा था कि एच० डी० 2285, नयी किस्म निकाली गयी है। अगर यह किस्म अच्छी हो तो इसका प्रचार होना चाहिए।

खाद की बात कही गयी। नमूनों के विश्लेषण की बात मन्त्री जी ने रखी थी। उसमें ऐसा है कि जितने भी खाद के सैम्पिल सीज करें।

[समय 3.25 से]

उनका परीक्षण किसी आटोनोमस बाडी पंत नगर यूनिवर्सिटी या किसी विश्वविद्यालय से अवश्य कराएं और उनके जो रिजल्ट्स आयें उनसे अवगत कराया जाना चाहिए। प्रत्येक गाँव के मृदा परीक्षण के नक्शे बनायें जायं जैसे राजस्व विभाग में मानचित्र तैयार होते हैं, इनको भी इसी प्रकार से तैयार कराकर प्रत्येक गांव में उपलब्ध करायें, यदि ऐसा नहीं हो सकता है किन्ही कारणों से, तो तब तक कोई फायदा नहीं पहुँचेगा इन गांवों में खाद का संतुलित उपयोग सम्भव नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

बरार साहब आपका समय समाप्त हो गया, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, कीटनाशक दवाओं तथा कृषि यंत्रों पर सेल्स टैक्स कृपया हटायें जिससे किसान की प्रगति में किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न न हो सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिक धन पहुँच सके। और कृषि क्षेत्र में उन्नति हो सके। इन सब चीजों के बावजूद यदि हमारी सरकार कृषि में उन्नति करना चाहती है तो इसके लिए सबसे आवश्यक है अच्छी तकनीक अर्थात योग्य तरीकों को अपनाया जाय, परन्तु देखा यही जा रहा है कि कृषि क्षेत्र के अधिकारियों को आज तकनीकी ज्ञान नहीं रह गया है, उनकी ट्रेनिंग करवाए जाने की आज आवश्यकता पहले जब वे विभाग में आये होंगे तब उन्हें अवश्य इसका ज्ञान रहा होगा, परन्तु अब वह चीज देखने में नहीं आती है, उनको रिफ्रेशर कोर्स करायें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बरार साहब आपका समय समाप्त हो गया कृपया बैठ जांय।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने मंत्री जी के वक्तृता को सुना और उनके भाषण से इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह सरकार चाहे अनन्तकाल तक रहे फिर भी कृषि के क्षेत्र में उन्नति कर ही नहीं सकती है, बल्कि अवनति की ओर बराबर जा रही है क्योंकि इस सरकार को यही पता नहीं है कि कृषि की उन्नति के साधन क्या हैं? और किन चोजों के आधार पर इसकी उन्नति निर्भर करती है, केवल विभाग ने पैसा माँग लिया और सरकार ने उसे दे दिया, कृषि के साधनों की बातों पर पूर्वदृष्टि होना चाहिए, लेकिन इनका बजट इन सभी चीजों पर आधारित नहीं है। दूसरी बात मान्यवर, कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इससे सम्बन्धित समस्त ज्ञान को फैलाता है लेकिन जब यह ज्ञान सरकार को स्वयं नहीं है, तब कृषकों के बीच ऐसे ज्ञान को क्या फैलायेंगे? दूसरे मान्यवर, जो खाद के विषय में बात कही गयी, इसके विषय में मैं यह कहना चाहूँगा कि आज जिन उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है उससे भूमि की जीवनी शक्ति समाप्त हो रही है, बेहद नष्ट हो रही है, इस ओर कोई उचित कदम उठाए जांय।

साथ ही आज तक उत्तर प्रदेश सरकार इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगा पायी है कि हमारे सूबे में सबसे ज्यादा उपलब्धता हड्डी के खाद की है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी तरह से हमारे प्रदेश में खली की खादें बहुत हैं ये जैविक खादें जो हमारे प्रदेश से बाहर डेढ़ अरब रुपये तक निर्यात हो रही हैं और बाहर से हमारे यहां साढ़े तीन अरब की अजैविक खाद प्रतिवर्ष मंगाई जाती है, जिससे समस्त खेतों की जीवनी शक्ति नष्ट हो रही है और अपने यहाँ होने वाली खाद हड्डी की एवं खली को, उसका प्रयोग न करके स्वयं ही अपने यहाँ की उपज को नष्ट किया जा रहा है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि हमारे प्रदेश से बाहर हड्डी, खली की खाद तथा खून की खाद आदि नहीं जानी चाहिए। मास, हड्डी, खली और खून से बनी खाद खेतों को यदि नहीं मिलती है तो खेत का हयूमस चला जाता है। खेतों की जीवनी शक्ति बनाये रखने के लिये यह जरूरी है कि इनका प्रयोग अवश्य किया जाए। लेकिन इस सरकार ने इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है और जब

तक इन चीजों का निर्यात बाहर होता रहेगा, अपने यहां खेतों की जीवनी शक्ति कायम रह ही नहीं सकती है ।

अब हमारी तरफ एक रोग फैल गया है जिसके कारण चने की खेती उकठा से बिलकुल गायब होती चली जा रही है । तो इस तरह से चने की पैदावार घट रही है और सरकार तिलहन और तलहन की पैदावार 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बढ़ाने पर जोर देती चली जा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि क्योंकि वे सुझाव के बड़े शौकीन हैं, यह अच्छी बात है सुझाव का शौकीन होना परन्तु यह शौकीनी कुछ पालन भी करे तो ज्यादा अच्छा हो । तो आप केन्द्रीय सरकार को फौरन लिखें कि हड्डी की खाद और खली की खाद को विदेश जाने से यदि आप रोक सकें तो आपके प्रदेश को यह खादें उपलब्ध हो सकती हैं । परन्तु आजकल वह हमको मिल नहीं रही हैं । मिल मालिकों से सरकार की सांठ-गांठ से वह विदेश भेज दी जाती है । विदेशों में तो जानवर यहाँ की तरह हैं नहीं, दुनियाँ के चौथाई जानवर हमारे ही पास हैं, और हम ऐसी जैविक खाद को विदेश भेज देते हैं और उनसे अजैविक खाद यूरिया, पोटाश, फासफोरस के रूप में खरीद कर लाते हैं । जब तक हमारी जमीन की जीवनी शक्ति बढेगी नहीं तब तक आपकी कृषि में पैदावार नहीं बढ़ सकती है तो इसके लिये पहले तो आप यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनावें ।

दूसरे नम्बर पर कृषि साधनों की वरीयता कायम करने की बात आती है । इस वरीयता में आता है बीज, पानी, खाद, औजार और कीटनाशक दवाइयां । सरकार ने आज तक घोषणा नहीं की कि हम इस क्रमिक वरीयता को स्वीकार करते हैं और फिर उस पर उसी हिसाब से वह खर्च करें । पानी का तो यह हाल है कि सरकार ने कहा है इसी सदन में कि हम रक्षात्मक सिंचाई कर रहे हैं । तो वे उत्पादक सिंचाई नहीं कर रहे हैं बल्कि रक्षात्मक सिंचाई कर रहे हैं । उत्पादक सिंचाई को 5 या 6 पानी चाहिये जबकि रक्षात्मक सिंचाई के लिये यह फारमूला लागू नहीं होता है उसमें दो—सिंचाई भी हो जायें तो बहुत है । तो इस तरह से आपके कृषि और सिंचाई विभाग में समन्वय नहीं है कृषि पानी के अभाव में सूख तो जायेगी ही तो पैदावार कैसे बढ़ेगी ? कृषि मंत्री सिंचाई मंत्री को कहेंगे और सिंचाई मंत्री कृषि मंत्री को दोष देंगे और इसी तरह से झगड़ा करते रहेंगे, फायदा कुछ होगा नहीं ।

मान्यवर, यदि पाँच चीजों में वरीयता कायम हो जाय तो जो हमारी तकलीफ है, वह दूर हो जाय । मुझे कहना पड़ रहा है कि पहले के कृषि मंत्री, श्री बलराम सिंह जी जब कृषि मंत्री थे तब उन्होंने एक बात कही थी कि कृषि में प्रयुक्त होने वाले जो साधन हैं जैसे ट्रेक्टर, डीजल, बीज, खाद कीटनाशक दवाइयाँ इत्यादि तो इन सारी चीजों पर हम टैक्स नहीं लेंगे और इसके लिये हम दिल्ली सरकार को भी लिखेंगे । परन्तु उसके बाद ही श्री यशपाल सिंह जी, कृषि मंत्री बन कर आ गये और इन्होंने आते ही इन सब चीजों पर से टैक्स माफ करने की बात को स्वीकार करना तो दूर इसे अव्याबहारिक कह कर साफ इन्कार कर दिया । इन्होंने कहा कि हम यह नहीं करेंगे ओई कृषि की सुविधा देने के लिये यह तैयार नहीं हैं, बल्कि ये महत्व इस बात को देते हैं और समझते हैं कि कृषि में प्रयोग होने वाले साधनों पर टैक्स जरूर लगाया जाना चाहिये ।

मान्यवर, दुनियाँ में कृषि के मामले में तीन देश सबसे आगे हैं । अमेरिका में किसी के पास ढ़ाई सौ एकड़ से छोटा फार्म नहीं है । जर्मनी में पचास एकड़ के किसान हैं, जापान में भी सवा 6 एकड़ से बड़ा किसी के पास फार्म नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो रहा है। सभी को बोलना है इसीलिये 8-8 मिनट का समय है, आपका समय पूरा होने में एक ही मिनट शेष है, आप एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मैं एक मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। तो मैं कह रहा था कि कृषि में साधन रूप में जो इस्तेमाल होता है उसे टैक्स फ्री होना चाहिये। अमेरिका, जर्मनी तथा जापान ऐसे विकसित देशों में आज डीजल 40 पैसे लीटर मिल रहा है। और जापान में धान की फसल की सब्सीडाइज्ड करते हैं। तीन रुपये किलो चावल किसानों से लेकर सरकार बाजार में पौने तीन रुपये किलो बेचती है और यहां पर 142 रुपये क्विंटल में गेहूँ सरकार लेकर 180 रु० क्विंटल पर बेचती है। हमारी सरकार किसानों को कम पैसा देती है और अधिक दाम में बेचती है। हमारी सरकार न तो वरीयता तय करती है और न जमीन ठीक रखती है और न सस्ते साधन ही देती है। तो यह सरकार कृषि की उपज को कैसे बढ़ा सकती है, मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

***श्री शिव नारायण सिंह नेगी—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस कृषि के महत्वपूर्ण बजट पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया, मैं इस बजट का हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जैसा मेरे कुछ साथियों को कुछ विरोध है कि पर्वतीय क्षेत्र के सदस्यों को बोलने दिया गया। मान्यवर, जहाँ तक पर्वतीय क्षेत्र का प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां पर बहुत छोटे-छोटे काश्तकार हैं और वहाँ पर जो अन्न उत्पन्न होता है वह नहीं के बराबर होता है। आज जो उत्पादन बढ़ाने की योजना शासन की है, मैं समझता हूँ कि आज पर्वतीय क्षेत्र के दूर दराजों में बीज और खाद के गोदामों को बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है जिससे उन छोटे-छोटे किसानों को खाद और बीज तथा कीटनाशक दवाई उपलब्ध हो जाय। अभी तक जो आप के गोदाम हैं, वहाँ से किसानों को यह चीजें मुहैया नहीं होती हैं। जो खाद होती है, उनके जो बोरे होते हैं वह बड़े होते हैं जिससे पवतीय क्षेत्र में उनको ले जाने और लाने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो बीज और खाद सप्लाई की जाय उसके बोरे छोटे-छोटे बनाकर सप्लाई की जाय।

मान्यवर, नैनीताल जिले के तराई और भामर भाग का प्रश्न है, यहाँ पर उत्पादन सबसे अधिक होता है। वहां पर तराई विकास निगम की ओर से जो बीज वितरण करने की व्यवस्था है, वह चन्द दिनों से दोष पूर्ण हो चुकी है। वहाँ के जो शेयर होल्डर्स हैं, वह अपने उत्पादन को बीज के नाम से बेचकर अधिक से अधिक पैसा पैदा करते हैं। श्रीमन, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और। बीज के फार्म प्रदेश के दूसरे भाग में स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे लोगों को प्रमाणित बीज मिल सकें। श्रीमन, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ में कोटि फार्म है जो आलू के बीज का उत्पादन करता है, वहां का बीज प्रमाणित होता है। वह सारे प्रदेश और देश में भेजा जाता है, लेकिन जिस वक्त आलू का बीज तैयार हो जाता है और मारकेट में आने का समय होता है रास्ते में बर्फ गिर जाती है तो रास्ता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

ब्लाक हो जाता है। उसके पहले हिस्से में मिलिट्री फार्म है और दूसरे में एग्रीकल्चरल फार्म है। मान्यवर, अगर उसके बीच में एक मोटर मार्ग बनवा लिया जाय तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का आलू आपके बीज के लिये उपलब्ध हो सकता है। श्रीमन्, मुनि संरक्षण के सम्बन्ध में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों में नदी और घाटों में भूस्खलन हो रहा है उसको रोकने के लिये आपको अपनी भूमि संरक्षण की ईकाई में वृद्धि करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि कृषि मण्डी समितियों में शीघ्रातिशीघ्र जन प्रतिनिधियों को नामिनेट करने की आप कृपा करें या चुनाव करायें। यति शीघ्र चुनाव नहीं करा सकते हो तो नामिनेट करा दें। जन प्रतिनिधियों का उनमें रहना नितान्त आवश्यक है। वहां पर बहुत गोलमाल होता है। इससे स्थिति बहुत खराब ही गई है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। कोसी नदी से जो लिफ्ट की योजना आपने बनायी है, पेयजल की योजना बनाई है, उसमें बिजली के उपकरण न होने से वह योजना बेकार पड़ी हुई है जिससे वहां के उत्पादन में कमी हो रही है। मैं चाहूँगा कि मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें। मैं इन शब्दों के साथ इस बजट का हृदय से स्वागत करता हूँ।

***खैरुल बशर**—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कृषि के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं कृषि के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। कृषि विभाग इसलिये बना है कि खेतीबाड़ी की तरक्की हो सके, उसका विकास हो सके और उससे हमारे खेत और किसान फायदा उठा सकें तथा देश तरक्की कर सके। मान्यवर, अगर हमारे देश का किसान गरीब है तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है जिससे गरीबी बढ़ेगी और उससे देश की हालत गिरेगी। हम कृषि विभाग में देखते हैं कि बीज की सप्लाई जो यह विभाग करता है, वह संतोषजनक नहीं है। वह किसानों को मंहगे दामों में मिलता है और कभी-कभी तो किसान उन बीजों का इस्तेमाल करके धोखा खा जाता है। खाद की भी यही पोजीशन है। पानी लोगों को नहीं मिलता है। लोग कर्जा लेकर ट्यूबवैल लगाये बैठें हैं, उनको पानी नहीं मिल पाता लेकिन उसकी वसूलियाबी होती है। कीटनाशक दवाइयाँ उन तक पहुँच नहीं पाती हैं। जब हर चीज शून्य है तो खेत कैसे तरक्की कर सकेगा और कैसे वह अच्छी पैदावार देगा।

मान्यवर, किसानों की तरक्की के बारे में आप जानते हैं कि जो उत्पादन होता है उसमें कच्चे माल के दाम, मजदूरी, मशीनों की घिसाई बढ़ाकर और लाभ लेकर वह बेच दिया जाता है। हमारे खेती की उर्वरकता घटती जा रही है। आप मशीनों की घिसाई का तो हिसाब रखते हैं लेकिन जिससे किसान कंगाल होता जा रहा है, उसका शोषण हो रहा है, उसे आप नहीं देखते हैं। मंहगाई इतनी हो गई है कि किसान तरक्की कर ही नहीं सकता है, वह लिफ्ट इर्रीगेशन कर ही नहीं सकता है। ये कठिनाइयाँ हमारे सामने हैं जिससे हमारे देश की तरक्की नहीं हो रही है, किसान इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मैं मन्त्री जी से माँग करता हूँ कि आपने जो आंकड़े दिये हैं, और संतोष व्यक्त किया है कि 1980-81 में 249.48 लाख टन और 1981-82 में 244.27 लाख टन उत्पादन हुआ। आप यह कहेंगे कि सूखे के कारण हमारी पैदावार गिर गयी। अगर सूखे के कारण पैदावार गिर गयी और अच्छी वर्षा के कारण पैदावार बढ़ गयी तो फिर आप किस लिए हैं यह तो जिस साल अच्छी फसल होगी तो छाती पीटेंगे कि हमारी पैदावार बढ़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खैरुल बशर—]

गयी है और जब दैवी आपदा आ गयी तो कहेंगे कि हम क्या करें सूखा पड़ गया। तो इस पोजीशन में हमारा कृषि विभाग आज है, इससे ज्यादा निकम्मापन और कुछ नहीं हो सकता है। यह सारा विभाग और यह भाषण हमारे देश की जनता को लूटने के लिए बना है जिस कारण हमारे देश और प्रदेश में तरक्की नहीं हो रही है। यह विभाग जो नौकरशाही के सहारे जी रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उसका समाधान तब तक नहीं हो सकता है जब तक नौकरशाही के सहारे हमारा कृषि विभाग रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री राम कुंवर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे कृषि विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, इस बजट का सम्बन्ध उत्तर प्रदेश के शतप्रतिशत जनजीवन से है। मैं एक कृषक परिवार में पैदा हुआ हूँ और मकानों के बीच से ही चुन कर आया हूँ। मुझे उनकी कठिन परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी है।

मान्यवर, हमारे साथियों ने जो सुझाव दिये हैं मैं यहां पर वक्तव्य नहीं देना चाहता हूँ सुझाव के रूप में कुछ समस्याओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मान्यवर, हमारी सरकार का सिद्धान्त है कि कृषि के माध्यम से गाँव के लोग सुखी हों और उनका सम्मान हो। लेकिन मैं इमानदारी से कहना चाहता हूँ कि अगर आज सबसे ज्यादा गांव में कोई दुखी है तो वह है जो खेती करता है या दूसरे से कराता है। उसका इस विभाग से शत प्रतिशत सम्बन्ध है। मैं आलोचना तो नहीं करना चाहता हूँ परन्तु सझाव के रूप में उनकी समस्या आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको किसानों की भरपूर मदद करनी चाहिये। इस मंहगाई का सबसे ज्यादा बोझ उनके सिर पर हैं जो गांव में रहते हैं जो खेती करते हैं।

आज ईंट मंहगा है तो जब किसान अपने मकान में उसे लगाता है तो उसका बोझ उस पर पड़ता है, सीमेंट के दाम काफी बढ गये हैं तो गांव में रहने वाले को सबसे ज्यादा कठिनाई होती है, धोती के दाम बढ़ गये, रेलवे का किराया बढ़ गया और दूसरी चीजों के दाम बढ़ गये, सब का भार उसके सिर पर जाता है। पिछले 10, 15 सालों में इन सारी चीजों के दाम बढते चले गये हैं लेकिन खेती के उत्पादन की वस्तुओं के दाम उस हिसाब से नहीं बढ़े हैं तो उसका भार सब उसको सहना है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि इस देश और प्रदेश के किसानों ने हमारी खाद्य समस्या को हल किया है आपको बाहर से जो गन्ना मँगाना पड़ता था, वह नहीं मँगाना पड़ रहा है लेकिन किसान को उसकी पैदावार का दाम मिट्टी के दाम के बराबर भी नहीं मिल रहा है। जैसा मैंने कहा धोती, कपड़ा सीमेंट, खाद आदि के दाम बढ़ते गये तो इस मंहगाई का बोझ उसके सर पर पड़ रहा है। जिनके द्वारा हम चुन कर यहाँ आये हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि सरकार को, मदद उनकी अवश्य करनी चाहिये।

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव जो आया है, वह मेरी समझ में नहीं आया कि जो एक रुपये की मांग की गयी है। इतना बड़ा प्रदेश और इतना लम्बा बजट जो उससे सही व्यवस्था तो चलती नहीं है, तो विवेक शून्य, जो कटौती का प्रस्ताव दिया है एक रुपये से प्रदेश का क्या कल्याण होगा, यह बात मेरी समझ में नही आती है। मान्यवर याद है कि 1967 में गेहूँ का दाम 2.25 रू० प्रति किलो, चावल का दाम 2.75 रु० प्रति किलो और खाद जो किसानों को मिलती थी, वह 1967 में यूरिया का दाम 47 रु० बोरी था, पोटाश 60 रु०

बोरी थी जबकि आज उन चीजों के दाम जैसे यूरिया 123 रु० और पोटाश 190 रु० मिलती है और इसको देखते हुये सरकार किसानों से जो गेहूँ लेती है उसका दाम 1.10, 1.15 रु० प्रति किलो देती है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार का ध्यान इस ओर होना चाहिये वरना बजट से किसानों को कोई फायदा नहीं है। सबसे ज्यादा गांव के लोग परेशान हैं। मैं निवेदन करुँगा कि दुर्भाग्य है कि जब किसान गेहूँ पैदा करता है तो उसको दाम 1.05 रु० से 1.15 रु० प्रति किलो के हिसाब से सरकार देती है और 4 महीने बाद जब किसान बीज के लिये वह गेहूँ लेता है तो उसको वही गेहूँ 4 रु० प्रति किलो मिलता है।

इसी तरह मक्का का दाम, फसल पैदा होने पर किसान 6 आने किलो में बेचता है और बीज के लिये वही मक्का बाद में 3.50 रु० कि० मिलती है। तो यह प्रदेश कैसे खुश-हाल होगा। आपके सरकारी बड़े-बड़े फार्म हैं उनसे मुकाबला करना चाहिये क्योंकि बड़े-बड़े सरकारी फार्म हैं, सिंचाई, बीज और खाद उपलब्ध होते हुये लाखों रु० का घाटा है और छोटे छोटे किसानों को कहा जाता है कि वह आदर्श और सुखी रहेंगे तो यह कैसे व्यवस्था चलेगी। इसलिये मैं चाहूँगा कि किसानों के उत्पाद का सही मूल्य सरकार दे और आज की परिस्थितियों को देखते हुये 5 रु० किलो से कम गेहूँ नहीं लेना चाहिये, इसी तरह चावल 7 रु० प्रति किलो सरकार को लेना चाहिये।

मान्यवर, मैं बधाई दूँगा कि गन्ने का मूल्य ऐसा दिया गया है जिससे थोड़ा किसानों को राहत मिली है किन्तु उसके भी दाम 30 रु० प्रति क्विंटल सरकार को देना चाहिये। मैं यह भावुकता या आवेश में नहीं बोल रहा हूँ, किसानों की मूल समस्या को सदन में रख रहा हूँ।

मान्यवर, खेती के चार साधनों की आज बड़ी आवश्यकता है— जैसे सिंचाई, खाद पानी और बीज। मैं अपने जिले आजमगढ़ के संबंध में कहना चाहता हूँ कि 34 वर्षों में सिंचाई के 27 प्रतिशत साधन हो पाये हैं तो 100 फीसदी सिंचाई के साधन कब तक हो पायेंगे, यह मैं जानना चाहता हूँ। मान्यवर, हम गोरखपुर कमिश्नरी के रहने वाले हैं। वहाँ 4 जिले हैं जो ऐसे हैं कि उ० प्र० के दो-दो जिलों के बराबर एक-एक जिला है।

व्यवस्था के लिए मेरा ख्याल है कि वहाँ पर कोई भी कृषि डायरेक्टर आज तक नहीं है। खाद वितरण की जो व्यवस्था है, वह भी खराब है। वहाँ पर, इसके कारण से और बहुत सी कमियों के कारण ठीक नहीं चल पाती है। अन्त में मैं यह चाहूँगा कि इन किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे किसानों का हित हो। मैं फिर अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद देते हुए इस बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री धनीराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ जो कटौती का प्रस्ताव हुकमसिंह जी ने प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं। अपना देश और प्रदेश कृषि प्रधान है, प्रदेश की 85 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और गांवों के लोगों का मुख्य धंधा कृषि है। लेकिन बड़े दुखः की बात है कि कांग्रेस सरकार ने अपने 33 वर्ष के कार्यकाल में सदैव किसानों की उपेक्षा की है और कृषि के प्रति उदासीन रही है। इसलिए जब जब कांग्रेस सरकार रही 77 तक कांग्रेस सरकार रही विदेशों से देश में गल्ला मंगाया गया और 80 के बाद भी जब कांग्रेस शासन में आई, तो विदेशों से गल्ला मंगाना उसने आरम्भ कर दिया। केवल

[श्री धनीराम वर्मा—]

ढ़ाई साल के मध्यकाल में, जनता और लोकदल की सरकार के समय में ऐसी स्थिति नहीं रही, क्योंकि जनता और लोकदल सरकार अपने समय में अपने कुल बजट का 40 प्रतिशत कृषि बजट पर खर्च करती थी। जबकि इस सरकार में यह 25 परसेंट ही रह गया है।

साथ ही वह सरकार सब्सीडाइज्ड रेट पर खाद देती थी। यूरिया उस समय छोटे काश्तकार को 54 रु० में और बड़े काश्तकार को 75 रु० मे मिलती थी, जो कि आज 123 रु० मे बिक रही है। जनता और लोकदल की सरकार के समय में डी० ए० पी० जो 100 रु० में मिलती थी, आज 190 रु० में है। डीजल जो उस समय 1.65 रु० प्रति लीटर में मिलता था, आज साढ़े तीन रु० लीटर मिल रहा है। हमारे समय में 12 रु० प्रति हार्सपावर बिजली की कीमत थी, जो आज बढ़कर साढ़े 22 रु० प्रति हार्सपावर हो गयी है, जो आज लगभग दुगना है। गेहूं उस वक्त 115 रु० क्विटल बिकता था, जिसके एक बोरी को बेचकर छोटा किसान दो बोरी यूरिया और बड़ा किसान पौने दो बोरी यूरिया खरीद लेता था। जबकि आज गेहूं की कीमत 142 रु० क्विटंल हो जाने के बाबजूद वह एक बोरी बेचकर 52–54 किलो से ज्यादा खाद नहीं प्राप्त कर पाता है। इसी तरह पहले एक बोरी गेहूँ बेचकर उसे 70 लीटर डीजल मिल जाता था और आज 36 लीटर ही मिल रहा है। इस सबसे यह स्पष्ट है कि यह सरकार किस हद तक किनानों के प्रति उदासीन है। इसके कारण हमारे देश और प्रदेश में जो गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोग हैं, जो पहले 40 प्रतिशत थे, अब बढ़कर 60 प्रतिशत हो गये हैं। यही दशा रही तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में जो 85 प्रतिशत काश्तकार हैं, सभी लोग गरीबी रेखा के नीचे जीने के लिए मजबूर हो जायेंगे।

मैं कहना चाहूँगा कि खेती एक ऐसा धंधा है, जिस पर सारे उद्योग निर्भर हैं। आज देश में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की समस्या है, मेरी समझ में नहीं आता है कि उस समस्या को यह सरकार कैसे हल कर सकेगी। यदि कृषक का उत्पादन बढ़ाया जाए, जूट, कपास आदि का उत्पादन बढ़ाया जाए, तो निश्चित तौर से हमारे उद्योग धन्धे पनपेंगे, क्योकि कृषि उत्पादन से ही अधिकांश उद्योग धंधों को कच्चा माल मिलता है। और उद्योग धन्धों का विकास होने से शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल जायेगा। इतना ही नहीं, यदि कृषि पैदावार को इन्होंने बढ़ाया होता, तो हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति भी काफी सन्तोषजनक होती। क्योंकि आज जो विदेशी मुद्रा हम विदेशों से अनाज मंगाने पर खर्च करते हैं, वह न खर्च करना पड़ती। जनता शासनकाल में विदेशी मुद्रा को गल्ला खरीदने पर खर्च नहीं करना पड़ता था, जिससे उसकी स्थिति अच्छी थी।

एक बात और है, लाही की नई किस्म जो है, इसमें जरा सा भी ओला पड़ने पर, उसकी पंखुड़ियां नष्ट हो जाती हैं, फसल नष्ट हो जाती है। इस तरह से लाही का नुकसान होता आ रहा है। कृषि मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि वह लाही की कोई उत्तम किस्म निकाले" (व्यवधान) कृषि मंत्री जी अपनी बात बंद करके मेरी बात सुनें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृषि मंत्री महोदय का ध्यान, आकर्षित करिये, उधर की बात न सुनकर मेरी बात सुनें। जो नई किस्म की लाही है, उसमें अगर थोड़ा सा कुहरा पड़ जाता है, तो वह फसल नष्ट हो जाती है। मान्यवर, इतना ही नहीं, तिलहन की फसल की पैदावार दिन प्रति दिन कम होती जा रही है। उसके निदान के लिए कोई व्यवस्था आपने नहीं की है। आप इसके लिए व्यवस्था कीजिये। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि सिचाई की व्यवस्था और कृषि दोनों ऐसी समस्यायें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए कृषि और सिचाई विभाग एक ही मंत्री को देना चाहिए। मान्यवर, लाही के खेत इस वक्त लाखों हैक्टेयर खाली पड़े हुए हैं, अगर सिचाई की व्यवस्था होती तो

निश्चित ही सूर्यमुखी की फसल, जिससे तेल निकलता है, और जायद की फसल जैसे उर्द और मूँग की फसलें उगाकर तिलहन और दलहन की फसल उगाई जा सकती हैं।

मान्यवर, इतना ही नहीं, आज तक खेती के लिए उन्नतिशील बीज गेहूँ और धान के अतिरिक्त नहीं निकाले गये हैं, जिससे तिलहन और दलहन आदि की पैदावार नहीं बढ़ाई जा सकती है। मान्यवर, इस वर्ष गेहूँ का बीज जो बीज भंडारों के द्वारा वितरित करवाया गया, वह बहुत ही घटिया किस्म का था और भीगा हुआ था। हमारे क्षेत्र में देवरपुर संघ से जो गेहूँ दिया गया, वह गेहूँ जमा ही नहीं, जिससे किसान भुखमरी के कगार पर खड़ा हो गया है। यदि आप खेती की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, तो कृषि योग्य भूमि की भी मात्रा बढ़ाइये। इसके लिए मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जिस जमीन पर पानी भरता है, वह निश्चित तौर पर उपजाऊ जमीन है। उस जमीन को यदि जलप्लावन से बचाया जावे, तो निश्चित रूप से हजारों हैक्टेयर अच्छी जमीन कृषि योग्य मिल जायेगी और प्रदेश में कृषि का उत्पादन बढ़ सकता है। मान्यवर, जनता और लोक दल की सरकार के समय में मंडी-समिति द्वारा सड़कें बनायी गयीं, जिन पर खड़ंजा भी लगवाया गया, आज स्थिति यह है कि सारी मिट्टी बह रही है। खड़ंजे की ईंटें बिखर गयी हैं। मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहूँगा कि उनकी मरम्मत ही आप करवा दीजिए।

मान्यवर, मेरा एक यह भी सुझाव है कि कृषि मंत्री महोदय हाई स्कूल स्तर तक कृषि शिक्षा को अनिवार्य घोषित करें या स्वयं हाई स्कूल स्तर तक कृषि विभाग के तहत विद्यालय खुलवायें, जिससे हाई स्कूल तक के बच्चे कृषि की शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करके कृषि के उत्पादन में वृद्धि कर सकें। मान्यवर, मेरा यह भी निवेदन है कि बोबाई के पहले गेहूँ, धान आदि की कीमत निर्धारित करें और गेहूँ की कीमत 200 रु० प्रति क्विंटल तथा धान की कीमत 150 रु० निर्धारित करा दें, जिससे किसान अधिक मात्रा में गेहूँ और धान की पैदावार करें और देश और प्रदेश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो सके तथा सब्सीडाइज कीमत पर अधिक से अधिक 75 रु० बोरी यूरिया खाद और 100 रु० में डी० ए० पी० की बोरी दिलवाने की व्यवस्था करें।

***डाक्टर बृज किशोर मिश्र**—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो कृषि के बजट पर, जो माननीय कृषि मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ, माननीय विद्वान हमारे साथी, हुकम सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा, उनसे यह उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी, यह कहने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं है कि वह एक कृषक और विवेकशील व्यक्ति हैं, तो उनके द्वारा एक रुपये का कटौती का प्रस्ताव रखा जाना कतई उचित नहीं है। अभी हमारे वर्मा जी कृषि के उत्थान के सम्बन्ध में कह रहे थे कि इस सरकार के पास अक्ल नहीं है, इस कृषि विभाग में वैज्ञानिकों की कमी है। इस विभाग में इतने वैज्ञानिक हैं कि शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है। आप जानकारी कर लीजिये। प्रत्येक वर्ष हजारों हजार विद्वान इस विभाग के माध्यम से पैदा किये जाते हैं और हिन्दुस्तान ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आज विश्व के तमाम देश हैं जहां पर हिन्दुस्तान के कृषि वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं और देश तथा प्रदेश का नाम रोशन कह रहे हैं। मान्यवर, एक बात का मुझे दुख है कि हमारे माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से किसानों के नेता हैं। यह सत्य है कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है उत्तर प्रदेश उसका एक हिस्सा है। सवाल इस बात का है कि कुछ ऐसे चंद सवालात हैं जिन हम लोगों को मिलकर विचार करना चाहिये। यह निश्चित है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर ब्रज किशोर मिश्र—]

कि 80 से 86 परसेंट लोग कृषि के ऊपर बेस करते हैं और उनके जीवन मरण का सवाल कृषि है। तो कृषि के क्षेत्र में भी तरक्की हुई है, यह हर आदमी जानता है।

35 साल की आजादी के वाद कृषि में जो हमने तरक्की की है, उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि हमने कृषि को पराकाष्ठा पर पहुँचाया है। विरोध में बैठे नेता विरोध करेंगे, लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि एक वक्त था जब हम मजबूर थे और इतनी व्यवस्था नहीं थी कि किसान दो टाइम का खाना अपने घर में जुटा सके। आज हर्ष की बात यह है कि हम इतने सक्षम हो गये हैं कृषि के मामले में कि किसान खुद तो क्या, आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को देने के लिये सक्षम है। कुछ त्रुटियां जरूर हैं जिनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे बड़े अच्छे से अच्छे अधिकारी हैं। खास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि जो इस विभाग को देखने के लिये सचिव हैं, प्रत्येक सदस्य जानता है कि वह उत्तर प्रदेश के लौह पुरुष के समान हैं, ईमानदान, निष्ठावान, कार्यशील हैं।

(मेजों की थपथपाहट।)

मान्यवर, मैं सुझाव के रूप में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मान्यवर, मण्डी समितियों में आपके सचिव एप्वाइण्टमेंट कर लेते हैं और एस० डी० एम० को स्त्रीकृति ले लेते हैं। लड़के साल भर, 6 महीने काम करते हैं और 2, 4 महीने, साल भर काम करने के बाद उनको पुनः हटा दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई सुनिश्चित व्यवस्था आप तय करें कि जितने लड़कों का एप्वाइण्टमेंट करें उनको जब चाहा, मर्जी के मुताबिक निकाल कर बाहर कर दिया, तो इसको रोकें।

दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी से मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ। यह सही है कि कृषि क्षेत्र में जो स्कूल थे, तत्कालीन मुख्य मंत्री, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में एक ऐसा निर्णय लिया गया कि जो ऐसे स्कूल बंद हो गये थे, उनका संचालन किया जाय। लेकिन एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूँ, स्कूल तो आप कृषि के चलाते हैं, वहाँ से विद्यार्थी निकलते हैं लेकिन जब कोई ग्रेड 3 तथा 2 की जगह निकलती है, तो एम० एस-सी० (ए० जी०), बी० एस-सी० (ए० जी०) पास किये लोग आते हैं। तो कुछ बंदिश लगानी चाहिये, नहीं तो ग्रेड—1 में लोग कहाँ से आयेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ ग्रेड—2 और ग्रेड 3 की बात आती है और जो उनके लिये क्वालीफिकेशन निश्चित की गई है तो उसमें निश्चित तरीके से आई० एस-सी० (ए० जी), हाई स्कूल (ए० जी०) वालों को रखने की कृपा करें। मैं मान्यवर, कहना चाहता हूँ कि अभी माननीय हुकम सिंह जी ने पंतनगर यूनीवर्सिटी के बारे में कहा। तो पंतनगर यूनीवर्सिटी को हिन्दुस्तान में ही नहीं सारे विश्व के लोग जानते हैं, उसकी बहुत अच्छी गरिमा है, गम्भीरता है।

एक सदस्य—

उसमें आपके जिले के लोग हैं ?

मान्यवर, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है, मेरे जिले के बहुत से लोग वहाँ पर प्रोफेसर हैं। मेरे जिले के कम से कम, कुछ नहीं तो, 400 उसमें काम करने वाले लोग भी हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ अभी बीज निगम की चर्चा हुई, उस निगम में एक अधिकारी हैं चौहान साहब, उनके बारे में कहा गया, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि वे एक सजग और कर्मठ अधिकारी हैं। माननीय हुकम सिंह जी ने यूनियन बाजी के बाबत बात कही थी, वहाँ मान्यवर, लेबर प्राब्लम आये दिन बनी रहती हैं, लेबर प्राब्लम को सुलझाने के लिए

कुछ हमारे जिले के लोग हैं, जो हम लोगों से निश्चित रूप से गलत सही दस्तखत करा लेते हैं, पता नहीं चलता कि किसी अधिकारी का पक्ष कर रहे हैं या लेबर का पक्ष कर रहे हैं। मान्यवर, विद्यालयों में यूनियन रहेगी, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, यूनियन समाप्त नहीं हो सकती ! किन्तु मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षा के प्रांगण में ऐसी यूनियनबाजी भी नहीं होनी चाहिए, जो उस विद्यालय को बर्बाद करने में अपनी भूमिका निभाये।

अन्त में, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, मैंने उस बाबत असेम्बली क्वेश्चन भी उठाया था, और इस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को भी लिखकर दिया था कि हमारे यहाँ पडरौना में आप से ही सम्बन्धित एक डिपार्टमेंट है, भूमि संरक्षण डिपार्टमेंट, अगर यह विभाग वहां पर काम करता तो निश्चित रूप से वह धन किसानों का उसके माध्यम से आपके कोष में आयेगा। लेकिन, वहाँ एक डिप्टी डायरेक्टर हैं स्वायल कन्जर्वेशन पडरौना, मान्यवर, उन्होंने वहाँ मनमाने तरीके से जूनियर इंजीनियर, ओवरसियर, क्लर्कों की पोस्टिंग कर ली है, नियुक्त कर लिया है, इन रिक्तियों के लिए न उन्होंने वहां के किसी लोकल पेपर में विज्ञापन ही दिया, बल्कि एक आजमगढ़ के पेपर में यह दिया था, वहाँ किसी को इन रिक्तियों के बाबत पता ही नहीं चल सका। इसमें 3-3, 4-4 हजार रुपये लेकर नियुक्तियाँ हो गयी हैं, काफी अनियमितताएँ हुई हैं, जो पुल, पुलिया बनी हैं, वे सब गलत ढंग से बनाई गई हैं, जो अभी से ढह रही हैं। मान्यवर, जो ईंटें खरीदे गये हैं वह 200 रुपये प्रति हजार के हिसाब से खरीदे और उनका गवर्नमेंट से पेमेंट लिया गया 340 रुपये प्रति हजार के हिसाब से, उसे दिखाया गया है।

इन शब्दों के साथ, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि विभाग की इस बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का समर्थन करता हूँ और माननीय हुकम सिंह जी द्वारा इस बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

***श्री मित्रसेन** —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय हुकम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं अपने प्रदेश के किसानों की समस्याओं के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूँगा।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में खेती भी मुख्य पेशा है। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि खेती में काम करने वालों की खेती में रुचि नहीं है, तो उसका कारण क्या है ? श्रीमन्, जब तक किसी इंसान में किसी काम को करने की रुचि नहीं होगी, तब तक उस चीज का भरपूर उत्पादन, उसका विकास नहीं होगा। रुचि तभी पैदा होती है, जब उस व्यक्तित्व को उसके उत्पादन का, उसकी मेहनत का उचित दाम उसको मिले, इस दृष्टिकोण से मान्यवर, हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा समाज पढ़ा लिखा है, वे भी खेती में नहीं जा रहा है। जिसका नतीजा यह निकल रहा है कि हम अपने व्यवसाय, अपने धन्धे में रहते हुए भी एक बंधुवा मजदूर हो गये हैं, बटाईदार किसान हो गये हैं। हमारा किसान भूमि का मालिक है, लेकिन अपने उत्पादन का मालिक न होने के कारण आज एक रुपये पैंतीस पैसे किलो गेहूँ खरीदा जाता है, लेकिन वही गेहूँ जब दूसरे के घर में पहुंच जाता है, तो उसको तीन रुपये किलो में खरीदना पड़ता है। यह तो वैसे ही हुआ जैसे हम खेती करें, खेती में उत्पादन करें और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मित्रसेन—]

आधा बांट दें, तो यह बटाई के रूप में खेती हम कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे किसान की जो मजदूरी हुई, वे अगर पूरे साल की उत्पादन की लागत पर अपनी मजदूरी जोड़ें, तो दो रुपये की मजदूरी के बराबर वह करता है। आज मिनिमम मजदूरी है साढ़े छः रुपये और यह खेती करने वाला पूरे साल के उत्पादन की लागत के आधार पर अपनी मजदूरी देखे तो वह उसे दो रुपये पड़ती है। इस तरीके से खेती के कार्य में प्रदेश की जनता की रुचि घटती जा रही है, उसमें उसकी रुचि नहीं हो रही है। तो जब प्रदेश में खेती के कार्य में लोगों की रुचि नहीं रहेगी, तो उससे खेती के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि खेती में जो हमारी जमीन है, भूमि है, जिस पर हम खेती करते हैं, लोगों की यह धारणा होती है कि खेती में बहुत मार्जिन है, प्राफिट है, बचत है, लेकिन मान्यवर, स्थिति क्या है, इसमें प्राफिट है नहीं, अधिकांश लोगों के पास पूरे साधन हैं नहीं। उसका कारण यह है कि गाँव की जनता जो खेती करती है उसको न तो कोई तकनीकी प्रशिक्षण मिलता है और न ही कृषि से सम्बन्धित कोई और जानकारी उसको दी जाती है। किस भूमि पर कितनी भूमि में कितनी खाद दी जानी चाहिए, इसका भी उसे ज्ञान नहीं होता है। जिस भूमि में 10 किलो खाद देनी चाहिए, वह यह समझकर 20 किलो खाद दे देता है ताकि उत्पादन दुगना हो जाय किन्तु होता यह है उसकी फसल

(इस समय 4 बजकर 16 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

ही बरबाद हो जाती है, यह केवल इसी कारण होता है कि उसको तकनीकी जानकारी नहीं होती।

हमारा किसान आज इस पूँजीवादी व्यवस्था का एक बकरा बन गया है। जिस प्रकार से बकरे को खिला पिलाकर मोटा किया जाता है और फिर उसे बेच दिया जाता है ताकि उसका गोश्त बिके, इसी प्रकार से किसान को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह अधिक उपज करे, और जब उसकी उपज अधिक होने लगती है तो उसकी उपज के भाव गिरा दिये जाते हैं। पैदावार जहाँ किसान की जिन्दगी है वहीं देश की रीढ़ भी है। किन्तु यह कृषि विभाग किसानों के प्रति उदासीन है।

मान्यवर, विश्व बैंक की योजना के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने की योजना बन रही थी, अभी तक उस योजना को पता नहीं क्यों लागू नहीं किया गया। उसका दोषी कौन है ? क्या आपने स्वयं उस योजना को लागू न करने का निश्चय किया है ? यदि नहीं, तो बताया जाय कि उस योजना का क्या हुआ ? आज आपके सारे अधिकारी ऐशो आराम की जगह बनाये हुए हैं. मेलों और प्रदर्शन आदि के नाम पर करोड़ों रुपया फूँका जा रहा है, कागज पर अच्छी अच्छी फसल दिखाई जाती है, पर असली ज्ञान जो किसानों को होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है।

इसके अलावा इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले। इसके ऊपर इस सरकार को सोचना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए।

हमारे प्रदेश में 80 प्रतिशत ऐसे सीमान्त किसान हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि किसान की कृषि में रुचि नहीं है, उसके पास संसाधन नहीं हैं, उसको जिस तकनीकी ज्ञान की जरूरत है, वह नहीं हैं, और इन सबके कारण वह गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पा रहा है।

मान्यवर, किसान की इस जिन्दगी से, जो इतनी गिरी हुई है, सभी लोग चिन्तित हैं। माननीय कृषि मंत्री जी को और उनके विभाग को कोई ऐसी सुनियोजित योजना

बनानी चाहिए जिससे कि उनकी जिन्दगी बेहतर बन सके, किसान अपने दूसरे कारोबार में भी लग सकें, वे कम्पटीशन में आ सकें, अन्य उद्योग धन्धों में भी लग सकें। जब तक यह नहीं होगा किसान को लाभ होने वाला नहीं है। कृषकों के लाभ के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। चाहे खण्ड विकास को लें, चाहे अलग एजेन्सी बना लें लेकिन जितनी संसाधन और जो सुविधा किसानों को प्रैक्टिकल रूप में मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। मान्यवर, यह सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है केवल आँकड़ों में फँसी है और करोड़ों रुपया विभाग के हजारों लोगों के खाने के लिए छोड़ दिया है, किसानों की जिन्दगी की बेहतरी के लिए यह कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं हुकम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री लोकमणि शर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत दिनों के प्रयास के बाद कृषि के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने माननीय कृषि मंत्री जी के भाषण को सुना और उनके इस बजट साहित्य का अध्ययन किया। मैंने माननीय श्री हुकम सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव को ध्यानपूर्वक सुना। किसी प्रस्ताव के समर्थन करने और न करने के कुछ कारण हुआ करते हैं। जहाँ तक इस बजट के समर्थन का प्रश्न है मैं समयाभाव के कारण संक्षेप में निवेदन कर दूँ। हमारे देश का इतिहास साक्षी है कि यह देश किसी जमाने में कृषि उत्पादन में, उद्योग में, धार्मिक व मानवीय नीतियों और परम्पराओं में विश्व का गुरु रहा है लेकिन सदियों की दासता के बाद इस देश से सारी चीजें मिट गई। कृषि उत्पादन उद्योग और धर्म तथा मानवीय नीति व परम्परायें सब मिट गयीं। सारी चीजों का विनाश हो गया। उसी को दूर करने के लिए पूज्य गाँधीजी के विशुद्ध नीतियों के नेतृत्व में आजादी की लडाई लड़ी गयी। और वह संकट दूर हुआ। और राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। आज माननीय हुकम सिंह जी ने कहा कि किसानों के साथ काँग्रेस द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। शायद उनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है और उन्होंने उस समय के न ग्रामों को देखा है न किसान को। मैंने 40-50 वर्ष पहले के किसान को देखा है। मैंने उस जमाने के किसान के रहन सहन को देखा है मैं स्वयं भुक्त भोगी हूँ। मैं समयाभाव के कारण विस्तार से इसका वर्णन नही करना चाहता हूँ लेकिन उस हालत को देखकर आँखों में आँसू आते हैं। मान्यवर, 80 प्रतिशत किसान 2-4 दिन भूखा रहता था। फागुन और चैत की चैत कटूकरी की कहावत मशहूर है। चैत में किसानों को एक रोटी मिला करती थी और एक सेर चने का साग खाकर अपना दिन काटता था। उस समय किसानों की कोई आकांक्षा नहीं थी। आज किसानों की आकांक्षायें बढ रही हैं और बढ़नी चाहिए। मुझे एक बात याद आ गयी मैंने 40-50 वर्ष पहले एक पाठ पढ़ा था उसको आपको सुनाना चाहता हूँ—

बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा,
है चल रही सन-सन पवन तन से पसीना ढल रहा,
तो भी कृषक शोणित सुखा कर, हल तथापि चला रहा,
किस लोभ से इस आँच में वह निज शरीर जला रहा,
मध्याह्न उनकी स्त्रियाँ ले रोटियाँ पहुँची वहीं,
हैं रोटियाँ रूखी खबर है साग की उनको नहीं,
संतोष से भोजन करें फिर काम में वे लग गये,
भरपेट भोजन पा गये तो भाग्य मानो जग गये।

मान्यवर, उस समय केवल एक आकांक्षा भर पेट भोजन की थी। किसानों के संकट को दूर करने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गयी और आजादी के बाद जो भी परिवर्तन

आया उसको लाने वाली केवल काँग्रेस सरकार है जो कुछ परिवर्तन किया वह काँग्रेस सरकार ने किया है। हमारे देश में कहाँ एक सुई नहीं बनती थी, वहाँ आज ट्रैक्टर चल रहे हैं। आज हमारे किसानों का राजनीतिक. आर्थिक और रहन सहन के स्तर में सुधार आया है, ऊँचा हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि लक्ष्य पूरा हो गया है। लक्ष्य दूर है। अगर विरोधी दल ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया होता तो हमारा देश और आगे बढ़ गया होता।

(समय 4·25 से)

लेकिन उन्होंने तो 35 वर्षों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करके हमारी नीति में रोड़े ही अटकाये हैं। माननीय श्री हुकम सिंह जी ने जो सुझाव दिया है कि कृषि विभाग का विकेन्द्रीकरण ब्लाक स्तर, मण्डी स्तर तक कर दिया जाना चाहिए और यह भी कहा है कि न्याय पंचायत स्तर तक बीजगोदाम की व्यवस्था कर देनी चाहिए। तो क्या यह एक रुपये से हो जायगा। यानी दोनों बातें एक साथ— नहीं चल सकती हैं।

दोऊ न होई एक संग भुआलू,
हंसब ठठाई फुलाउब गालू।

यह कार्यक्रम बहुत बडे खर्च से पूरा होगा। तो मेरा निवेदन है कि हमारा जो दल है एक जनजान्ह्वी है और जो हमारी नेता हैं, प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी वह वास्तव में इन नीतियों से ओत-प्रोत पुजारी हैं। उनके बारे में भी कहा है, उन पर आक्षेप लगाया है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो दोष देते हैं तो इसका हमें कोई मलाल नहीं है क्योंकि भगवान राम के समय में भी एक धोबी ने कहा था कि ससुरी मैं राम नहीं हूँ जिसने सीता को अपने घर में रख लिया है। मैं ऐसे निन्दकों को धोवीवत् ही मानता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री लोक मणि शर्मा—

इस प्रकार मान्यवर, आप देखें इस प्रदेश में 203·8 लाख हेक्टेयर भूमि है जिसमें खेती हो सकती है। 174·8 हेक्टेयर में होती है और 68 लाख हेक्टेयर में दो फसलें होती हैं, 243 लाख हेक्टेयर में फसल बोयी जाती है और 95 लाख हेक्टेयर में खेती नहीं होती है। 96 लाख हेक्टेयर सिंचित है और 147 लाख हेक्टेयर असिंचित। इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत वृद्धि की गयी है और कृषि का उत्पादन 80-81 में 249·48 लाख मी० टन, 81-82 में 244·27 लाख, 82-83 में 260 लाख····

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री लोकमणि शर्मा—

अन्त में मैं माननीय कृषि मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उनका हृदय से समर्थन करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

धन्यवाद।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

जो विभाग की ओर से उद्यान एवं फल उपयोग विभाग की कार्यपूर्ति दिग्दर्शन पुस्तिका दी गई है, उसमें पर्वतीय क्षेत्र के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए जो बात कही है, उससे लगता है कि विभाग पहाड़ के काश्तकारों के साथ कितना क्रूर मजाक कर रहा है। उनके लिए इसमें लिखा है कि कोल्ड स्टोरेज, वहां के फल और आलू के लिए, बाम्बे में बनना है, दो हजार मीट्रिक टन का। फल कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए पहाड़ में जोशी मठ कर्णप्रयाग होते हुए बाम्बे जायेगा तो वह सड़ गल जायेगा, और अगर उसे रखेंगे तो वह बेकार होगा। कोल्ड स्टोरेज यदि बनना है तो, यदि वास्तव में हमदर्दी है तो कृषि विभाग को कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पर फल के बाग हैं, उनके नजदीक बनाना चाहिए। जहाँ कि 10-12 घण्टों के अन्दर फल जमा हो जायें। इसके बारे में हम हमेशा से कह रहे हैं कि वहाँ पर जो सेव, आलू के उत्पादक हैं, उनमें इतनी निराशा हो गई है कि उनको अपनी उपज का दाम नहीं मिल रहा है। यदि भण्डारण की व्यवस्था कर दें तो उनके लिए मार्केट भी दो-तीन माह बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ यात्रा नैनीताल, जो गर्मियों के मौसम में, जो शुरू होती हैं, वहाँ मार्केट उपलब्ध हो जाता है। यदि भण्डारण की व्यवस्था कर दें तो काश्तकारों को बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। कभी कहते हैं कोल्ड स्टोरेज बनायेंगे, कभी कहते है कूल हाउस बनायेंगे।

हिमाचल प्रदेश में व्यक्तिगत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनाये जाते हैं। आप कहते हैं कि पहाड़ में नहीं बन सकते कोल्ड स्टोरेज, यह तो बोम्बे में ही बन सकते हैं। यदि कृषकों से आपको स्नेह है, आप उनकी प्रगति चाहते हैं तो मैं निश्चित आश्वासन चाहूंगा कि आप वहां पर कोल्ड स्टोरेज बनाने की घोषणा करें। दूसरी बात पर्वतीय क्षेत्र में आलू, सब्जी के प्रमाणीकरण की योजना है पहाड़ो में। जोशीमठ में आलू के प्रमाणीकरण की योजना चल रही थी उसे बन्द किया जा रहा है, वैज्ञानिकों की राय है कि पर्वतीय क्षेत्र में आलू और फलों का जो उत्पादन होता है, वह बीमारी से मुक्त होता है। जोशीमठ का आलू असम, बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जा रहा है। प्रमाणीकरण की योजना से किसानों को काफी लाभ है। मेरा निवेदन है इसको जारी रखा जाय।

कुमायूँ एवं गढ़वाल में कुरमुला का भयंकर प्रकोप है। कुमायूँ की रानीखेत तहसील में तथा चमोली के थराली, नारायणबगड़, देवाल एवं गैरसेण ब्लाक में इसका खासतौर से प्रकोप है। मान्यवर, खेती में तथा जंगलों में कुरमुला की रोकथाम के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। खेती का बचाव कर दिया, जंगलों का बचाव नहीं हुआ तो रोकथाम नहीं होगी। वन विभाग को और कृषि विभाग को संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिए। जब तक आप कीटनाशक दवाओं को मुफ्त नहीं बटवाते हैं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक नाली की खेती है किसी के पास अगर वह गरीब है दवा डालने को तैयार नहीं है, बगल वाला दवा भी डालता है, तो कोई फायदा नहीं है।

सेवाओं के बारे में बात कही गयी। आपके विभाग का जी० ओ० है मार्च 23, 1980 का जिसमें कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-2 के स्तर के पदों हेतु उपसंवर्ग बनाये जाने की बात है। वहां आपके कर्मचारी तैयार नहीं हैं जाने के लिए। जी०ओ० कर फिर भी इसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे पहाड़ में कृषि प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र खुले हैं। दो साल का प्रशिक्षण देते हैं। नियुक्ति की बात आती है कृषि इंसपेक्टरों की, तब कहा जाता है कि इनको नहीं लेंगे। बी.एस-सी. (ए०जी०) को लेंगे। पहाड़ में बी० एस-सी० (ए०जी०) की पढ़ाई होती नहीं। इसका मतलब है कि पहाड़ का एक लड़का भी नहीं लगेगा। यदि नहीं लेना है तो ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं? मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान दें।

[श्री कुंवर सिंह नेगी--]

पंतनगर विश्वविद्यालय का रानी चौरी में पर्वतीय परिसर खोला है अभी तक आप उसको पूरा नही बना पाये। करोड़ों रुपये उस पर खर्च किया गया है, उसके बाद भी वह कुछ काम नहीं कर रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसकी ओर ध्यान दें।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने फसल बीमा योजना के बारे में कहा है और आप इस बारे में प्रयत्नशील हैं किन्तु मेरा आपसे निवेदन है कि जो आलू, सेव और मालटा के फल होते हैं उनकी भी बीमा योजना की बात आप करें। मान्यवर, जिस प्रकार से आप गन्ने का सपोर्ट प्राइस तय करते हैं, उसी प्रकार से सेव और आलू का भी सपोर्ट प्राइस तय कर दें ताकि उसके काश्तकारों को नुकसान न हो और उसके लिए विपणन और भण्डारण और सभी अन्य प्रकार की व्यवस्था कर दें ताकि किसानों को उसका लाभ हो।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग बैठें।

श्री धीनाथ सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि विभाग के बजट की परिचर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, यह एक कृषि प्रधान देश है और इसमें सबसे बड़ा कृषि का प्रान्त उत्तर प्रदेश है। यहाँ की 86 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। लगभग 76 परसेन्ट लोग इसके कारोबार में लगे हुए हैं और 51 परसेन्ट लोगों के जीवन का यही एकमात्र साधन है। यह एक इतना बड़ा बजट, हमारे माननीय मन्त्री जी जो एक कुशल खेतिहर भी हैं और जिनको इसके बारे में पूर्ण जानकारी भी है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

मान्यवर, वाद-विवाद के समय खाद के सम्बन्ध में लोगों ने बताया और मैं भी यह बताना चाहता हूँ कि बीज, खाद जल और कीटनाशक दवाइयां खेत के लिए आवश्यक हैं। मान्यवर, जहां तक बीज का सम्बन्ध है जैसा बीज होगा वैसा ही उत्पादन होगा। आज हमारे प्रान्त में कई विश्वविद्यालय शोध कार्य में लगे हुए हैं और पंतनगर विश्वविद्यालय भी इसमें काम कर रहा है लेकिन मान्यवर, कृषकों को जो बीज मिलता है वह बहुत मँहगा मिलता है। हमारे घर से जो गल्ले का उत्पादन होता है वह केवल डेढ़ रुपये में बिकता है लेकिन पंतनगर विश्वविद्यालय का जो गेहूँ है वह 5-6 रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से मिलता है। तो इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृषकों को बीज कम से कम दाम पर उपलब्ध करा दीजिये।

मान्यवर, दूसरी समस्या खाद की है और आज किन्ही कारणों से खाद इतनी मंहगी हो गई है कि प्रेक्टिकल रूप में खेतिहर किसानों के लिए उपलब्ध होनी बड़ी दुष्कर हो गयी है, आज खाद के बिना खेत के गल्ले का उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है क्योंकि खेत का जो नेचर हो गया है, खाद उसकी खुराक हो गई है। आप किसानों को सब्सिडी के माध्यम से मदद करते हैं लेकिन वह उनको पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है।

मान्यवर, तीसरी समस्या पानी की है। पानी के सम्बन्ध में भी सिंचाई के बजट पर लोगों ने कहा कि पानी ठीक समय से नहीं मिलता है, ट्यूबवेल खराब रहते हैं और कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ सिंचाई के साधन नहीं हैं। डीजल इतना मंहगा हो गया हैं कि पम्प लगाना भी मंहगा पड़ रहा है।

मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान अपने जनपद की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रदेश का वाराणसी अंचल यद्यपि प्रगतिशील जगह है लेकिन फिर भी मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ फल और आलू की खेती बृहद रूप से होती है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में चिरई गाँव में अमरूद की सबसे अच्छी फसल होती है, लेकिन, मान्यवर, वहां का अमरुद दिनों दिन नष्ट होता जा रहा है। मान्यवर, यहाँ जो ईट के भट्ठे लगे हुए हैं, उसके कारण अमरूद की फसल दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है।

मान्यवर दूसरी फसल बनारस में आम की होती है जैसे लखनऊ में दशहरी आम बहुत होता है वैसे ही हमारे यहां लगड़ा आम बहुत होता है और यह विदेशों तक को एक्सपोर्ट होता है। यह क्षेत्र भी चिरई गाँव ही है जो बिलकुल शहर से लगा हुआ है। इन्हीं ईंट के भट्ठों के कारण आम के फसल की भी वही हालत होती जा रही है जो अमरूद की फसल की हो रही है।

तीसरी वस्तु आलू है। आलू का भी उत्पादन मेरे क्षेत्र में बहुत होता है। आलू के रख-रखाव के लिये शीतगृह न होने के कारण उसे शहरों में लाना पड़ता है। आलू की फसल के समय शीतगृह मनमाना रेट लेते हैं और यह भी कहते हैं कि जगह नहीं है। ऐसी हालत में उनका आलू उनके कोल्ड स्टोरेज के सामने पड़ा सड़ जाता है। कभी-कभी वहाँ पर रखने भी नहीं दिया जाता है। मैं बजट देख रहा था, 150 शीतगृहों का निर्माण करने जा रहे हैं। मेरी मांग है कि जल्द से जल्द सरकारी माध्यम से शीतगृह बना दिये जायं ताकि आलू की रक्षा हो सके। देश भर में, उत्तर प्रदेश में आलू की फसल सबसे ज्यादा होती है, 50 प्रतिशत आलू यहां पैदा होता है। बनारस में भी आलू का काफी उत्पादन होता है। इसके लिये शीतगृहों का निर्माण आवश्यक है।

मण्डी समिति के विषय में बताना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी मण्डी खुली है। यह अच्छा होता अगर वहां की मण्डी समिति का कोई चुनाव हो जाता। अभी तक मंडी समिति में सरकारी अफसर रखे जाते हैं। मेरे यहां मंडी समिति में एक मजिस्ट्रेट हैं, जब वे सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट थे तब भी एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसके बाद ए०डी०एम० हुए, तब भी ऐडमिनिस्ट्रेटर रहे, आज ए०डी०एम० (सिटी) हैं तब भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्होंने जो धांधली की है, सबको ज्ञात है। सौभाग्य से सचिव महोदय हटा दिये गये, यह अच्छी बात हुई, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर संचालक हैं, इनसे भी मुक्ति मिल जाय तो कृपा होगी। मैं चाहता हूँ कि चुनाव कराकर उसको उपयुक्त हाथों में दे दिया जाय। "काम के बदले अनाज की योजना" के अन्तर्गत मंडी समिति के माध्यम से सड़कों का भी निर्माण हो रहा है, यह बहुत विस्तृत कार्य है, लेकिन अगर ठीक तरह से धरती पर उतरे, तो उसी के माध्यम से सड़क का काम कराया जा सकता है।

खड़ण्जा बिछाने का और पुलिया बनाने का भी काम किया जा रहा है। खड़ण्जे का कार्य और पुलिया का कार्य दूसरे माध्यम से पूरे कराये जा रहे हैं। खड़ण्जे का काम आर०ई०एस० से और पुलिया का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग से करा रहे हैं। यह काम अच्छा है, लेकिन ठीक तरह से हो। इन्हीं शब्दों के साथ बजट की प्रशंसा करता हूँ और समर्थन करता हूँ तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री ऊदल—

मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मा० मन्त्री जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए आज्ञा व्यक्त की थी कि लोग सुझाव देंगे और सुझाव के लिये आमन्त्रित किय था। खेती के लिये चार चीजों की अति आवश्यकता है, जिसमें प्रथम है "बीज"। मैं बीज

[श्री ऊदल—]

ही को लेता हूँ। अगर प्रमाणित बीज नहीं है तो खेती की पैदावार 25 प्रतिशत कम रहेगी और बीज प्रमाणित है तो 25 प्रतिशत ज्यादा पैदावार होगी। अभी तक जो व्यवस्था है, मन्त्री जी के आंकड़ों में भी और हम लोग जो जानते हैं, 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत बीज की व्यवस्था हो सकी है। हमारे तराई बीज निगम ने 3 साल पहले बहुत अच्छा काम किया था और इस समय तराई बीज निगम की हालत बहुत खराब है। उसने किसानों को सदस्य बनाया था और उन्हीं का बीज लेकर प्रोसेसिंग करके प्रमाणित करता था। क्या उस व्यवस्था को प्रदेश के दूसरे स्थानों पर प्रमाणित बीज बनाने के लिये लागू किया जा सकता है या नहीं ? उसके लिए प्रगतिशील किसानों को सदस्य बनाया जा सकता है या नहीं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रमाणित बीज किसानों को उपलब्ध करा सकें नम्बर एक बात और दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूँगा कि इस पर विचार कर लें कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्रमाणित बीज उपलब्ध करा सकें, जिससे मैं समझता हूँ कि आपकी 25 फीसदी पैदावार बढ़ जायेगी। माननीय मंत्री जी का भाषण चल रहा था तब मैंने बीच में ही टोका था कि एक ही मंत्री के पास सिंचाई, फर्टीलाईजर व कृषि आदि विभाग रहने चाहिए ताकि इस ओर प्रगति हो सके, परन्तु आप मजबूर हैं और ऐसा नहीं कर सकेंगे। मैं फर्टीलाईजर के विषय में कहना चाहूँगा कि जो भी फर्टीलाईजर इस्तेमाल किया जाए, वह टेस्टेड होना चाहिए और सरकारी होना चाहिए, किसी दूसरी संस्था को इसमें बीच में नहीं लेना चाहिए और जहाँ तक मिक्सचर बनाने वालों की बात है, जिनके लाईसेंस रद्द कर दिये गये थे क्योंकि उनका माल मानक के अनुसार नहीं था, परन्तु उन लाईसेन्सियों को फिर लाईसेंस दे दिये गये हैं।

रैलिश इण्डिया, मगरवारा-उन्नाव का माल टेस्ट किया गया, जिसका माल निर्धारित मानक से नीचे पाया गया, इसकी घोषणा हुयी, इसी तरह जौनपुर रैलिश इण्डिया की बात है, इसलिए मेरा सुझाव है कि जितने भी मिक्सचर बनाने वाली कम्पनियाँ हैं, सबकी पिछले कार्यों की एक समीक्षा करवा लें मान्यवर, और इस प्रकार उनके मानक को देख लें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ जैसा सोमांश प्रकाश जी ने कहा कि खाद्य के संबंध में हमारी सरकार अब आत्म-निर्भर हो गयी है। तो क्या यह बात सही नहीं है कि पार साल करोंड़ो रु० का गेहूँ अमरीका से मंगाया गया या नहीं और इस साल भी वहाँ से एग्रीमेंट किया गया है जो करोड़ों और अरबों रु० में है और विदेशी मुद्रा में एग्रीमेंट किया गया है। और वहाँ पर गेहूँ के दाम 198 रु० क्विंटल में दिये गये हैं और अपने यहाँ के किसानों को 135-40 रु० के हिसाब से दिया गया है और दिया जायेगा। तो यह सरकार का क्या औचित्य है और कहती है कि हम किसानों के उत्थान का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही, मै एक दूसरी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि फसलों का बीमा आज अति आवश्यक है क्योंकि आए दिन बाढ़ की विभीषिका, कहीं पर सूखा तथा कहीं अग्निकांड इत्यादि होते रहते हैं, जिससे किसान की फसल अधिकतर नष्ट हो जाती है, इसलिए सरकार इस ओर कोई नीति निर्धारण करे, तब जाकर किसानों को कुछ रिलीफ मिल सकती है। मान्यवर, आप तिलहन और दलहन को देख लीजिए, मूंगफली को देख लीजिए, जूट और कपास को देख लीजिए, हम जहाँ पर पहले थे, वहीं पर आज भी खड़े हैं बल्कि किन्हीं मायनों में पिछड़ गये हैं। जबकि हमें आज जूट, मूंगफली व अन्य फसलों में आगे जाना चाहिए, आपने अरहर को देखा उसका क्या हस्र हुआ। 80 फीसदी नुकसान हुआ है इस शीत लहरी से। इसी तरह से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी टेस्टेड कम्पनी से होना चाहिए या सरकारी कारखाने से होना चाहिए। इसलिये उसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिये। एक बात और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आलू भण्डार की व उसको बाहर भेजने की आपने जो व्यवस्था की है, वह बहुत अच्छी है और उसके लिये आप बधाई के पात्र हैं और मैं बधाई देता हूँ। इसके साथ

ही मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद करता हूँ कि कृषि विभाग से संबंधित जो हमने सुझाव दिये हैं, उसका पालन करने की अवश्य आप चेष्टा करेंगे और कृषि विभाग को सक्षम बनायेंगे ।

श्री मान पाल सिंह एडवोकेट—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये मौका दिया, मैं हृदय से कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ ।

मान्यवर, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारा देश भी कृषि प्रधान है । तो जब तक यहाँ के काश्तकारों की हालत अच्छी नहीं होगी तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकेगा । कृषि के लिये तीन-चार बातें बहुत आवश्यक हैं जिसमें बीज, अच्छा उर्वरक और कटिनाशक दवाइयां तथा सिचाई । जहाँ तक बीज का प्रश्न है, आजकल जो प्राईवेट डीलर्स हैं, वह बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं और पकड़ में भी नहीं आते हैं क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उन पर कोई कार्यवाही हो नहीं सकती है क्योंकि आदश्यक वस्तु अधिनियम में बीज शामिल नहीं है और इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूँ कि वह इस बात पर जरूर विचार करें और आवश्यक वस्तु अधिनियम में बीज को भी शामिल कराने का प्रयत्न करें ।

इसी प्रकार से कीटनाशक दवाइयों में भी बहुत ही गड़बड़ी हो रही है । बहुत से किसानों को शिकायत रहती है कि उनके कीटनाशक दवाई में मिट्टी तथा अन्य प्रकार की चीजें मिला दी जाती हैं जिससे कि उनका सही उपयोग नहीं हो पाता है, कीट मरते नहीं हैं और जमीन की भी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है । आप इसे विजिलेन्स सेल से या किसी और तरीके से ऐसी रुकावट डालने वाले लोगों के प्रति जाँच करा कर उचित कार्यवाही कराने का प्रयत्न करें ।

इसी प्रकार से उर्वरक का जहां तक प्रश्न है, अच्छी उर्वरक भी हमको प्राप्त नहीं हो पाती है । जितनी खादें हैं, सरकारी कारखानों से निकलने के बाद सरकारी ऐजेन्सियों के द्वारा उनका वितरण होना चाहिये, बीच में कोई अन्य लोग या ऐजेन्सी नहीं होनी चाहिये । यह जो प्राइवेट डीलर्स हैं, ये बोरी में, जो रिजेक्टेड खाद होती है जो कि पत्थर की शक्ल में जम जाती है, उसे ही बोरियों में भर कर किसानों को दे देते हैं, इस पर कड़ाई से प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये जिससे कि किसानों के खेतों की उर्वरक शक्ति जो समाप्त हो जाती है गलत-सलत खादों के प्रयोग करने से, उसे रोका जा सके । बेचारे किसानों को मँहगी खाद लेनी पड़ती है और किसानों पर भारी बोझ पड़ता है इसलिये माननीय मंत्री जी को इस तरफ कुछ जरूर विचार करना चाहिये ।

मान्यवर, सिचाई का जहाँ तक प्रश्न है, यद्यपि यह दूसरे मंत्री जी से संबंधित है, फिर भी कृषि का विकास और पानी अन्योनाश्रित हैं । बिना पानी के कृषि सम्भव नहीं है । देहातों में जो प्राईवेट ट्यूबवेल्स हैं उनका नानपेमेण्ट में कनेक्शन काट दिया जाता है जिससे कि उस किसान की जमीन पर तो उसका असर पड़ता ही है पर साथ ही उस एरिया की और जमीनें भी उसी की चपेट में आ जाती हैं । रिकबरी के लिये एरियर ऑफ लैण्ड रेवन्यू की तरह से उसकी वसूली करते हैं जिससे कि बहुत हानि होती है । होना यह चाहिये कि किसान की फसल कुर्क करा लें और उससे रिकवरी करा लें ताकि उससे दूसरे काश्तकार तथा उस एरिया के दूसरे लोग उससे प्रभावित न हों और उस कनेक्शन के काटने का प्रभाव उन पर न पड़े ।

[श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—]

जनपद एटा में तिलहन में मूँग की क्राप सारे उत्तर प्रदेश से ही नहीं, बल्कि सारे देश से अधिक होती है। कासगंज ब्लाक है, यहाँ पर मूँग बहुत अधिक होती है। यहां पर काश्तकारों की खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है, व्यापारी उसको खरीद लेते हैं और फिर उसी को बीज के समय अधिक पैसे में बेच देते हैं। इस प्रकार से किसानों को अधिक दाम देना पड़ता है।

मान्यवर, दूसरी चीज मैं ऊसर जमीन के बारे में कहना चाहता हूँ। भूमि पर आबादी का दबाव अधिक है। ऊसर सुधार निगम बना हुआ है, परन्तु यह निगम कुछ कर नहीं पा रहा है। इसका कार्य संतोषजनक नहीं है। एटा, मैंनपुरी, लखनऊ, उन्नाव आदि जिलों में आप देखें कि बहुत ऊसर पड़ा हुआ है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए व्यापक सुधार नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो व्यक्ति ऊसर को सुधारने का कार्य कर सके, उसको अधिक से अधिक अनुदान ही क्यों न देना पड़े, आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए जिससे अधिक से अधिक भाग पर खेती हो सके।

मान्यवर, डीजल और पम्पिग सैट जो हैं, उनकी खरीदारी की जाती है, जिस एजेन्सी से खरीदारी की जाती है वह किसी खास डीलर से खरीदवातें हैं, ऐसे अधिकारी या कर्मचारी बहुत बड़ा कमीशन खाते हैं, इसलिए वहीं से वह मशीनरी या पम्पिग सैट खरीद वाते हैं। जहाँ कमीशन अधिक होता है। इस तरह से खरीदा हुआ सामान बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, तो मान्यवर, काश्तकार के हित में यह होगा कि ब्लाक स्तर पर या जिला स्तर पर कोई सरकारी एजेन्सी काम करे जिससे उसके माध्यम से डीजल और पम्पिग सेट तथा अन्य छोटे मोटे औजार खरीदे जा सकें। दूसरा मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी ब्लाक स्तर पर एक ऐसा आदमी रखें जो भूमि की जुताई व लेविलिंग हेतु ट्रैक्टर की ट्रेनिंग लिए हो, क्योंकि किसान अधिक पैसा नहीं दे सकते हैं। मान्यवर, किसान को एक पास बुक दे देनी चाहिये जिसमें उसकी जोत की इन्ट्री और उसकी फोटो लगी रहे जिससे जब कहीं वह जाय तो उसे किसी प्रकार की दिक्कत न हो और कोई व्यक्ति उसके नाम से फर्जी लोन न ले सके और जब गेहूँ की परचेजिंग का समय आता है तो व्यापारी फर्जी कर्ज लेकर कर्मचारियों से मिलकर काश्तकार से गेहूँ ले आता है और फिर उसको अधिक दाम पर वहीं पर बेच देता है। किसान इस चीज को समझ नहीं पाता है। इसलिए फोटो सहित पास बुक उसको दी जानी चाहिए, उस पर फोटो, परगनाधिकारी या तहसीलदार द्वारा प्रमाणित हो। इसका वह हर समय प्रयोग कर सकते हैं, उसके किसी काम में रुकावट नहीं आयेगी। बैंक के लोग जो रुपया देते हैं, उसमें भृष्टाचार जो होता है, वह भी कम हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्....

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष—

आपका भाषण कल जारी रहेगा। नियम 51 के अन्तर्गत 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैंने उन सभी को देखा है और जो महत्वपूर्ण हैं, भोला पाण्डेय की, प्रदेश के ड्रग कन्ट्रोल विभाग में व्यापत भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के सम्बन्ध में है, को स्वीकार किया है बाकी को अस्वीकार किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस पर लगे प्रतिबन्ध को हटा देने से आम जनता में उत्पन्न तकलीफ के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

***श्री मोहनसिंह—**

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय डाक्टरों की जो निजी प्रैक्टिस थी, उसमें छूट देकर इस प्रदेश के गरीब और साधनहीन मरीजों के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। इस पर प्रतिबन्ध लगाते समय उत्तर प्रदेश सरकार ने दो तर्क दिये हैं। एक तो यह है कि डाक्टरों को नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स मिलता था फिर भी वे प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। दूसरा तर्क उनका यह था कि यह सरकार जो 8/10/12 करोड़ रुपये कहती है कि बचत हो जायेगी। मैं इन दोनों तर्कों को चुनौती देना चाहता हूं। मान्यवर, 1978 में जब डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया गया था तो उस समय प्रदेश सरकार ने जो घोषणा की थी, उसके बारे में संक्षेप में आपकी आज्ञा से दो-एक पक्तियाँ पढ़ना चाहता हूं। इन्होंने कहा था—

"दि राइट आफ प्रैक्टिस वाज ए प्रिविलेज व्हिच हैज बीन बिड्रान बार्ड दि स्टेट गवर्नमेंट एज इट वाज नेससरी इन दि इन्टरेस्ट आफ जनरल पब्लिक."

निजी प्रैक्टिस एक विशेष सुविधा थी लेकिन जनता के विशेष हित को ध्यान में रखते हुये प्रदेश सरकार ने इसे वापस ले लिया।

"ए लार्ज नम्बर आफ डाक्टर्स हैव बीन मिस यूजिग देयर प्रिविलेजेज. दे हैव बीन अटेण्डिग टु दि रिच पेशेण्ट एण्ड पूअर परसन्स वर नाट एविल टु पे हैव बीन नेगलेक्टेड."

वे लोग सम्पन्न मरीजों को अटेण्ड करते थे लेकिन जो एक बड़ी संख्या में गरीब मरीज थे वे पूर्णतः नेग्लेक्ट किये जाते थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज वह स्थिति इस प्रदेश में पूर्णतः समाप्त हो गई है? उत्तर प्रदेश के उन डाक्टरों में जिनकी बड़ी प्रैक्टिस थी, यह भ्रम है कि सभी डाक्टर्स आज प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे डाक्टर्स जिनकी प्रैक्टिस चलती है, उनकी संख्या अनुपात में 5 फीसदी से ज्यादा नहीं है लेकिन बड़े डाक्टर्स जब उनके ऊपर 78 में प्रतिबन्ध लगा तो ये लोग उच्च न्यायालय में गये और इन्होंने एक याचिका दाखिल की। वह खारिज हो गई। उसको खारिज करते हुये उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया—

"दि ल्योर आफ प्राइवेट प्रैक्टिस इज मेनली रिस्पांसिबिल फौर नैग्लेक्टिग इसेन्सियल पार्टस आफ डाक्टर्स ड्यूटी ऐज हैज बीन फाउण्ड बाई ए नम्बर आफ कमेटीज."

माननीय उच्च न्यायालय का कहना है कि निजी प्राइवेट प्रैक्टिस का जो लालच है उसको डाक्टर लोग अपनी जिम्मेदारी को जो कि उनकी बुनियादी चीज है, उसको भूल जाते हैं। फिर आगे उच्च न्यायालय ने कहा है—

"इफ प्राइवेट प्रैक्टिस इज एलाउड विदाउट ऐनी रेसट्रेन इट बुड इण्टरफियर विद दि ड्यूटीज एसाइण्ड टु डाक्टर्स व्हिच वुड बी डैट्रीमेन्टल टु इफिसिएन्सी इन मेडीकल कालेजेज एण्ड होस्पीटल्स."

यदि उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस खोल दी जाती है तो इससे अस्पतालों और मेडीकल कालेज में दिये गये काम में व्यवधान होगा और वह घातक सिद्ध होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह--]

"इफ डाक्टर्स इम्प्लौएड इन मेडीकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज आर एलाउड टू डू प्रैक्टिस, देयर इज बाउण्ड टू बी डिरट्रक्शन इन देयर अटेण्शन टू वर्क फौर व्हिच दे हैव बीन इनेगेज्ड बाई दी गवर्नमेंट देयर प्राइवेट प्रैक्टिस मे मेनटेन देयर रिप्यूटेशन एण्ड रैस्पेक्टेबिलिटी विद दी एलाइट कम्युनिटी बट दी पुअर मैन्स एक्सेस टू मेडिकेयर इज आफ मोर इम्पर्टेन्स."

यदि निजी प्रैक्टिस की सुविधा दी जाय तो उनकी प्रतिष्ठा में इजाफा होगा और सम्पन्न वर्ग के जो लोग हैं उनसे उनका सम्बन्ध हो जावेगा लेकिन जो गरीब आदमी हैं उससे उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था का सम्बन्ध ही टूट जायेगा।

उत्तर प्रदेश की सरकार विगत दो वर्षों से इस तरह के तर्क देती रही। मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पिछले दो साल से जो स्वास्थ्य विभाग पर भाषण हुये हैं, उसको मद्दे नजर रखते हुए यह प्रतिबन्ध हटाया गया। मैं उसको भी चुनौती देता हूँ। मैंने स्वयं भी वह भाषण पढ़े हैं जो चिकित्सा विभाग के अनुदानों पर पास हुये हैं. माननीय सदस्यों को चिन्ता इस बात की थी कि उनको निजी प्रैक्टिस का भत्ता मिलता है और डाक्टर उसका दुरुपयोग करते हैं, उनके ऊपर कार्यवाही की जाय। लेकिन यह सरकार अपने निकम्मेपन के कारण उनको गलत काम करने से नहीं रोक पायी और अब उन्हें पूरी छूट हो गई। इसने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न अवसरों पर इसकी जांच पड़ताल करने के लिए अनेक कमेटियां नियुक्त की, सभी कमेटीज की राय इसी प्रकार की है मैं उन सबके ब्यौरे में नहीं जाना चाहूँगा। एक जस्टिस वर्मा कमीशन बना, उसके बाद खेर साहब की एक कमेटी बनी, दोनों ने डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कही। यदि डाक्टरों को छूट देने से कोई काम हल होने वाला है और उससे चिकित्सा पद्धति बाधित नहीं होती है तो बात अलग थी। मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयूट खोला उसमें डाक्टरों की प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध क्यों लगाया? उनके लिए प्रतिबन्ध का तर्क दिया कि जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट खुल रहा है उसमें यह छूट मिल जायेगी तो जो काम हमारा मेडिकल एजुकेशन का, उसमें वह बखूबी अपना काम नहीं कर पायेंगे। तो इस पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में ही यह प्रतिबन्ध क्यों? क्यों नहीं दूसरे मेडिकल कालेजेज में यह लागू किया गया? इसके बारे में सरकार की ओर से कोई तर्कसम्मत आधार आज जनता के सामने नहीं आ रहा है जिसका नतीजा यह हो रहा है कि तमाम ग्रामीण अंचलों में जो डाक्टर हैं, वहां अस्पतालों में जो आपके इक्वीपमेंट्स हैं, जो औजार हैं, उनका उपयोग जो पैसा दे रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। जो मुफ्त चिकित्सा सुविधा है, उसका उपयोग उत्तर प्रदेश के बड़े डाक्टर अपने उपयोग में ला रहे हैं। जो गाँवों में काम करने वाले डाक्टर हैं, वह उन औजारों का प्रयोग संपन्न वर्ग के लोगों को चिकित्सा सुविधा देने में कर रहे हैं और जो प्रदेश के गरीब को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की भावना है उस पर जबरदस्त कुठाराघात हो रहा है, इस तरह की छूट से।

अब तर्क दिया जाता है हमें पैसा बचेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के किसी विभाग में आप एक आदमी को नौकरी में रखते हैं तो क्या उसको इस बात की छूट देंगे कि वह अपने घर में जाकर दूसरा काम करे? जैसे आपके डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, क्या उसको छूट देंगे कि 24 घंटे हमारे यहां काम करो और बाकी 15 घण्टे अपने फार्म में काम करो? जबकि आपने डाक्टरों को इम्पलाय किया है तो वह 24 घण्टे के नौकर

हैं उनको छूट नहीं मिलनी चाहिये । यह जो पहले छूट दी गयी थी, वह उन परिस्थितियों में दी गयी थी, जब उत्तर प्रदेश में डाक्टरों की कमी थी, दूसरे राज्यों में डाक्टरों के वेतनमान अधिक थे । उनकी निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये, उसके लिए उनको और सविधा दे दें जैसे नान-प्रैक्टिसिंग एलाऊंस आदि । हमारे यहाँ आज डाक्टर्स बेकार हैं, उनकी बेरोजगारी का मामला गम्भीर है, उनको थोड़ा बहुत वेतनमान ज्यादा दे दीजिये, यह बात अलग है । लेकिन निजी प्रैक्टिस पर गरीबों की रक्षा के लिए, उनकी स्वास्थ सुविधा का ध्यान रखते हुए प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये । उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय उस प्रतिबन्ध को समाप्त करने का जो है, वह निन्दनीय है, वह गरीबों के हितों के विपरीत है, उन के हितों पर कुठाराघात है । इन शब्दों के साथ मैं सदन के सम्मुख यह विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष —

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी संक्षेप में आप कुछ कहना चाहेंगे ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी) —

श्रीमन्, मैं सबको सुनना चाहता हूँ ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

कुछ संक्षेप में बता दीजिये ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मेरा मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । क्या माननीय मन्त्री जी को धीरज, धर्म, मित्र और नारी की बात याद आ गयी है ।

श्री राम नारायण पाठक—

मैं बताता हूँ । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

आप बैठें मैंने श्री पी० के० शर्मा को बुलाया है ।

***श्री प्रवीन कुमार शर्मा**—

अध्यक्ष महोदय, जो प्राइवेट प्रैक्टिस हमारे प्रदेश के डाक्टरों की खोल दी गयी है, उसके सम्बन्ध में चर्चा का प्रस्ताव श्री मोहन सिंह ने किया है । मान्यवर, प्रदेश के अन्दर यह विषय जो है आज ही नहीं पहले से भी चर्चित विषय रहा है । वर्ष 1973 में पहली बार इस प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर रोक लगाई गयी थी, उसके बाद 1974 में यह रोक हटा दी गयी, फिर 1978 में रोक लगा दी गयी और तदोपरान्त अक्टूबर, 1982 में इस पर जो रोक थी, वह हटा दी गयी । इतना थोड़ा सा अन्तर आया कि पहले जो रोक थी वह थोड़ा आँशिक रोक थी, मतलब कुछ जो प्रभारी अधिकारी थे, उनके ऊपर यह रोक लगी थी और कुछ हिस्से छूटे थे, जो मेडिकल आफिसर, जैसा कि श्री मोहन सिंह ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रवीन कुमार शर्मा—]

जिक्र किया, गांवों में थे, उनके ऊपर यह रोक लगी थी, और जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के तहत काम कर रहे थे उन पर यह रोक नहीं लगी थी। लेकिन मान्यवर, इस बार ऐसा हुआ है कि समस्त वर्ग जो है चाहे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में लगे हों या मेडिकल आफिसर्स हों, सभी के ऊपर यह रोक हटा दी गयी है।

मान्यवर, एक चीज जो श्री मोहन सिंह ने कही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका मिसयूज हो रहा है, हो सकता है कि उनका कोई व्यक्तिगत अनुभव रहा हो लेकिन इतना हमने जरूर देखा है, हमारे साथ ही एक घटना हुई कि हमारे अनूपशहर के डाक्टर साहब, हमको देखने आ रहे थे, हम काफी बीमार थे, उस समय प्राईवेट प्रैक्टिस पर रोक थी, सुबह 8 बजे आ रहे थे कि इतने में सी० एम० ओ०, बुलन्दशहर आ गये और उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। तो उस शरीफ डाक्टर को बिला वजह जिल्लत में पड़ना पड़ा। हमारे स्वास्थ्य मन्त्री ने अच्छा काम किया और जो प्राइवेट प्रैक्टिस का पर्दा पड़ा था, वह हटा दिया जिसको मैं समझता हूँ कि प्रदेश के हित में अच्छा काम किया है।

मान्यवर, जहाँ तक वह कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में दवाइयों आदि का बड़ा दुरुपयोग डाक्टर कर रहे हैं, वह अपने आदमियों को बांट रहे हैं, अथवा पैसे से बाँट रहे हैं, उपकरण प्राइवेट प्रैक्टिस में उपयोग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके (श्री मोहर सिंह के) ज्ञान में वह चीजें हों, उनका अनुभव हो लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में, हम भी दौरा कर रहे हैं, हमसे लोगों ने कहा है कि इससे एक सुविधा हुई है कि हर आदमी को हर समय डाक्टर उपब्लध रहता है और जो मेडिकल चिकित्सा है वह उसको प्राप्त हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि उनको यह कष्ट कैसे बतलाया गया? इतना जरूर सुझाव दे सकता हूँ चूँकि स्वास्थ्य मन्त्री जी ने सुझाव माँगे हैं कि उन्होंने यह अच्छा कदम उठाया है लेकिन इसमे आप्शन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें तो मैं समझता हूँ कि जो थोड़ी वहुत परेशानी होती है, वह हल हो जायेगी।

अन्त में मैं पुनः मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह जो बैन लगा था, उसको हटाया, सभी लोगों को 24 घन्टे की चिकित्सा सुविधा मिल रही है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी डाक्टरों के लिए मन्त्री जी ने प्राइवेट प्रैक्टिस एलाउड कर दी है, उससे प्रदेश के दबे व कुचले लोगों की आत्मा को ही नहीं, इन्होंने उनके शरीर तक को कुचलने का प्रयास किया है। यह सही है कि अब यह डाक्टर उन्हीं को उपलब्ध होंगे, जिनके पास पैसा होगा और पैसा जिसके पास नहीं होगा, उसको बिना इलाज के और दवा के मरना होगा। मैं इटवा का रहने वाला हूँ, अपने वहाँ अस्पताल में हमने देखा है कि डाक्टरों के अस्पताल आने का कोई समय नहीं है, उनका जब मन होता है वह आते हैं। एक गरीब आदमी वहाँ आया जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं था, लेकिन डाक्टर ने उसको नहीं देखा और यह उससे कहा कि जब देखूंगा जब 16.50 रुपया फीस हमको दोगे, और मैं उसकी रसीद दूंगा। तो अब यह डाक्टर्स केवल समय गुजारने के लिए अस्पताल आते हैं, वहाँ रहते हैं और यह प्रयास करते रहते हैं कि किसी तरह समय गुजर जाए और वह फिर समय के बाद मरीजों को उनसे फीस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकर उनको देखें। कोई भी कल्याणकारी सरकार होगी तो वह अपने साधनों से गरीबों के कल्याण के लिए सारी सुविधायें सुलभ करायेगी।

मैं पाँडिचेरी गया था, वहाँ के मन्त्री ने बताया था कि हम यहाँ पर प्रति व्यक्ति 100 रुपये कम से कम जनता की चिकित्सा पर व्यय करते हैं। लेकिन आप इसके लिए बहुत कम पैसा व्यय करते हैं। और जो कुछ धन व्यय भी करते हैं, उसको भी अब आपने पैसे वालों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। आपके नेता ने जिनके जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास करने की चर्चा की है, उसको आपने और नीचे गिराने का प्रयास किया है। आप इस प्रदेश के कल्याण के लिए इस प्राइवेट प्रैक्टिस को बन्द करें और उस पर प्रतिबन्ध लगायें कि वह प्राइवेट प्रैक्टिस न करें।

*** श्री रामनारायण पाठक —**

मान्यवर, मैं अपने साथियों से भी निवेदन करूँगा, एक दो मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूँ। अपनी चर्चा में मोहनसिंह जी ने जो बात कही है, वह यदि 19 वीं शताब्दी में यह बात कहे होते, तो शायद हम लोग उनसे राजी हो जाते, लेकिन 20 वीं शताब्दी में जब चन्द्रमा पर लोग काबू पाना चाहते हैं, सूर्य की किरणों को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, उन दिनों मैं मोहनसिंह जी इस वक्तव्य को दे रहे हैं। आज सारी दुनियाँ में, इंडस्ट्री में यह चर्चा है कि इन्सेंटिव सिस्टम होना चाहिए। यह ऐसा सिस्टम है, जिसमें मेंटल फैकल्टी का विकास होता है और उनके ज्ञान का भी विकास होता है। यह इन्सेन्टिव प्राप्त लोग ही आज दुनियां में नये नये अनुसन्धान कर रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि 78 में जो कार्य हुआ, शायद 19 वीं शताब्दी के लोगों ने उस पर फैसला ले लिया था और 20 वीं शताब्दी के जो लोग हैं, वह समझते हैं कि डाक्टरों की मेडीकल फैकल्टी के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है कि उनको कोई इन्सेन्टिव दिया जाए। पैसा देकर जो इन्सेन्टिव दिया जाता है, वह हर डाक्टर को मिल जाएगा। लेकिन यदि प्राइवेट प्रैक्टिस का उनको मौका मिलता है तो वह अपनी तरक्की के लिए, मेंटल फैकल्टी के डेवलपमेंट के लिए और ऊपर उठने का प्रयत्न करेगा।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अच्छा होता कि जो और जगह भ्रष्टाचार है, उसको भी वह रोक लेते। भ्रष्टाचार या दुरुपयोग की बात कहना उनकी दुकियानूसी बात है, उन्हें इसे वापस लेना चाहिए। और डाक्टरों को विकास का पूरा मौका मिलना चाहिए, जो लोग उसका दुरुपयोग करेंगे, उनको सजा मिलेगी, हमारे मन्त्री जी इसके लिए सक्षम हैं। मैं मोहनसिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वह प्रस्ताव वापस ले लें।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जसबन्त सिंह विष्ठ —

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, हम लोग भी इस सदन के सदस्य हैं, जनता के द्वारा भेजे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि किसी विषय पर हमको भी बोलने का मौका मिलेगा। मान्यवर, जरा दूर तक दृष्टि रख दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष —

आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री जसवन्त सिह विष्ट—

मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि हमारे माननीय नेता जो हैं, उनको समय अवश्य दें, लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए, आप इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, अभी जो चर्चा का प्रारम्भ माननीय मोहन सिह जी ने किया है, मैं उसकी भावना के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूँ। यह जनहित के नाम पर जो सरकार ने किया है, यह वास्तव में जनता का शोषण है, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार ने और राज्य सरकार ने जब-जब इस पर विचार किया, उसका एक ही मतलब निकला कि गरीब जनता को डाक्टर की कृपा पर नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यवर, 1966 में जब मुदालियर कमीशन गठित किया गया था और उसने अपनी यही रिपोर्ट दी थी कि प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं खोलना चाहिए। उसके बाद पे राशनालाइजेशन कमेटी आयी, उसने भी इसी पक्ष में फैसला दिया। उसने एक संस्तुति यह दी थी कि जो हमारे गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनके डाक्टरों के लिए, जहां पर 50 हजार से कम आबादी है, उनमें प्राइवेट प्रैक्टिस एलाऊ कर दीजिए। मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने जब डाक्टरों का प्रतिनिधि मण्डल मिलने आया तो मन्त्री जी ने यह कहा कि यह गलत बात है, यह हम किसी बात पर एलाऊ करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई कि मन्त्री जी तत्काल बदल गये, तर्क यह लिया कि वह योजना सही रूप में नहीं चल रही थी। आप इस बात से सहमत होंगे कि प्राइवेट प्रैक्टिस खुलने से जनता का नुकसान हो रहा है। मान्यवर, जब संजय गांधी आयुर्विज्ञान खुल रहा है, उसमें भी यह बात स्पष्ट कर दी है कि जो स्पेशलिस्ट उसमें आयेंगे, उनमें भी हम प्राइवेट प्रैक्टिस का करने का मौका नहीं देंगे। अब एक तर्क दिया है, मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि डाक्टर इसका विरोध क्या करेंगे जो अधकचरे हैं, नाकाबिल हैं।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि आपके डायरेक्ट्रेट के लोग हैं, जो कभी डाक्टर रहे हैं, उसके बाद सी० एम० ओ० रहे हों, उसके बाद डायरेक्टर होकर आ गये, आपने यह कह दिया कि इससे साढ़े 7 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। आमदनी होगी या नहीं होगी, केन्द्रीय सरकार ने आपके साथ शर्त लगा दी है कि प्राइवेट प्रैक्टिस खोलने में जो साढे 7 करोड़ रुपये की आमदनी की बात कही है, यह गलत है। मलेरिया और लेपरोसी के जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, इस पर केन्द्रीय सरकार ने शर्त रखी है अगर पूरा समय देकर काम नहीं करेंगे, तो प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी जायेगी। तो मान्यवर, यह सब मिला कर ऐसी परिस्थति पैदा हो गयी है कि आयोग की संस्तुति से, आपके मानक से यह सिद्ध हो गया है कि प्राइवेट प्रैक्टिस उचित नहीं है। बहुत से ऐसे डाक्टर हैं कि जिन्होंने कभी प्रैक्टिस का काम किया ही नहीं, जिसमें उसकी नियुक्ति हुई, आपने एग्रीमेंट उनसे लिया कि हम नान-प्रैक्टिसिंग रहेंगे। उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की और आपने उनको इस तरफ झोंक दिया है, तो उनको भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो मान्यवर, इसमें ऐसी विसंगति पैदा हो गई है, इसके बारे में आप पुनर्विचार करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[समय 5.25 से]

मान्यवर, आपने कोई नीति नहीं तय की है। मुझे याद है एक बार एक सवाल हुआ था। माननीय राज्य मंत्री जी ने कहा था कि फिलहाल हमारा यही निर्णय है। तो इस फिलहाल का मतलब शायद यह है कि आप अपनी नीति पर पुनर्विचार करने वाले हैं। तो मैं यह संदर्भ दिलाकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आपके माध्यम से कहूँगा कि आप अपनी नीति पर पुनर्विचार करें और जनहित के नाम पर डाक्टरों को गरीब जनता का शोषण करने का मौका न दें। इन शब्दों के साथ मैं इनके विचारों की पुष्टि करता हूँ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझको इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। विरोधी दल के हमारे माननीय मोहन सिंह जी इतने भ्रमित हैं इस प्रश्न पर कि वह ऐसा समझते हैं कि अगर प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगा दी जाय तो अस्पतालों में जितनी जनता जाती है, गरीब या अमीर सबका बढ़िया उपचार होने लगेगा। उनको दूसरा भ्रम यह है कि अगर प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगा दी जायगी तो अस्पतालों से भ्रष्टाचार समाप्त हो जायगा। ये दोनों चीजें नहीं हैं, प्राइवेट प्रेक्टिस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अस्पतलों में डाक्टर 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी पर प्राइवेट प्रेक्टिस डाक्टर कतई नहीं करेंगे। प्राइवेट प्रेक्टिस तो सुबह और शाम को अपने घर पर कर सकते हैं। अगर कोई किसी चीज का स्पेशलिस्ट डाक्टर है, और प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगा दी जाय तो वह अस्पताल में हर वक्त पहुँच जायगा ऐसी बात नहीं है। जैसे हमारे इलाहाबाद जिले में हुआ। डाक्टर पी. एल. अग्रवाल हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। उनकी ड्यूटी नहीं है तो वह अस्पताल में देखने नहीं जायेंगे अगर प्राइवेट प्रेक्टिस खोल दी जाय जैसा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने खोल दिया है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त स्पेशलिस्ट को दिखाकर इलाज करा सकता है। प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक जब लगी थी तो जो गंभीर रोग के मरीज थे, उनको वह लाभ नहीं पहुँच रहा था, अब रोक समाप्त कर देने से उन मरीजों को लाभ पहुँच रहा है और वह स्पेशलिस्ट डाक्टर्स से अपना इलाज करा सकते हैं। मान्यवर, इलाहाबाद में हाईकोर्ट के एक वकील थे, उनकी लड़की गंभीर रूप से बीमार थी। उन्होंने डाक्टर मित्तल को फोन किया कि हमारी लड़की को देख लो। उन्होंने इंकार कर दिया। तो वह मेडिकल कालेज नहीं गये बल्कि उन्होंने रात को अपर इंडिया पकड़ी और दिल्ली गये और दिल्ली जाकर दूसरे डाक्टर को दिखाया। तो ऐसी रोक लगाने से क्या फायदा है कि कोई मरीज फीस देकर इलाज न करा सके। अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस तरह से रोक लगा दें तो ऐसे मरीज स्पेशलिस्ट को दिखाने से वंचित हो जायेंगे।

श्रीमन्, रही भ्रष्टाचार की बात तो प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने से भ्रष्टाचार का कोई ताल्लुक नहीं है। यदि रोक लगी हुयी हो तो भी अगर कोई भ्रष्ट डाक्टर है तो अस्पताल में मरीजों से पैसा मांग सकता है। अगर छूट है तो भी भ्रष्ट डाक्टर पैसा मांग सकता है। तो यह बात प्रशासन की है, इसका प्राइवेट प्रैक्टिस से कोई ताल्लुक नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता और मरीजों के हित में आपने प्राइवेट प्रैक्टिस को खोल दिया है इससे बड़ा हित हुआ है।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट का नाम पुकारा गया।)

श्री अध्यक्ष —

आप जल्दी ही समाप्त करें।

श्री जसवन्तसिंह बिष्ट—

मान्यवर, बोलने के पहले ही आप जल्दी बोलें, यह कह देते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा था कि अस्पतालों में बड़ी गंदगी रहती है अब हम ठेका देंगे। जो ये कर्मचारी उन्होंने रखे हैं, सफाई करने वाले वह क्या करते हैं ? क्या कारण है कि सफाई नहीं होती है ? अब कहते हैं कि हम ठेका देना चाहते हैं। इनकी योग्यता इसी से आंकी जा सकती है। हमारे माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं, अनुभवी हैं प्रभावशाली हैं। मान्यवर, एक तो आपकी योग्यता इस बात पर आंकी जाती है कि ग्रामीण अंचलों में आज तक आप डाक्टरों की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं कर सके, अब दूसरी तरफ शहरों में डाक्टरों से कह रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करने की छूट दी जाती है। इस तरह से डाक्टर देहातों में जाना पसन्द नहीं करेंगे और दूसरी बात अपना पैसा कमाने के लिए अस्पताल में भी मौजूद नहीं रहेंगे, कभी उपाध्याय जी की सेवा करने के लिए जायेंगे, कभी सिंह साहब के लिए जायेंगे, और कभी राम जी की सेवा में जायेंगे, क्योंकि इन लोगों से उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा। इसलिए यह सबसे ज्यादा कुठाराघात गरीबों पर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो प्रैक्टिस करने के लिए डाक्टरों को इजाजत दी है, इससे किया है।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपके जो राजकीय अस्पताल शहरों में हैं, इससे कभी किसी अस्पताल को आप देखने का कष्ट करें कि उनमें हालत क्या है, और उनके अलावा जो प्राइवेट डाक्टर हैं, जिन्होंने अस्पतालों के आस पास अपनी दुकानें खोल रखी हैं, उनकी स्थिति क्या है ? मान्यवर, आप पायेंगे कि सरकारी अस्पतालों में या तो पर्याप्त इलाज नहीं होता, वहां लोगों को पर्याप्त संतुष्टि नहीं होती है, और जो यह प्राइवेट दुकानें हैं, जिसमें आपके अधिकांश डाक्टरों की होती हैं, वहाँ लोग अपना इलाज कराने पर मजबूर होते हैं, लोग इलाज कराने वहाँ जाते हैं। तो यह क्या है ? आप डाक्टरों की नियुक्ति करते हैं, उनको वेतन देते है, जितनी तनख्वाह वे मांग रहे हैं, उतनी तनख्वाहें उन्हें आप दे रहे हैं, इस गरीब प्रदेश के जनता की खून की कमाई से आप उनको दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप गरीब जनता की सेवा भलीभाँति इन डाक्टरों से नहीं करवा पा रहे हैं, बल्कि आप उन्हें और प्रैक्टिस करने की छूट दे रहे हैं ?

मान्यवर, भ्रष्टाचार की बात कही जाती है, तो तनख्वाह देने के बाद भी इसका कारण क्या है ? यह पैसे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे जो प्रभावशाली लोग हैं, चाहें उसमें बड़े-बड़े नेता हों, मंत्री हों, अफसर हों, लूट करने पर लगे हुए हैं, और उन्हीं की सन्तानें डाक्टर, इंजीनियर हैं। आज यहां कृषि बजट रख गया। आप देखें मान्यवर, किसानों की हालत कितनी खराब है, वे कितने परेशान हैं और दूसरी तरफ मंत्रियों के बंगले बन रहे हैं, डाक्टरों के बंगले बन रहे हैं, कर्मचारियों के बंगले बन रहे हैं, अफसरों के बंगले बन रहे हैं, तो यह सब क्या है ? यदि आप वास्तव में किसानों के, गरीबों के हितैषी बनना चाहते हैं, और माननीया प्रधानमंत्री के बीस सूत्रीय कार्यक्रम को धरती पर चलाना चाहते हैं, गरीब जनता को राहत पहुँचाना चाहते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आप इसको पुर्नजीवित न करें, आप इसको हटायें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, आपकी नजर इधर नहीं हो रही है।

***श्री रामकुमार राय—**

उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले यह निर्णय लिया था कि प्रदेश के डाक्टरों को नान प्रैक्टिस एलाउंस देकर, उनकी प्रैक्टिस पर रोक लगायी जाय। ऐसे समय में जब प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अन्दर, हर परिवार एक-एक टिकिया के लिए मोहताज है, कुछ पैसा बचाकर उन्हें दवाएँ दी जायं, यह एक गम्भीर प्रश्न है, जिस पर दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों को गम्भीरता से सोचना चाहिए । मान्यवर, तर्क वितर्क से दोनों तरफ से बहुत कहा जा सकता है । एक तरफ प्रदेश का कुछ पैसा बचा है, उसका सदुपयोग जिस तरह होना हो, वह होगा । दूसरी तरफ जन स्वास्थ्य जिसका सम्बन्ध अस्पतालों के डाक्टरों के साथ जनता से, मरीजों से है, उन्हें कितना समय कन्सलटेंशन के लिए दिया जाय ? मान्यवर, बहुत कुछ समझने के बाद, बहुत कुछ देखने के बाद, माननीय मंत्री जी की बुद्धिमता उनके कौशल, उनके अनुभव पर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जो एक चीज डिसाइडेड थी हमारी ही सरकार द्वारा, सारी चीजों के विवेचन के बाद, सारे तथ्यों को समझने के बाद, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला गया, उसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट का एक निश्चित पक्ष था और वह यह था कि हम उनको प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं करने देगें और ज्यादा समय तक डाक्टरों को जनता की सेवा के लिए सुलभ करायेंगे ।

मान्यवर, हमने माननीय उपाध्यक्ष जी और बहुत से विद्वान मित्रों को सुना और अपने विवेक को समझाना चाहा । खासतौर से अपने स्पेशलिस्ट को अलग करके जनता को सुलभ कराये या जो पुरानी बातें तय की गई थीं निश्चित नीति के अन्दर सारी समस्याओं का आलंकन करने के बाद,वह उचित था । परिस्थितियाँ मान्यवर, अभी बदली नहीं हैं । जिन परिस्थितियों में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया था त्रिपाठी जी के नेतृत्व में, वह अब भी विद्यमान हैं । जनता को आज और डाक्टरों की जरूरत है । उसको ज्यादा समय डाक्टरों की जरूरत है मैं मानता हूँ कि कुछ स्पेशलिस्ट को और उपचार का मौका मिल जाता है लेकिन आज यह बहुत बड़ा बन्धक बन गया है । यह तय नहीं किया जा सकता है कि स्लिप अस्पताल में बैठकर लिखी गयी या अपने घर में बैठकर लिखी गयी है । इसको डिफरेन्सियेट करने वाला कोई माध्यम नहीं है । अब किसी भी डाक्टर को कानून की परिधि में नहीं लिया जा सकता है । पहले डाक्टर ऐसा नहीं कर सकता था । माननीय विधायकों के पास माननीय मंत्री जी के पास और शासन के पास एक अस्त्र था यदि कोई डाक्टर इस प्रकार का गलत काम करता है तो उससे पनिश कराया जा सकता था । आज प्राईवेट प्रैक्टिस को एलाउ करने से वह अस्त्र भी हमारे हाथ से चला गया ।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जैसा उन्होंने एक दिन कहा था कि जन प्रतिनिधियों की राय थी इसलिये प्राईवेट प्रैक्टिस एलाउ कर दिया । एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जो कह रहे थे और मैं सुन रहा था । क्या जब माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राईवेट प्रैक्टिस एलाउ नहीं थी, उस समय जन प्रतिनिधियों की राय नहीं थी, या जब शासन ने इसको एलाउ करने से इंकार किया था, उस समय जन प्रतिनिधियों की राय नहीं थी ? मान्यवर, में जानना चाहता हूँ कि कौन सा आधार है, जन प्रतिनिधियों की राय को नापने का या उसका लेखा जोखा रखने का क्या आधार है जो आपने प्राईवेट प्रैक्टिस एलाउ कर दिया ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय गम्भीर है और मानवीय प्रश्न यह माना जा रहा है । इसलिये मैं चाहूँगा कि जब से प्राईवेट प्रैक्टिस एलाउ किया है, कोई हाई पावर कमेटी सदन की या किसी और की बनाकर यह सुनिश्चित करायें 10-15 डिस्पेंसरी की जाँच करायें कि जिस लाभ के लिये किया था, उसके अनुकूल कार्य हो रहा है तो ठीक है, और उसका लाभ नहीं हो रहा है तो इसको अलग किया जा सकता है ।

श्री फखरे आलम –

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय इतना डेलीकेट है कि इसके बारे में दोनों तरफ से माननीय सदस्यों द्वारा बहुत सी बातें कही जा सकती हैं । फार और अग्नेस्ट में ।

[श्री फखरे आलम—]

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने यह निर्णय लिया था कि नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स दिया जायगा लेकिन प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी जायेगी। फिर कौन सी हालत में इस पुराने निर्णय को बदल दिया गया ? दो-तीन बातें और हैं। नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स दिया जाता है डाक्टरों को, तो अस्पताल के कामों में दिलचस्पी लेंगे और जो मरीज आयेंगे, खासतौर से गरीब लोग आयेंगे, उनको देखेंगे, उनकी तरफ ध्यान देंगे, खासतौर से मंत्री जी से कहना चाहूँगा, वह मेरी बात पर गौर करें, पाण्डे जी से बात कर रहे हैं, वह अस्पताल बिल्कुल आउट-लाइन जगहों पर हैं, छोटे-छोटे कस्बों, गावों में हैं, नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स बन्द कर देने से डाक्टरों में बहुत बड़ा रोष उत्पन्न हो गया है। नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स मिल रहा था तो प्रैक्टिस करते रहे लेकिन ज्यादा शिकायत नहीं थी। इन लोगों को जो लाखों रुपया

(व्यवधान)

लखनऊ कानपुर आदि में निजी प्रैक्टिस से कमाते हैं, नफा होगा····

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री फखरे आलम—

तो मैं तो इस राय का हूँ कि नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे साथी हैं माननीय जेतली साहब, इनकी पत्नी डाक्टर हैं, हम लोगों की भाभी भी लगती हैं। मान्यवर, प्रैक्टिस की छूट दिलाने के लिए आप माननीय मंत्री जी से कह दें।

(हँसी)

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

माननीय फखरे आलम साहब, मेरे कक्ष में आकर एक प्याला चाय पियें हमारे साथ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

माननीय अध्यक्ष जी, तमाम माननीय सदस्यों ने दोनों ओर बहुत सी···

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आप हम विधायकों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। एक विधायक को आप चाय पिला रहे हैं और दूसरे को···

(हँसी/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। उन्होंने गुस्ताखी की है इसलिए उनको एक प्याला चाय पिला रहा हूँ।

(हँसी/व्यवधान)

***श्री काशीनाथ मिश्र—**

"देश में आजादी के 35 वर्षों के बाद भी, जिस समाजवाद की घोषणा की है संविधान में और हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में भी, प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगाना और फिर वापिस लौटा लेना, मेरी समझ में नहीं आता। प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगा दीजिये, फिर खोल दीजिये, भ्रष्टाचार तो हमारे जीवन का एक अंग बन गया है, किसी गरीब को मुफ्त दवा हमारे मोहन सिंह, हम दिला देते थे जब प्रतिबन्ध था और जब प्राइवेट प्रेक्टिस चालू तो हमारे मोहन सिंह या हम किसी गरीब को दवा नहीं दिला सकते, किसी आदमी को दोहरी सुविधायें देना, सरकारी सुविधा, तनुख्वाह और प्राइवेट की प्रेक्टिस छूट, किस सिद्धान्त के अन्तर्गत, मैं पूछना चाहता हूँ ? जेटली साहब प्रधान मंत्री थे इंगलैण्ड में, उन्होंने कहा 65-70 की आयु के लोग बुड्ढे हैं उनको मुफ्त चश्मा दिया जायेगा। लोगों ने कहा कि लोग 30 मील नहर पार करके आयेंगे और चश्मा लेंगे इससे खजाने पर बहुत अधिक भार पड़ेगा। इस पर उन्होंने कहा सारा खजाना खत्म हो जाय लेकिन हम बुड्ढो को चश्मा देंगे। समाजावदी व्यवस्था में आपका विश्वास है, समाजवादी जनतंत्र जिसकी घोषणा की है बीस सूत्री का राग अलापते हैं"

(हँसी/तालियाँ)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जो प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए हैं यह सत्य है कि ये प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र यूनेस्को और वर्ल्ड हेल्थ आरगनाइजेशन के साथ सन्धि हुई है कि जब आप डाक्टरों के प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगायेंगे, तभी आपको पैसा मिलेगा। मान्यवर, केन्द्र की जो नीति है उस नीति के विपरीत आपकी नीति है और जिस नीति के तहत आप प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों को चला रहे हैं उस निति के विपरीत है। मान्यवर, आज प्राइवेट प्रेक्टिस कौन करता है, सरकारी नौकरी में कौन जाता है ? मान्यवर, सरकारी नौकरी में वे डाक्टर्स होते हैं जो थर्ड क्लास के होते हैं और जो अच्छे डाक्टर्स होते हैं उनका प्राइवेट से काम चल जाता है उनकी सेवाओं से भी गरीब,, ...

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी) —

मान्यवर, माननीय श्री काशीनाथ मिश्र जी हमारे बड़े ही वरिष्ठ सदस्य हैं, और मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन एक वरिष्ठ सदस्य का यह कहना उचित है कि जो सरकारी डाक्टर्स होते हैं वे सब थर्ड क्लास के होते हैं। इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष —

मैं कार्यवाही को देखकर ही इसे निकालूँगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, तो मैं कह रहा था कि जो अच्छे डाक्टर्स होते हैं वे तो अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस कर लेते हैं जैसे वकील और डाक्टर। लेकिन कुछ विभाग में जाकर एक्सपर्ट हो जाते हैं जैसा कि अभी हमारे उपाध्याय जी ने कहा, पैसा था दिल्ली चले गये। तो जो पैसा वाले हैं उनकी तो प्राइवेट प्रेक्टिस चलेगी ही। लेकिन जो कुछ एक्सपर्ट हो गये हैं, प्राइवेट प्रेक्टिस होने के कारण जब गरीबों के दर्द को वे भी नहीं देख पा रहे हैं।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं जानता हूँ कि माननीय मंत्री जी का विश्वास जनतंत्र में है, उनका विश्वास गरीबों की सेवा में है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्वास्थ्य मंत्री के होते हुए भी डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर पाबन्दी लगनी चाहिये।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं अपना समय माननीय श्री श्यामलाल वाजपेयी जी को देने के लिये तैयार हूँ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

मान्यवर, इसके लिये जो समय निर्धारित किया गया है, अगर आपकी दृष्टि में वह पूरा हो गया है तो इस आदरणीय सदन की पीठ का मुझे भी सम्मान करना है। आप माननीय श्री मोहन सिंह जी को ही बोलने दें लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक घण्टे से डेढ़ घण्टे की चर्चा करवा दी जाय ताकि उस पर दूसरे माननीय सदस्य भी अपना विचार रख सकें।

श्री अध्यक्ष—

निर्धारित समय के अनुसार ही सदन की कार्यवाही हो रही है यदि उस समय को बढ़वाना चाहते हैं .....

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपका और इसके साथ ही साथ माननीय श्री मोहन सिंह जी का भी आभारी हूँ कि उनकी सिफारिश से आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय, श्री वाजपेयी जी उनकी सिफारिश से नहीं उनका समय काटकर आपको दिया जा रहा है।

श्री श्यामलाल वाजपेयी —

मान्यवर, आपके इस विवेक के लिये मैं आपको पुनः धन्यावद देता हूं। मान्यवर, डाक्टरों के निजी प्रेक्टिस के बारे में मैंने पक्ष, विपक्ष को और युवा तथा प्रोढ़ों के विचारों को सुना। मान्यवर, उसमें मैं भी एक कौवा हूँ जो आप लोगों के बीच में दौड़ता रहता हूँ। मेरा अपना विचार है कि जिस चीज को ज्यादा छिपाने की कोशिश की जाती है वह उतना ही जोर पकड़ती है। मान्यवर, यहां पर जब दारू बन्द हो गयी थी तो वह गली कूंचों में बिकनी शुरू हो गयी थी और आज आपने दारू खोल दिया है तो उससे आपका राजस्व भी बढ़ गया है तथा जो गली कूंचों में गलत शराब बिकती थी उससे भी आपको मुक्ति मिल गयी है।

मान्यवर, जहाँ तक गरीव और दरिद्र का प्रश्न है, हम दरिद्र देश में पैदा हुये हैं और दरिद्रता में ही आँखें खोली हैं और इसी दरिद्रता में ही आंखें मूंद कर चले जाना है। परन्तु मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आज जो निजी प्रेक्टिस के संबंध में शासन ने निर्णय लिया है वह दरिद्रता को ही दूर करने के लिये निर्णय लिया गया है। जहां तक निजी प्रेक्टिस की वात है, वह प्रत्येक डाक्टर जो आज प्रेक्टिस करता है, वह पहले भी निजी प्रेक्टिस करता था। जैसा कि माननीय श्री काशीनाथ जी ने कहा है कि फिसड्डी डाक्टर भी पहले राजकोष से निजी प्रेक्टिस एलाउन्स लेता था और आज इस एलाउन्स को लेने के लिये रोक है। मान्यवर, जिस डाक्टर का अच्छा काम होगा उसके वहाँ लोग पहले भी जाया करते थे और आज भी जायेंगे। माननीय मोहन सिह जी अभी आप जवान हैं, हिन्दुस्तान को आप आंख खोलकर देख रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने जो यह निर्णय लिया है वह बहुत ही सूझबूझ से लिया है और प्रदेश के हित में लिया है। सत्यता क्या है, दरिद्र,दरिद्र है। दरिद्र मरता रहेगा उसके लिये आप कुछ नही कर पायेंगे। आज आप विधायक हो गये हैं जो दवाइयों की पर्ची आपको मिलती है और जो सुविधा मिलती है क्या वही सुविधा एक दरिद्र को मिलती है ?

मैं आपके माध्यम से जो यह प्रेक्टिस बन्द की गयी है, इसको हृदय से स्वीकार करता हूँ और माननीय मंत्री जी को मुक्त हृदय से बधाई देता हूं।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं यह मामला उच्च न्यायालय में डाक्टरों ने पेश कर रखा है। मैं विभाग का मंत्री हूं यह सदन की बात है, सदन में रहनी चाहिये। माननीय मोहन सिह जी ने इस चर्चा को उठाया। जिस दिन आदेश निकला दो- चार दिन बाद मोहन सिह जी का वक्तव्य आया था कि डाक्टरों से लाखों रु० लेकर प्राइवेट प्रेक्टिस खोल दी गयी। हम नहीं जानते कि किस डाक्टर ने लाखों रु० दिया, किसको दिया, किसके माध्यम से दिया क्या माननीय मोहन सिह जी के माध्यम से आया ? अभी मझे कोई खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ। आज भी पूर्वजों ने बहुत संपत्ति छोड़ रखी है। पूर्वजों की दी हुई संपत्ति में ही मेरे हिस्से में दो-तीन लाख से ज्यादा आता है। कोई मुझे खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ है उ० प्र० में अभी... कोई 2-4 करोड़ रु० दे तो बात होगी, वैसे अभी कोई मुझे खरीदने वाला उ० प्र० में नहीं है।

मा० मोहन सिह जी ने विषय प्रारम्भ किया और खुद ही वह कण्ट्राडिक्शन में फंस गये। उन्हीं की बात कहता हूं। उत्तर प्रदेश में कितने संवर्ग हैं नौकरी के पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वैज्ञानिक सर्विस है, इन्जीनियरिंग सर्विस है और कृषि सर्विस है। अगर किसी भी सर्विस में किसी व्यक्ति को तनख्वाह के अलावा अतिरिक्त वेतन दिया जाता है तो क्या यह समाजवादी परम्परा होगी, जिसकी चर्चा मा० काशीनाथ जी ने की ? इसमें सत्यता सिर्फ इतनी थी कि जिस युग में ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास प्रारम्भ किया गया, प्रदेश में और भारतवर्ष में डाक्टरों की संख्या कम थी। सरकारी नौकरी की तरफ डाक्टर आकर्षित हों और इसकी सुविधा लोगों को प्रदान की जा सके, इसके लिये सम्भवतः उस समय यह दृष्टिकोण रहा होगा कि प्राइवेट प्रैक्टिस भत्ता देने का। अब उसकी आवश्यकता नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में ही इतने डाक्टर हैं। जहां तक जानकारी है करीब 5000 डाक्टर नौकरी के लिये घूम रहे हैं। जो काशीनाथ जी ने बात कही, वह सत्य है, हर व्यक्ति पहले सरकारी नौकरी डाक्टरी करना चाहता था....

(व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी—

नौकरी पर रोक लग जाय ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

नाम आपका 'कुबेर' हैं, मगर आप वही हैं, जैसे नाम हो 'विद्यासागर' और अकल कुछ नहीं ।

(हंसी)

क्षमा कीजियेगा, जो कुछ मैंने कहा :

पहले डाक्टर एम०बी०बी०एस० करके जब निकलता है तो सरकारी नौकरी में आना चाहता है कि वहां सरकार से अच्छा वेतन मिलेगा । वहां वह जब कार्य करेगा तो उसकी ख्याति होगी और ख्याति होगी तब वह छोड़कर जा सकता है, मगर अब कोई जाता नहीं है । जो छोड़कर चले गये 8-8 साल पहले आज पैरवी कर रहे हैं कि पुनः नौकरी में ले लिया जाय । आज तो उसको एक आई०ए०एस० की तनख्वाह मिलती है, क्यों छोड़े ? जहां तक भत्ता देने का सवाल है क्यों न सब लोगों को भत्ता दिया जाये, देहात में रहने का भत्ता दो, नौकरी करने का भत्ता दो, जोखिम उठाने का भत्ता दो । एक डिसपेंसरी को हम चलाते हैं 40 हजार रु० सालाना व्यय करते हैं और दवाई पर कितना आता है 5 हजार रु०, 4 हजार रु०, और क्या चाहते हैं ? जो कुछ सरकारी साधन हों, उन्हीं को दे दिये जाय । उत्तर प्रदेश में चिकित्सकों को उनकी जो सुविधायें हैं, दी जा रही हैं, उनका कर्तव्य भी निर्धारित किया गया है । आपने जो लाल पुस्तक पढ़ी, उसमें आपने देखा कि 73 में उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस रोकी गयी, 78 में रोकी गयी, आपने मुदालियर कमेटी का भी उद्धरण दिया । यह नहीं अवगत कराया कि कोई डाक्टर, चाहे हमारी अकर्मण्यता हो, मुझे उसे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता दिया जा रहा था, रोक लगायी गयी थी, उस समय उनके साथ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान नहीं था । और जिन लोगों ने यह बनाया था, वह गांधी युग के लोग थे, उनकी दृष्टि से यह बहुत ऊँची थी, जिसे वह कभी प्रयास ही नहीं कर सकते थे और उनकी यह समझ में नहीं आया था कि जो नान प्रैक्टिशनर्स होते हुए प्रैक्टिस करेंगे और जो डाक्टर पी०एच०सी० पर नियुक्त हो जाते थे उनका भी प्रैक्टिस भत्ता बंद कर दिया गया और इस सम्बन्ध में जो कहानी भाई माता प्रसाद जी ने सुनाई, उसमें ऐसा है, मैं आपको बता दूँ कि जो डाक्टर बस्ती नगर से 40 किलोमीटर दूरी पर रहते और प्राइमरी हेल्थ सेंण्टर में नहीं रहते तो सुबह अपने घर से चलते थे और 12 साढ़े 12 बजे तक हेल्थ सेण्टर पर पहुँच पाते थे और फिर जब सायं वहाँ से चलते अपने घर को तो फिर रात गये अपने स्थान पर पहुँच पाते, उन्हे सिर्फ प्रैक्टिस की इजाजत थी और उसके साथ फिर हमने कुछ नियम बनाये, और उसके साथ ही साथ यह अनुबन्ध लगाये कि जो डाक्टर्स इसका पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी । हमें यह अधिकार है कि यदि कोई डाक्टर नियमों के अनुसार कार्य न करे तो उस के प्रति कार्यवाही करूँ ।

मैं आभारी हूँ मा० मोहन सिंह जी, माता प्रसाद जी, तथा मा० काशी नाथ जी का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया और मैं ऐसे लोगों को सेवा से बर्खास्त करने के लिए सक्षम हूँ जो नियमों का पालन नहीं करेंगे, इससे पहले यदि ऐसा नहीं किया जा सका था, तो यह मेरी अकर्मण्यता थी मजबूरी थी और जरूरी नहीं है कि फिर उसी मजबूरी को दोहराया जाए ऐसा अब नहीं होगा । अगर कोई ऐसा मामला हो तो आप हमें सूचित कर दें, मैं उन्हें तुरन्त एक, दो, तीन कर दूँगा इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय मोहन सिंह जी का आभारी हूँ कि (व्यवधान)....

श्री कुबेर भण्डारी —

हमने आज से दो माह पहले एक सूचना अपने क्षेत्र के डाक्टर के संबंध में दी, परन्तु उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री लोक पति त्रिपाठी—

नहीं, हमें आपने ऐसी कोई सूचना नहीं दी । श्रीमन् मैं कह रहा था मैं श्री मोहन सिंह जी का आभारी हूँ कि जिन्होंने एक अहम बिन्दु उठाया जो प्रदेश के हित के लिए था और हमने इस ओर कार्यवाही प्रदेश की जनमानस के लिए, विशेषतौर पर देहातों के रहने वालों के लिए कि उन्हें एक अच्छी चिकित्सीय सेवा उपलब्ध हो सके । अगर मैं इसमें असफल रहा तो फिर आपके विचार माँगूँगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

जितने डाक्टर्स आपके मेडिकल सर्विसेज में हैं अर्थात् डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर सी० एम० ओ० व अन्य डाक्टर्स जो प्रैक्टिस में नहीं हैं, और वह अपनी प्रैक्टिस भी करीब–2 भूल चुके हैं, जिनसे जनता लाभान्वित नहीं हो पाती है, तो क्या उनके बारे में भी कोई नीति निर्धारण कर रहे हैं ?

लोकपति त्रिपाठी—

उनके बारे में कोई अलग से नीति निर्धारण क्या करेंगे ? क्या वह डाक्टर नहीं हैं, वह लोग चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन वह लोग नहीं करते हैं, वह उनका बड़प्पन है, लेकिन नीति हमारी सबके लिए समान है वह सामान्य रूप से ।

रैलीज इण्डिया केमिकल्स लिमिटेड, मगरवारा (उन्नाव) द्वारा निर्मित रासायनिक खाद का मिश्रण दोषपूर्ण पाये जाने विषयक दिनांक 2 मार्च 1983 को पूछे गये अल्प सूचित–तारांकित संख्या 2 के सम्बन्ध में नियम 49 के अर्न्तगत चर्चा

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, रेलीज इण्डिया केमिकल्स लिमिटेड, मगरवारा, जिला उन्नाव द्वारा निर्मित रासायनिक खाद के दोषपूर्ण पाये जाने सम्बन्धी मेरा एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न था जिस पर माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा परस्पर विरोधी जवाब दिये गये, जिसके कारण मैंने नियम 49 के अन्तर्गत आपसे चर्चा मांगी और आपने उसे स्वीकार किया । श्रीमन्, मैं इस प्रश्न पर आने से पहले एक बात माननीय सदस्यों को स्मरण दिला दूँ । माननीय मन्त्री जी आज जब कृषि विभाग का बजट पेश कर रहे थे तो जिन्होंने गलत खाद की बिक्री के सम्बन्ध में इसी सदन में उन्होंने कहा कि जो रासायनिक खाद बनाने वाले प्राईवेट कारखानेदार हैं, वह मिश्रण में चोरी करते हैं, वे चोर हैं और ऐसे चोरों को जो पकड़ा जायेगा, उन्हें सजा दिलाने में हम कसर नहीं छोडेंगे ।

तो मैं बतलाता हूँ कि एक बड़ा चोर है टाटा ग्रुप उसकी फैक्ट्री है रेलीज इण्डिया केमिकल्स लिमिटेड, मगरवारा, उन्नाव उसकी खाद दोषपूर्ण पायी गयी और उसकी बिक्री पर सन् 1982 में रोक लगा दी गयी ।

इसके सम्बन्ध में मैंने प्रश्न किया था तो माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि "जी नहीं" । प्रश्न का दूसरा भाग था कि क्या उसकी खाद दोषपूर्ण पायी गयी तो क्या

[श्री भोखा लाल —]

कार्यवाही की गई ? तो मन्त्री जी ने कह दिया कि "प्रश्न ही नहीं उठता" । मैंने मान्यवर, जब मन्त्री जी को ध्यान दिलाया, उन्नाव के सूचना अधिकारी की विज्ञप्ति की तरफ क्योंकि उस सूचना अधिकारी ने विज्ञप्ति प्रसारित की है और जिसकी फोटोस्टेट कापी मान्यवर, मैंने आपको दी है और एक कापी मैंने माननीय मन्त्री जी को दी है । जिसमें लिखा है कि दोषपूर्ण खाद की बिक्री की गयी लेकिन मन्त्री जी ने कह दिया "जी नहीं" इसका प्रश्न ही नहीं उठता" । जब कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता था तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी के आदेश पर जिला कृषि अधिकारी ने फिर क्यों उस पर रोक लगा दी । 13 नवम्बर, 1982 से जैसा माननीय रियासत हुसैन के प्रश्न के उत्तर में मन्त्री जी ने कहा है ? लेकिन मन्त्री जी ने मेरे मूल प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है कि "जी नहीं" । मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न में फरवरी पूछा था तो मन्त्री जी उसके जवाब में यह कह सकते थे कि फरवरी नहीं बल्कि नवम्बर से रोक लगा दी गयी है लेकिन प्रश्न के उत्तर में "जी नहीं" कहने का मतलब यही है कि ये तथ्यों को छिपाना चाहते थे और परस्पर विरोधी बयान दे रहे थे । जब माननीय हुकमसिंह जी ने पूछा कि कम्पनी के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की ? तो उन्होंने कहा कि "जो काज नोटिस दी गयी है" परन्तु मेरे उत्तर में कहते हैं कि कार्यवाही का "प्रश्न ही नहीं उठता" ।

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर 2 मार्च को दिया गया और 5 मार्च को ओझा जी का प्रश्न भी इसी से संबंधित था कि इसी कम्पनी के माध्यम से दोषपूर्ण मिश्रण बनाने के सम्बन्ध में तो उसका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने दिया था कि "फर्म को बिक्री करने की अनुमति नहीं दी गयी और फर्म के मिश्रण और खाद की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है और 16-10-81 से निबन्धन निष्प्रभावी कर दिया गया है ।

जिला कृषि अधिकारी ने नवम्बर, 1982 को रोक लगा दी और मैंने मार्च में प्रश्न किया था जिसका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने दिया कि "जी नहीं" । आप हमसे चोरों को पकड़वाने में सहयोग देने के लिए कहते हैं लेकिन चोरों को आपके बड़े-बड़े अधिकारी संरक्षण देते हैं, आप उन्हें जाने अनजाने में संरक्षण देते हैं । यदि उनको संरक्षण न होता तो यह परस्पर विरोधी ब्यान नहीं आता । जिलाधिकारी और जिला कृषि अधिकारी रेलीज इण्डिया कैमिकल लिमिटेड को 1981 में निबन्धन रद्द होने के बाद इजाजत न देते । रद्द न करते । उसकी बनी खाद और उर्वरक की बिक्री को रोकने के लिए कोई उपाय जरूर करते । जिला अधिकारी और जिला कृषि अधिकारी, कुम्भकर्णी नींद सोते न रहते । जब तक उनको कम्पनी से उपहार और पुरुस्कार मिलते रहे जिलाधिकारी और जिला कृषि अधिकारी को तब तक मामला प्रकाश में नहीं आया लेकिन जब उपहार और पुरुस्कार पहुँचने बन्द हो गये या कम हो गये तो उनकी नींद टूटी और उन्होंने उसकी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया और रोक लगा दी । जब रोक लगा दी तो फिर से उपहार पहुँचाये जाने लगे । उसी बीच मेरा प्रश्न आया तो उसी जिला अधिकारी ने उत्तर भेजकर मन्त्री जी को समझा दिया और मन्त्री जी ने जबाब दे दिया कि 'जी नहीं' प्रश्न हीं नहीं उठता, और मन्त्री जी ने वह यहां पर पढ़ दिया ।

मेरा माननीय मन्त्री जी पर आरोप है कि आपने बिना तथ्यों को जाने हुए, बिना पत्रावली को देखे हुए, बिना फाइल को स्टडी किये हुए, जो आपके अधिकारियों ने आपसे कह दिया और उसे आपने यहां सदन में पढ़ दिया और बाद में पूरक प्रश्नों के घेरे में माननीय मन्त्री जी पढ़ गये तो कन्ट्राडिक्ट किया । ओझा जी ने प्रश्न किया तो मन्त्री जी ने कह दिया कि अक्तूबर सन् 1982 में रोक लगा दी । मान्यवर, यह टाटा ग्रुप की फैक्ट्री है, किसी छोटे आदमी की नहीं है । टाटा जैसे सेठ के लिये बड़े-बड़े अधिकारियों का मुँह बन्द करना कोई बड़ी बात नहीं है । जिलाधिकारी ने जो सूचना दी कि जी नहीं, मान्यवर

उसके हाथ भृष्टाचार से सने हैं। आप इसकी जांच करायें। आपने बराबर परस्पर विरोधी उत्तर दिया। आप उनके खिलाफ कार्यवाही करें जिनके द्वारा भेजे गये उत्तर के कारण आप को सदन में परस्पर विरोधी उत्तर देने पड़े। आप इस कारण की जांच अवश्य करायें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें। सालभर तक रैलिस इण्डिया, खाद बेचती रही। आप जिन चोरों को सजा देना चाहते हैं उनको आपके जिलाधिकारी संरक्षण देते हैं, और उसके कारण आपने ऐसा उत्तर दिया जो सदस्यों को और माननीय सदन को गुमराह करने वाला है इसीलिए मैंने इसको उठाया है, और मेरा निवेदन है कि जांच आप इसकी जरूर करायें।

कृषि मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)—

मुझे बड़ा खेद है कि सम्मानित सदस्य, भीखालाल जी ने मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाये। उन्होंने मेरे उन प्रश्नों के उत्तरों को जिनको मैंने सदन में दिया था परस्पर विरोधी बताया। मैं नहीं समझ सका कि मैं उनको समझाने में असमर्थ रहा या वह मेरे उत्तर को समझने में असमर्थ रहे। मान्यवर, जरा सम्मानित सदस्य अपने प्रश्न की ओर ध्यान दें और देखें कि उन्होंने फरवरी, 1982 का जिक्र किया था जिसका उत्तर मैंने दिया था कि 'जी नहीं।' जब सम्मानित सदस्य, रियासत हुसैन ने प्रश्न सही किया कि जिलाधिकारी ने नहीं जिला कृषि अधिकारी ने, तो मैंने तुरन्त माना था कि जिलाधिकारी ने नहीं बल्कि जिला कृषि अधिकारी ने। मान्यवर, जिस अखबार का हवाला सम्मानित सदस्य दे रहे हैं अगर वह उसको देखे और पढ़े जो सूचना अधिकारी का भेजा हुआ है, उसको आप देखें तो जानकारी हो जायेगी कि उनके प्रश्न में और इसमें कितना अन्तर है। मान्यवर, जिस बात की उन्होंने चर्चा की कि जिलाधिकारी के निर्देशन पर दिया, वहीं सूचना अधिकारी की उस बात को तस्लीम कर लिया है। मैंने निश्चित सूचना दी थी कि जिलाधिकारी ने उसको डिस-ओन किया था। मान्यवर, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। मैंने आज और उस रोज भी कहा था, वही कहता हूँ कि 12:32=0 के मिश्रण पर वह चर्चा थी कि 12:32 =0 के मिश्रण की इजाजत रैलिसे इंडिया को 3 महीने ने लिए इस शर्त के साथ दी गयी थी कि यदि तब तक, नोटीफिकेशन के 3 महीने के अन्दर नहीं होगा तो निबंधन प्रमाण-पत्र निष्प्रभावी हो जायेगा। जिस तारीख का सम्मानित सदस्य ने जिक्र किया 16-7-81 को 12:32=0 का मिश्रण का लाइसेंस मिला था। मैन्युफैक्चरिंग के लिये स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया। मान्यवर, नोटिफिकेशन हो गया लेकिन उसके दरमियान जो उन्होंने सेल किया वह वास्तव में कानून की निगाह में एक जुर्म है। लेकिन कानून उसको क्या जुर्म मानता है, कानून के अन्तर्गत उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है, यह सोचने की बात है। वैसे तो जब नोटिफिकेशन हो गया तो सेल करने का कानून के अन्तर्गत उनकी अनुमति स्वतः हो गई। लेकिन फिर भी हमारे स्तर से या जिन अधिकारियों की चर्चा हमारे सम्मानित सदस्य कर रहे हैं उन्होंने सतर्कता बरतते उनको 8-2-83 तक उस की अनुमति प्रदान नहीं की।

इसके अतिरिक्त भी प्रदेश में छापे पड़े हैं जिसमें 54 नमूने लिये गये। 12 नमूने उन्हीं के थे, 7 उनकी फैक्टरी के थे और 5 डीलर्स के थे जिनमें कुछ के रिजल्ट्स आ गये और कुछ के शेष हैं। दो सब-स्टेंडर्ड थे। उसके बाद उनको शो-काज नोटिस भी दिया गया। कानून का जहां तक ताल्लुक है, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के पृष्ठ 15 पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने की शक्ति के बारे में लिखा है कि रजिस्ट्री प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित आधारों में से किसी एक पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द या निलंबित कर सकेगा।

[श्री यशपाल सिंह—]

मान्यवर, शो-काज नोटिस देने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सकती है। वैसे तो इस कानून का दायरा बड़ा अजीब है। वह अन्यत्र कहीं पर सेल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था यह कानून डिफेक्टिव और लचर है जिसकी वजह से बहुत सी चीजें सामने आ जाती हैं परन्तु जो प्रभावी कार्य हैं वे नहीं हो पाते हैं। यह जो हमारा ऐक्ट है यह स्टेट के जूरिस्डिक्शन के बाहर है। यह केन्द्रीय सरकार का ऐक्ट है और केन्द्रीय सरकार को ही इसका अधिकार है। जब इस प्रकार की चीजें केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से हमारे सामने आयीं तो हमने तुरन्त ही इसके ऊपर सम्पर्क किया और स्टेट की तरफ से अनुरोध किया और यह मामला प्रधानमंत्री तक पहुँचाया गया कि इस सैन्ट्रल फार्टिलाइजर ऐक्ट में भारी अमेण्डमेंट की आवश्यकता है। और वहां से उन्होंने हमारे अनुरोध पर ऐक्शन लिया और सभवतः कुछ दिनों में कार्यवाही होगी। इन शब्दों के साथ, संभवतः सम्मानित सदस्य कुछ सवाल करना चाहेंगे, मैं अपनी बात खतम करता हूँ और आवश्यकता होगी तो उत्तर दूंगा।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मन्त्री जी, बताने की कृपा करेंगे कि जब जिला कृषि अधिकारी और जिलाधिकारी की नोटिस में यह बात आई कि उनका लाइसेंस खतम होने के बाद भी खाद को बेचा जा रहा है तो इसके ऊपर 3/7 इसैंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत या डी० जी० सी०, उन्नाव से कन्सल्ट करके कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, बहुत सूझबूझ का प्रश्न सम्मानित सदस्य ने किया। इसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ला-डिपार्टमेंट से ओपीनियन ले रहे हैं कि इसमें इसैंशियल कमोडिटीज ऐक्ट लागू होता है या नहीं। अगर होता है तो क्या कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा प्रश्न यहाँ के ला-डिपार्टमेंट से राय लेने का नहीं है। जब जिला कृषि अधिकारी और जिलाधिकारी की नोटिस में यह बात आ गयी कि इसका लाईसेंस खतम हो गया है, उसके बाद भी खाद बेची जा रही है तो उन्होंने डी० जी० सी०, उन्नाव से क्यों नहीं पूछा कि 3/7 एसैंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है या नहीं ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, ला-डिपार्टमेंट से मैंने अपने विवेक पर यह किया। जिलाधिकारी या जिला कृषि अधिकारी भी संभवतः कानून को पहचानते होंगे अगर नहीं पहचानते होंगे तो उन्होंने रिफर कर दिया। हमने उस पर कार्यवाही की है।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, यह पहला मौका है जबकि इस आदरणीय सदन के अन्दर शासन में बैठे हुए लोग जिस पुस्तक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह सरकार द्वारा प्रकाशित कन्ट्रोल आर्डर की पुस्तक नहीं है, बल्कि फर्टिलाइजर ऐसोसियेशन आफ इण्डिया की ओर से प्रकाशित गवर्नमेंट कन्ट्रोल आर्डर की कुछ अनुदित कापियाँ हैं। तो मेरा सबसे पहला एतराज यह है कि जब मन्त्री जी यहां आयें तो जो इतना बड़ा कृषि विभाग है, जिस पर

हमारा करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, वहां पर इन आर्डर की एक गार्ड फाइल होगी जिसमें यह आर्डर गजट हुए होंगे उसको पढ़ कर आयें ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न क्या करना चाहते हैं ?

श्री विद्यासागर नटियाल—

जितने कन्ट्रोल आर्डर होते हैं उनकी एक गार्ड फाइल बनती है। आर्डर्स गजट में छपते हैं····

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करिये ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मैं जानना चाहता हूँ कि शो-काज नोटिस कब दिया था जब कि उनका लाइसेंस अक्तूबर, 81 में रद्द कर दिया गया था ?

श्री यशपाल सिंह—

जैसे ही नोटिस में आया तैसे ही शो-काज नोटिस दे दिया गया ।

श्री भीखालाल—

क्या माननीय कृषि मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब किसी कम्पनी का लाइसेंस रद्द करते हैं तो शोकाज नोटिस देते हैं । आपने पुस्तक में पढ़कर बताया यह अनुबन्ध अक्तूबर, 81 में रद्द हो गया था सेल 13-11-82 को रोकी गयी है ।

[समय 6.25 मिनट]

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, दो प्रश्न हैं । पहला प्रश्न यह है कि 12,32,0 और दूसरा 15,15,7½, दोनों के बारे में मा० सदस्य अलग अलग प्रश्न करें तो बता दूँ ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि कम्पनी का लाइसेंस अक्तूबर, 81 में रद्द किया, शो काज नोटिस देने के बाद लाइसेंस रद्द किया जाता है, तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि शो काज नोटिस इस निबंधन के रद्द करने के पहले दी गयी या बाद में ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, स्वतः 12,32,0 का चूँकि नोटिफिकेशन नहीं हो सका था, इसलिये 16-10-81 को समाप्त हो गया । उसके बाद जो उन्होंने बताया तो 16-12-81 को

[श्री यशपाल सिंह—]

प्रान्त में बिक्री बन्द कर दी गयी। 15,15,7½ का जो प्रश्न है उसमें सब स्टैन्डर्ड निकली, उनको शो काज नोटिस दी गयी।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैं जानना चाहूँगा कि लाइसेंस रद्द करने के बाद उस फैक्टरी के बने माल को बेचने की कितनी अवधि दी जाती है वैसे ऐक्ट के अनुसार सामान्यतः एक साल तक माल को फैक्टरी बेच सकती है, क्या यह बात सही है ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, फर्टिलाइजर ऐक्ट के तहत मैन्यूफैक्चरिंग का जो लाइसेंस दिया जाता है, यदि उसको नोटीफिकेशन नहीं होता है तो उनको सेल की इजाजत नहीं दी जाती। यदि उन्होंने मैन्यूफैक्चरिंग चूँकि कर लिया है और ऐक्ट में सुविधा है कि वह उस प्रान्त में न बेचकर सरकार की अनुमति से दूसरे प्रान्त में बेच सकते हैं।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, जो दोषपूर्ण मिश्रण था जिसमें कम्पनी को नोटिस दी गयी लाइसेंस रद्द करने की तो मैं उसमें जानना चाहता हूँ कि उस नोटिस के जवाब में इस कम्पनी ने क्या स्वीकार किया और किस चीज को इन्कार किया है ?

श्री यशपाल सिंह—

उन्होंने तो हमारे हर आदेश को चैलेन्ज किया और वह अपील में हैं।

श्री भीखा लाल —

मान्यवर, दो प्रश्न हैं। उनका लाइसेंस रद्द करने के लिये शो काज नोटिस दिया और उनका लाइसेंस रद्द कर दिया और उसके बाद भी गलत अनुपात में खाद बनाते रहे, तो उसके लिये उनके ऊपर आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा क्यों रजिस्टर नहीं किया गया ?

श्री यशपाल सिंह —

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा है कि दो अलग अलग प्रश्न हैं— एक 12,32,0 और दूसरा 15,15,7½ का तो किस के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, जैसा मन्त्री जी ने बताया था कि जिला कृषि अधिकारी ने 13-11-82 से बिक्री पर रोक लगा दी थी। तो कोई भी हो, जब दोषपूर्ण मिश्रण पायी गयी तो उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया ?

श्री यशपाल सिंह —

मान्यवर, इसका उत्तर पहले दे चुके हैं कि यह प्रश्न कि 12,32,0 के सम्बन्ध में नोटिफिकेशन नहीं हो सका था। इसलिये स्वतः निबन्धन समाप्त हो गया। अब यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और ला डिपार्टमेंट की राय के लिये भेजा है कि क्या इस केस को हम आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज कर सकते हैं।

रैलीज इण्डिया केमिकल्स लिमिटेड, मगरवारा (उन्नाव) द्वारा निर्मित रासायनिक खाद का मिश्रण दोषपूर्ण पाये जाने विषयक दिनांक 2 मार्च 1983 को पूछे गये अल्प सूचित तारांकित संख्या 2 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, यह कितनी गति से ला डिपार्टमेंट के पास आया है, क्योंकि यह मामला बहुत पुराना है और तीन बार तो इसमें प्रश्न ही किये गये हैं। तो मंत्री जी द्वारा राय लेने के लिये यह कब ला डिपार्टमेंट को दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, इसकी क्या आवश्यकता है।

अब हम लोग उठते हैं और कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
15 मार्च, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1224 पर ।)

विधान मण्डल के माननीय सदस्य, जिनके पास एक से अधिक आवास हैं तथा जिनके ऊपर किराया बकाया है ।

क्रमांक	नाम
	सर्वश्री
1	द्वारिका नाथ धवन सदस्य विधान सभा ।
2	डी०पी० राय, सदस्य विधान सभा ।
3	स्वामी प्रसाद सिंह, सदस्य विधान सभा ।
4	मु० कमाल युसुफ सदस्य विधान सभा ।
5	सूबेदार सिंह सदस्य विधान सभा ।
6	हरदेव, सदस्य विधान सभा ।
7	मोती लाल देहलवी सदस्य विधान सभा ।
8	अकबाल हुसैन सदस्य विधान सभा ।
9	प्रभू नारायण सिंह सदस्य विधान सभा ।
10	यदुनाथ सिंह सदस्य विधान सभा ।
11	जी राज सिंह मौर्य सदस्य विधान सभा ।

12 मान पाल सिंह एडवोकेट
सदस्य विधान सभा ।

13 गजेन्द्र सिंह
सदस्य विधान सभा ।

14 विलायती राम कत्याल
सदस्य विधान सभा ।

15 दीना नाथ पाण्डेय
सदस्य विधान सभा ।

16 रिजवानउर्रहमान किदवई
सदस्य विधान सभा ।

17 भास्कर पाण्डेय
सदस्य विधान सभा ।

18 मुईद अहमद
सदस्य विधान सभा ।

19 खुर्शीद अहमद
सदस्य विधान सभा ।

20 मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी
सदस्य विधान सभा ।

21 प्रियदर्शी जेतली
सदस्य विधान सभा ।

22 जावेद अली खाँ
सदस्य विधान सभा ।

23 जयदीप सिंह बरार
सदस्य विधान सभा ।

24 ओम प्रकाश रिछारिया
सदस्य विधान सभा ।

25 शेर बहादुर सिंह
सदस्य विधान सभा ।

26 भोला नाथ पाण्डेय
सदस्य विधान सभा ।

27 सुरेन्द्र सिंह
सदस्य विधान सभा ।

28 श्री माता प्रसाद पाण्डेय
सदस्य विधान सभा ।

29 शंकर सिंह
सदस्य विधान सभा ।

30 सुनील कुमार मुखोपाध्यक्ष
सदस्य विधान परिषद ।

31 शिव बालक
सदस्य विधान सभा ।

32 सत्य पाल सिंह
सदस्य विधान सभा ।

33 श्री दल सिंगार
सदस्य विधान सभा ।

34 अब्दुल कमाल
सदस्य विधान सभा ।

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1238पर)

संलग्नक

जनपद बाराबंकी के थानों में दिनांक 1-1-82 से 29-10-82 तक दर्ज कराई गयी प्रथम सूचनाओं का विवरण :—

थाने का नाम	अंकित कराई गई रिपोर्ट				ऐसे मामलों की संख्या जिनमें आरोप पत्र न्यायालय भेजे गये	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें फाइनल रिपोर्ट लगायी गयी
	चोरी	राहजनी	हत्यायें	डकैतियां		
1. कोतवाली	168	9	10	3	30	120
2. राम सनेही घाट	44	7	5	7	13	37
3. मवई	41	5	5	1	7	41
4. पटरंगा	32	2	4	–	10	29
5. टिकैत नगर	29	4	7	5	13	12
6. रूदौली	27	2	5	–	13	19
7. दरियाबाद	27	2	3	1	3	28
8. देवी	103	13	10	3	27	82
9. कुर्सी	57	4	4	4	10	32
10. फतेहपुर	40	2	5	1	16	26
11. मोहम्मदपुर	39	2	6	4	16	21
12. रामनगर	42	3	6	5	13	26
13. मसौली	55	5	5	2	16	40
14. बड़ूपुर	32	2	5	5	13	20
15. जैदपुर	29	2	5	3	14	19
16. सफदरगंज	38	4	3	1	16	21
17. असंदरा	26	3	3	2	12	21
18. कोठी	43	4	3	5	13	39
19. सुबेहा	15	2	4	1	9	11
20. सतरिख	20	2	3	1	9	14
21. हैदरगढ़	30	1	–	3	5	16
22. लोनी कटरा	22	2	5	4	8	21

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1242 पर।)

सितम्बर, 1982 में मेरठ में हुए दंगे में प्रभावित व्यक्तियों को दी गई आर्थिक सहायता का विवरण।

1–दंगा पीड़ितों को वितरित की गई कुल आर्थिक सहायता	3,59,375-40
2–मृत व्यक्तियों के परिवारों को	1,96,000-00
3–दंगे में घायल व्यक्तियों को	60,700-00
4–दंगे में क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को	98,775-40
5–दंगे में मृत पशुओं के स्वामियों को	3,900-00

विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–84 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1252 पर।)

ट्रेसिंग टेबुल पर ट्रेस किये गये नक्शों की विवरण तालिका

क्रम संख्या	कार्य का नाम	ट्रेस किये गये नक्शों की संख्या
1	ग्रायमरी स्कूल भवन में डिटेलड्राइंग की ट्रेसिंग	1
2	जूनियर हाई स्कूल भवन के डिटेल ड्राइंग की ट्रेसिंग	1
3	विक्रीकर कार्यालय भवन के डिटेल ड्राइंग की ट्रेसिंग	3
4	माधोगंज नया गांव मार्ग के सजरा प्लान की ट्रेसिंग	4
5	माधोगंज सुरसा मार्ग के सजरा प्लान की ट्रेसिंग	5
6	नार्थ पटरी बिलग्राम रजबडा मार्ग के सजरा प्लान की ट्रेसिंग	5
7	नपोरा बिसीलालपुर दुर्गागंज मार्ग के सजरा प्लान की ट्रेसिंग	6
8	खेतुई खजुरहरा सुरसा मार्ग के सजरा प्लान की ट्रेसिंग	6
9	बिलग्राम रहुला मार्ग के सेजरा प्लान की ट्रेसिंग	2
10	स्पीड ब्रेकर 3, 7 मीटर पेटेड रोड के स्टैण्डर्ड डिजाइन की ट्रेसिंग	1
11	2 मीटर स्पैन कलवर्ट के स्टेण्डर्ड ड्राइंग जो ए क्लास लोडिंग के लिए है डाईग की ट्रेसिंग	1
12	पटरी पर ब्रिक आन एज पेमेन्ट के डाईग की ट्रेसिंग	1
13	90 से० मी० ह्यूम पाइप कलवर्ट की ड्राईग की ट्रेसिंग	1
14	3 फुट डबेल पैरेल हयूम पाईप कलवर्ट की ड्राईग की ट्रेसिंग	1
15	1 मी० ह्यूम पाइप कलवर्ट के ड्राईग की ट्रेसिंग	1
16	प्राइमरी स्कूल भवन धनीगंज के साइट प्लान की प्लेन-टेबुल सर्वे की ट्रेसिंग	1
17	बन्नपुर प्राइमरी स्कूल के प्लेन टेबुल सर्वे की ट्रेसिंग	1
18	पहुतेरा ,, ,, ,,	1
19	जूनियर हाई स्कूल कुरसठ के प्लेन टेबिल सर्वे की ट्रेसिंग	1
20	प्राइमरी स्कूल भवन परोची के साइट प्लान की ट्रेसिंग	1
21	ओदरोनेबलिया प्राइमरी स्कूल ,, ,,	1
22	कुन्दरौली ,, ,,	1
23	जूनियर हाई स्कूल भगौतीपुर ,, ,,	1